भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या 3

(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार

विषय-सूची

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ		(vii)
विहंगावलोकन		(ix)...([illegible])

पहला अध्याय

राज्य सरकार के लेखे

निधियों के स्रोत व प्रयुक्ति	1.1	1
राजस्व प्राप्तियां	1.2	2
कर राजस्व	1.3	3
कर-भिन्न राजस्व	1.4	6
सहायता अनुदान तथा संघीय करों व शुल्कों का हिस्सा	1.5	7
राजस्व व्यय	1.6	8
राजस्व अधिशेष/घाटा	1.7	12
पूंजीगत व्यय	1.8	12
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	1.9	13
अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट	1.10	16
राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	1.11	18
निवेश तथा प्रतिफल	1.12	20
राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां	1.13	21
सारांशित वित्तीय स्थिति	1.14	22
राज्य की परिसम्पत्तियां तथा दायित्व	1.15	29

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

बजट एवं व्यय	2.1	30
विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	31
विभागीय आंकड़ों का समाधान	2.3	40
आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	2.4	40
निधियों का व्यपवर्तन	2.5	41

	परिच्छेद	पृष्ठ
तीसरा अध्याय		
सिविल विभाग		
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
जिला चिकित्सालयों तथा इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला का कार्यचालन	3.1	42
कृषिविभाग		
वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशैड विकास परियोजना	3.2	62
उपदान की अधिक अदायगी	3.3	76
वन कृषि एवं संरक्षण विभाग		
यात्रा भत्ते की अधिक अदायगी	3.4	77
ग्रामीण विकास विभाग		
राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	3.5	77
ब्याज कोषागार में जमा न करवाना	3.6	85
जलापूर्ति तथा सिंचाई स्कीमों का हस्तान्तरण न करना	3.7	86
शिक्षा विभाग		
जन शक्ति का कुप्रबंध	3.8	86
भवनों की अपूर्णता	3.9	87
तकनीकी शिक्षा विभाग		
निधियों का अवरोधन	3.10	88
राजस्व विभाग		
जिला गजेटियरों के संशोधन में विलम्ब	3.11	89
अपूर्ण पटवारखाना भवन	3.12	90
पर्यटन एवं सिविल विमानन विभाग		
निरर्थक निवेश	3.13	90
विमान चालक के प्रशिक्षण पर निष्फल व्यय	3.14	91
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग		
जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों हेतु नवीन लोक वितरण प्रणाली	3.15	92

	परिच्छेद	पृष्ठ
सहकारिता विभाग		
हिमाचल प्रदेश सहकारिता क्रेडिट संस्थान ऋण सहायता स्कीम, 1990	3.16	97
आयुर्वेद विभाग		
निष्फल व्यय	3.17	99
विविध विभाग		
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन	3.18	99
दुर्विनियोजन, व्यपहरण आदि	3.19	103

चौथा अध्याय

निर्माण कार्य व्यय

लोक निर्माण विभाग		
राष्ट्रीय राजमार्ग	4.1	104
ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता	4.2	132
उप मण्डलीय दण्डाधिकारी न्यायालय परिसर, रोहड़ू	4.3	133
अतिरिक्त मुआवजे का अस्वीकार्य भुगतान	4.4	135
ठेकेदार से बकाया वसूलियां	4.5	135
सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय	4.6	136
परिहार्य व्यय	4.7	137
निविदाएं स्वीकार न करने के कारण परिहार्य दायित्व	4.8	138
तकनीकी विनिर्देशों की अनुपालना न करने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय	4.9	139
ठेकेदारों को अधिक/अस्वीकार्य भुगतान	4.10	139
निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय	4.11	141
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
जल आपूर्ति स्कीम, नाहन का संवर्धन	4.12	143
परिहार्य हानि	4.13	146
लिफ्ट सिंचाई स्कीम पर व्यर्थ व्यय	4.14	147
लोक लेखा समिति को गलत सूचना देना	4.15	148
अपर्याप्त जांच के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय	4.16	148
सिंचाई स्कीम पर निष्फल व्यय	4.17	149
निष्फल व्यय	4.18	150
अतिरिक्त परिहार्य व्यय	4.19	151

	परिच्छेद	पृष्ठ
पाँचवां अध्याय		
भण्डार एवं स्टॉक		
लोक निर्माण विभाग		
सामग्री का दुर्विनियोजन	5.1	153
सामग्री की अधिक खपत	5.2	154
सामग्री उपार्जन व वितरण में अनियमितताएं	5.3	155
भण्डार की न्यूनता/भण्डार न सौंपना	5.4	156
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
परिवहन प्रभारों पर परिहार्य व्यय	5.5	157
परिहार्य व्यय	5.6	158
समाज एवं महिला कल्याण विभाग		
भण्डार प्रबन्धन में त्रुटियां	5.7	159
विविध विभाग		
अपरिहार्य दायित्वों का स्थगन	5.8	160
प्रशिक्षित ऑपरेटरों के अभाव में निष्कार्य पड़े उपस्कर	5.9	161
छठा अध्याय		
स्थानीय निकायों व अन्यों को वित्तीय सहायता		
सामान्य	6.1	162
नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवाशर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा	6.2	165
सामान्य	6.2.1	165
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग		
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	6.2.2	166
कृषि विभाग		
(हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड)		
ढली में विनियमित मण्डी का निर्माण	6.2.3	181
तोलन पुल की खरीद पर निधियों का अवरोधन	6.2.4	182
बाजार/उपबाजार अहातों की स्थापना में दोषपूर्ण आयोजना	6.2.5	183

	परिच्छेद	पृष्ठ
शिक्षा विभाग		
(हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय)		
बस दुर्घटना के कारण हानि	6.2.6	183
ग्रामीण विकास विभाग		
उपदान का अनियमित भुगतान	6.2.7	184
बेकार उपस्कर	6.2.8	185
नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें)		
अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा	6.3	186
जनजातीय विकास विभाग		
अनुदान	6.3.1	186
ग्रामीण विकास विभाग		
अनुदान	6.3.2	187

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट-I	अनावश्यक पूरक अनुदानों/विनियोगों के मामले	193
परिशिष्ट-II	निधियों का अभ्यर्पण	194
परिशिष्ट-III	वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं	195
परिशिष्ट-IV	अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले	196
परिशिष्ट-V	आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	198
परिशिष्ट-VI	वर्ष 1994-95 तक प्रत्यक्ष लक्ष्य एवं उपलब्धियां दर्शाने वाली विवरणी	199
परिशिष्ट-VII	वन भूमि पड़ने के कारण ठप्प पड़े सड़क निर्माण कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी	203
परिशिष्ट-VIII	निजी भूमि पड़ने व अन्य कारणों से ठप्प पड़े सड़क निर्माण कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी	205
परिशिष्ट-IX	अपूर्ण पुलों के ब्यौरे दर्शाने वाली विवरणी	207
परिशिष्ट-X	अपूर्ण पड़े भवन निर्माणकार्य दर्शाने वाली विवरणी	209

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां

31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संख्या 3, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह मुख्यतः हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 1994-95 के विनियोग लेखाओं से प्रकट हुए मामलों से सम्बन्धित है। इसमें वर्ष 1994-95 के वित्त लेखाओं से उद्भूत कुछ रुचिकर प्रसंग भी सम्मिलित हैं।

2. सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों तथा राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

3. इस प्रतिवेदन में वर्ष 1994-95 में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामले तथा पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगोचर हुए किन्तु पिछले प्रतिवेदन में स्थान न पा सकने वाले मामले उल्लिखित हैं। आवश्यकतानुसार वर्ष 1994-95 से उत्तरवर्ती अवधि से सम्बद्ध मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो अध्याय हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 1994-95 के वित्त तथा विनियोग लेखाओं पर और अन्य चार अध्याय शामिल है जिनमें कुछ चयनित कार्यक्रमों व क्रियाकलापों तथा सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर आधारित 3 समीक्षाएं और 55 परिच्छेद समाविष्ट हैं। प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत है।

1. राज्य सरकार के लेखे

** यद्यपि 1989-95 वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 81 प्रतिशत वृद्धि हुई किन्तु इस अवधि में राजस्व व्यय 106 प्रतिशत बढ़ा। पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 113.63 करोड़ रु0 के राजस्व अधिशेष की अपेक्षा वर्ष 1994-95 के लेखाओं का समापन 307.72 करोड़ रु0 के राजस्व घाटे के साथ हुआ।

(परिच्छेद 1.7)

** राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 1993-94 के 1465.13 करोड़ रु0 से 11 प्रतिशत घटकर वर्ष 1994-95 में 1306.36 करोड़ रु0 हो गई। यह मुख्यतः वर्ष 1993-94 (799.26 करोड़ रु0) की तुलना में वर्ष 1994-95 (505.34 करोड़ रु0) के दौरान सहायता अनुदान में 37 प्रतिशत कमी के कारण था। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान जुटाया गया कर राजस्व (299.45 करोड़ रु0) तथा कर-भिन्न राजस्व (132.74 करोड़ रु0) कुल राजस्व प्राप्तियों का क्रमशः 22.92 प्रतिशत तथा 10.16 प्रतिशत था। वर्ष 1989-95 के दौरान कर राजस्व की प्राप्तियों में 141.96 करोड़ रु0 से 299.45 करोड़ रु0 उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्ष 1994-95 के दौरान कर-राजस्व में बढ़ौतरी 17 प्रतिशत थी। वर्ष 1994-95 (132.74 करोड़ रु0) के दौरान वर्ष 1993-94 (120.61 करोड़ रु0) की तुलना में कर-भिन्न राजस्व में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(परिच्छेद 1.2 से 1.4)

** राज्य वर्ष 1994-95 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का केवल 33.08 प्रतिशत (कर राजस्व 22.92 प्रतिशत तथा कर-भिन्न राजस्व 10.16 प्रतिशत) जुटा पाया और अधिकतर केन्द्रीय सरकार से अनुदानों तथा संघीय करों व शुल्कों में अपने हिस्से पर आश्रित रहा, जो कुल राजस्व का क्रमशः 38.68 प्रतिशत तथा 28.24 प्रतिशत था। संघीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश वर्ष 1989-90 में 154.05 करोड़ रु0 से उत्तरोत्तर बढ़कर 1994-95 में 368.83 करोड़ रु0 हो गया। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान 342.97 करोड़ रु0 से 505.34 करोड़ रु0 होने के कारण 47 प्रतिशत बढ़ गया।

(परिच्छेद 1.5)

** राज्य विधानमण्डल ने राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की सीमा निर्धारण हेतु कोई कानून पारित नहीं किया है। राज्य का आन्तरिक ऋण वर्ष 1989-90 के अन्त में 104.50 करोड़ रु0 से 1994-95 के अन्त तक 446.41 करोड़ रु0 होने से 327 प्रतिशत बढ़ गया। केन्द्रीय सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों में 650.79 करोड़ रु0 (104 प्रतिशत) तथा अन्य दायित्वों में 457.33 करोड़ रु0 (170 प्रतिशत) की वृद्धि सहित राज्य सरकार के इस प्रकार के कुल दायित्व (2451.15 करोड़ रु0) में वर्ष 1989-90 (1001.02 करोड़ रु0) के दायित्व पर 145 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(परिच्छेद 1.9.1)

** ऋण भार के कारण राज्य सरकार के ब्याज दायित्व में भी वृद्धि हुई, जो वर्ष 1989-90 में 87.99 करोड़ रु0 से 153 प्रतिशत बढ़कर 1994-95 में 222.60 करोड़ रु0 हो गया। इस कारण निधियों का बहिर्वाह 1989-90 में राजस्व व्यय के 11 प्रतिशत से उत्तरोत्तर बढ़कर वर्ष 1994-95 में 14 प्रतिशत हो गया। केन्द्रीय सरकार को ऋण सेवा दायित्वों में वृद्धि, वर्ष 1994-95 में केन्द्रीय सरकार से नए ऋणों तथा अग्रिमों के प्रवाह का 57 प्रतिशत संगणित हुई। वर्ष 1989-90 के दौरान यह 50 प्रतिशत थी।

(परिच्छेद 1.9.2 व 1.9.3)

** अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्टों के रुप में वर्षान्त में क्रमशः 16.87 करोड़ रु0 तथा 159.17 करोड़ रु0 बकाया थे।

(परिच्छेद 1.10)

** विकट वित्तीय स्थिति पर काबू पाने तथा तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से वर्ष 1994-95 में कुल 424.85 करोड़ रु0 के दो ऋण लिए। वर्ष के दौरान इन ऋणों पर ब्याज के रुप में 33.91 करोड़ रु0 तथा सेवा प्रभारों के रुप में 1.97 करोड़ रु0 का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त खज़ाना बिलों की रिडिस्काउंटिंग पर ब्याज के रुप में 16.68 करोड़ रु0 का भुगतान किया गया।

(परिच्छेद 1.9.4)

** विभिन्न सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारिताओं में सरकार का निवेश वर्ष 1989-90 के अन्त में 159.06 करोड़ रु0 से बढ़कर 1994-95 के अन्त में 575.24 करोड़ रु0 हो गया परन्तु केवल 0.08 करोड़ की अल्प राशि 1994-95 के दौरान लाभांश के रुप में प्राप्त की गई थी। निवेशों पर प्रतिफल सरकार द्वारा उधार ली गई राशियों पर देय ब्याज की अपेक्षा बहुत कम था।

(परिच्छेद 1.12)

** विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों, स्थानीय निकायों आदि द्वारा लिए गए ऋणों की चुकौती हेतु सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां 31 मार्च 1990 को 527.46 करोड़ रु0 से बढ़कर 31 मार्च 1995 को 958.40 करोड़ रु0 हो गई। पांच वर्ष की उसी अवधि में बकाया राशियां 352.71 करोड़ रु0 से बढ़कर 476.41 करोड़ रु0 तक होने पर 35 प्रतिशत बढ़ीं।

(परिच्छेद 1.13)

2. **विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण**

** वर्ष 1994-95 के दौरान 50 मामलों में कुल बचतें 170.72 करोड़ रु0 थीं परन्तु 20 मामलों में राज्य सरकार का व्यय बजट प्रावधान से 404.11 करोड़ रु0 बढ़ गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत व्यय के आधिक्य को नियमित करने की आवश्यकता है।

(परिच्छेद 2.2.1 तथा 2.2.4)

** वर्ष 1994-95 के दौरान प्राप्त 289.79 करोड़ रु0 का अनूपूरक प्रावधान 2111.70 करोड़ रु0 के मूल बजट प्रावधान का 14 प्रतिशत था। 4 मामलों में वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 5.16 करोड़ रु0 का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था।

** 20 अनुदानों तथा एक विनियोग के 26 मामलों में प्रत्येक मामले में 50 लाख रु0 तथा उससे भी अधिक कुल 168.67 करोड़ रु0 की बचतें हुईं।

(परिच्छेद 2.2.1)

** वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की तीन वर्षों की अवधि के दौरान 10 अनुदानों तथा 1 विनियोग के अन्तर्गत 13 मामलों में 5 प्रतिशत से लेकर 2,884 प्रतिशत के बीच निरन्तर बचत/अधिकता रही।

(परिच्छेद 2.2.2)

** 20 अनुदानों तथा 8 विनियोगों के अन्तर्गत कुल 47.63 करोड़ रु0 की बचतें सम्बद्ध विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं की गई थीं। दूसरी ओर 15 मामलों में अभ्यर्पण के लिए उपलब्ध केवल 27.19 करोड़ रु0 की बचतों के प्रति वस्तुतः 36.15 करोड़ रु0 की राशि अभ्यर्पित की गई थी। 7 अनुदानों में 20.56 करोड़ रु0 अभ्यर्पित किए गए थे जबकि व्यय अनुदान से अधिक था तथा कोई भी बचत उपलब्ध नहीं थी। ये उदाहरण अपर्याप्त बजट नियंत्रण के द्योतक थे।

(परिच्छेद 2.2.3)

** 4 विभागों द्वारा अप्रैल 1992 तथा अगस्त 1994 के मध्य अपनी वास्तविक आवश्यकताओं से पूर्व आहृत 144.60 लाख रु0 में से 119.85 लाख रु0 जुलाई 1995 तक बैंक ड्राफ्टों तथा जमा राशियों के रुप में बैंकों के पास अप्रयुक्त पड़े थे।

(परिच्छेद 2.4)

3. **जिला अस्पतालों तथा इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला का कार्यचालन**

7 जिला अस्पतालों तथा इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला के कार्यचालन की समीक्षा से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:-

तीन जिला अस्पतालों में विशेषज्ञों सहित 1 से 6 चिकित्सक कम थे जबकि अन्य तीन में 2 से 6 चिकित्सक अधिक तैनात किए गए थे। जिला अस्पतालों में नियुक्त अर्ध आयुर्विज्ञान कर्मी निर्धारित मापदण्डों से अधिक थे। शिक्षण अस्पतालों में नर्स व रोगियों के 1:3 के निर्धारित मापदण्ड के प्रति इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में वास्तविक तैनाती 1:5 तथा 1:6 में थी।

** भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानकों की तुलना में इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला के 14 विभागों में 38 शिक्षकों की कमी थी लेकिन दस अन्य विभागों में 24 पदों की अधिकता थी जिनके वेतन व भत्तों पर 1991-94 वर्षों में लगभग 70.45 लाख रु0 का अतिरिक्त व्यय हुआ।

** जिला अस्पतालों के लिए शय्याओं की संस्वीकृति हेतु मानक निर्धारित नहीं किए गए थे।

** न तो किसी जिला अस्पताल और न ही इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला में संक्रामक रोगों के प्रसार से बचने के लिए अस्पताल के कूड़े-कचरे को एकत्र करने तथा उसे नष्ट करने हेतु समुचित व्यवस्था थी।

** राज्य सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के माध्यम से दवाइयों के क्रय व वितरण हेतु केन्द्रीकृत क्रिया-विधि परिकल्पनानुसार कार्यान्वित नहीं की गई थी। दवाइयों की खरीद व वितरण हेतु 1991-95 वर्षों के दौरान कॉर्पोरेशन को 19.72 करोड़ रु0 की अग्रिम राशि दी गई थी। कॉर्पोरेशन द्वारा क्षेत्र यूनिटों को आपूरित दवाइयों का विवरण, जिलावार लेखे तथा अग्रिमों के समायोजन लेखे विभाग को नहीं भेजे जा रहे थे।

** 12.25 लाख रु0 की बांड राशि उन 47 छात्रों से वसूल की जानी थी जिन्होंने वर्ष 1992-94 के दौरान अपनी एम0बी0बी0एस0 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उन्हें नियुक्ति की पेशकश की थी परन्तु उन्होंने कार्यभार नहीं सम्भाला था। बंधपत्रों के अनुसार उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने का वचन दिया था।

(परिच्छेद 3.1)

4. **राष्ट्रीय राजमार्ग**

राज्य में 760.35 कि0मी0 लम्बाई वाले 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राज्य लोकनिर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण व अनुरक्षण कार्यकलापों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच से निम्नांकित तथ्य उजागर हुए:-

** राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण व अनुरक्षण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भू-तल परिवहन मंत्रालय के पास दर्ज करवाए गए कुल दावों में से 1095.39 लाख रु0 की राशि विस्तृत सूचना/दस्तावेजों के अभाव में अवरुद्ध कर ली गई थी या अस्वीकार की गई थी। वर्ष 1994-95 के दौरान किया गया व्यय 9443.07 लाख रु0 था दूसरी ओर दूर संचार विभाग तथा नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन से मुआवजे या मरम्मत/सुधार हेतु प्राप्त 721.28 लाख रु0 केन्द्रीय सरकार के पास जमा नहीं किये गये थे। यह राशि "लोकनिर्माण कार्य निक्षेप" के अधीन रखी गई थी।

** पठानकोट-चक्की-मण्डी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-20) के वर्ष 1989 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने के बावजूद भी सितम्बर 1994 में इसके व्यवहार्यता अध्ययन हेतु 18 लाख रु0 के शुल्क से एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था।

** तीन मण्डलों में ठेकेदारों द्वारा कम आपूरित किए गए 24.05 लाख रु0 मूल्य के उपयोगी पत्थरों से सम्बन्धित वसूली नहीं की गयी थी।

** चार मण्डलों में ठेकेदारों को 600.04 लाख रु0 में सौंपे गए आठ निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुए थे। अकेले इन पांच निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु किया गया अतिरिक्त व्यय 138.78 लाख रु0 था जिसकी वसूली हेतु आदेश नहीं दिए गए।

** 8 मण्डलों में 21 निर्माणकार्यों की पूर्णता में विलम्ब हेतु ठेकेदारों पर 70.43 लाख रु0 की क्षतिपूर्ति नहीं लगाई गई।

** 101.86 लाख रु0 के व्यय से राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर किया गया बिल्ट- अप स्प्रे गाऊट कार्य अपेक्षित अंतिम सतहीकरण/सीलकोट के बिना यातायात के लिए

खोल दिया गया जिससे इसे यातायात/वर्षा से क्षतिग्रस्त होने के लिए छोड़ दिया गया।

** पाँच मण्डलों में 10 निर्माण कार्यों के अंतिम बिलों से प्रदर्शित हुआ कि ठेकेदार सरकार को 65.98 लाख रु0 के देनदार थे।

(परिच्छेद 4.1)

5. **हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

बोर्ड की गतिविधियों की लेखापरीक्षा समीक्षा से निम्नांकित तथ्य उजागर हुए:-

** बोर्ड ने राज्य में प्रदूषणयुक्त उद्योगों की कुल संख्या का पता नहीं लगाया था जिसके लिए मार्च 1995 तक एफल्यूऐंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना अपेक्षित थी।

** बोर्ड ने राज्य के विभिन्न शहरों में कूड़े के प्रवाह तथा उसे नष्ट करने की व्यवस्था सम्बन्धी सर्वेक्षण नहीं किया था।

** 50 नगरपालिकाओं/नोटिफाइड एरिया कमेटियों में से केवल शिमला नगर निगम ने अंशतः मल व्यवस्था की थी। निगम ने इस तथ्य के बावजूद भी समुपचार संयन्त्र स्थापित नहीं किया था कि बोर्ड ने वर्ष 1980 में इसकी अनुमति दे दी थी।

** न तो राज्य के सभी 12 जिला अस्पतालों में से किसी ने और न ही केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली ने स्थूल कूड़ा-कचरे के निपटान हेतु इन्सिनरेटरों अथवा अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण यंत्र की व्यवस्था की थी।

** वायु प्रदूषण विरोधी यन्त्रों के प्रतिष्ठापन हेतु अपेक्षित सभी उद्योगों की पहचान नहीं की गई थी। मार्च 1994 तक पहचान किए गए 738 उद्योगों में से 230 उद्योगों को फरवरी 1995 तक ऐसे यन्त्र नहीं दिए गए थे।

** निर्धारित स्तर से अधिक प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पहिचाने गए तथा अनुमत्य सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

** बोर्ड द्वारा 1989-94 वर्षों में किए गए निरीक्षण अपेक्षित से 63 प्रतिशत कम थे।

(परिच्छेद 6.2.2)

6. **वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए वाटरशैड विकास परियोजना**

परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य, चारा, ईंधन,रेशे तथा बायोमास की निरन्तर उपलब्धता हेतु वर्षा के पानी को संरक्षित करके तथा भूमि, जल, पौधों तथा मानव-संसाधनों के उन्नयन तथा वैज्ञानिक प्रयुक्ति द्वारा हॉलीस्टिक खेती-बाड़ी को प्रोत्साहन देना था।

परियोजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नांकित तथ्य ध्यान में आए:-

** परियोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियां वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक पूर्णतः प्रयुक्त नहीं की गयी थी और 31 मार्च 1995 तक उनका 30 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा।

** 4 जिलों में 15 वाटरशैडों के चयन व अनुमोदन से पूर्ण विस्तृत मृदा सर्वेक्षण नहीं किया गया था। वास्तव में मई 1993 तथा अगस्त 1994 में 6.86 लाख रु0 के सर्वेक्षण औजार तथा उपस्कर खरीदे तथा वितरित किए गए जबकि दृश्य सर्वेक्षण, जिसके ऊपर "वाटरशैड" अनुमोदित किए गए थे, को पहले ही पूर्ण किया जा चुका था।

** 2090.10 हेक्टेयर भूमि के समुपचार हेतु 7 वीं योजनावधि के दौरान 53.02 लाख रु0 की लागत से विकसित वाटरशैड वर्ष 1990-91 के पश्चात् परित्यक्त कर दिए गए।

** तीन कृषि उपनिदेशकों ने 1992-95 वर्षों में चौबीस पक्के जल भण्डारण टैंक तथा दो पक्की कूहलें परियोजना में बिना किसी प्रावधान के 9.15 लाख रु0 की लागत से निर्मित कीं।

** नियामक (नोडल) तथा भाग लेने वाले विभागों के मध्य समन्वय का अभाव था। राज्य सरकार ने कार्यक्रम का कोई भी मूल्यांकन नही किया।

(परिच्छेद 3.2)

7. यद्यपि 2.10 लाख उन्नत चूल्हे स्थापित करने का लक्ष्य पार कर दिया गया था तथा 166.54 लाख रु0 व्यय किए गए थे फिर भी नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि पांच जिलों में 11030 चूल्हों (28676 स्थापित चूल्हों का 38 प्रतिशत), जिनपर 6.93 लाख रु0 के उपदान का भुगतान किया गया था, लाभग्राहियों द्वारा उखाड़ दिए गए थे।

(परिच्छेद 3.5)

8. सरकार के अप्रैल 1987 के निर्णय के विपरीत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित 881 जलापूर्ति एवं लघु सिंचाई स्कीमें मार्च 1995 तक सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित नहीं की गयी थीं। इनमें से 476 स्कीमें (लागत 54.26 लाख रु0) अनुरक्षण के अभाव में अकार्यशील हो गयीं तथा 405 (लागत 42.70 लाख रु0) स्कीमें निधियों के अभाव में अनुरक्षित नहीं की जा रही थीं।

(परिच्छेद 3.7)

9. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मण्डी में इलैक्ट्रानिक्स, मैकेनिक्स तथा कम्प्यूटरों के नये व्यवसायों को चलाने के लिए अनुदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण इन व्यवसायों को चलाने के लिए उपस्करों की खरीद पर किया गया 8.58 लाख रु0 का व्यय निधियों के अवरोधन में परिणत हुआ तथा प्रशिक्षणार्थियों को अभीष्ट लाभ नहीं मिला।

(परिच्छेद 3.10)

10. संशोधित जिला गजेटियरज को प्रकाशित करने का कार्य वर्ष 1960 में आरम्भ किया गया था तथा सभी जिला गजेटियरज को पांच वर्षों में प्रकाशित किया जाना था। वर्ष 1975 तक केवल पांच जिला गजेटियरज प्रकाशित किये जा सके। उसके बाद अप्रैल 1976 से मार्च 1995 तक राज्य जिला गजेटियरज के स्टाफ के वेतन तथा भत्तों पर किए गए 122.60 लाख रु0 के व्यय के बावजूद कोई गजेटियर प्रकाशित नहीं हुआ।

(परिच्छेद 3.11)

11. हवाई पट्टी के निर्माण से पूर्व अपेक्षित मौसम विज्ञान आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु वेधशालाओं के गठनार्थ 5.39 लाख रु0 की लागत से पर्यटन व सिविल विमानन विभाग द्वारा खरीदे (दिसम्बर 1989) गए चार पोर्टा कैबिन तथा उपस्कर अगस्त 1995 तक प्रयोजित उद्देश्यों में प्रयुक्त नहीं किए गए थे।

वर्ष 1985-86 से 1991-92 के बीच उड़ान प्रशिक्षण हेतु चयनित 12 प्रशिक्षणार्थियों को प्रदत्त 3.65 लाख रु0 की छात्रवृत्ति निष्फल रही क्योंकि किसी भी प्रशिक्षणार्थी ने प्रशिक्षण पूर्ण नही किया था।

(परिच्छेद 3.13 तथा 3.14)

12. जनसाधारण को सम्पूर्ण वर्ष सामर्थ्य मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विशेषतः दूर-दराज के पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में समाज के गरीब व कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के दोहरे उद्देश्य की दृष्टि से राज्य में जून 1992 में नवीनसार्वजनिक वितरण व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था। यह पाया गया कि वस्तुओं की उठाई गई/आपूरित मात्रा में धीरे-धीरे कमी आती रही। पुनः 1992-93 तथा 1994-95 वर्षों के मध्य 71.35 लाख रु0 मूल्य का 21,867 क्विंटल गेहूँ स्टॉक में लेखाबद्ध नहीं

किया गया था। 464.71 लाख रु० का गेहूँ व चावल यद्यपि अभिज्ञात खण्डों में नवीन सार्वजनिक वितरण व्यवस्था दरों पर लाभग्राहियों को दिया जाना था लेकिन इसे 1992-95 वर्षों के दौरान वास्तव में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की उच्चतर दरों पर दिया गया जिसके परिणामस्वरुप लाभग्राहियों को 64.07 लाख रु० का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ा।

(**परिच्छेद 3.15**)

13. 8723 ऋणियों को दिए गए कुल 120.74 लाख रु० के ऋण, जो "को-आपरेटिव क्रैडिट इन्सिच्यूशनज़ डैट रलिफ स्कीम 1990" के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अधीन नहीं आते थे, उन्हें तीन सहकारी बैकों द्वारा गलत रुप से बट्टे खाते डाला गया था। स्कीम के अन्तर्गत सहकारी बैकों को अग्रिमस्वरुप दिए गए 2584.42 लाख रु० में से 413.90 लाख रु० से 2 से 22 महीनों के विलम्ब से जमा किए गए थे जिसके परिणामस्वरुप 41.84 लाख रु० के ब्याज की हानि हुई।

(**परिच्छेद 3.16**)

14. उपयोगी पत्थरों के चट्टे न लगाने के लिए एक ठेकेदार से की जाने वाली 17.95 लाख रु० की वसूली के प्रति केवल 3 लाख रु० की वसूली की गई है जिसके फलस्वरुप उसे निरमण्ड स्थित आऊट सिराज मण्डल में 14.95 लाख रु० की अनुचित वित्तीय सहायता मिली।

(**परिच्छेद 4.2**)

15. 11 सड़कों, 5 पुलों तथा 6 भवनों के निर्माण पर किया गया 63.75 लाख रु० का व्यय निष्फल रहा क्योंकि विभिन्न कारणों से ये निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुए थे।

(**परिच्छेद 4.11**)

16. 90 दिन की वैध अवधि के अन्दर नाहन जलापूर्ति स्कीम के संवर्धनार्थ निविदाएं स्वीकार करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरुप उस फर्म को बिक्री कर व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के कारण 5.16 लाख रु० का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ जिसे यह कार्य सौंपा गया था। निविदाएँ आमान्त्रित करने वाले नोटिस में उपबन्धित तथा फर्म द्वारा वास्तव में आपूरित पाइपों के भार में अन्तर के कारण फर्म को 3.20 लाख रु० का लाभ दिया गया था।

उच्चतर मोटाई के पाइपों के स्थान पर कम मोटाई के पाइप लगाने तथा भार में अन्तर हेतु भुगतान की अनुमति देने के परिणामस्वरुप फर्म को 1.54 लाख रु० की अतिरिक्त लागत आई।

(**परिच्छेद 4.12**)

17. गैर-वानिकी प्रयोजनार्थ वनभूमि के प्रयोग के लिए वन विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के परिणामस्वरुप किन्नौर जिले में निचार प्रवाह सिंचाई स्कीम के निर्माण में विलम्ब हुआ। परिणामतः उस पर अप्रैल 1992 तक किया गया 19.26 लाख रु० का व्यय निष्फल रहा।

(**परिच्छेद 4.17**)

18. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर मार्च 1990 तथा फरवरी 1993 के मध्य तीन ठेकेदारों द्वारा मथुरा तेलशोधक कारखाने से उठाया गया 10.65 लाख रु0 मूल्य का बिटूमन प्रेषिती मण्डलों को नहीं सौंपा गया था।

(परिच्छेद 5.1)

19. सरकार के वित्तीय नियमों में निहित उपबन्धों के विपरीत वाहनों/ मशीनरी के उत्पादन के कारण 411.39 लाख रु0 के व्यय को लेखाओं में समायोजित नहीं किया गया था जिसके फलस्वरुप अपरिहार्य दायित्वों का स्थगन और लोकनिर्माण लेखाओं में गलत स्थिति प्रदर्शित हुई।

(परिच्छेद 5.8)

20. शिमला के समीप ढ़ली स्थित विनियमित मण्डी परिसर के 2 ब्लॉकों के आंशिक निर्माण पर जनवरी 1991 में किए गए 30 लाख रु0 के व्यय से अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं हुए और यह व्यय निष्फल रहा क्योंकि ये भवन पूर्ण नहीं हुए थे।

(परिच्छेद 6.2.3)

21. 5 जिलों में वर्ष 1978-79 से 1988-89 के मध्य आरम्भ किए गए बाजार/उपबाजार यार्डों के निर्माण पर किया गया 159.42 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा क्योंकि ये यार्ड पूर्ण नहीं हुए थे।

(परिच्छेद 6.2.5)

पहला अध्याय

राज्य सरकार के लेखे

1.1 निधियों के स्रोत व प्रयुक्ति

निम्नांकित विवरणी में वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन निधियों के स्रोतों तथा उनकी प्रयुक्ति के ब्यौरे निहित हैं :-

स्रोत (प्राप्तियां)		(करोड़ रुपए)	प्रयुक्ति (व्यय)	(करोड़ रुपए)
कर राजस्व		299.45	राजस्व व्यय	1614.28*
कर-भिन्न राजस्व		132.74		
केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		505.34	पूंजीगत व्यय	494.12*
संघीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश-		368.83		
निगम कर से भिन्न आय पर कर	51.31			
संघीय उत्पाद शुल्क	317.52			
अर्थोपाय अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्टों को छोड़कर)		68.88	अर्थोपाय अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण का निर्वहन (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्टों को छोड़कर)	28.16**
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम		307.13		

** 0.01 करोड़ रु० का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

* ये निवल आंकड़े हैं जिसमें व्यय अर्थात् राजस्व व्यय: 113.97 करोड़ रु०; पूंजीगत व्यय: 48.21 करोड़ रु० की कटौती में समायोजित वसूलियां शामिल नहीं हैं।

स्रोत (प्राप्तियां)	(करोड़ रुपए)	प्रयुक्ति (व्यय)	(करोड़ रुपए)
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	18.34	केन्द्रीय सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों का निर्वहन	57.99
लोक लेखे के अन्तर्गत शुद्ध प्राप्तियां	122.86	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	(-)163.30 $
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट में वृद्धि	107.69		
नकद शेष निवेश लेखा, विभागीय नकद शेष, स्थायी अग्रिमों आदि सहित नकद शेष में शुद्ध ह्रास	99.99		
जोड़	2031.25		2031.25

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति मोटे तौर पर अनुवर्ती परिच्छेदों में विश्लेषित है।

1.2 राजस्व प्राप्तियां

1.2.1 वर्ष 1994-95 में समाप्त छः वर्षों के दौरान वास्तविक राजस्व प्राप्तियां निम्नवत् थीं:-

वर्ष	बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक आंकड़े	गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (+)/ह्रास(-) की प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए)		
1989-90	817.83	748.04	721.23	(+) 3
1990-91	779.55	843.45	806.63	(+)12
1991-92	936.42	994.07	992.42	(+)23
1992-93	1889.89	1875.87	1052.49	(+) 6
1993-94	1151.07	1435.74	1465.13	(+)39
1994-95	1143.60	1235.85	1306.36	(-)11

$ ऋणात्मक लेनदेन 234 करोड़ रु0 के ऋण को इक्विटी पूंजी में रुपान्तरित करने के कारण है।

1.2.2 वर्ष 1989-90 से 1994-95 तक विभिन्न स्रोतों से राजस्व वसूलियों व राज्य के कुल राजस्व में उनके योगदान की स्थिति निम्नांकित चार्ट में प्रदर्शित हैं:

राजस्व स्रोत

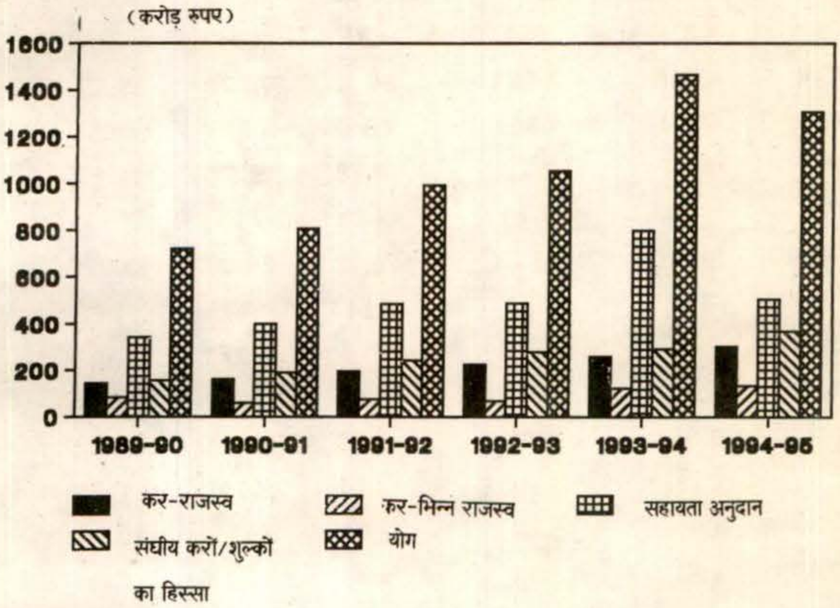

विभिन्न स्रोतों से प्राप्तियों का अधिक विस्तृत विश्लेषण अनुवर्ती परिच्छेदों में निहित है।

1.3 कर राजस्व

1.3.1 राज्य सरकार का कर-राजस्व वर्ष 1993-94 के 255.74 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 299.45 करोड़ रु० हो गया जो 17 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित करता है।

1.3.2 वर्ष 1989-90 से 1994-95 तक विभिन्न करों व शुल्कों से वसूलियों को निम्नांकित तालिका में विश्लेषित किया गया है :

वर्षबद्ध कर राजस्व

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपए)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
1989-90	141.96	20
1990-91	160.90	13
1991-92	192.93	20
1992-93	221.68	15
1993-94	255.74	15
1994-95	299.45	17

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
	(क	रो	ड़	रु प	ए)	
बिक्री कर	52.59	62.11	66.90	75.20	93.88	107.18
	(37)	(39)	(35)	(34)	(37)	(36)
राज्य	42.40	54.21	66.25	75.78	83.53	94.55
आबकारी	(30)	(34)	(34)	(34)	(33)	(32)
वाहन	6.47	6.59	8.78	9.88	11.56	11.17
कर	(5)	(4)	(5)	(5)	(4)	(4)
माल व	21.49	22.13	26.98	28.63	35.22	39.77
यात्री कर	(15)	(14)	(14)	(13)	(14)	(13)
विद्युत कर	5.00	1.81	2.76	5.27	2.10	9.88
एवं शुल्क	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)	(3)
भू-राजस्व	0.88	0.80	0.90	1.59	1.01	1.15
	(1)	(-)	(1)	(1)	-	(-)
स्टाम्प एवं	4.99	5.49	7.98	9.53	10.19	12.00
पंजीकरण फीस	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)
वस्तुओं व	8.14	7.76	12.38	15.80	18.25	23.75
सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	(6)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)
जोड़	141.96	160.90	192.93	221.68	255.74	299.45
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

टिप्पणी:-कोष्ठकों के आंकड़े कुल कर-राजस्व पर प्रत्येक कर की प्रतिशतता दशति हैं।

1.3.3 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान कर राजस्व संग्रहण में 43.71 करोड़ रु० की वृद्धि मुख्यतः राज्य आबकारी (11.02 करोड़ रु०), बिक्री कर (13.30 करोड़ रु०), विद्युत कर एवं शुल्क (7.78 करोड़ रु०), माल व यात्री कर (4.55 करोड़ रु०) तथा वस्तुओं व सेवाओं पर अन्य करों एवं शुल्कों (5.50 करोड़ रु०) से अतिरिक्त वसूलियों के कारण थी।

1.3.4 गत छः वर्षों में कर राजस्व के मुख्य स्रोतों की प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित है :-

(करोड़ रुपए)

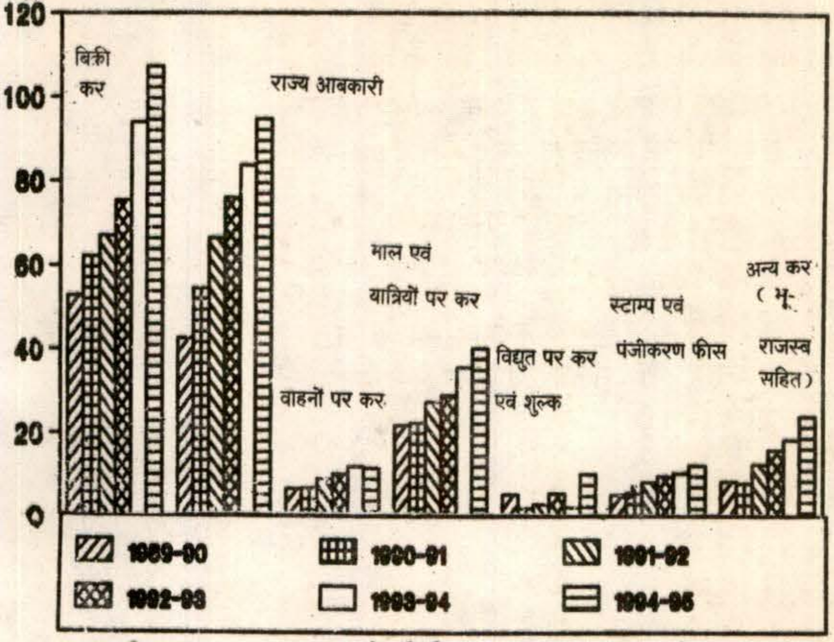

यद्यपि कुल कर राजस्व में बिक्री कर का अंशदान वर्ष 1989-90 तथा 1994-95 के मध्य 37 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत हो गया लेकिन फिर भी यह कुल राजस्व में मुख्य अंशदानी था।

1.3.5. बजट आकलनों व सशोधित आकलनों की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न स्रोतों से कर राजस्व की वसूली के विश्लेषण से महत्वपूर्ण भिन्नताओं का पता चला। ये भिन्नताएं संशोधित आकलनों के सन्दर्भ में भी भू-राजस्व के लिए 28 प्रतिशत तथा वाहन कर के लिए (-) 7 प्रतिशत तक उच्च थी। इस सम्बन्ध में ब्यौरे नीचे सारणीकृत हैं:-

---- के सन्दर्भ में

		1994-95			वृद्धि(+)/ह्रास(-)की प्रतिशतता	
1993-94 के वास्तविक आंकड़े	राजस्व शीर्ष	बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक आंकड़े	बजट आकलन	संशोधित आकलन
				(करोड़ रुपए)		
1.01	भू-राजस्व	0.66	0.90	1.15	(+)74	(+)28
10.19	स्टाम्प व पंजीकरण फीस	8.44	11.00	12.00	(+)42	(+) 9
83.53	राज्य आबकारी	78.14	91.00	94.55	(+)21	(+)4
93.88	बिक्री कर	89.98	110.00	107.18	(+)19	(-) 3
2.10	विद्युत कर एवं शुल्क	6.09	8.09	9.88	(+)62	(+)22
18.25	वस्तुओं व सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	15.00	23.00	23.75	(+)58	(+)3
35.22	माल व यात्री कर	33.80	41.00	39.77	(+)18	(-)3
11.56	वाहन कर	9.48	12.02	11.17	(+)18	(-)7

1.4 कर-भिन्न राजस्व

1.4.1 राज्य सरकार का कर-भिन्न राजस्व 1993-94 में 120.61 करोड़ रु0 से बढ़कर 1994-95 में 132.74 करोड़ रु0 हो गया जो गत वर्ष (1993-94) के प्रति केवल 10 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता था जबकि पूर्ववर्ती वर्ष 1992-93 की तुलना में ऐसी वृद्धि 1993-94 में 81 प्रतिशत थी।

यह वृद्धि मुख्यतः कतिपय सेक्टरों से अधिक वसूली से सम्बद्ध थी जैसा निम्नांकित तालिका में इंगित हैं:-

वर्षबद्ध कर-भिन्न राजस्व

वर्ष	कर भिन्न राजस्व	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि(+)/ह्रास(-)
	(करोड़ रुपए)	
1989-90	82.25	(+)22
1990-91	59.32	(-)28
1991-92	74.45	(+)26
1992-93	66.78	(-)10
1993-94	120.61	(+)81
1994-95	132.74	(+)10

लेखाशीर्ष का ब्यौरा		वास्तविक आंकड़े		वृद्धि	
		1993-94	1994-95	राशि	प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए)			
0049	ब्याज प्राप्तियां	3.22	9.23	6.01	187
0425	सहकारिता	3.92	9.15	5.23 -	133
0852	उद्योग	4.67	21.57	16.90	362

1.4.2 कर राजस्व की तरह कर-भिन्न राजस्व की वास्तविक वसूलियों में भी वर्ष 1994-95 के दौरान बजट तथा संशोधित आकलनों में महत्वपूर्ण अन्तर था। संशोधित आकलनों की तुलना में यह भिन्नता उद्योग के संदर्भ में (+) 2776 प्रतिशत तथा अन्य प्रशासनिक् सेवाओं के संदर्भ में (-)50 प्रतिशत उच्च थी। ब्यौरे नीचे सारणीकृत हैं:

वास्तविक आंकड़े 1993-94	राजस्व शीर्ष	1994-95 बजट आकलन	1994-95 संशोधित आकलन	1994-95 वास्तविक आंकड़े	---- के संदर्भ में वृद्धि(+)/ह्रास(-): बजट आकलन राशि	बजट आकलन प्रतिशतता	संशोधित आकलन राशि	संशोधित आकलन प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए)						
3.22	0049 ब्याज प्राप्तियां	4.21	5.00	9.23	(+)5.02	119	(+)4.23	(-) 85
5.22	0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1.65	45	2.72	(+)1.07	65	(-)2.73	(-) 50
3.92	0425 सहकारिता	1.65	3.12	9.15	(+)7.50	455	(+)6.03	(+)193
4.67	0852 उद्योग	0.64	0.75	21.57	(+)20.93	3,270	(+)20.82	(+)2776

1.5 सहायता अनुदान तथा केन्द्रीय करों व शुल्कों का राज्यांश

1.5.1 छोटा राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में आन्तरिक रुप से राजस्व जुटाने का क्षेत्र सदैव सीमित था। अतएव राज्य को अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदान व संघीय करों व शुल्कों में अपने हिस्से पर निर्भर रहना पड़ा। वर्ष 1994-95 में राजस्व के चार मुख्य स्रोतों अर्थात् कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान व संघीय करों और शुल्कों में राज्यांश निम्नांकित चार्ट में प्रदर्शित हैं :-

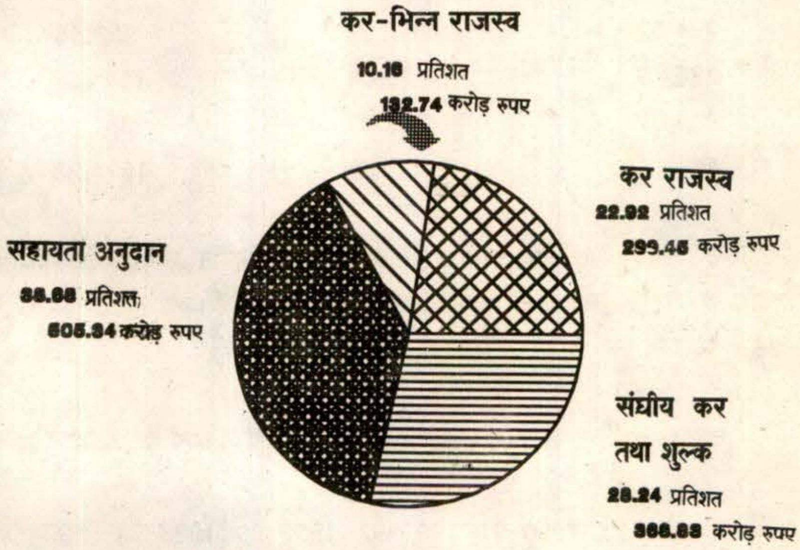

1.5.2 संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश वर्ष 1989-90 (154.05 करोड़ रु0) तथा 1994-95 (368.83 करोड़ रु0) के मध्य प्रगामी रुप से 139 प्रतिशत बढ़ गया। गत वर्ष (289.52 करोड़ रु0) की तुलना में वर्ष 1994-95 में वृद्धि 27 प्रतिशत थी। केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान में 47 प्रतिशत वृद्धि हुई जो कि वर्ष 1989-90 के 342.97 करोड़ रु0 से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 505.34 करोड़ रु0 हो गया। सहायता अनुदान गत वर्ष के 799.26 करोड़ रु0 से घटकर वर्ष 1994-95 में 505.34 करोड़ रु0 हो गया । यह घटत 37 प्रतिशत थी । इससे सम्बद्ध ब्यौरे साथ में तालिका में दिए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और संघीय करों व शुल्कों का अंश

वर्ष	सहायता अनुदान	संघीय करों/ शुल्कों का अंश
	(करोड़ रुपए)	
1989-90	342.97	154.05
1990-91	398.46	187.95
1991-92	485.22	239.82
1992-93	487.79	276.24
1993-94	799.26	289.52
1994-95	505.34	368.83

1.6 **राजस्व व्यय**

1.6.1 वर्ष 1989-90 तथा 1994-95 के मध्य राजस्व व्यय में वृद्धि निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित है :-

वर्ष	राजस्व व्यय		
	योजनागत	आयोजनेतर	जोड़
	(करोड़ रुपए)		
1989-90	210.96	571.54	782.50
1990-91	249.02	652.45	901.47
1991-92	284.32	698.24	982.56
1992-93	326.73	818.84	1145.57
1993-94	409.01	942.49	1351.50
1994-95	440.73	1173.55	1614.28

वर्ष 1989-90 तथा 1994-95 के मध्य योजनागत व्यय 109 प्रतिशत बढ़ा जबकि इसी अवधि के दौरान आयोजनेतर व्यय में 105 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 के राजस्व व्यय में 19 प्रतिशत की वृद्धि है।

1.6.2 वर्ष 1989-90 से 1994-95 तक राजस्व लेखे में व्यय का क्षेत्रबद्ध विश्लेषण निम्नांकित है :-

सेक्टर	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
	(करोड़ रुपए)					
सामान्य सेवाएं (आयोजनेतर)	229.70	269.05	325.13	380.09	446.98	508.44
सामान्य सेवाएं (योजनागत)	6.00	9.14	12.00	13.43	13.45	16.27
सामाजिक सेवाएं (आयोजनेतर)	233.57	243.28	254.37	301.30	320.70	381.67
सामाजिक सेवाएं (योजनागत)	76.74	112.70	115.82	140.54	162.58	189.04
आर्थिक सेवाएं (आयोजनेतर)	105.93	137.82	115.49	133.69	171.14	279.78
आर्थिक सेवाएं (योजनागत)	128.22	127.18	156.50	172.76	232.98	235.42
सहायता अनुदान व अंशदान (आयोजनेतर)	2.34	2.30	3.25	3.76	3.67	3.66

गत वर्ष (1993-94) की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान आर्थिक सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं पर योजनागत व्यय क्रमशः 1, 16 तथा 21 प्रतिशत बढ़ा था जबकि इन्हीं सेवाओं पर आयोजनेतर व्यय में क्रमशः 63, 14 तथा 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

योजनागत व्यय की प्रवृत्ति

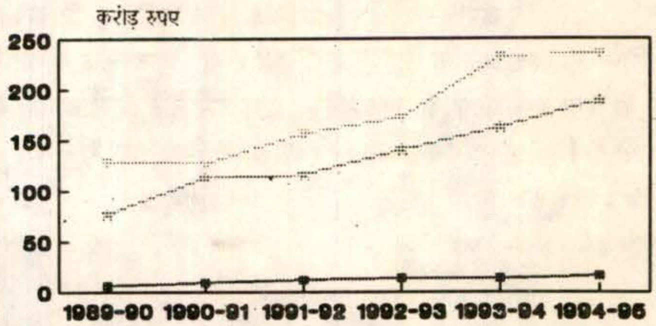

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
सामान्य सेवाएं	6	9.14	12	13.43	13.45	16.27
सामाजिक सेवाएं	76.74	112.7	115.82	140.54	162.58	189.04
आर्थिक सेवाएं	128.22	127.18	156.5	172.76	232.96	235.42

सामान्य सेवाएं — सामाजिक सेवाएं — आर्थिक सेवाएं

आयोजनेतर व्यय की प्रवृत्ति

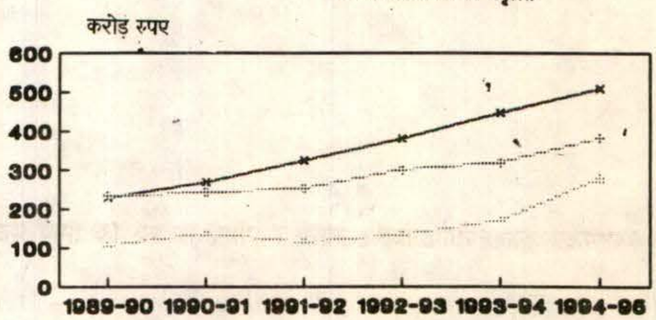

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
सामान्य सेवाएं	229.7	269.05	325.13	380.09	446.98	508.44
सामाजिक सेवाएं	233.57	243.26	254.37	301.3	320.7	381.67
आर्थिक सेवाएं	105.93	137.82	115.49	133.69	171.14	279.76

सामान्य सेवाएं — सामाजिक सेवाएं — आर्थिक सेवाएं

1.6.3 नौवें वित्त आयोग ने 1990-95 की अवधि के लिए अपनी संस्तुतियों को करते समय राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय के कुछ प्रक्षेपण प्रस्तुत किए थे। वर्ष 1991-92 से ब्याज अदायगियों के संदर्भ में नौवें वित्त आयोग का प्रक्षेपण वर्ष 1990-91 के लेखों के अनुसार वास्तविक अदायगियों के प्रति तथा उसके पश्चात् 12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि से संगणित किया गया था। अन्य कर-भिन्न राजस्व व्यय (ब्याज अदायगियों रहित) के बारे में प्रक्षेपणों को वर्ष 1989-90 के वास्तविक आंकड़ों पर 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से निकाला गया था।

जबकि ब्याज अदायगियां मूल्य वृद्धि में विभिन्नताओं से मुक्त होगी, अन्य कर-भिन्न राजस्व व्यय के बारे में ऐसा नहीं होगा। मूल्य वृद्धि में विभिन्नता के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए इस घटक के समायोजनार्थ तथा इसे नौवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों के समतुल्य स्तर पर लाने के लिए निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग किया गया है:-

$$\text{मूल्य वृद्धि में परिवर्तनों के लिए समायोजित अन्य आयोजनेतर व्यय} = \text{अन्य आयोजनेतर राजस्व व्यय} \times \frac{100 + \text{वित्त आयोग द्वारा अनुमानित मूल्य वृद्धि}}{100 + \text{वास्तविक मूल्य वृद्धि}}$$

निम्नांकित तालिका नौवें वित्त आयोग के पूर्वानुमानों और 1990-95 के आयोजनेतर राजस्व व्यय के वास्तविक आकड़ों के मध्य वर्षबद्ध तुलना को प्रदर्शित करेगी:-

वर्ष	ब्याज की अदायगियां *		अन्य आयोजनेतर राजस्व व्यय **			कुल समग्र आयोजनेतर राजस्व व्यय		
	(करोड़ रुपए)							
	नौवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण	वास्तविक व्यय	नौवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण	वास्तविक व्यय	नौवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित मूल्य वृद्धि में विभिन्नताओं हेतु वास्तविक समायोजन	नौवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण	वास्तविक व्यय	नौवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित मूल्य वृद्धि में विभिन्नताओं हेतु वास्तविक समायोजन
1990-91	110.45	110.45	517.40	542.00	516.42	627.85	652.45	626.87
1991-92	123.70	147.85	553.62	550.39	508.28	677.32	698.24	656.13
1992-93	138.54	177.12	592.37	641.72	611.99	730.91	818.84	789.11
1993-94	155.16	209.65	633.84	732.84	711.82	789.00	942.49	921.47
1994-95	173.78	222.60	678.21	950.95	900.36	851.99	1173.55	1122.96
जोड़	701.63	867.67	2975.44	3417.90	3248.87	3677.07	4285.57	4116.54

स्रोत:

* (क) हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 1990-91 के लिए वित्त लेखे नौवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा 3.35 के साथ पठित

** हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 1989-90 के वित्त लेखे नौवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा 3.30 के साथ पठित

इस प्रकार नौवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित मूल्यों की तुलना में उत्तरोत्तर मूल्यवृद्धि के समायोजन के पश्चात् भी राज्य सरकार वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 को छोड़कर आयोजनेतर राजस्व व्यय को उस सीमा के भीतर रखने में सफल नहीं रही जो कि नौवें वित्त आयोग ने उनके वित्त का विवेकपूर्ण प्रबन्धन हेतु आवश्यक समझा था।

इसी प्रकार, ऊपर निर्दिष्ट उसी समीकरण का प्रयोग करते हुए मूल्य-वृद्धि से सम्बन्धित अनुमान में भिन्नताओं के लिए समायोजन के पश्चात प्रकट योजनागत व्यय की स्थिति निम्नवत् थी।

वर्ष	नौवें वित्त आयोग* का प्रक्षेपण (न्यूनतम)	वास्तविक आंकड़े	नौवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित आंकड़ों से हट कर मूल्य वृद्धि में विभिन्नताओं के लिए वास्तविक आंकड़े
		(करोड़ रुपए)	
1990-91	142.30	249.02	237.27
1991-92	152.26	284.32	262.56
1992-93	162.92	326.73	311.59
1993-94	174.32	409.01	397.28
1994-95	186.53	440.73	417.28
जोड़	818.33	1709.81	1625.98

उपर्युक्त कथनानुसार अनुमानित मूल्य वृद्धि में विभिन्नता के लिए समायोजन के पश्चात योजनागत व्यय नौवें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपित स्तर से बढ़ गया था। सरकार से जनवरी 1996 में प्रक्षेपणों के प्रति व्यय में आधिक्य के कारण मांगे गए, जो प्रतिक्षित थे।

मामला सरकार को सितम्बर 1995 में प्रेषित किया गया। उत्तर (दिसम्बर 1995) तक प्राप्त नहीं हुआ है।

---

* नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट (परिशिष्ट-VII 4)

1.7 राजस्व अधिशेष/घाटा

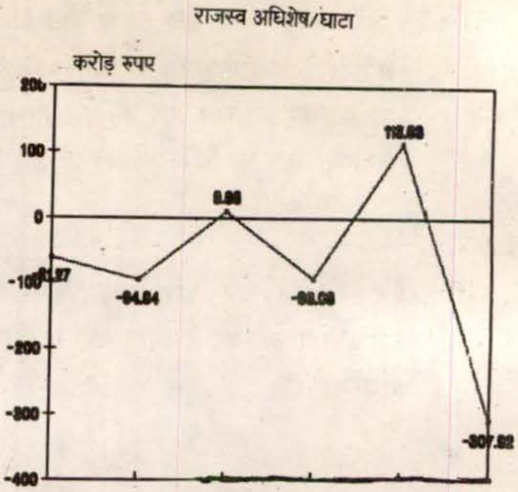

यद्यपि वर्ष 1989-90 तथा 1994-95 के मध्य राजस्व प्राप्तियां 81 प्रतिशत बढ़ी लेकिन इसी अवधि में राजस्व व्यय में वृद्धि 106 प्रतिशत थी। वर्ष 1994-95 के लेखे गत वर्षों के 113.63 करोड़ रु0 के राजस्व अधिशेष के प्रति 307.92 करोड़ रु0 के राजस्व घाटे से सम्वृत हुए। वर्ष 1989-90 से 1994-95 तक की वर्षबद्ध स्थिति निम्नांकित तालिका में दी गई है:-

वर्ष	राजस्व		
	प्राप्तियां	व्यय	आधिक्य(+)/ घाटा(-)
	(क रो ड़ रु प ए)		
1989-90	721.23	782.50	(-)61.27
1990-91	806.63	901.47	(-)94.84
1991-92	992.42	982.56	(+) 9.86
1992-93	1052.49	1145.57	(-)93.08
1993-94	1465.13	1351.50	(+)113.63
1994-95	1306.36	1614.28	(-)307.92

1.8 पूंजीगत व्यय

वर्ष 1993-94 के 220.37 करोड़ रु0 के पूंजीगत व्यय के प्रति वर्ष 1994-95 में यह व्यय 494.12 करोड़ रु0 था जो कि 124 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता था। वर्ष 1989-90 से 1994-95 तक राजस्व व्यय व पूंजीगत व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे सारणीकृत है :-

वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय
	(क रो ड़ रु प ए)	
1989-90	782.50	122.14
1990-91	901.47	149.22
1991-92	982.56	188.10
1992-93	1145.57	205.32
1993-94	1351.50	220.37
1994-95	1614.28	494.12

यह अवलोकित होगा कि राजस्व व्यय (योजनागत तथा आयोजनेतर दोनों ही) 1989-95 में बढ़कर 106 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि में पूंजीगत व्यय केवल 305 प्रतिशत बढ़ा।

1.9 लोक ऋण तथा अन्य दायित्व

1.9.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार उसी सीमा, यदि कोई हो, के अन्दर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारतीय क्षेत्र में उधार ले सकती है जो राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए। राज्य विधानमण्डल ने ऐसी सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून पारित नहीं किया है।

राज्य के लोक ऋण में आन्तरिक ऋण तथा केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। आन्तरिक ऋण में खुले बाजार से जुटाए गए दीर्घकालिक ऋण तथा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण शामिल हैं जो विभिन्न परियोजनाओं व स्कीमों के वित्तपोषण के लिए हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बन्धपत्र भी शामिल है। केन्द्रीय सरकार से लिए गए ऋण व अग्रिम विभिन्न योजनागत तथा आयोजनेतर स्कीमों के निष्पादनार्थ प्राप्त ऋणों को दशति हैं। इसके अतिरिक्त लघु बचतों, भविष्य निधि आदि के माध्यम से जुटाई गई निधियों के कारण सरकार के अन्य दायित्व भी हैं।

व्यय की बढ़ती मांग व संसाधन अन्तराल को पूरा करने के लिए राज्य सरकार उत्तरोत्तर उधार का आश्रय ले रही थी। राज्य सरकार के ऐसे कुल दायित्व 145 प्रतिशत बढ़ गए जो वर्ष 1989-90 के 1001.12 करोड़ रु० से 1994-95 में 2451.15 करोड़ रु० हो गए थे। यद्यपि आन्तरिक ऋण में 327 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी लेकिन केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम तथा अन्य दायित्व क्रमशः 104 व 170 प्रतिशत बढ़े। इस अवधि में राज्य सरकार के ऐसे दायित्वों के ब्यौरें निम्नांकित थे:-

--- के अन्त में	आन्तरिक ऋण	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	कुल लोक ऋण	अन्य दायित्व	कुल दायित्व
	(करोड़ रुपए)				
1989-90	104.50	628.02	732.52	268.60	1001.12
1990-91	135.56	828.03	963.59	330.90	1294.49
1991-92	181.41	881.54	1062.95	396.10	1459.05
1992-93	355.42	940.94	1296.36	491.36	1787.72
1993-94	298.01	1029.67	1327.68	607.90	1935.58
1994-95	446.41	1278.81	1725.22	725.93	2451.15

1.9.2 ऋण के बोझ से राज्य सरकार का ब्याज दायित्व भी बढ़ गया था। ब्याज अदायगियों के कारण निधियों का बहिर्वाह प्रगामी रुप से बढ़ रहा था। वर्ष 1994-95 की अदायगियां वर्ष 1989-90 के बहिर्वाह से 153 प्रतिशत अधिक थी। स्थिति निम्नांकित तालिका में सारांशित है:

वर्ष	राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान	राजस्व व्यय पर ब्याज भुगतान की प्रतिशतता
	(करोड़	रुपए)	
1989-90	782.50	87.99	11
1990-91	901.47	110.45	12
1991-92	982.56	147.85	15
1992-93	1145.57	177.12	15
1993-94	1351.50	209.65	16
1994-95	1614.28	220.60	14

1.9.3 राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अपनी ऋण सेवा के दायित्व का निर्वहन कर दिया था। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का चुकौती अनुसूची के अनुसार वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य सरकार से 176 करोड़ रु० (मूलधन की 57.99 करोड़ रु० तथा ब्याज की 118.01 करोड़ रु०) की अदायगी अनिवार्य थी। राशियों की अदायगी समय पर की गई। ये वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नए ऋणों व अग्रिमों का 57 प्रतिशत बनती थी। यह प्रतिशतता 1989-90 में 50 थी।

1.9.4 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से ऋण जुटाना

31 मार्च 1994 को अन्य एजेन्सियों से लोक ऋण (481.30 करोड़ रु०) तथा केन्द्रीय सरकार से ऋण (1052.98 करोड़ रु०) के रुप में 1534.28* करोड़ रु० राज्य सरकार से बकाया पड़े थे। इसके अलावा 31 मार्च 1994 को 68.35 करोड़ रु० भी बकाया थे जिनमें अर्थोपाय अग्रिम (16.87 करोड़ रु०) तथा ओवरड्राफ्ट (51.48 करोड़ रु०) शामिल था। राज्य सरकार का ओवरड्राफ्ट अप्रैल 1994 में बढ़कर 181.55 करोड़ रु० हो गया। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा नकद-उधार सीमा के प्रति हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय सहकारी बैंक से 205.80 करोड़ रु० का ऋण जुटाया गया, जिसकी प्रत्याभूति राज्य सरकार द्वारा दी गई थी, तथा 13 अप्रैल 1994 से 15 जुलाई 1994 तक राज्य सरकार के खाते में जमा किया गया। यह राशि राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 22 अप्रैल 1994 तथा 21 मार्च 1995

---

* स्रोत: राज्य सरकार द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति

के मध्य पुनः चुकता कर दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा इस ऋण पर 29 तथा 30 मार्च 1995 को ब्याज़ (24.26 करोड़ रु0) तथा सेवा प्रभार (0.50 करोड़ रु0) के रुप में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय सहकारी बैंक को भुगतानयोग्य 24.76 करोड़ रु0 का भुगतान किया गया था। इसी बीच राज्य सरकार ने अर्थोपाय की स्थिति को अनुकूल बनाने हेतु 733.30 करोड़ रु0* के ट्रेजरी बिल अप्रैल 1994 से मार्च 1995 तक पुनः मितीकाटा लेकर भुगतान किए। 16.68 करोड़ रु0 की राशि वर्ष के दौरान ट्रेजरी बिलों को पुनः मितीकाटा लेकर भुगताने पर ब्याज़ के रुप में दी गई थी।

पुनः अभावग्रस्त वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण पाने तथा राज्य की वर्ष 1994-95 की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 300 करोड़ रु0 तक के वित्त जुटाने हेतु राज्य सरकार के खाते में जमा कराने के निर्देश जारी किए (नवम्बर 1994)।

तद्नुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने 14.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर एच पी एस ई बी नॉन-एस एल आर-बॉड-2001 के निजी स्थापन द्वारा 300 करोड़ रु0 तक की निधियों को जुटाने हेतु दिल्ली स्थित एक फर्म (राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित) को आदेश जारी करने का निर्णय लिया (नवम्बर 1994)। उक्त फर्म को की गई सेवाओं के लिए 1 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार/दलाली दी जानी थी। चूंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड इन ऋणों का पुनर्भुगतान करने अथवा उन्हें पूर्ण करने की स्थिति में नहीं था, अतः राज्य सरकार से बोर्ड को इन ऋणों को उन पर प्रोदभूत ब्याज तथा सेवा प्रभारों सहित चुकता करने हेतु अपेक्षित निधियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार 219.05 करोड़ रु0** के ऋण जुटाए गए तथा राज्य सरकार के खाते में 26 दिसम्बर 1994 से 14 मार्च 1995 तक जमा कराए गए। मूलधन (219.05 करोड़ रु0) राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 29 मार्च 1995 को चुकता कर दिया गया। इस ऋण पर सेवा प्रभार (1.47 करोड़ रु0) तथा ब्याज (9.76 करोड़ रु0) के प्रति समायोजित की जाने वाली 11.23 करोड़ रु0 की राशि राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 1995 को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अदा कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के पुनर्भुगतान के कारण राज्य सरकार का ओवरड्राफ्ट 30 मार्च 1995 को 174.70 करोड़ रु0 था।

---

* 1994

अप्रैल शून्य रु0; मई 21.91 करोड़ रु0: जून 33.39 करोड़ रु0: जुलाई 55.93 करोड़ रु0: अगस्त 45.33 करोड़ रु0: सितम्बर 72.11 करोड़ रु0: अक्तूबर 37.14 करोड़ रु0: नवम्बर 52.88 करोड़ रु0: दिसम्बर 27.17 करोड़ रु0;

1995

जनवरी 43.23 करोड़ रु0; फरवरी 135.90 करोड़ रु0; मार्च 208.31 करोड़ रु0

** दिल्ली स्थित फर्म: 147.05 करोड़ रु0 तथा हि0 प्र0 रा0 वि0 बोर्ड: 72 करोड़ रु0

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 219.05 करोड़ रु0 * की यह राशि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 5 अप्रैल 1995 से 17 अप्रैल 1995 तक राज्य सरकार के खाते में पुनः जमा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा 5-6 दिनों के लिए 219.05 करोड़ रु0 का प्रत्यर्पण स्पष्टतः 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में इस राशि को प्रदर्शित न करने के कारण किया गया था। दोनों ऋणों के सम्बन्ध में लेन देन शीर्ष "8448-स्थानीय निधियों का निक्षेप - 107 राज्य विद्युत बोर्ड कार्यचालन निधियां" के अन्तर्गत निक्षेप लेखा के माध्यम से किया गया था।

इस प्रकार राज्य सरकार ने अपनी अभावग्रस्त वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से 1994-95 के दौरान 424.85 करोड़ रु0 के ऋण जुटाए तथा इन ऋणों पर ब्याज के रुप में 34.02 करोड़ रु0 दिए। इसके अतिरिक्त 1.97 करोड़ रु0 सेवा प्रभार के रुप में दिए गए थे।

प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) भारत सरकार की सहमति को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा ऋण जुटाने का निषेध करता है यदि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त कोई ऋण बकाया पड़ा हो या जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गई हो। इस मामले में ऋण का प्रबन्ध हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से किया गया था जबकि यह ऋण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के क्रिया कलापों के किसी भी प्रयोजनार्थ नहीं था और भारत सरकार की सहमति भीं प्राप्त नहीं की गई थी।

सरकार को मामला सितम्बर 1995 में सन्दर्भित किया गया था। अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995)।

1.10 अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबन्ध के अन्तर्गत राज्य सरकार को बैंक के पास 20 लाख रु0 का न्यूनतम नकदी शेष रखना अनिवार्य है। यदि किसी दिन का बकाया सहमत हुए न्यूनतम शेष से कम होता है, तो इस कमी को बैंक से अर्थोपाय अग्रिम अथवा ओवरड्राफट लेकर पूर्ण किया जाता है। नकद शेष की कमी को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों को भी पुनः बट्टे में दिया जाता है।

---

* 180 करोड़ रु0 (5 अप्रैल 1995); 20 करोड़ रु0 (6 अप्रैल 1995); 15 करोड़ रु0 (7 अप्रैल 1995) तथा 4.05 करोड़ रु0(17 अप्रैल 1995)

1989-95 के दौरान राज्य सरकार ने जिस सीमा तक बैंक के पास न्यूनतम शेष रखा, वह निम्नवत है :-

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
(i) दिनों की संख्या जिनमें न्यूनतम शेष रखा गया						
(क) बिना किसी अग्रिम प्राप्ति के	84	178	132	22	44	191
(ख) अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करके	96	3	70	102	86	9
(ii) दिनों की संख्या जिनमें ओवरड्राफ्ट लिया गया	108	77	98	232	218	21
(iii) दिनों की संख्या जब भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों को पुनः बट्टे में दिया गया।	77	107	66	9	17	144

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989-90 से 1994-95 तक की अवधि में लिए गए अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों तथा उन पर दिए ब्याज का ब्यौरा नीचे

तालिकाबद्ध है:-

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
	(क	रो	ड़	रु	प	ए)
(1) अर्थोपाय अग्रिम--						
(i) वर्ष के दौरान लिए गए अग्रिम (सकल)	96.11	69.38	130.44	122.88	208.93	22.74
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया अग्रिम	--	--	11.27	11.27	16.87	16.87
(iii) दिया गया ब्याज	0.45	0.34	0.45	1.16	1.17	0.15
(2) ओवरड्राफ्ट--						
(i) वर्ष के दौरान लिए गए ओवरड्राफ्ट(सकल)	849.78	988.73	940.85	4418.50	595.72	315.15
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया ओवरड्राफ्ट	--	--	--	143.42	51.48	159.17
(iii) दिया गया ब्याज	0.23	0.27	0.28	1.55	2.96	0.78
(3) भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों को पुनः बट्टे पर देना--						
(i) उन बिलों की राशि जो वर्ष के दौरान पुनः बट्टे में दी गई।	157	354	172.00	27.50	64.50	733.30
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया राशि	12.72	30.63	--	--	--	--
(iii) दिया गया ब्याज	1.19	2.15	1.69	0.29	0.30	16.68

1.11 राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

1.11.1 राज्य सरकार विकासात्मक तथा गैर-विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्वायत्त निकायों, सहकारिताओं, गैर-सरकारी

संस्थाओं आदि को ऋण अग्रिम दे रही है। 1989-90 से प्रारम्भ होने वाले छः वर्षों में ऐसे ऋणों की स्थिति निम्नवत् है:-

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
	(क	रो	ड़	रु	प ए	)
आदि शेष	416.08	459.36	493.94	539.46	552.61	598.01
वर्ष के दौरान अग्रिम-स्वरुप दी गई राशि	60.16	39.82	52.54	32.27	53.49	(-)163.30*
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	16.88	5.24	7.02	19.12	8.09	18.34
अन्त शेष	459.36	493.94	539.46	552.61	598.01	416.37
निवल बढ़ौतरी	43.28	34.58	45.52	13.15	45.40	(-)181.64
प्राप्त किया गया तथा राजस्व में जमा ब्याज	3.44	1.80	3.96	4.15	2.50	1.77
वर्ष के दौरान दीर्घकालीन उधारों से निवल प्राप्तियां	129.92	231.07	88.09	89.99	117.66	289.86

1.11.2 **बकाया वसूलियां:** शिमला नगर निगम तथा अन्य नगरपालिकाओं आदि को दिए गए ऋणों, जिसके विस्तृत लेखे कार्यालय वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा व हकदारी) में रखे जाते हैं, में से 31 मार्च 1995 को 6.74 लाख रु0 (मूलधन: 2.87 लाख रु0, ब्याज: 3.87 लाख रु0) की वसूलियां अतिदेय थीं।

उन ऋणों जिनके विस्तृत लेखाओं का अनुरक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है, 31 मार्च 1995 को अग्रिमस्वरुप दिए गए ऋणों के प्रति वसूली हेतु अतिदेय कुल राशि, जिस

* ऋणात्मक लेनदेन 234 करोड़ रु0 को इक्विटी पूंजी में बदलने के कारण है।

सीमा तक सम्बद्ध सूचना प्राप्त हुई थी, ब्याज के 5.29 करोड़ रु० सहित 14.68 करोड़ रु० थी। बकाया राशि का मुख्य भाग "ग्रामीण तथा लघु उद्योगों" को ऋण (2.22 करोड़ रु०)," विभिन्न संस्थाओं को ऋण (अल्पकालिक ऋण)" (7.01 करोड़ रु०); "भू-संरक्षण ऋण" (2.49 करोड़ रु०); "उद्यान ऋण" (0.45 करोड़ रु०) तथा "उवर्रक ऋण" (0.31 करोड़ रु०) से संबंधित था। एक विभाग के संबंध में बकाया वसूलियों का विवरण अक्तूबर 1995 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

1.12 निवेश तथा प्रतिफल

1.12.1 राज्य सरकार का कुल निवेश 31 मार्च 1994 को 295.78 करोड़ रु० से बढ़ कर 31 मार्च 1995 को 575.24@ करोड़ रु० हो गया। वर्ष के दौरान किए गए नवीन निवेशों की विस्तृत स्थिति निम्नवत् थी:-

प्रतिष्ठान का नाम	1994-95 के दौरान निवेश	1994-95 के अन्त तक संचित हानि(-)/लाभ(+) (लाख रुपए)
(क) सांविधिक निगम		
1. हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	150.00	(-)1597.00
2. हिमाचल पथ परिवहन निगम	910.00	(-)10935.00
3. हिमाचल प्रदेश अनूसूचित जाति विकास निगम	53.73	उपलब्ध नहीं
4. हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम	15.00	उपलब्ध नहीं
5. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	23400.00	(+)4217.00
(ख) राज्य सरकार की कम्पनियां/संयुक्त स्टॉक कम्पनियां		
1. हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	205.00	(+) 17.56 *
2. हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	18.08	(-)1297.41*
3. हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम सीमित	14.00	(-)228.24*
4. हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम सीमित	8.00	(-)368.72*
5. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	24.00	(-)443.41
6. हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम सीमित	8.00	(-)198.54*
7. हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम	10.00	(-)235.58*
8. हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम	1.00	(+) 63.79*
9. हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	32.00	(-) 4.77 #
10. हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम	925.00	(-)1739.72
(ग) केन्द्रीय सरकार की कम्पनियां		
1. नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम	1804.00	उपलब्ध नहीं

@ 0.01 लाख रु० का अन्तर रुपए को पूर्णांक में बदलने के कारण है

* वर्ष 1993-94 के अन्त तक संचित हानि को प्रकट करता है। वर्ष 1994-95 के लेखाओं को अक्तूबर 1995 तक अन्तिम रुप नहीं दिया गया था।

वर्ष 1991-92 के अंत तक हानि दर्शाते है। वर्ष 1992-93 से आगे के लेखाओं को सितम्बर 1995 तक अंतिम रुप नहीं दिया गया था।

$

इसके अतिरिक्त, 22.07 लाख रु0 की राशि का सहकारी बैंकों तथा 346.08[$] लाख रु0 की राशि का सहकारी समितियों में निवेश किया गया था। तथापि, ये संगठन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

1.12.2 यद्यपि राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश 1988-89 के अन्त में 159.06 करोड़ रु0 से बढ़कर 1994-95 के अन्त में 575.24 करोड़ रु0 हो गया, लेकिन इस अवधि के दौरान लाभांश/ब्याज तदनुरुप नहीं बढ़ा था। अर्जित किया गया लाभांश/ब्याज 1993-94 में 0.34 करोड़ रु0 से घटकर 1994-95 में 0.08 करोड़ रु0 हो गया। 1989-90 से आगे निवेश तथा लाभांश/ब्याज की विस्तृत स्थिति नीचे दी जाती है:-

वर्ष	वर्ष के अन्त तक कुल निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ ब्याज	कालॅम 2 पर कॉलम 3 की प्रतिशतता
	(क रो ड़ रु प ए)		
1989-90	159.06	0.08▬	0.05
1990-91	177.51	0.02▬	0.01
1991-92	198.11	0.12▬	0.06
1992-93	218.45#	0.10▬	0.05
1993-94	295.78	0.34▬	0.11
1994-95	575.24	0.08▬	0.01

सरकारी निवेश से प्रतिफल, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर भुगतान किए गए ब्याज की तुलना में काफी कम था। राज्य सरकार द्वारा मार्च 1995 तक 13 निगमों/कम्पनियों में निवेशित 208.54 करोड़ रु0 पर 1989-95 के पिछले छः वर्षों के दौरान कोई लाभांश अर्जित नहीं किया था।

1.13 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारिताओं आदि द्वारा ऋणों की वापसी तथा उस पर ब्याज की अदायगी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए

$ सहकारी समितियों में निवेश वर्ष 1994-95 के दौरान मोचन किए गए शेयरों के मूल्य के रुप में 19.65 लाख रु0 सम्मिलित हैं।

▬ अस्थाई आंकड़े।

निवेश के आंकड़ों के समाधान पर वर्ष 1992-93 के वित्त लेखाओं से 3.91 करोड़ रु0 का अन्तर है।

आकस्मिक दायित्व की स्थिति निम्नवत् थी:-

31 मार्च को	अधिकतम प्रत्याभूत राशि (केवल मूलधन)	बकाया राशि मूलधन	बकाया राशि ब्याज
	(करोड़	रुपए	)
1990	527.46	352.71	2.67
1991	674.88	403.30	4.60
1992	723.18	361.65	8.41
1993	756.09	472.19	9.93
1994	819.71	483.25	18.77
1995	948.40	476.41	19.00

पांच वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया प्रत्याभूतियों की राशि में 35 प्रतिशत की वृद्धि थी।

राज्य सरकार प्रत्याभूत राशि पर प्रत्याभूति शुल्क के रुप में 0.5 प्रतिशत तथा प्रतिबद्धता प्रभारों के रुप में प्रत्याभूत राशि पर 0.1 प्रतिशत प्रभारित करती है। प्रत्याभूति शुल्क तथा प्रतिबद्धता प्रभारों के संदर्भ में 31 मार्च 1995 को देय 0.24 करोड़ रु0 की राशि बकाया पड़ी हुई थी।

1.14 सारांशित वित्तीय स्थिति

वर्ष 1994-95 के विनियोग लेखे तथा वित्त लेखे तथा वर्ष की प्राप्तियों तथा संवितरणों के सार से उदभूत 31 मार्च 1995 को राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति निम्नवत् सारणी में इंगित की जाती है:-

विवरणी-I 31 मार्च 1995 को राज्य सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपए)

देयताएं			परिसम्पत्तियां		
31 मार्च 1994 को राशि		31 मार्च 1995 को राशि	31 मार्च 1994 को राशि		31 मार्च 1995 को राशि
1	2	3	4	5	6
246.53	आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफट को छोड़कर)	287.24	1938.88	सकल पूंजीगत परिव्यय कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों	2433.00

1	2	3	4	5	6
	बाजार ऋण 209.74			में निवेश 575.24	
	भारतीय जीवन बीमा			अन्य पूंजीगत	
	निगम से ऋण 8.77			व्यय 1857.76	
	भारतीय सामान्य बीमा				
	निगम से ऋण 1.00				
	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण				
	विकास बैंक से ऋण 0.38				
	राष्ट्रीय सहकारिता विकास				
	निगम से ऋण 14.48				
	अन्य संस्थाओं से				
	ऋण 36.00				
	भारतीय रिजर्व बैंक				
	से अर्थोपाय अग्रिम 16.87				
1029.67	केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1278.81	598.01	ऋण तथा अग्रिम	416.37
	1984-85 से पूर्व के ऋण 108.50			ऊर्जा हेतु ऋण 324.11	
	आयोजनेतर ऋण 876.51				
	राज्य योजनागत स्कीमों				
	हेतु ऋण 243.77			अन्य विकास ऋण 51.68	
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों				
	हेतु ऋण 0.49			सरकारी कर्मचारियों को	
				ऋण तथा विविध ऋण 40.58	
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत				
	स्कीमों हेतु ऋण 49.54				
1.00	आकस्मिकता निधि	1.00	0.50	आकस्मिकता निधि को विनियोग	0.50
			(-) 1.08	उचन्त तथा विविध शेष	(-)39.77

1	2	3	4	5	6
607.90 लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि		725.93	0.14	अग्रिम	0.10*
54.98 निक्षेप		84.58	(-)131.25	नकदी	(-)231.24
51.48 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट		159.17			
4.37 आरक्षित निधियां		19.71		कोषागारों तथा स्थानीय प्रेषण में नकदी 5.84	
39.85 प्रेषण शेष		40.86*		स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष 0.08	
369.42 सरकारी लेखे में अधिशेष		61.20			
गत वर्ष का शेष	378.69			नकद शेष निवेश लेखा 0.14	
घटाएं					
(i) चालू वर्ष का अधिशेष	307.92			भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (-)237.30	
(ii) समायोजन	** 9.27				
(iii) विविध सरकारी लेखे	0.30				
2405.20		2658.50	2405.20		2658.50

* 0.01 करोड़ रु0 का अंतर पूर्णांकिन के कारण है।

** वर्ष 1994-95 के वित्त लेखे की विवरण संख्या-14 के अनुसार सरकारी लेखे में 70.77 करोड़ रु0 का राजस्व घाटा था। (-) 9.27 करोड़ के अन्तर की व्याख्या निम्नलिखित है:-

	(करोड़ रुपए)
(i) " 7810-अन्तर्राज्यीय समायोजन शीर्ष के अन्तर्गत समयोजित प्रगामी राशि	(-) 1.43
(ii) "8680-विविध सरकारी लेखा" शीर्ष के अन्तर्गत संमायोजित प्रगामी राशि	(+) 0.16
(iii) प्रोफार्मा समायोजित निवल धनराशि	(-) 8.00
निवल जोड़	(-) 9.27

विवरणी-II वर्ष 1994-95 की प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार

प्रवर्ग-क-राजस्व

प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

I	राजस्व प्राप्तियां		1306.36
(i)	कर-राजस्व	299.45	
(ii)	कर-भिन्न राजस्व	132.74	
(iii)	संघीय करों तथा शुल्कों का राज्यांश	368.83	
(iv)	आयोजनेतर अनुदान	350.98	
(v)	राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	63.65	
(vi)	केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	90.71	
I	प्रवर्ग ख को ले जाया गया राजस्व घाटा		307.02
			1614.28

संवितरण

(करोड़ रुपए)

I राजस्व व्यय 1614.28

खण्ड	आयोजनेतर	योजनागत	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (योजनागत स्कीमों सहित)	योग
(क) सामान्य सेवाएं	508.44	11.71	4.56	524.71
(ख) सामाजिक सेवाएं	381.67	150.53	38.51	570.71
(ग) आर्थिक सेवाएं-				
(i) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	98.70	87.86	24.44	211.00
(ii) ग्रामीण विकास	14.53	28.15	2.26	44.94
(iii) सिंचाई तथा बाढ़-नियंत्रण	13.10	12.80	0.18	26.08
(iv) ऊर्जा	40.24	0.99	0.65	41.88
(v) उद्योग तथा खनिज	2.96	14.96	3.09	21.01
(vi) परिवहन	105.83	8.44	0.42	114.69
(vii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	--	0.51	3.09	0.60
(viii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	4.42	49.02	1.56	55.00
(घ) सहायता अनुदान तथा अंशदान	3.66	--	--	3.66
	1173.55	364.97	75.76	1614.28

1614.28

प्रवर्ग-ख-अन्य

प्राप्तियां	(करोड़ रुपए)		संवितरण	(करोड़ रुपए)			
			II भारतीय रिजर्व बैंक से अथ ओवरड्राफ्ट				51.48
III स्थायी अग्रिम तथा नकद शेष निवेश लेखे आदि सहित अवशेष		(-) 131.25	III पूंजीगत परिव्यय				494.12
			खण्ड	आयोजनेतर	योजनागत	कुल	
IV ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली		18.34	(क) सामान्य सेवाएं	--	11.74	11.74	
(i) ऊर्जा से	---		(ख) सामाजिक सेवाएं	4.27	87.03	91.30	
(ii) सरकारी कर्मचारियों से	5.68		(ग) आर्थिक सेवाएं				
(iii) अन्य से	12.66		(i) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	(-) 0.56	11.56	11.00	
			(ii) ग्रामीण विकास	--	0.12	0.12	
			(iii) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	--	14.21	14.21	
V लोक ऋण प्राप्तियां		376.01	(iv) ऊर्जा	--	271.05	271.05	
(i) अर्थोपाय अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफट को छोड़कर)	68.88		(v) उद्योग तथा खनिज	--	4.77	4.77	
(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	307.13		(vi) परिवहन	--	86.36	86.36	
			(vii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	--	3.57	3.57	
VI लोक लेखा प्राप्तियां		1761.62					
(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	228.52		IV संवितरित ऋण तथा अग्रिम				(-)163.30●
(ii) आरक्षित निधियां	72.20		(i) ऊर्जा हेतु			(-)183.17	
(iii) निक्षेप तथा अग्रिम	656.67		(ii) सरकारी कर्मचारियों को			16.68	
(iv) उचन्त तथा विविध	44.44		(iii) अन्य को			3.27	

(v) प्रेषण	759.79	V कम किया गया राजस्व घाटा		307.92
		VI लोक ऋण की चुकौती		86.15
		(i) अर्थोपाय अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	28.16**	
		(ii) केन्द्रीय सरकार को ऋणों तथा अग्रिमों की चुकौती	57.99	
		VII लोक लेखा संवितरण		1638.76
		(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	110.49	
		(ii) आरक्षित निधियां	56.87	
		(iii) निक्षेप तथा अग्रिम	627.02	
		(iv) उचन्त तथा विविध	85.61	
		(v) प्रेषण	758.77	
VII भारतीय रिजर्व बैंक से अन्त ओवरड्राफ्ट	159.17			
		VIII वर्षान्त पर नकद शेष		(-)231.24
		(i) कोषागारों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	5.84	
		(ii) स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	0.08	
		(iii) नकद शेष निवेश लेखा	0.14	
		(iv) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-)237.30	
	2183.89			2183.89

** 0.01 करोड़ रु० का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

* 234 करोड़ रु० के ऋण को इक्विटी पूंजी में परिवर्तन के कारण ऋणात्मक लेन देन है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. सारांशित वित्तीय विवरणियां राज्य सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं की विवरणियों पर आधारित है और उनमें निहित टिप्पणियों एवं व्याख्या के अनुसार हैं।

2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण राजस्व अधिशेष या घाटा नकद आधार पर निकाला गया हैं। परिणामतः भुगतान योग्य या प्राप्य मदें या मूल्यह्रास या स्टॉक के आंकड़ों में भिन्नता आदि मदें इन लेखाओं में प्रदर्शित नहीं होती।

3. यद्यपि प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्व व्यय (अनुदानों) का एक अंश तथा ऋण, पूंजी रचना के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेकिन राज्य सरकार के लेखाओं में इसका वर्गीकरण प्रयुक्ति के उद्देश्य से अप्रभावित रहता है।

4. सरकारी लेखा-पद्धति के अन्तर्गत राजस्व अधिशेष या घाटा वार्षिक रुप से सरकारी लेखे में संवृत होता है। 31 मार्च 1983 को 285.32 करोड़ रु० के सन्तुलनकारी आंकड़ों को 1983-84 के लिए प्रथम विवरणी को बनाने के लिए संचित अधिशेष के रुप में माना गया।

5. उचन्त तथा विविध शेषों में जारी किए गए परन्तु भुगतान न किए गए चैक, राज्यों की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य बकाया पड़े समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। उचन्त तथा विविध के अन्तर्गत शेष 31 मार्च 1994 को 1.08 करोड़ रु० (जमा) से घट कर 31 मार्च 1995 को 39.77 करोड़ रु०(नामे) हो गया।

6. लेखाओं में प्रदर्शित 237.30 करोड़ रु० (जमा) के शेष के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत अन्तिम शेष 399.13 करोड़ रु० (जमा) था। यद्यपि 165.25 करोड़ रु० के अन्तर का समाधान हो चुका था (सितम्बर 1995) लेकिन शेष [(-) 3.42 करोड़ रु०] समाधानाधीन था (सितम्बर 1995)।

1.15 राज्य की परिसम्पत्तियां तथा दायित्व

1989-90 से 1994-95 की छः वर्षीय अवधि के दौरान पूंजी निवेश तथा प्रदत्त ऋणों को सम्मिलित करके राज्य सरकार की परिसम्पत्तियां एवं कुल दायित्व निम्नलिखित थेः-

----- के अन्त में	परिसम्पत्तियां	दायित्व
	(करोड़ रुपए)	
1989-90	1495.11	1061.70
1990-91	1695.34	1356.77
1991-92	1885.08	1536.18
1992-93	2133.74	1877.95
1993-94	2405.20	2035.78
1994-95	2658.50	2597.30

यद्यपि गत पांच वर्ष की अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों में 78 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन इसी अवधि में दायित्वों में 145 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

2.1 बजट एवं व्यय

वर्ष 1994-95 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति निम्नवत् थी:

	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक	कुल	वास्तविक व्यय *	अन्तर बचत(-)/ आधिक्य(+)
			(करोड़ रुपए)		
I. राजस्व					
दत्तमत	1380.49	216.14	1596.63	1501.06	(-) 95.57
प्रभारित	251.41	0.83	252.24	227.18	(-)25.06
II. पूंजीगत					
दत्तमत	254.95	64.67	319.62	539.11	(+)219.49
प्रभारित	---	3.25	3.25	3.22	(-)0.03
III. लोक ऋण					
प्रभारित	154.43	--	154.43	293.61 @	(+)139.18 @
IV ऋण तथा अग्रिम					
दत्तमत	67.42	7.90	75.32	70.70	(-) 4.62
सकल जोड़	2108.70	292.79	2401.49	2634.88	(+)233.39

* ये सकल आंकड़े हैं जिनमें व्यय अर्थात् राजस्व व्यय: 113.97 करोड़ रु0; पूंजीगत व्यय: 48.21 करोड़ रु0, में कटौती के रूप में समायोजित वसूलियां तथा 234 करोड़ रु0 का इक्विटी केपीटल में रुपान्तरण सम्मिलित है।

@ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों तथा न्यूनताओं की चुकौती के सम्बन्ध में 207.46 करोड़ रु0 भी शामिल है।

2.2 विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम

2.2.1 अनुदानों/विनियोगों में बचत/आधिक्य

50 मामलों में बचत तथा 20 मामलों में आधिक्य का निवल परिणाम समग्र आधिक्य था जैसा कि नीचे प्रदर्शित है:-

	बचत		आधिक्य		शुद्धबचत (-)/आधिक्य(+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(करोड़ रुपये)					
दत्तमत	132.70 (22 अनुदानों में)	12.85 (17 अनुदानों में)	37.13 (8 अनुदानों में)	227.72 (8 अनुदानों में)	(-)95.57	(+)214.87
प्रभारित विनियोग	25.06 (10 विनियोग में)	0.11 (1 विनियोग में)	--	139.26 (4 विनियोग में)	(-)25.06	(+)139.15@

वर्ष 1994-95 में प्राप्त समग्र पूरक अनुदान व विनियोग मूल अनुदानों तथा विनियोगों के 14 प्रतिशत थे।

4 मामलों में 5.16 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में 1 लाख रु0 से अधिक)अनावश्यक था क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल प्रावधानों से भी कम था। विवरण परिशिष्ट-। में दिया गया है।

20 अनुदानों और एक विनियोग में कुल 168.67 करोड़ रुपये (26 मामले) की बचत हुई जो प्रत्येक मामले में 50 लाख रु0 से कम नहीं थी, का विवरण सरकार

@ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों तथा न्यूनताओं की चुकौती के सम्बन्ध में 207.46 करोड़ रु0 भी शामिल हैं।

द्वारा जिन मामलों में दिया गया वे बचत के मुख्य कारणों सहित नीचे इंगित है:-

क्रमांक	अनुदान	बचत-राशि (बचत-प्रतिशतता) (करोड़ रुपए)	मुख्य कारण
दत्तमत अनुदान			
राजस्व			
1.	1-विधान सभा और निर्वाचन	5.53 (50)	पहचानपत्र को जारी करने का अपूर्ण कार्य तथा स्टाफ आदि का कम दौरा।
2.	4-सामान्य प्रशासन	4.90 (6)	रिक्त पदों को न भरना।
3.	5- भू-राजस्व	8.19 (18)	रिक्तपदों का न भरना। 3.93 करोड़ रु० की बचत के कारणों की प्रतीक्षा थी (अक्तूबर 1995)।
4.	7-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	2.97 (4)	रिक्तपदों का न भरना, नगर निगम से किराया, कर व दरों के बिल प्राप्त न होना तथा कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों हेतु तैनात कर्मियों के लिए निजी आवास को किराये पर न लेना।
5.	8-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	59.60 (18)	रिक्तपदों का न भरना, योजना सीमा में कमी तथा दैनिक मजदूरी पर कम कर्मचारी लगाना। 10.43 करोड़ रु० की बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 1995)।
6.	9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11.16 (9)	रिक्त पदों को न भरना तथा मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय सम्पर्क गतिविधियों का कार्यान्वयन न करना/पूर्ण न करना। स्टाफ द्वारा कम दौरे, मशीनरी का कम क्रय इत्यादि।
7.	11-कृषि	8.86 (12)	रिक्त पदों का न भरना, स्कीमों को कार्यन्वित न करना, उपदान मामलों की कम प्राप्ति, कृषि उपकरणों की कम खरीद 3 करोड़ रु० की बचत के कारणों की प्रतीक्षा (अक्तूबर 1995)।
8.	13- भू तथा जल संरक्षण	0.65 (4)	बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 1995)।
9.	14-पशुपालन तथा दुग्ध विकास	0.79 (3)	रिक्त पदों को न भरना।
10.	16-वन और वन्य प्राणी	3.09 (4)	निर्माण कार्यों का कम निष्पादन तथा अनुरक्षण इत्यादि।
11.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषण सहित)	2.87 (8)	वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत कम मामलों की प्राप्ति, अनुसूचित जाति विकास निगम को कम अनुदान, रिक्त पर इत्यादि।
12.	20-ग्रामीण विकास	2.82 (7)	रिक्त पदों को न भरना तथा योजना सीमा में कमी।

13.	21-सहकारिता	1.80 (17)	रिक्त पदों को न भरना, स्टाफ के कम दौरे तथा विधायन सहकारिताओं से नेशनल कॉ-आपरेटिव डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन के अन्तर्गत मांग की प्राप्ति न होना।
14.	22-खाद्य तथा भाण्डागारण	0.94 (6)	रिक्त पदों को न भरना, वेतन, दौरे तथा उपदान हेतु कम दावों की प्राप्ति।
15.	23-जल एवं विद्युत विकास	5.43 (12)	उपदान के बिना ऋण संस्वीकृति तथा ऋणों की कम आवश्यकता।
16.	27-श्रम एवं रोज-गार	2.66 (31)	मशीनरी की कम खरीद, छात्रवृति के मामलों की कम प्राप्ति तथा रिक्त पदों को न भरना।
17.	29-वित्त	9.30 (8)	भारतीय संघीय न्यास तथा अन्य संगठनों को प्रोत्साहन पर कम व्यय, अन्य महालेखाकारों से की कम प्राप्ति तथा राज्य की लाटरियों आदि पर प्रतिबन्ध।
पूंजीगत			
18.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.70 (9)	योजना की सीमा आदि में कमी करना।
19.	11-कृषि	0.80 (6)	विनियमित बाजार की स्थापना हेतु संयंत्र प्रतिरक्षा उपस्करों की कम खरीद तथा भूमि का क्रय न करना।
20.	12-सिंचाई एव बाढ़ नियंत्रण	1.42 (10)	लघु कार्यों का कम निष्पादन।
21.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषण सहित)	0.51 (32)	अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा भारत सरकार से सीधे राशि की प्राप्ति।
22.	21-सहकारिता	3.36 (45)	"सहकारिताओं को ऋण" के अन्तर्गत ऋणों हेतु कम मांग, नेशनल कॉ-ऑपरेटिव डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन आदि के अन्तर्गत मांग की प्राप्ति न होना।
23.	22-खाद्य एवं भाण्डागारण	2.35 (7)	गेहूं उठाने में आकस्मिक गिरावट तथा भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति की प्राप्ति न होना।
24.	26-पर्यटन एवं आतिथ्य संगठन	0.58 (17)	भवन निर्माण हेतु सभी प्राक्कलन तैयार नहीं किए/प्राप्त नहीं हुए।
25.	31-जनजातीय विकास	2.36 (7)	कार्यों का कम निष्पादन तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम को निवेश का कम जारी करना।
प्रभारित विनियोग			
राजस्व			
26.	29-वित्त	25.03 (10)	कम व्यय तथा प्रत्याशित से अधिक अग्रिमों का आहरण।

2.2.2 निरन्तर बचत/आधिक्य

1992-95 के दौरान 11 मामलों में व्यय में कुल प्रावधानों से 5 प्रतिशत अथवा अधिक की निरन्तर कमी हुई जबकि 2 अन्य मामलों में यह प्रावधान से निरन्तर अधिक रहा। सम्बद्ध विवरण निम्नवत थे:-

कुल अनुदानों के प्रति बचत/आधिक्य की प्रतिशतता

क्रमांक	अनुदान	1992-93	1993-94	1994-95
	I- बचत			
	क-राजस्व-दत्तमत			
1.	1- विधानसभा एवं चुनाव	7	25	50
2.	5- भू-राजस्व	38	7	18
3.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5	10	9
4.	21-सहकारिता	13	18	17
5.	22-खाद्य एवं भाण्डागारण	8	9	6
6.	27-श्रम एवं रोजगार	18	12	31
7.	29-वित्त	12	6	8
	ख-पूंजीगत-दत्तमत			
8.	11-कृषि	20	14	6
9.	21-सहकारिता	17	57	45
10.	26-पर्यटन एवं आतिथ्य संगठन	24	20	17
	ग-राजस्व प्रभारित			
11.	29- वित्त	8	7	10
	II- आधिक्य			
	घ. राजस्व दत्तमत			
12.	10-लोक निर्माण	43	51	50
	ड. पूंजीगत प्रभारित			
13.	29-वित्त	2884	557	90

2.2.3 निधियों का अभ्यर्पण

अनुदान या विनियोग में बचतें वर्ष के अन्त की प्रतीक्षा न करके इनके पता चलने के तत्काल पश्चात् सरकार को अभ्यर्पित की जानी चाहिए, जब तक कि ऐसी बचतें कुछ अन्य इकाइयों के अन्तर्गत आधिक्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित न हों। तथापि, बचतों को भविष्य के सम्भावित आधिक्यों हेतु आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

दत्तमत अनुदानों के अन्तर्गत 145.55 करोड़ रु० तथा प्रभारित विनियोगों के अन्तर्गत 25.17 करोड़ रु० की अन्तिम बचतों में से 20 दत्तमत अनुदानों में (22 मामले) तथा 8 प्रभारित विनियोगों में (8 मामले) क्रमशः 22.47 करोड़ रु० तथा 25.16 करोड़ रु० की बचतें अनभ्यर्पित थी। इनमें से 4 दत्तमत अनुदानों में 2.63 करोड़ रु० तथा 6 प्रभारित विनियोगों में 25.15 करोड़ रु० की समग्र बचत अभ्यर्पित नहीं की गई थी। मुख्य भिन्नताओं के उदाहरण जहां बचतें एक करोड़ रु० से अधिक थी परन्तु बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई थी, परिशिष्ट-II में शामिल किए गए हैं ।

13 अनुदानों के 15 मामलों में अभ्यर्पित राशि समग्र बचत से अधिक थी। इसके अतिरिक्त 7 अनुदानों में 20.56 करोड़ रु० अभ्यर्पित किए गए यद्यपि व्यय अनुदान से बढ़ गया और अभ्यर्पण हेतु कोई बचत नहीं थी। सम्बद्ध ब्यौरे निम्नांकित हैं :-

(क) उपलब्ध बचतों से अधिक निधियों का अभ्यर्पण:

क्रम संख्या	अनुदान	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि
		(लाख रुपए)	
	राजस्व-दत्तमत		
1.	6- आबकारी एवं कराधान	15.98	17.04
2.	7- पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	296.82	364.02
3.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1116.31	1679.11
4.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषण सहित)	287.07	326.38
5.	21-सहकारिता	180.26	186.19
6.	22- खाद्य एवं भाण्डागारण	94.14	95.33
7.	27- श्रम एवं रोजगार	266.43	280.45
	पूंजीगत-दत्तमत		
8.	5-भू-राजस्व	3.40	6.42
9.	8- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3.44	33.96
10.	9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	70.05	81.56

क्रम संख्या	अनुदान	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि
		(लाख रुपए)	
11.	11-कृषि	79.54	152.12
12.	20-ग्रामीण विकास	6.82	7.50
13.	22-खाद्य एवं भाण्डागारण	234.82	235.45
14.	26-पर्यटन एवं आतिथ्य संगठन	58.44	58.47
15.	28-जलापूर्ति, सफाई आदि	5.42	90.51
	जोड़	2718.94	3614.51

(ख) **समग्र अधिक व्यय के बावजूद निधियों का अभ्यर्पण**

क्रमांक	अनुदान	अधिक व्यय की राशि	अभ्यर्पित राशि
		(लाख रुपए)	
	राजस्व-दत्तमत		
1.	3- न्याय प्रशासन	5.39	6.88
2.	10-लोकनिर्माण कार्य	3,177.54	31.01
3.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	165.17	7.22
4.	17-सड़कें एवं पुल	27.89	14.02
5.	28-जलापूर्ति, स्वाच्छता, आवास तथा ग्रामीण विकास	80.43	332.89
6.	31-जनजातीय विकास	62.49	344.83
	पूंजीगत दत्तमत		
7.	23-जल एवं विद्युत विकास	22081.31	1318.69

इन सभी मामलों में राशियां वर्ष के केवल अन्तिम दिन अभ्यर्पित की गई थीं। ये उदाहरण व्यय पर अप्रभावी नियंत्रण तथा निगरानी के परिचायक थे।

2.2.4 अनुदान/विनियोग में आधिक्य

राजस्व प्रवर्ग में 8 अनुदानों में कुल आधिक्य 37,12,96,398 रु0 था जबकि पूंजीगत प्रवर्ग में 8 अनुदानों में आधिक्य 2,27,72,30,374 रु0 तथा 4 विनियोगों में 1,39,26,11,296 रु0 था। इन आधिक्यों (विवरण नीचे दिया गया है) का संविधान के अनुच्छेद

205 के अधीन विनियमन करना अपेक्षित था।

क्रमांक	अनुदान	कुल/अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि
		रुपए	रुपए	रुपए
	दत्तमत अनुदान			
	राजस्व			
1.	2-राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद	2,12,69,000	2,13,42,203	73,203
2.	3-न्याय प्रशासन	8,27,57,000	8,32,96,205	5,39,205
3.	10-लोक निर्माण	62,95,31,000	94,72,84,654	31,77,53,654
4.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	36,61,29,000	38,26,45,684	1,65,16,684
5.	17-सड़कें तथा पुल	89,38,25,000	89,66,14,031	27,89,031
6.	18-आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज	17,82,25,300	19,75,57,835	1,93,32,535
7.	28- जलापूर्ति स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	1,12,17,47,000	1,12,97,89,735	80,42,735
8.	31-जनजातीय विकास	88,13,87,000	88,76,36,351	62,49,351
	पूंजीगत			
9.	4-सामान्य प्रशासन	36,75,000	39,81,420	3,06,420
10.	13-भूमि तथा जल सरंक्षण	28,31,3000	28,76,634	45,334
11.	17-सड़कें तथा पुल	63,10,98,000	68,72,32,024	5,61,34,024
12.	23- जल तथा विद्युत विकास	95,07,01,000	3,15,88,32,000	2,20,81,31,000
13.	24-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	25,00,000	25,00,491	491
14.	25-सड़कें,जल परिवहन तथा नागरिक विमानन	10,18,48,000	10,62,74,528	44,26,528
15.	27-श्रम एवं रोजगार	1,43,00,000	1,74,06,540	31,06,540
16.	30- सरकारी कर्मचारियों को ऋण	16,38,02,000	16,88,82,037	50,80,037
	प्रभारित विनियोग			
	पूंजीगत			
1.	8-शिक्षा, क्रीड़ाएं, कला एवं एवं संस्कृति	--	1,52,544	1,52,544
2.	17-सड़कें तथा पुल	3,00,00,000	3,00,00,261	261
3.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	7,19,795	13,52,094	6,32,299
4.	29-वित्त	1,54,43,03,000@	2,93,61,29,192@	1,39,18,26,192@

आधिक्य के लिए कारण अक्तूबर 1995 तक उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं:-

@ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों तथा न्यूनताओं की चुकौती के सम्बन्ध में 207.46 करोड़ रु0 शामिल हैं।

2.2.5 नई सेवा पर व्यय

"नई सेवा" वह सेवा है जिस पर व्यय की परिकल्पना प्राधिकृत व्यय की अनुसूची में नहीं की जाती। विधानमण्डल की पूर्वानुमति के बिना नई सेवा पर व्यय नहीं किया जा सकता। फिर भी, आकस्मिक मामलों में ऐसा व्यय या तो विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत किए जाने की अपेक्षा में आकस्मिक निधि से अग्रिम लेकर अथवा अनुपूरक प्राक्कलनों के माध्यम से निधियां प्राप्त करके किया जा सकता है।

तथापि, वर्ष 1994-95 के दौरान एक अनुदान (23-जल तथा विद्युत विकास) में 234 करोड़ रु0 की राशि "6801-विद्युत परियोजनाओं को ऋण-800 हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड को अन्य ऋण-01 हि0 प्र0 विद्युत बोर्ड को ऋण" से समायोजन द्वारा "4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय-01 हाइडल जनरेशन- 190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03 हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड में निवेश" को डैबिट की गई, जबकि इस सेवा की परिकल्पना वार्षिक प्राधिकृत व्यय की अनुसूची में नहीं की गई थी। इस प्रकार सरकार ने हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के 234 करोड़ रु0 के ऋण को विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना इक्विटी में परिवर्तित किया।

पुनः "4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय 01-हाइडल जनरेशन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-02 पार्वती परियोजना (i) योजनागत के अन्तर्गत 0.24 करोड़ रु0 का व्यय विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना किया गया जबकि यह एक "नई सेवा" थी।

2.2.6 बचतों/आधिक्यों का स्पष्टीकरण प्राप्त न होना

प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखाओं को बन्द करने के पश्चात विस्तृत विनियोग लेखे जिनमें अन्तिम अनुदान/विनियोग, वास्तविक व्यय तथा परिणामी भिन्नताएं दर्शाई जाती हैं, नियन्त्रण अधिकारी को भेज दिए जाते हैं, उन भिन्नताओं को सामान्य रुप से एवं महत्वपूर्ण शीर्षों/उप-शीर्षों के अन्तर्गत विशेष रुप से स्पष्ट करना होता है।

वर्ष 1994-95 के लिए 1081 शीर्षों/उप-शीर्षों से सम्बन्धित विनियोग लेखाओं के विषय में भिन्नताओं हेतु ऐसे स्पष्टीकरण आवश्यक थे परन्तु 378 शीर्षों/उप-शीर्षों के मामले में अक्तूबर 1995 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

2.2.7 व्यय की कमी के रुप में वसूलियां

अनुदान मांगें एक विशिष्ट वर्ष में किए जाने वाले व्यय की सकल राशि हेतु होती हैं और व्यय की कमी के रुप में ली जाने वाली वसूलियों को उसके नीचे पाद टिप्पणियों में अलग से दिखाया जाता है । इसी प्रकार विनियोग लेखाओं में भी वसूलियों को उसके परिशिष्ट में अलग से दिखाया जाता है। वर्ष 1994-95 के लेखाओं की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि राजस्व प्रवर्ग में 75.21 करोड़ रु0 के बजट प्राक्कलनों के प्रति वास्तविक वसूलियां 113.96 करोड़ रु0 थीं। पूंजीगत प्रवर्ग में 45.48 करोड़ रु0 के बजट प्राक्कलनों के प्रति वास्तविक वसूलियां 282.21 करोड़ रु0 थीं इस प्रकार, राजस्व प्रवर्ग में 4 अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की कमी हेतु 38.75 करोड़ रु0 की वसूलियों का कम अनुमान लगाया गया तथा पूंजीगत प्रवर्ग में 238.99 करोड़ रुपये से युक्त 5 अनुदानों में कम बजट बनाया गया था तथा 3 अनुदानों में 2.26 करोड़ रुपये की कम वसूलियां थीं। ऐसी मुख्य भिन्नताएं जो मूल प्राक्कलनों का 20 प्रतिशत तथा एक करोड़ रु0 से कम नहीं है, का ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

2.2.8 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

प्रभारित व्यय हेतु किसी अनुदान अथवा विनियोग को उपशीर्षों अथवा मानक उद्देश्यों (जिन्हें प्राथमिक इकाइयां कहा जाता है) में बांटा जाता है जिनके अन्तर्गत इसे लेखाबद्ध किया जाएगा। निधियों का पुनर्विनियोजन किसी अनुदान या विनियोग में उसकी प्राथमिक इकाइयों के मध्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व हो सकता है। पुनर्विनियोजन केवल उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब यह ज्ञात हो या इसकी प्रत्याशा हो कि इकाई जिससे सम्बन्धित निधियां स्थानान्तरित की जानी हैं, में विनियोजन का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा कथित इकाई के विनियोग में बचत की जा सकती है।

वर्ष 1994-95 के लेखाओं की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि 13 अनुदानों/विनियोगों के 43 उप-शीर्षों के मामले में 4.90 करोड़ रु0 की राशि का पुनर्विनियोजन परिशिष्ट-IV में दिए विवरणानुसार उस अवस्था में अविवेकपूर्ण था जबकि (i) उस उप-शीर्ष के अधीन जिसमें पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों को स्थानान्तरित किया गया था, मूल प्रावधान पर्याप्त था और परिणामतः पुनर्विनियोजित राशि अप्रयुक्त रही, अथवा (ii) मूल प्रावधान जिसमें से निधियां स्थानान्तरित की गई थी, में पुनर्विनियोजन हेतु बचत उपलब्ध नहीं थी। यह व्यय पर पर्याप्त नियन्त्रण के अभाव का परिचायक था।

2.3 विभागीय आंकड़ों का समाधान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे वार्षिक लेखाओं को बन्द करने से पूर्व उनका महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित लेखाओं में बुक किये गये व्यय के साथ अपने सम्बद्ध विभागों के व्यय का आवधिक मिलान करें। इससे विभागीय अधिकारी किसी भी धोखाधड़ी अथवा गलती का शीघ्रता से पता लगा सकेंगे।

सरकार को समाधान में विलम्ब की सीमा आवधिक रुप से सूचित किए जाने पर भी चार* नियंत्रण अधिकारियों ने 1994-95 के सम्पूर्ण वर्ष के लिए छः लेखा-शीर्षों के सम्बन्ध में 26.72 करोड़ रु0 के व्यय का समाधान नहीं किया था। अतः कुल 26.72 करोड़ रु0 के व्यय का समाधान नहीं हुआ।

मामला सरकार को सितम्बर 1995 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1995)।

2.4 आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

वित्तीय नियमों में निर्दिष्ट है कि किसी भी धनराशि का खजाने से तब तक आहरण नहीं करना चाहिए जब तक वह तुरन्त भुगतान के लिए अथवा स्थाई अग्रिम से संवितरित निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक न हो। ऐसे निर्माण कार्यों के निष्पादन, जिनकी पूर्णता में पर्याप्त समय लगने की सम्भावना हो, के लिए भी खजाने से अग्रिमों का आहरण अनुमत नहीं है। अव्ययित राशि/शेष राशि शीघ्र खजाने में जमा करना अपेक्षित है।

(क) राजस्व, गृह तथा उद्योग विभागों के लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि अप्रैल 1992 तथा मार्च 1994 के मध्य विभिन्न स्कीमों के निष्पादन तथा विकास कार्यों के लिए आहृत किए गए 74.60 लाख रु0 बैंक ड्राफटों तथा जमा के रुप में बैंकों में रखे गए। इसमें से 49.85 लाख रु0 जून 1995 तक अप्रयुक्त पड़े थे। इस सम्बन्ध में अपेक्षित विवरण परिशिष्ट-V में दिया गया है।

---

* निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (2211- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणः 19.38 करोड़ रु0), पंजीयक, सहकारी समितियां (2216- आवासः 0.01 करोड़ रुपए : 2425- सहकारिताः 3.23 करोड़ रुपए तथा 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्ययः 3.24 करोड़ रुपए), सचिव, आवास (4216- आवास तथा पूंजीगत परिव्ययः 0.46 करोड़ रुपए तथा निदेशक, ग्रामीण विकास (2702- लघु सिंचाईः 0.40 करोड़ रुपए)

वास्तविक आवश्यकता से पूर्व निधियों के ऐसे आहरण के कारण सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ तथा वे सरकारी लेखे से बाहर रही।

मामला जून 1995 में सरकार को सूचित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1995)।

(ख) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल बिलासपुर ने 1993-94 के लिए नैणा देवी की मल-व्यवस्था स्कीम के निर्माणार्थ 82.75 लाख रुपए के आबण्टन के प्रति खजाने से 70 लाख रुपए आहृत किए (मार्च 1994)। निधियां मार्च 1994 में उपायुक्त, बिलासपुर के पास गई जिसने उन्हें डाकघर/बैंक में बचत खातों में जमा करवा दिया। इसमें से नवम्बर 1994 में मण्डल को 30 लाख रु0 वापस कर दिए गए और जो जुलाई 1995 तक अप्रयुक्त पड़े थे। इस प्रकार खजाने से यह राशि आवश्यकताओं के बिना केवल बजट आबण्टन के समापन से बचने हेतु निकाली गई थी।

मामला अप्रैल 1995 में सरकार को सन्दर्भित किया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1995)।

2.5 निधियों का व्यपवर्तन

निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग ने निचार में सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु 1.30 लाख रुपए संस्वीकृत किए (मार्च 1991)। खण्ड विकास अधिकारी निचार ने यह राशि मार्च 1991 में आहरित की और पंचायत समिति निचार को अन्तरित कर दी गई। पंचायत समिति ने सामुदायिक केन्द्र के निर्माण करने के स्थान पर 1.23 लाख रुपए मूल्य की 255 मधानियां* खरीदीं (जून 1993), जिनमें से 151 मधानियां (मूल्य 0.73 लाख रु0) उपदान अदायगी के आदेशों के बिना ही 50 प्रतिशत उपदान पर स्थानीय लोगों में वितरित की गई। 0.50 लाख रुपए की शेष 104 मधानियां सितम्बर 1994 तक अवितरित पड़ी थीं। 0.07 लाख रुपए की शेष राशि पंचायत समिति के खाते में पड़ी थी।

इस प्रकार 0.50 लाख रुपए की निधियों के अवरोधन के साथ साथ सामुदायिक केन्द्र के निर्माणार्थ निधियां अनधिकृत रुप से व्यपवर्तित की गईं जिसके परिणामस्वरुप 151 मधानियों की बिक्री पर 0.36 लाख रुपए के उपदान का अस्वीकार्य भुगतान भी हुआ।

मामला सरकार को मई 1995 में सन्दर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1995)।

---

* स्थानीय भाषा में दूधमंथन यंत्र के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द

तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.1 जिला चिकित्सालयों तथा इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला का कार्यचालन

3.1.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश में जनसाधारण का निवारक, उपचारी तथा उन्नत स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं राज्य के सभी बारह जिला अस्पतालों तथा 2304 अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं के नेटवर्क द्वारा प्रदान की जा रही हैं। जिनमें मार्च 1994 को कुल बिस्तर संख्या 5554 थी, इसमें से बारह जिला अस्पतालों में विस्तरों की संख्या 1571 थीं।

स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को विभिन्न विशिष्टताओं में चिकित्सा शिक्षा तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कुल 532 बिस्तर क्षमता सहित इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला, अपने सम्बद्ध चिकित्सालयों अर्थात इन्दिरा गांधी चिकित्सालय, कमला नेहरु चिकित्सालय तथा आइसोलेशन चिकित्सालय सहित अगस्त 1966 से कार्य कर रहा था।

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 1978 में सीटों की संख्या बढ़ा कर 65 प्रति वर्ष कर दी गई तथा दिसम्बर 1994 में पूर्वोक्त तीन चिकित्सालयों में कुल बिस्तर संख्या बढ़ा कर 849 करते हुए 1994-95 से सीटों की संख्या और बढ़ा कर 100 कर दी गई। 1994-95 से 20 सीटों वाला एक दन्त शल्य चिकित्सा-स्नातक पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया था।

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय 1981-82 से प्रति वर्ष 53 विद्यार्थियों को प्रवेश देते हुए 16 विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा 8 विशिष्टताओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहा था। अंतरंग चिकित्सकों तथा प्रतिशक्षणाधीन नर्सों को क्षेत्र प्रशिक्षण तथा ग्रामीण और कठिन क्षेत्रों की जनता को स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करने हेतु महाविद्यालय 50 बिस्तरों वाला एक चल-चिकित्सालय चला रहा था।

3.1.2 संगठनात्मक ढांचा

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के समग्र प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है। निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशक) जिला चिकित्सालयों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं के बिछे हुए जाल के कार्यचालन का प्रबन्ध करता है तथा उस पर नियन्त्रण रखता है। प्रत्येक जिला का मुखिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन जिला चिकित्सा का मुखिया वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी होता है जिसकी सहायता हेतु अन्य चिकित्सा तथा सहयोगी स्टाफ होता है।

निदेशक, चिकित्सा शिक्षा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का अध्यक्ष है, जिसे स्टाफ के अन्य वर्गों सहित प्राधनाचार्य तथा चिकित्सकों के दल द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

3.1.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध तीन चिकित्सालयों के कार्यचालन सहित बारह में से सात * जिला चिकित्सालयों के कार्यचालन की अगस्त 1994 तथा मार्च 1995 के मध्य समीक्षा की गई जिसे निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच से अनुपूरित किया गया। यह समीक्षा 1991-94 की अवधि के लिए थी। समीक्षा के दौरान ध्यान में आए मुख्य तथ्यों का अनुवर्ती परिच्छेदों में वर्णन किया जाता है।

3.1.4 मुख्य बातें

जिला चिकित्सालय धर्मशाला, मंडी तथा नाहन में विशेषज्ञों सहित चिकित्सकों की कमी 1 और 6 के मध्य थी, जबकि जिला चिकित्सालय रिकांग पिओ, केलांग तथा ऊना में 2 से 6 चिकित्सक संस्वीकृत संख्या से अधिक जुटाए गए थे।

जबकि जिला चिकित्सालयों में अर्द्ध-चिकित्सा स्टाफ मानकों से बहुत अधिक जुटाया गया था, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविग्रालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में नर्सों की 16 प्रतिशत कमी थी ।

[परिच्छेद 3.1.6(क)तथा (ख)]

---

* धर्मशाला (210 बिस्तर), केलांग (30 बिस्तर), मण्डी (168 बिस्तर), नाहन (166 बिस्तर), रिकांगपियों (50 बिस्तर), शिमला (160 बिस्तर) तथा ऊना (110 बिस्तर)

पांच * जिला चिकित्सालयों में अठारह वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियनों को संस्तुत स्टाफ से अधिक जुटाया गया था। प्रति तकनीशियन किए जाने वाले परीक्षणों की संख्या के संदर्भ में कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए थे। यद्यपि जिला चिकित्सालय, नाहन तथा शिमला में सूक्ष्मजीव विज्ञानी तैनात किए गए थे परन्तु प्रयोगशाला तथा उपस्करों के अभाव में कोई परीक्षण नहीं किए गए।

[परिच्छेद 3.1.6(ग)]

जबकि इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में 14 विभागों में 38 शिक्षण पदों की कमी थी, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के अन्य 10 विभागों में 24 पद अधिक जुटाए गए थे, जिनके वेतन तथा भत्तों पर 1991-94 के दौरान 70.45 लाख रुपए (लगभग) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

[परिच्छेद 3.1.6(घ)]

वह आधार जिस पर जिला चिकित्सालयों में बिस्तर संख्या संस्वीकृत की गई थी, उपलब्ध नहीं था। इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के आइसोलेशन चिकित्सालय, जहां पर अधिभोग दर सदैव अधिकाशंतः 1 प्रतिशत थी, में तीन ऐसे कुष्ठ रोगियों को जुलाई 1983 तथा अप्रैल 1986 के मध्य पुनः दाखिल कर लिया गया जिनका उपचार पूर्ण हो चुका था तथा वे पुनर्वास की अपेक्षा में वहां रह रहे थे।

[परिच्छेद 3.1.7.1(क)]

जिला चिकित्सालय, ऊना तथा रिकांग पिओ में निश्चेतकों के अभाव में बड़ी शल्य-क्रियाओं के लिए भी मेरुसंज्ञाहरण (स्पाइनल एनेस्थिजिया) की अप्रचलित रीति का प्रयोग किया जा रहा था।

[परिच्छेद 3.1.7.1(ख)]

जिला चिकित्सालय , मण्डी में 1992-94 के दौरान शल्यक्रियाओं से सम्बन्धित 15,691 मामलों में से 2,349 मामले (लगभग 15 प्रतिशत) शल्यक्रिया के उपरांत छाती संक्रमण तथा घाव-संक्रमण के कारण संक्रामक हुए। नमूना-जांच किए गए अन्य चिकित्सालयों में इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

(परिच्छेद 3.1.7.4)

---

* धर्मशाला, मण्डी, नाहन, शिमला तथा ऊना

एड्स, इत्यादि जैसे संक्रामक रोगों के फैलने पर नियन्त्रण हेतु चिकित्सालय क कूड़ा-कचरा को इकट्ठा करने तथा उसको समाप्त करने के लिए न तो नमूना-जांच किए गए किसी चिकित्सालय में और न ही इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कोई उचित पद्धति उपलब्ध थी।

(परिच्छेद 3.1.7.5)

जनवरी 1992 से मार्च 1994 के दौरान जिला चिकित्सालय द्वारा जिला चिकित्सालय तथा इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में अपेक्षित सुविधाओं के अभाव में 7,177 मामले विशिष्ट उपचार हेतु अन्य राज्यों को संदर्भित करने पड़े।

(परिच्छेद 3.1.9)

वष 1991-95 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम को औषधियों के क्रय तथा वितरण हेतु प्रदान किए गए 19.42 करोड़ रुपए के अग्रिमों पर गणना करने पर निगम के सेवा-प्रभार 1.17 करोड़ रुपए बनते थे, जिसके परिणामस्वरुप औषधि-बजट में कटौती हुई जिसे स्वास्थ्य-रक्षा गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त मई 1988 में बनाई गई केन्द्रीकृत क्रय-नीति का कार्यान्वयन नहीं किया गया जैसा कि परिकल्पित था। क्षेत्र इकाइयों को प्रदान की गई औषधियों के ब्यौरे निगम द्वारा निदेशक को प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे। इसी प्रकार निगम द्वारा विभाग को न तो अग्रिमों के जिलावार लेखे और न ही समायोजन लेखे प्रस्तुत किए गए तथा क्षेत्र इकाइयों को औषधियों की आपूर्ति करने में विलम्ब किया गया।

(परिच्छेद 3.1.11)

47 विद्यार्थियों, जिन्होने वर्ष 1992-94 के दौरान आयुर्विज्ञान तथा शल्यविज्ञान-स्नातक की परीक्षा कर ली थी, परन्तु नियुक्ति-प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया था, से 12.25 लाख रुपए की बांड-राशि वसूल की जानी थी। बांड के अन्तर्गत, उन्हें 2 वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करनी थी।

(परिच्छेद 3.1.12)

3.1.5 वित्तीय निष्पादन

(क) व्यय

जिला चिकित्सालयों के संदर्भ में लेखाओं में बजट प्रावधान तथा व्यय की पृथक पहचान नहीं थी। तथापि, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सूचित 12 जिला चिकित्सालयों पर वर्ष

1991-94 के दौरान वर्ष-वार बजट-प्रावधान तथा व्यय निम्नवत् था:

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
		(लाख रुपए)	
1991-92	3095.01	2408.21	686.80
1992-93	3732.62	2783.20	949.42
1993-94	4680.16	3199.05	1481.11

इसके अतिरिक्त 1991-94 के दौरान निदेशक द्वारा मशीनरी तथा उपस्करों के केन्द्रीकृत क्रय पर 45.80 लाख रुपए तथा सामग्री तथा आपूर्तियों पर 1051.62 लाख रुपए का भी व्यय किया गया।

निदेशक ने बचतों का कारण भवनों के निर्माण हेतु प्रशासकीय अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति को अंतिम रुप न देना, रिक्त पद तथा सामग्रियों की कम खरीद आदि बताया (मार्च 1995)। 60.13 रुपए से 79.44 रुपए तक की राष्ट्रीय औसत की तुलना में 1991-94 के दौरान स्वास्थ्य रक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय 166.05 रुपए से 193.62 रुपए तक था। इसी प्रकार वर्ष 1991-94 के दौरान औषधि पर प्रति व्यक्ति व्यय 6.14 रुपए से 9.51 रुपए तक था।

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का वर्ष 1991-94 के दौरान बजट प्रावधान तथा व्यय निम्नवत् था:-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य
		(लाख रुपए)	
1991-92	593.00	593.00	--
1992-93	684.00	684.00	--
1993-94	721.00	727.00	6.00

(ख) **प्राप्तियां**

चिकित्सालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क दरों का निर्धारण सरकार द्वारा अगस्त 1974 में किया गया तथा अगस्त 1992 में इन दरों में संशोधन करके इन्हें बढ़ा दिया गया। तथापि, इन संशोधित प्रभारों को सितम्बर 1993 में वापिस ले लिया तथा अगस्त 1992 से पूर्व लागू होने वाली दरों को पुनः लागू किया गया। निदेशक ने बताया (मार्च 1995) कि सरकार द्वारा एक नीति-मामले के रुप में दरों को लोकहित में घटाया गया था।

मार्च 1994 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान विभाग की कुल प्राप्तियां निम्नवत् थीं:

वर्ष	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां
	(लाख रुपए)	
1991-92	98.08	134.57
1992-93	120.00	217.15
1993-94	252.00	211.62

बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर यह इंगित करता था कि प्राक्कलन वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए। तथापि, निदेशक ने बताया (मार्च 1995) कि बजट प्राक्कलन पूर्व वर्षों की प्राप्तियों तथा सरकार द्वारा अनुमोदित दरों में वृद्धि, यदि कोई थी, को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे।

3.1.6 स्टाफ स्थिति

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में शिक्षण स्टाफ के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा नर्सिंग स्टाफ के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद् के मानक अपनाए गए थे। स्टाफ के अन्य वर्गों के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए थे।

वर्ष 1991-94 के दौरान महाविद्यालय में चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ की कमी थी, जो 169 तथा 191 के मध्य थी। प्रधानाचार्य ने बताया (मार्च 1995) कि इन पदों को वित्तीय बाधाओं, अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता, भर्ती तथा पदोन्नति नियमों को अंतिम रुप न दिये जाने आदि के कारण नहीं भरा जा सका।

जिला चिकित्सालयों तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों के लिए स्टाफ पद्धति का उनकी बिस्तर संख्या के आधार पर अगस्त 1984 में सरकार द्वारा मानकीकरण किया गया। तथापि, जिला चिकित्सालयों में वर्ष 1991-94 के दौरान मानकों की तुलना में कमियां पाई गई थीं, जिसे निम्नवत् सारणी में प्रस्तुत किया गया है:

जिला चिकित्सायल

	धर्मशला		क्लेलांग		रिकांगपिओ		मण्डी		नाहन		शिमला		ऊना	
क्रमांक वर्ग	अपेक्षित	वास्तविक	अपेक्षित	वास्तविक	अपेक्षित	वास्तविक	अपेक्षित	वास्तविक	अपेक्षित	वास्तविक	अपेक्षित	वास्तविक	अपेक्षित	वास्तविक
विशेषज्ञ	8	6	2	2	2	2	8	2	8	6	8	6	7	2
अन्य चिकित्सक	23	22	2	4	4	7	23	28	19	15	23	23	11	22
अर्द्ध-चिकित्सा स्टाफ	42	67	5	20	8	10	42	134	30	45	30	88	21	43
शरीर-विकृति विज्ञान स्टाफ	4	7	1	1	2	2	4	5	4	6	4	12	1	5

निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए:

(क) **चिकित्सक**

वर्ष 1991-94 के दौरान जिला चिकित्सालयों, धर्मशाला तथा मण्डी प्रत्येक में 31 चिकित्सकों (विशेषज्ञों सहित) तथा जिला चिकित्सालय, नाहन में 27 चिकित्सकों की कुल आवश्यकता के प्रति विशेषज्ञों सहित चिकित्सकों की 1 और 6 के मध्य कमी थी, जबकि जिला चिकित्सालय, केलांग में 4 चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, रिकांग पिऒं में 6 तथा जिला चिकित्सालय, ऊना में 18 चिकित्सकों के निर्धारित मानकों के प्रति 2 से 6 चिकित्सक (विशेषज्ञों सहित) अधिक जुटाये गये।

(ख) **अर्द्ध-चिकित्सा स्टाफ**

(i) सभी 7 जिला चिकित्सालयों में अर्द्ध-चिकित्सा स्टाफ निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया। जिला चिकित्सालय, धर्मशाला तथा मण्डी प्रत्येक में 42, जिला चिकित्सालय केलांग में 5, जिला चिकित्सालय, किन्नौर में 8, जिला चिकित्सालय, नाहन तथा शिमला प्रत्येक में 30 तथा जिला चिकित्सालय, ऊना में 21 कर्मचारियों की कुल आवश्यकता के प्रति यह आधिक्य जिला चिकित्सालय, रिकांगपिओ में न्यूनतम 2 तथा जिला चिकित्सालय, मण्डी में अधिकतम 92 कर्मचारियों के मध्य था। इस वर्ग के अंतर्गत स्टाफ के आधिक्य की स्थिति की समीक्षा हेतु विभाग ने कोई पग नहीं उठाए थे। जिला चिकित्सालयों में अर्द्ध-चिकित्सा स्टाफ की निर्धारित मानकों से अधिक पदों की संस्वीकृति के औचित्य से भी अवगत नहीं करवाया गया (मार्च 1995)।

(ii) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में वर्ष 1991-94 के दौरान भारतीय नर्सिंग कौंसिल द्वारा निर्धारित 1:3 के प्रति नर्स-रोगी अनुपातः 1:6 तथा 1:5 के मध्य था। मानकों के अनुसार अपेक्षित स्टाफ नर्सों के 177 पदों में से 28 पद (16 प्रतिशत) सरकार द्वारा संस्वीकृत नहीं किए गए थे। संस्वीकृत 149 पदों में से, तीन वर्षों के दौरान वास्तविक तैनाती 64 तथा 79 प्रतिशत के मध्य थी।

प्रधानाचार्य ने बताया (मार्च 1995) कि प्रशिक्षित नर्सों की अनुपलब्धता तथा वित्तीय बाधाओं के कारण निर्धारित मानकों का अनुसरण नहीं किया जा सका। प्राधानाचार्य का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर विभाग द्वारा निधियों का अभ्यर्पण किया गया था तथा भविष्य में बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति हेतु नर्सों के प्रशिक्षण के लिए समुचित योजना नहीं बनाई गई थी।

(ग) **शारीरिक विकृति विज्ञान से सम्बन्धित स्टाफ**

(i) स्टाफ व्यवस्था 200, 150,100, 50 तथा 30 की बिस्तर संख्या वाले

चिकित्सालयों में वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियनों के क्रमशः 4, 4, 2, 1 तथा 1 पद संस्तुत किए गए थे। इसके प्रति 5 जिला चिकित्सालयों [धर्मशाला (210 बिस्तर):3; मण्डी(168 बिस्तर):1; नाहन (166 बिस्तर):2; शिमला (160 बिस्तर):8 तथा ऊना (110 बिस्तर) :4] में वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियनों के 18 पद स्टाफ व्यवस्था से अधिक पाए गए।

(ii) प्रतिदिन प्रतितकनीशियन किए जाने वाले परीक्षणों की संख्या हेतु मानक निर्धारित नहीं किए गए थे। वर्ष 1991-94 के दौरान प्रतिदिन प्रत्येक तकनीशियन द्वारा किए गए परीक्षणों की औसत संख्या जिला चिकित्सालय, रिकांगपिओ में 3 से जिला चिकित्सालय, मण्डी में 53 के मध्य थी।

(iii) जिला चिकित्सालयों, नाहन तथा शिमला में 1991-94 के दौरान सूक्ष्मजीव से सम्बन्धित कोई परीक्षण नहीं किए गए, यद्यपि इन जिला चिकित्सालयों में सूक्ष्मजीव विज्ञानी क्रमशः जुलाई 1994 तथा दिसम्बर 1992 में तैनात किए गए थे। जिला चिकित्सालय, धर्मशाला में भी पूर्वोक्त अवधि के दौरान सूक्ष्मजीव से सम्बन्धित परीक्षण नहीं किए जा सके क्योंकि वहां पर कोई सूक्ष्मजीव विज्ञानी तैनात नहीं किया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिमला ने बताया (दिसम्बर 1994) कि अपेक्षित प्रयोगशाला तथा उपस्कर के अभाव के कारण ये परीक्षण नहीं किए जा सके। निदेशक ने बताया (मार्च 1995) कि सभी जिला चिकित्सालयों को इस प्रकार के परीक्षणों हेतु उचित सूक्ष्मजीव-विज्ञान प्रयोगशालाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।

निदेशक ने यह बात स्वीकार की (मार्च 1995) कि जिला चिकित्सालयों में स्टाफ की समग्र तैनाती वर्ष 1984 के दौरान निर्धारित स्टाफिंग-स्वरुप के अनुरुप नहीं थी तथा अवास्तविक आधार पर स्टाफ प्रदान किए जाने के कारण सभी वर्गों में स्टाफ का आधिक्य तथा कमी थी। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की पुनर्सरचना तथा औचित्यता का आदेश दिया (अक्तूबर 1994), परन्तु कार्यान्वयन प्रतीक्षित था (मार्च1995)।

(घ) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में शिक्षण कार्मिकों की तैनाती

चिकित्सा शिक्षा में व्यवहारिक अंनुदेशों तथा प्रदर्शनों पर छोटे ग्रुप बना कर बल दिए जाने के नाते ऐसे अनुदेश प्रभावशाली ढंग सेदेने के लिए अध्यापकों की संख्या अवश्य ही पर्याप्त होनी चाहिए।

तथापि, अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि मार्च 1994 को महाविद्यालय के 14 विभिन्न विभागों के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा संस्तुत शिक्षण स्टाफ के 65 पदों तथा 700 बिस्तर-संख्या के प्रति 27 पदों को संस्वीकृत किया तथा भरा गया था, जिसके फलस्वरूप 38 शिक्षण पदों की कमी थी। इस प्रकार शरीर-रचना विज्ञान, जीव-रसायन तथा मनोरोग विज्ञान का कोई प्रोफेसर नहीं था; शरीर-विकृति विज्ञान (3) तथा प्रसूति-विज्ञान और स्त्री-रोग विज्ञान(1) का कोई रीडर/ऐसोसिएट प्रोफेसर नहीं था तथा शरीर-रचना विज्ञान (1), सामान्य

औषधियां (2), तथा संवेदना-विज्ञान (1) में रीडरों/ऐसोसिएट प्रोफेसरों की कमी थी। जीव भौतिकी, न्याय-आयुर्विज्ञान, क्षय रोग तथा छाती, विभागों में कोई सहायक प्रोफेसर/प्रवक्ता नहीं था तथा शरीर-क्रिया विज्ञान (2), जीव-रसायन (1) औषध-प्रभाव विज्ञान (1) तथा शरीर-विकृति विज्ञान (2) में इनकी कमी थी। इसके अतिरिक्त शिक्षकों/रजिस्ट्रारों/प्रदर्शकों, फार्मासिस्टों, सांख्यिकीविदों तथा चिकित्सा सामजिक कर्मियों के 18 पद भरे नहीं गये थें।

इसके अतिरिक्त 10 अन्य विभागों में मानकों के अनुसार 19 शिक्षण पदों की आवश्यकता के प्रति 43 पद संस्वीकृत किए गए तथा तद्नुसार कार्मिक तैनात किए गए, जिसके परिणाम स्वरुप 1991-92 से 1993-94 के दौरान शिक्षण कार्मिकों के 24 पदों का आधिक्य हुआ तथा इनके वेतन व भत्तों पर 70.45 लाख रुपए (लगभग) का अतिरिक्त व्यय हुआ। इस प्रकार विकिरण-चिकित्सा विज्ञान में एक, प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री-रोग विज्ञान में 2, सामान्य शल्यक्रिया में 2 तथा सामान्य औषधि में 1 अतिरिक्त प्रोफेसर, विकलांग-विद्या विज्ञान में एक अतिरिक्त रीडर तथा विकिरण-चिकित्सा में 2, प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान में 2, नेत्र-चिकित्सा विभाग में 2 तथा शिशु-चिकित्सा विभाग में 3 अतिरिक्त प्रवक्ता तथा 8 उप-शिक्षक एवं प्रदर्शक थे।

महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में शिक्षण-कार्मिकों की व्यनुपाती रुप से तैनाती के कारणों से अवगत नहीं करवाया गया।

3.1.7 चिकित्सालय सेवाएं

चिकित्सालय ने प्राइवेट तथा सामान्य वार्डों में दाखिल करके या बहिरंग रोगी विभाग के माध्यम से रोगियों को चिकित्सा रक्षा प्रदान की।

3.1.7.1 अंतरंग रोगी चिकित्सा

(क) मार्च 1994 को नमूना जांच किए गए जिला चिकित्सालयों में बिस्तर संख्या तथा अधिभोग प्रतिशतता निम्नवत् थी:

क्रम संख्या	जिला चिकित्सालय का नाम	संस्वीकृत बिस्तर	वास्तविक रुप में उपलब्ध करवाए गए बिस्तर	आधिक्य(+)/ कमी(-)	संस्वीकृत बिस्तरों के सन्दर्भ में अधिभोग की प्रतिशतता			
					1991	1992	1993	1994
1.	धर्मशाला	210	172	(-)38	66	64	62	68
2.	केलांग	30	30	शून्य	23	12	19	36
3.	मण्डी	168	192	(+)24	125	117	119	118
4.	नाहन	166	150	(-)16	66	66	73	64
5.	रिकांगपिओ	50	40	(-)10	41	38	45	55
6.	शिमला	160	145	(-)15	82	77	77	77
7.	ऊना	110	83	(-)27	44	84	76	77

निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए:

(i) वह आधार जिस पर जिला चिकित्सालयों में बिस्तर संख्या संस्वीकृत की गई थी उपलब्ध नहीं था। निदेशक ने बताया (मार्च 1995) कि बिस्तर संस्वीकृत करने के लिए पहले कोई भी मापदण्ड नियत नहीं किए गए थे। तथापि, अक्तूबर 1994 में संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने के बाद राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों का जनसंख्या, बिस्तर अधिभोग तथा जिलों के आकार के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया था। पुनर्संरचना स्कीम का कार्यान्वयन प्रतीक्षित था (मार्च1995)।

(ii) मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा 4* जिला चिकित्सालयों में 15 और 38 के मध्य बिस्तरों के कम प्रावधान का कारण (दिसम्बर 1994 से फरवरी 1995) चिकित्सालय वार्डों में स्थान की कमी बताया गया।

(iii) बिस्तर-संस्वीकृति के संदर्भ में अधिभोग प्रतिशतता जिला चिकित्सालय, केलांग (1992) में 12 प्रतिशत से जिला चिकित्सालय मण्डी (1991-94) में 100 प्रतिशत से अधिक के मध्य थी।

(iv) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से सम्बद्ध तीन चिकित्सालयों के संदर्भ में दिसम्बर 1994 को समाप्त होने वाले गत चार वर्षों के दौरान बिस्तर अधिभोग निम्नवत् था:

चिकित्सालय का नाम	संस्वीकृत बिस्तर	प्रदान किए गए बिस्तरों की वास्तविक संख्या	के दौरान संस्वीकृत बिस्तरों के सन्दर्भ में अधिभोग की प्रतिशतता			
			1991	1992	1993	1994
इन्दिरा गांधी चिकित्सालय	344	344	105	106	102	104
कमला नेहरु चिकित्सालय	124	114	109	103	101	107
आइसोलेशन चिकित्सालय	64	56	1	1	1	1

वर्ष 1991-94 के दौरान इन्दिरा गांधी चिकित्सालय में 344 बिस्तरों की संस्वीकृत संख्या के प्रति औसत अधिभोग 353 तथा 366 के मध्य था तथा कमला नेहरु चिकित्सालय में 124 की संस्वीकृत संख्या के प्रति यह 125 तथा 135 के मध्य था। जबकि चिकित्सा अधीक्षक, इन्दिरा गांधी चिकित्सालय ने बताया (फरवरी 1995) कि उच्चतर बिस्तर अधिभोग रोगियों की अधिक संख्या के कारण था, चिकित्सा अधीक्षक, कमला नेहरु चिकित्सालय ने बताया (मार्च 1995) कि एक रैफरल चिकित्सालय होने के नाते रोगियों की अधिक संख्या के कारण ग्रीष्म ऋतु से सम्बन्धित महिनों में प्रत्येक बिस्तर एक से अधिक रोगियों को आबंटित किया गया। रोगियों को असुविधा होने के अतिरिक्त इससे संक्रामक रोगों की दर में भी अधिक वृद्धि हुई।

---

* धर्मशाला, नाहन, शिमला तथा ऊना

(v) आइसोलेशन चिकित्सालय में क्षयरोग रोगियों के लिए 38 बिस्तरों की संस्वीकृत संख्या के प्रति स्थान की कमी के कारण केवल 30 बिस्तर ही प्रदान किए गए थे और सितम्बर 1990 से उनकी उपयोगिता एक प्रतिशत से अधिक नहीं रही, यद्यपि एक चिकित्सक तथा 18 अर्द्ध-चिकित्सक कर्मचारी वहां पर सदा तैनात रहे। तीन कुष्ठ रोगी जो इस चिकित्सालय में 1983 से स्थायी रुप से रह रहे थे ने अपना उपचार पूर्ण कर लिया था। इन रोगियों को जुलाई 1983 तथा अप्रैल 1986 के मध्य पुनः दाखिल किया गया था तथा वे अपने पुनर्वास की अपेक्षा में चिकित्सालय में रह रहे थे।

(ख) **शल्य-कक्ष**

मुख्य तथा लघु शल्यक्रियाओं हेतु जिला चिकित्सालय, केलांग, मण्डी, नाहन, रिकांगपिओ तथा ऊना प्रत्येक में एक तथा जिला चिकित्सालय, धर्मशाला तथा शिमला प्रत्येक में दो शल्य-कक्ष थे। ये शल्य-कक्ष समुचित रुप से सुज्जित नहीं थे, क्योंकि इनमें निम्नवत् कमियां ध्यान में आईः

(i) फ्यूमिगेशन मशीन के अभाव में मार्च 1994 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में जिला चिकित्सालय, शिमला के सिवाए सभी चिकित्सालयों में शल्य-कक्ष में शल्यक्रिया के उपरान्त फ्यूमिगेशन नहीं की गई। केवल सप्ताह में एक बार फर्मालिन से फर्श साफ किए जाते थे। निदेशक ने बताया। (मार्च 1995) कि स्वैब परीक्षण तथा रोगजनकों के परीक्षण के लिए कलचर किये जाने के अतिरिक्त शल्य-कक्षों की समय-समय पर सफाई, धुलाई तथा फ्युमिगेशन तथा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता था तथापि, गत तीन वर्षों में किए गए स्वैब-परीक्षण तथा समय-समय पर सफाई तथा धुलाई, यदि कोई हो, को इंगित करने वाले अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

(ii) शल्य कक्ष में उचित रोशनदानों, चूषण उपकरणों, हाइड्रॉलिक आप्रेशन टेबलों, सीलिंग लाइट, रक्त गैस विश्लेषकों आदि जैसे अनिवार्य उपस्करों, जो किसी शल्य कक्ष में अपेक्षित होते हैं, को किसी भी शल्य कक्ष में स्थापित नहीं किया गया था, जिससे रोगी की देखरेख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी तथा शिमला ने बताया (दिसम्बर 1994 तथा फरवरी 1995) कि शल्य-कक्ष से सम्बन्धित अपर्याप्त सुविधाओं के कारण रोगियों को अन्य चिकित्सालयों को भेजना पड़ा तथा रोगियों के उपचार हेतु प्रतीक्षा समय में तदनुरुप वृद्धि हुई।

(iii) मुख्य शल्यक्रियाओं के लिए दाखिल रोगियों को एनेस्थिजिया देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले बोयल उपकरण जिला चिकित्सालय, धर्मशाला (3), नाहन (2), शिमला (3) तथा ऊना (3) में उपलब्ध थे, परन्तु धर्मशाला तथा ऊना में केवल एक-एक चालू स्थिति में था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन तथा शिमला ने दिसम्बर, 1994 में बताया कि उपकरण अप्रचलित थे और उनके अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध नहीं थे, अतः ये काम नहीं कर रहे थे। जिला चिकित्सालय, ऊना में मई

1993 तक कोई निश्चेतक तैनात नहीं किया गया था तथा लोकल और स्पाइनल एनेस्थिजिया दिया जा रहा था, जो एक अप्रचलित विधि थी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना ने इसे जोखिमपूर्ण बताया (फरवरी 1995)। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय, रिकांग पिओं में निश्चेतक न होने के कारण स्पाइनल तथा लोकल एनेस्थिजिया दे कर 1990-94 के दौरान 39 मुख्य शल्यक्रियाएं की गई।

(ग) आहार

राज्य सरकार ने चिकित्सालयों में अंतरंग रोगियों को दिए जाने वाले अवयवों के संदर्भ में आहार स्तर अप्रैल 1978 में निर्धारित किया था। इसके बाद इसकी समीक्षा नहीं की गई। अगस्त 1992 तक निःशुल्क आहार प्रदान किया गया और इसके बाद 2 रुपए प्रति आहार का नाममात्र प्रभार निश्चित किया गया। इन प्रभारों को भी सितम्बर 1993 में वापस ले लिया गया और तब से आहार निःशुल्क प्रदान किया जा रहा था।

यह पाया गया कि नमूना जांच किए गए सात जिला चिकित्सालयों में से केवल जिला चिकित्सालय, शिमला में ही आहारविद का पद प्रदान किया गया। आहार से सम्बन्धित मदों के परीक्षण हेतु चिकित्सालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और रोगियों को देने से पूर्व उपस्थित स्टाफ द्वारा इसका दृष्टिक निरीक्षण किया जाता था। भोजन और औषधियों के परीक्षण हेतु कंडाघाट में एक संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला थी परन्तु मार्च 1994 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी जिला चिकित्सालय द्वारा आहार से सम्बन्धित वस्तुओं के नमूनों का परीक्षण नहीं करवाया गया। निदेशक के पास प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु भेजी गई आहार-वस्तुओं के नमूनों की संख्या, यदि कोई थी, के संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

(घ) वस्त्र

बिस्तर संख्या या समय समय पर पुरानी तथा क्षतिग्रस्त मदों को बदलने के संदर्भ में कपड़े से बनी वस्तुओं के उपार्जन तथा संचयन हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए थे। यह पाया गया कि कपड़े से बनी वस्तुओं को समरुप आधार पर जारी नहीं किया जाता था तथा चिकित्सालयों में बिस्तर से सम्बन्धित मदों तथा अन्य कपड़े की वस्तुओं को बदलने हेतु कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। नमूना जांच किए गए किसी भी जिला चिकित्सालय में तथा इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में धोबीखाना से सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध न होने के कारण कपड़ों को संविदा-आधार पर धुलवाया जाता था।

3.1.7:2 **बाह्य-रोगी स्वास्थ्य देखरेख**

वर्ष 1991-94 की अवधि के लिए सात जिला चिकित्सालयों तथा इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में पंजीकृत बाह्य-रोगियों की संख्या नीचे दी जाती है:

	1991	1992	1993	1994
		(सं	ख् या	)
धर्मशाला	93,562	88,609	99,896	1,25,545
केलांग	40,947	34,487	31,755	39,091
मण्डी	1,38,702	1,30,375	1,15,164	1,39,318
नाहन	99,979	73,957	77,958	61,884
रिकांग पिओं	26,355	21,846	30,709	24,944
शिमला	1,36,678	73,548	73,292	80,345
ऊना	72,365	76,484	70,021	78,265
इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय	1,70,727	1,64,306	1,42,447	1,60,056

कार्यभार के आधार पर बहिरंग रोगी विभाग में चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों की तैनाती हेतु न तो जिला चिकित्सालयों में और न ही इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कोई मानक निर्धारित किये गए थे।

3.1.7.3 **रोगी वाहन सेवाएं**

चिकित्सालय के रोगी-वाहनों का प्रयोग (क) रोगियों तथा (ख) कार्यालय समय के पश्चात् चिकित्सालयों में आपात मामलों की देखरेख करने हेतु चिकित्सकों तथा स्टाफ को उनके निवास स्थानों से लाने तथा पहुंचाने हेतु किया जाना था। 6 जिला चिकित्सालयों (धर्मशाला:12, केलांग: 1, मण्डी:2, नाहन:1, रिकांग पिओ : 2 तथा ऊना: 1) को प्रदान किये गये 19 रोगी-वाहनों ने वर्ष 1991-94 के दौरान कुल 2,76,384 कि०मी० की दूरी तय की जिसमें से केवल 71,544 कि०मी० (26 प्रतिशत) चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ के वहन, 1,47,473 कि०मी० (53 प्रतिशत) रोगियों के वहन तथा शेष 57,367 कि०मी० (21 प्रतिशत) औषधियों, लेखन-सामग्री, आदि की दुलाई जैसे प्रयोजनों के संदर्भ में थी जो रोगी की देख रेख से सम्बन्धित नहीं थे। रोगी वाहनों का रोगी की देखरेख के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में कोई कारण सूचित नहीं किए गए।

3.1.7.4 **संक्रमण नियन्त्रण**

संक्रमण नियन्त्रण हेतु प्रबन्ध की देख रेख के लिए किसी भी नमूना जांच किए गए जिला चिकित्सालय में तथा इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला में चिकित्सालय संक्रमण

नियन्त्रण समिति का गठन नहीं किया गया। मण्डी जहां 1992-94 के दौरान 15,691 शल्यक्रिया के मामलों में से 2,349 मामले शल्यक्रिया के उपरान्त छाती-संक्रमण तथा घाव-संक्रमण के कारण संक्रामित बताए गए, के अतिरिक्त किसी भी जिला चिकित्सालय में संक्रमण, विशेषतया शल्यक्रिया के उपरान्त होने वाले संक्रमण के मामलों के संदर्भ में अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।

3.1.7.5 चिकित्सालय का कूड़ा-कचरा

(क) नमूना जांच किए गए किसी भी जिला चिकित्सालय में तथा इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला में चिकित्सालय से सम्बन्धित कूड़ा-कचरा को एकत्रित करने तथा उसे नष्ट करने हेतु कोई उचित पद्धति विद्यमान नहीं थी। निदेशक ने स्वीकार किया (मार्च तथा जून 1995) कि चिकित्सालय से सम्बन्धित कूड़ा-कचरा को एकत्रित करने तथा उसके निपटारे हेतु कोई उचित पद्धति नहीं थी तथा प्रयोग की गई सीरिंजों, केथिटरों तथा प्लास्टिक की बोतलों, आदि के दुरुप्रयोग तथा पुनः उपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था, जिसके फलस्वरुप एड्स, आदि जैसे संक्रामक रोग फैल सकते थे।

(ख) प्रधानाचार्य, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा मार्च 1994 में 8.41 लाख रुपए की लागत पर सभी प्रकार की निष्प्रयोज्य वस्तुओं को प्रति घंटा 30 से 50 कि०ग्रा० ज्वलन क्षमता वाले दो इन्सिनरेटर खरीदे गए। मार्च 1994 में एक इन्सिनरेटर को कमला नेहरु चिकित्सालय में प्रतिष्ठापन करने हेतु दिया गया तथा अन्य इन्दिरा गांधी चिकित्सालय में उपयोगार्थ रख लिया गया। कमला नेहरु चिकित्सालय को दिया गया इन्सिनरेटर सितम्बर 1994 में प्रतिष्ठापित किया गया परन्तु इसकी ईंधन की टंकी से रिसाव होने लगा (अक्तूबर 1994)। मार्च 1995 तक संयंत्र की मरम्मत नहीं की गई थी। इन्दिरा गांधी चिकित्सालय में रखे गए इन्सिनरेटर का प्रयोग प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा उठाई गई आपति के कारण नहीं किया जा सका। इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा दो चिकित्सालयों में इन इन्सिनरेटरों के प्रतिष्ठापन हेतु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का अगस्त 1995 तक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

इस प्रकार इन्सिनरेटरों के क्रय पर किए गए 8.41 लाख रुपए के निवेश से अभीपृष्ट प्रयोजन को पूर्ण नहीं किया जा सका।

3.1.7.6 रक्त कोष

राज्य में मार्च 1994 को इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के एक रक्त कोष सहित ग्यारह रक्त कोष कार्यरत थे। इनमें से 7 रक्त-कोषों की स्थापना हेतु भारतीय औषध नियन्त्रक द्वारा लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। किसी भी रक्त कोष में शीत कमरे उपलब्ध नहीं थे तथा रक्त स्वैच्छिक दानियों तथा प्रतिस्थापन करवाने वाले दानियों के माध्यम से एकत्रित किया जा रहा था। जिला चिकित्सालय, केलांग तथा रिकांग पिओ में रक्त कोष स्थापित नहीं किए गए थे। जिला चिकित्सालय, ऊना में आठ शिविरों के माध्यम से वर्ष 1991-94 के दौरान 83 यूनिट रक्त

संगृहीत किया गया जिसमें से चालीस यूनिट रक्त नष्ट कर दिया गया क्योंकि कालावधि समाप्त होने की तिथि से पूर्व इसका उपयोग नहीं किया जा सका।

यद्यपि सभी जिला चिकित्सालयों में अर्हता प्राप्त चिकित्सक रक्त कोष अधिकारियों के रुप में कार्य कर रहे थे, तब भी औषध तथा श्रृंगार प्रसाधन नियमावली, 1945 के अन्तर्गत प्रत्येक रक्त कोष के लिए निर्धारित एक पंजीकृत नर्स तथा एक सहायक का पद मार्च 1995 तक इन चिकित्सालयों में संस्वीकृत नहीं किया गया।

3.1.7.7 चल चिकित्सालय

राज्य के ग्रामीण तथा कठिन क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने तथा अंतरंग चिकित्सकों को क्षेत्र प्रशिक्षण देने तथा अवर- स्नातक विद्यार्थियों तथा प्रशिक्षणार्थी नर्सों की गुणवता में सुधार लाने की दृष्टि से इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में 1973 से 50 बिस्तर वाले एक चल चिकित्सालय ने कार्य करना प्रारम्भ किया। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रति वर्ष चल चिकित्सालय शिविरों का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के विद्यमान स्टाफ में से स्टाफ नर्सों सहित 7 तकनीकी स्टाफ तथा 12 गैर-तकनीकी स्टाफ सहित प्रत्येक विशिष्ट विषय/विभाग में से एक परामर्शदाता, एक रजिस्ट्रार तथा एक अंतरंग चिकित्सक को प्रत्येक शिविर के लिए तैनात किया गया। शिविरों के लिए और अधिक स्टाफ, आवश्यकता पड़ने पर, शिविरों के निकटतम संस्थानों से लेकर तैनात किया गया।

यह पाया गया कि (i) सभी शिविरों का आयोजन उन क्षेत्रों में किया गया, जहां पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं तथा (ii) जैसा कि परिकल्पित था, ग्रामीण तथा कठिन क्षेत्रों में किसी शिविर का आयोजन नहीं किया गया। इस प्रकार एक चल चिकित्सालय स्थापित करने के अभीष्ट प्रयोजन को प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.1.8 निरीक्षण तथा अनुश्रवण

(i) निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रत्येक जिला चिकित्सालय की निरीक्षण आवर्तिता को निर्धारित करती हुई स्वास्थ्य विभाग की किसी चिकित्सा नियम पुस्तिका सरकार द्वारा तैयार नहीं की गई थी (मार्च 1995)। निदेशक ने बताया (मार्च 1995) कि उसके द्वारा वर्ष में एक बार निरीक्षण किया गया, साप्ताहिक तथा अधिक निरन्तर निरीक्षण सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किए गए तथा चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने प्रतिदिन एक चक्कर लगाया। तथापि इन अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के संदर्भ में कोई अभिलेख या दौरा टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ii) न तो किसी आन्तरिक प्रशासन नियन्त्रण पद्धति/समिति का गठन किया गया और न ही जिला चिकित्सालयों तथा इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कार्यचालन का किसी

अभिकरण द्वारा मूल्यांकन किया गया। किसी भी जिला चिकित्सालय में रोगी स्वास्थ्य रक्षा मूल्यांकन कक्ष के रुप में कार्य करने वाली किसी चिकित्सा लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया।

निदेशक ने बताया (मार्च 1995) कि निदेशालय के अधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने समय-समय पर कार्यचालन का पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन किया।

3.1.9 रैफरल मामले

जिला चिकित्सालयों तथा इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कम्पयूटरीकृत टोमोग्राफी स्कैन (सी.टी.स्कैन), मैगनैटिक रेजनन्सी इन्टेनसिटी (एम.आर.आई.), कैथ प्रयोगशाला, ओपन हार्ट शल्यक्रिया, कॉडिमक प्रयोगशाला, विनियरिल रोग क्लिनिक तथा मैटाबॉलिक अव्यवस्था अन्वेषण प्रयोगशाला जैसी परम विशिष्ट अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, जिसके फलस्वरुप निदेशक द्वारा जनवरी 1992 से मार्च 1994 के दौरान 7,177 मामले राज्य के बाहर अन्य संस्थानों को उपचारार्थ भेजे गए।

220.93 लाख रुपए की लागत पर जनवरी 1995 में "टर्नकि" आधार पर सी.टी.स्कैन का प्रतिष्ठापन संस्वीकृत किया गया। जून 1995 में मशीन की प्राप्ति हुई तथा इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के विकिरण चिकित्सा विभाग द्वारा इसे प्रतिष्ठापनाधीन बताया गया (अगस्त 1995)। जहां तक एम.आर.आई. तथा कैथ प्रयोगशाला का सम्बन्ध है, इसके संस्थापन तथा मशीन के क्रय हेतु सरकार को प्रस्ताव क्रमशः अक्तूबर तथा दिसम्बर 1994 में प्रस्तुत किया गया था परन्तु अनुमोदन प्रतीक्षित था (मार्च 1995)।

3.1.10 प्रशिक्षण

चिकित्सकों तथा अर्द्ध-चिकित्सा स्टाफ को चिकित्सा विज्ञान की नवीनतम गतिविधियों से परिचित रखने के लिए निदेशक द्वारा गत तीन वर्षों में किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। निदेशक ने बताया (जून 1995) कि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत अल्पकालिक प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। तथापि विभाग के पास कोई नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध नहीं थे।

3.1.11 क्रय

मई 1988 में सरकार द्वारा बनाई गई क्रय-नीति के अनुसार चिकित्सालयों में प्रयोगार्थ औषधियों का तीन श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया (i) परमावश्यक, (ii) अनिवार्य तथा (iii) वांछनीय। इन औषधियों को भारत सरकार के उपक्रमों तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के फार्मास्यूटिकल गृहों से खरीदा जाना था। फरवरी 1991 में सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम के माध्यम से औषधियों के क्रय तथा वितरण को केन्द्रीकृत करने का निर्णय

लिया गया। औषधियों के क्रय हेतु निदेशक द्वारा निगम को फर्मों के प्रोफोर्मा बिल प्रस्तुत करने पर निधियां अग्रिम रुप से प्रदान की जानी थी तथा क्षेत्रीय इकाइयों को आवश्यक आपूर्तियां करने के बाद निगम द्वारा इन अग्रिमों के समायोजन लेखे प्रस्तुत किए जाने थे। वर्ष 1991-95 के दौरान निदेशक ने निगम को औषध-किट्टों तथा औषधियों के क्रय तथा वितरण हेतु 19.42 करोड रुपए अग्रिम दिए।

निदेशालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि निगम के माध्यम से क्रय एवं वितरण की केन्द्रीकृत प्रक्रिया का परिकल्पना के अनुसार कार्यान्वयन नहीं किया गया। क्षेत्रीय इकाइयों को उपलब्ध करवाई गई औषधियों के ब्यौरे, जिलावार लेखे तथा अग्रिमों के समायोजन लेखे निगम द्वारा निदेशक को प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे। क्षेत्रीय इकाइयों को दवाइयाँ विलम्ब से आपूरित करने के मामले भी ध्यान में आये। इस प्रकार निगम को प्रदान किए गए अग्रिमों के प्रति क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्राप्त आपूर्तियों तथा दिए गए अग्रिमों का अविलम्ब समायोजन सुनिश्चित करने हेतु निदेशालय में कोई अनुश्रवण पद्धति नहीं थी।

निदेशक ने बताया (मार्च 1995) कि क्रय नीति की समीक्षा हेतु इस मामले में सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जाना था।

नमूना-जांच के दौरान निम्नवत् तथ्य भी ध्यान में आए:

(क) औषध- किट्टें

औषध-किट्टों के क्रय तथा वितरण हेतु निदेशक ने निगम को मार्च 1991 से मार्च 1994 के दौरान 431.45 लाख रुपए अग्रिम दिए। मार्च 1991 में अदा किए गए 97.39 लाख रुपए के अग्रिम के प्रति 45.11 लाख रुपए की लागत की औषध-किटटों की आपूर्ति अग्रिम की अदायगी की तिथि से 10 से 22 मास के पश्चात की गई; बकाया 334.06 लाख रुपए के अग्रिम के प्रति मार्च 1995 तक कोई भी आपूर्ति नहीं की गई।

(ख) औषधियां

(i) वर्ष 1991-92 के दौरान दो फर्मों के प्रोफार्मा बिलों के प्रति इन फर्मो से औषधियों के क्रय हेतु निगम को 106.86 लाख रुपए अग्रिम दिए गए। इसके प्रति निगम ने आपूर्ति-आदेश प्रस्तुत किए तथा इन दो फर्मों को केवल 36.05 लाख रुपए की अदायगियां की, जबकि 70.81 लाख रुपए के बकाया आपूर्ति-आदेश अन्य फर्मों को प्रस्तुत किए गए और उन अन्य फर्मों को अदायगियां की गईं जिनके प्रति कोई अग्रिम संस्वीकृत नहीं किए गए थे, जो कि क्रय-पद्धति के प्रतिकूल था।

(ii) फर्मों के प्रोफार्मा बिलों के आधार पर औषधियों के क्रय हेतु वर्ष 1993-94 (192लाख रुपए) तथा 1994-95 (412 लाख रुपए) के दौरान निगम को 604 लाख रुपए का

100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया गया। निगम द्वारा कोई समायोजन लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए और निदेशक ने इस अग्रिम के प्रति क्षेत्रीय इकाइयों को उपार्जित तथा आपूरित औषधियों के ब्यौरों, यदि कोई हों, पर मार्च 1995 तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं की।

(ग) क्षेत्रीय इकाइयों को औषधियों की आपूर्ति में विलम्ब

सरकार के अनुदेशों के अनुसार (फरवरी 1991) क्षेत्रीय इकाइयों को औषधियों की आपूर्ति करने में कोई विलम्ब नहीं किया जाना था। निगम द्वारा वर्ष 1992-94 के दौरान जिला चिकित्सालय, धर्मशाला को 90.14 लाख रुपए मूल्य की औषधियों की कुल आपूर्ति में से 6.80 लाख रुपए मूल्य की औषधियों की विलम्ब से आपूर्ति की गई। यह विलम्ब 4 तथा 164 दिन के मध्य था तथा 5.26 लाख रुपए (वार्षिक आपूर्ति का 8 प्रतिशत) की लागत की औषधियों की आपूर्ति नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय, नाहन द्वारा मांगी गई औषधियां समय पर प्राप्त नहीं हुई। उपायुक्त, नाहन ने निगम के माध्यम से औषधियां क्रय करने की प्रणाली, जो संतोषजनक नहीं थी, की समीक्षा करने हेतु सरकार से निवेदन किया (जून 1992)।

निदेशक ने स्वीकार किया (मार्च 1995) कि निगम द्वारा औषधियों की आपूर्ति करने में विलम्ब रहा।

(घ) आपूर्ति आदेशों के अनुसार आपूर्तिकर्ता उत्पाद मूल्य के 4 प्रतिशत की दर से सेवा-प्रभार निगम को अदा करने के लिए दायी थे, जिसकी निगम द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को की गई अदायगियों से कटौती कर ली गई। इसके अतिरिक्त औषधियों के क्रय तथा वितरण हेतु निगम द्वारा स्वास्थ्य विभाग से 2 प्रतिशत की दर से सेवा-प्रभार भी वसूल किए गए। इस प्रकार निगम औषधियों की लागत से 6 प्रतिशत अधिक प्रभार ले रहा था।

विभाग ने वर्ष 1991-92 से 1994-95 के दौरान 1942.29 लाख रुपए की राशि अग्रिम प्रदान की थी। इस पर, निगम के सेवा-प्रभार 116.53 लाख रु0 बनते थे। निदेशक ने मार्च 1995 में स्वीकार किया कि यह औषधि बजट में एक प्रत्यक्ष कटौती थी, जिसका अन्यथा स्वास्थ्य रक्षा गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता था।

(ड.) विविध अनियमितताएं

(i) जिला चिकित्सालय, रिकांगपिओ में वर्ष 1993 से 1995 के दौरान 1.07 लाख रुपए की लागत की औषधियों की कमी पाई गई। इन कमियों का मार्च 1995 तक न तो समाधान किया गया और न ही दोषियों से इसकी प्रतिपूर्ति की गई।

(ii) जिला चिकित्सालयों, धर्मशाला, शिमला तथा इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा 1991-92 से 1993-94 के दौरान 2.58 लाख रुपए मूल्य की खरीदी गई औषधियां, जिसके नमूने औषध निरीक्षक द्वारा लिए गए तथा जिनकी सरकारी विश्लेषक द्वारा परीक्षा की गई थी, को निकृष्ट पाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा प्राधानाचार्य, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा टैस्ट-रिपोटों को 6 मास से एक वर्ष के मध्य के विलम्ब से प्राप्त हुआ बताया गया और इस समय तक चिकित्सालयों में औषधियों की समग्र मात्रा का उपभोग किया जा चुका था, जिसके परिणामस्वरुप रोगियों द्वारा निकृष्ट औषधियां का उपभोग हुआ।

3.1.12 अन्य रुचिकर प्रसंग

(i) जिला चिकित्सालय, मण्डी, नाहन, ऊना तथा शिमला में कोई समुचित जल-निकास प्रणाली नहीं थी।

(ii) जिला चिकित्सालय, केलांग, मण्डी, रिकांगपिओ तथा ऊना में विशेषज्ञों को चिकित्सालय परिसर के निकट आवास प्रदान नहीं किया गया। इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में वर्ष 1991-94 के दौरान चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ जिन्हें आवास प्रदान किया गया था, की प्रतिशतता 12 तथा 25 के मध्य थी।

(iii) प्रवेश-प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक विद्यार्थी जो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश लेता है, को बांड भरना होता है जिसके अनुसार एम.बी.बी.एस. डिग्री पाठ्यक्रम की समाप्ति पर उसे राज्य में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए कार्य करना अपेक्षित है। यदि कोई विद्यार्थी बांड की शर्तों तथा निबन्धनों का उल्लंघन करता है, तो वह सरकार को वर्ष 1992-93 तक 0.05 लाख रुपए तथा इसके उपरान्त 0.50 लाख रुपए की अदायगी करने का दायी होगा।

निदेशक ने बताया (अप्रैल 1995) कि 1992-94 के दौरान 100 विद्यार्थियों ने अपनी एम.बी.बी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उन्हें नियुक्ति-प्रस्ताव भेजा गया। इनमें से 47 विद्यार्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया तथा इस प्रकार मार्च 1995 को उनसे 12.25* लाख रुपए की बांड-राशि शोध्य थी।

निदेशक ने बताया (अप्रैल 1995) कि दोषियों को बांड-राशि जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

---

* 1992-93: 1.25 लाख रु० (25 विद्यार्थी); 1993-94: 11.00 लाख रु० (22 विद्यार्थी)

(iv) 0.45 लाख रुपए की लागत पर खरीदा गया (मार्च 1992) एक हाइड्रॉलिक सर्जिकल टेबल, जो इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में शल्यक्रिया विभाग में प्रतिष्ठापित किया गया (मई 1992), कुछ विनिर्माण दोषों के कारण संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा था। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के एक सहायक अभियन्ता द्वारा टेबल का निरीक्षण करने (दिसम्बर 1992) पर दोष इंगित किए गए। विभाग द्वारा टेबल को प्रतिस्थापित करने या दोषों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (मार्च 1995)।

(v) मिरगी तथा मष्तिस्क रोगों के उपचार हेतु 1.48 लाख रुपए की लागत पर एक ई.ई.जी. मशीन आयातित की गई (सितम्बर 1985) तथा इसे इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में प्रतिष्ठापित किया गया (मई 1987)। मशीन ने चार वर्ष की अवधि में 51 परीक्षण करके सितम्बर 1991 तक सन्तोषजनक कार्य किया। तब से ट्रेसिंग में वाह्य त्रुटियों के कारण मशीन ठीक रुप से कार्य नहीं कर रही थी तथा इस पर कोई परीक्षण नहीं किया जा सका। प्रधानाचार्य ने बताया (अप्रैल 1995) कि रोगी प्राइवेट रुप से ई.ई.जी. करवा रहे थे और इस मशीन का प्रयोग एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार रोगियों को अपेक्षित सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही थीं।

(vi) दूसरी और तीसरी मंजिल (ब्लॉक संख्या II) पर शल्यक्रिया स्कंध के शल्यकक्ष हेतु एक लिफ्ट (1982 के दौरान निर्मित) गत 12 वर्ष से अव्यवस्थित पड़ी थी। इससे रोगियों तथा स्टाफ को होने वाली असुविधा के कारण प्रधानाचार्य, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ने सरकार को लिफ्ट की मरम्मत हेतु 2.17 लाख रुपए की राशि का एक प्राक्कलन प्रस्तुत किया (अगस्त 1994) जिसका अनुमोदन प्रतीक्षित था (मार्च 1995)।

प्रधानाचार्य ने बताया (मार्च 1995) कि लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, क्योंकि यह शल्य धरातल मंजिल से शिखर की मंजिल तक शल्यकक्ष हेतु प्रदान किया गया था। क्योंकि शल्यकक्ष केवल दो मंजिलों पर ही थे। अतः इस अवस्था पर लिफ्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रधानाचार्य की यह दलील मान्य नहीं थी, क्योंकि प्रधानाचार्य द्वारा पहले ही इसकी मरम्मत हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका था।

(vii) जिला चिकित्सालय, केलांग में 7.69 लाख रुपए मूल्य के वाहन तथा उपस्कर नवम्बर 1988 तथा नवम्बर 1992 से परिचालन स्टाफ (6.05 लाख रुपए) तथा मरम्मत (1.64 लाख रुपए) के अभाव में बेकार पड़े हुए थे।

यह तथ्य जून 1995 में सरकार को सूचित किए गए। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 1995)।

कृषि विभाग

3.2 वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशैड विकास परियोजना

3.2.1 परिचय

आरम्भिक अध्ययनों तथा अन्य परियोजनाओं तथा कृषकों द्वारा उन अनुसंधान निष्कर्षों की पद्धति को अपनाने से प्राप्त अनुभव के आधार पर वर्ष 1990-91 में वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए नेशनल वाटरशैड डिवैल्पमैंट प्रोजेक्ट नामक एक स्कीम प्रारम्भ की गई तथा भारत सरकार द्वारा आठवीं योजना (1992-97) के अंतर्गत इसे एक मुख्य कार्यक्रम में रुपान्तरित किया गया।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य है:-

(i) ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए निरन्तर रुप से अन्न, चारा, ईंधन, रेशा, तथा जीवोत्पादन उपलब्ध करवाने हेतु भूमि, जल, पौधों तथा मानव-संसाधनों के उन्नयन तथा वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा तथा वर्षा जल के संरक्षण् से "हॉलिस्टिक फार्मिंग" पद्धतियों को प्रोत्साहन।

(ii) आर्दता-संरक्षण के द्वारा उत्पादन-पर्यावरण तथा फिर से भरे जाने वाले गड्डों के जाल के द्वारा प्रवाह व्यवस्था तथा वनस्पति-उपायों द्वारा भूमि-कटाव नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण।

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1988-89 के दौरान 4 जिलों* में वर्षापोषित कृषि हेतु राष्ट्रीय वाटरशैड विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सांतवीं योजना में 8 माइक्रो-वाटरशैड चालू किए गए तथा इनकी पुनर्संरचना के कारण वर्ष 1990-91 से बन्द कर दिए गए। 11 जिलों (लाहौल एवं स्पिति को छोड़कर)के 4 कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में 3,500 रुपए से 5,000 रुपए प्रति हैक्टेयर की औसत लागत से अठावन वाटरशैड का वर्ष 1991-92 तथा 1994-95 के मध्य अनुमोदन किया गया। आठवीं योजना के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 1542 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 37,240 हैक्टेयर क्षेत्र के विकास किये जाने का प्रस्ताव था।

---

* बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी तथा ऊना

जनवरी वर्ष 1991 के दौरान वित्तीय आयुक्त-एवं-कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में 11 सदस्यों की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। जबकि वर्ष 1991 में ही उपायुक्त की अध्यक्षता में कृषि उप-निदेशक, जिला बागवानी अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी से युक्त जिला स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया। इन समितियों को परियोजना स्टाफ तथा सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा परियोजना के निर्माण हेतु उत्तरदायी बनाया गया। वर्ष 1991 तथा 1993 के मध्य वाटरशैड स्तर पर सम्बद्ध विभागों (वन, पशुपालन तथा बागवानी) के 5 से 7 कर्मचारियों से युक्त वाटरशैड विकास दलों, का भी गठन किया गया जो वाटरशैड में सभी विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी थे। कृषि विकास अधिकारियों को दल-नेता घोषित किया गया तथा वाटरशैड स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उन्हें उत्तरदायी बनाया गया। 2 सबसे अधिक पुराने वाटरशैडों पर वर्ष 1991-92 [भुट्टी (कुल्लू)] तथा 1992-93 के दौरान [सिमनी (चम्बा)] वाटरशैड विकास दलों का गठन किया गया। कृषि संयुक्त निदेशक राज्य नोडल अधिकारी था तथा कृषि उप-निदेशक जिला नोडल अधिकारी थे। परियोजना का कार्यान्वयन कृषि, बागवानी, वन-[illegible] तथा संरक्षण, तथा पशुपालन विभागों के माध्यम से किया जा रहा था। राज्य स्तर पर इसके अनुश्रवण हेतु अप्रैल 1994 के दौरान कृषि निदेशक की अध्यक्षता में एक "बहु-अनुशासनिक कक्ष" का गठन किया गया।

वर्ष 1988-89 से 1993-94 की अवधि वाली सातवीं योजना के 8 माइक्रो-वाटर शैडों में से 6 तथा आठवीं योजना के 58 वाटर शैडों में से 26 को सम्मिलित करते हुए 5 जिलों* में दिसम्बर 1994 से मार्च 1995 के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन की नमूना-जांच की गई। सब से पुराने दो वाटरशैडों अर्थात् भुट्टी (कुल्लू) तथा सिमनी (चम्बा) के अभिलेखों की शत-प्रतिशत जांच की गई। ध्यान में आए मुख्य तथ्यों का अनुवर्ती पैरों में वर्णन किया जाता है।

3.2.2 वित्तीय सहायता

(क) वित्तीय स्वरुप

सातवीं योजना के अन्त तक परियोजना हेतु अर्थ-पोषण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर किया गया। वर्ष 1990-91 से कृषि-योग्य तथा कृषि-अयोग्य भूमि के सभी संघटकों का भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान तथा राज्य सरकार को 25 प्रतिशत ऋण के रुप में से अर्थपोषण किया जाना था।

---

* बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू तथा सोलन

(ख) **वित्तीय लागत तथा व्यय**

वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान वित्तीय लागत तथा व्यय के वर्षवार ब्यौरे निम्नवत् थे:

वर्ष	भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियां	राज्य सरकार के बजट प्राक्कलन	राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियां	व्यय
		(लाख रुपए)		
1990-91	39.53*	4.00	शून्य	17.52
1991-92	80.00	40.00	18.53	7.19
1992-93	80.00	35.00	62.20	27.85
1993-94	शून्य	1.00	146.71	132.71
1994-95	575.00	355.00	370.26	355.35
जोड़	774.53	435.00	597.70	540.62

* पूर्व वर्ष (वर्षों) का 13.13 लाख रु0 का अव्ययित बकाया सम्मिलित है।

निम्नवत् तथ्य उदभूत हुए:

(i) जैसाकि परियोजना में अपेक्षित था, न तो कृषि-निदेशक द्वारा राज्य-स्तर पर और न ही कृषि उप-निदेशकों द्वारा जिला स्तर पर वाटरशैडवार तथा गतिविधिवार लेखाओं का अनुरक्षण किया गया, जिसके अभाव में कृषि-जलवायु क्षेत्रवार, वाटरशैडवार तथा गतिविधिवार बजट के आबंटन तथा उपयोगिता का सत्यापन नहीं किया जा सका। कृषि उप-निदेशकों द्वारा बताया गया (दिसम्बर 1994- मार्च 1995) कि जिला स्तर पर अतिरक्त स्टाफ की कमी के कारण समुचित तथा पृथक लेखाओं का अनुरक्षण नहीं किया जा सका।

(ii) वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान भारत सरकार ने 774.53 लाख रु0 प्रदान किए, जिसके प्रति केवल 540.62 लाख रु0 का व्यय किया गया। अव्ययित बकाया 233.91 लाख रु0(केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों का 30 प्रतिशत) था। कृषि निदेशक द्वारा निधियों की अनुपयोगिता का कारण परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रुप देने में विलंब, वित्तीय संस्वीकृतियों की विलंब से प्राप्ति आदि बताया गया (दिसम्बर 1994)।

(iii) भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के अंतिम दिनों के दौरान 106.40 लाख रुपए की निधियां प्रदान की गई। कृषि विभाग द्वारा जिलों को यह निधियां अगले वर्षों के दौरान क्रमशः 1 तथा 9 मास के बीत जाने के बाद प्रदान की गई। अप्रैल 1992 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों को वित्त विभाग द्वारा दिसम्बर 1992 में संस्वीकृत किया गया जिसे फिर कृषि विभाग द्वारा जिलों को जनवरी 1993 में आबंटित किया गया।

5 कृषि उप-निदेशकों के अभिलेखों से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 107 लाख रुपए के कुल आबंटन में से वाटरशैड स्तर तक उसी वर्ष में 87.52 लाख रुपए की राशियाँ त्रैमासिक प्रदान की गई तथा उनके पास 19.48 लाख रुपए मार्च 1994 तक अनाबंटित रहे।

(iv) वर्ष 1990-91 तथा 1993-94 के मध्य राज्य में किए गए 185.27 लाख रुपए के कुल व्यय में से 132.71 लाख रुपए (72 प्रतिशत) केवल वर्ष 1993-94 के दौरान व्यय किए गए, जिसमें से 100.32 लाख रुपए (76 प्रतिशत) वर्ष 1993-94 की अंतिम तिमाही में व्यय किए गए।

5 कृषि उप-निदेशकों के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि परियोजना रिपोर्टों के विलंब से अनुमोदन तथा निधियों की विलंब से प्राप्ति के कारण वर्ष में कुल व्यय का 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत से 100 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 1991-92 से 1993-94 की क्रमशः अंतिम तिमाही तथा अंतिम मास में व्यय किया गया।

(v) परियोजना निधियों का संवितरण वाटरशैड विकास दल नेताओं के माध्यम से किया जाना था तथा राज्य या जिला स्तर पर कोई विभाजन नहीं किया जाना था। वर्ष 1992-94 के दौरान राजकोष से 42.97 लाख रुपए (निदेशालय :8.46 लाख रुपए तथा 5 जिलेः 34.51 लाख रुपए) के अग्रिमों का आहरण किया गया तथा दल नेता जिन्हें संवितरण शक्तियां प्राप्त थी, के माध्यम से इनकी अदायगी करने की बजाय विभिन्न सम्बद्ध विभागों को इसकी सीधे अदायगी कर दी गई। जबकि इस प्रकार से प्रदान किए गए अग्रिमों को अंत में उसी वित्त वर्ष के दौरान स्कीम को प्रभारित कर दिया गया, परन्तु मार्च 1994 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा समायोजन लेखे प्रतीक्षित थे। कृषि उप-निदेशकों द्वारा यह बताया गया (दिसम्बर 1994-मार्च 1995) कि अग्रिमों की अदायगी अक्तूबर 1993 में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार की गई। राज्य सरकार को पूर्ण रूप से परियोजना के अनुसार व्यय करने का निदेश देते हुए इस निर्णय पर भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 1993 में आपत्ति उठाई गई। तथापि, इन निदेशों का दिसम्बर 1993 के बाद भी अनुसरण नहीं किया गया।

(vi) कृषकों के प्रशिक्षण-शिविरों का आयोजन करने के प्रति बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान 5.09 लाख रुपए की अग्रिम अदायगी में से 0.77 लाख रुपए की सांस्थानिक प्रभारों के रूप में कटौती कर ली गई, यद्यपि परियोजना में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी प्रकार, यद्यपि कृषि औजारों पर आर्थिक अनुदान की अदागयी का प्रावधान अनुमत नहीं था, आठवीं योजना के वाटरशैडों के कार्यान्वयन हेतु 1.96 लाख रुपए सातवीं योजना के माइक्रो-वाटरशैडों के कृषकों को कृषि औजारों के वितरण पर उपदान के रूप में अप्रैल 1990 तथा मार्च 1993 के मध्य अदा किये गये, जिसे वर्ष 1990-91 से बन्द कर दिया गया था। फरवरी 1995 में कृषि उप-निदेशक, बिलासपुर द्वारा बताया गया कि औजारों का क्रय पुराने वाटरशैडों के लिए कृषकों की मांग पर किया गया था।

3.2.3 वाटरशैडों का चयन

आश्वासित सिंचाई के अंतर्गत जोते हुए क्षेत्रों के 30 प्रतिशत से कम वाले सभी खण्डों में लगभग 5,00-1,000 हैक्टेयर के वाटरशैडों, जिसमें जुताई के अन्तर्गत क्षेत्र के 50 प्रतिशत या अधिक वाले वाटरशैडों को वरीयता दी जानी थी, को एकीकृत विकास हेतु चालू किया जाना था ताकि इसमें कृषक प्रत्यक्ष रुप से भाग ले और लाभ उठा सकते। परियोजना के अन्तर्गत राज्य में 58 वाटरशैड अनुमोदित किए गए।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि:-

(i) जैसा कि परियोजना के अन्तर्गत अपेक्षित था, चार जिलों* में 15 वाटरशैडों के चयन तथा अनुमोदन से पूर्व कोई सविस्तृत भू-सर्वेक्षण नहीं किया गया। कृषि उप-निदेशकों द्वारा बताया गया (जनवरी/फरवरी 1995) कि स्टाफ की कमी तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी औजारों तथा उपस्करों की प्राप्ति न होनें के कारण केवल दृष्टि-सर्वेक्षण किया गया।

(ii) वाटरशैड परियोजनाएं 30 नवम्बर 1990 तक तैयार की जानी थी तथा 15 जनवरी 1991 तक राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत की जानी थी।

परियोजना रिपोर्टों को अन्तिम रुप देने तथा अनुमोदन में 1 से 4 वर्ष का विलंब था, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वाटरशैड परियोजनायों की संख्या	विलम्ब की सीमा (वर्ष)
1991-92	2	1
1992-93	21	2
1993-94	32	3
1994-95	3	4

कृषि निदेशकं द्वारा विलम्ब का कारण सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का अपूर्ण होना बताया गया (दिसम्बर 1994)।

(iii) 58 अनुमोदित वाटरशैडों में से 5 वाटरशैडों का क्षेत्र 1,000 हैक्टेयर की उच्च सीमा से 52 से 796 हैक्टेयर तक अधिक था। तीन मामलों में सीमा से अधिक्य 100 हैक्टेयर से अधिक था। 8 वाटरशैडों का क्षेत्र 500 हैक्टेयर की निर्धारित निम्न सीमा की तुलना में 10 हैक्टेयर से 56 हैक्टेयर तक कम था।

---

* बिलासपुर:3; कागड़ा:2; कुल्लू:5; और सोलन:5

(iv) भुट्टी तथा सिमनी के दो सब से पुराने वाटरशैडों सहित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 21 वाटरशैडों की जुताई योग्य भूमि 109 हैक्टेयर (20 प्रतिशत) तथा 250 हैक्टेयर (48 प्रतिशत) के मध्य थी जबकि जुताई के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अथवा अधिक क्षेत्र वाले वाटरशैडों के चयन को अधिमान दिया जाना अपेक्षित था ताकि कृषकों को प्रत्यक्ष रुप से सम्मिलित किया जा सके तथा लाभ पहुंचाया जा सके।

(v) मार्गदर्शक सिद्धांतों में यह प्रकल्पित था कि आश्वासित सिंचाई के साधनों के अन्तर्गत जोते गए क्षेत्र के 30 प्रतिशत से कम वाले वाटरशैड का प्रत्येक खण्ड में चयन किया जाना था।

तथापि यह पाया गया कि 315 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 23 प्रतिशत क्षेत्र को सम्मिलित करती हुई 73 हैक्टेयर भूमि छकोह वाटरशैड (बिलासंपुर जिला) के चयन के समय पहले से ही आश्वासित सिंचाई के अन्तर्गत थी। परियोजना निधियों (लागत: 1.61 लाख रुपए) से 1,200 मीटर लम्बाई की एक पक्की कूहल* का निर्माण करके आश्वासित सिंचाई की प्रतिशतता की 42 प्रतिशत तक वृद्धि करते हुए मार्च 1994 के दौरान 60 हैक्टेयर अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि आश्वासित सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई। जैसाकि कूहल के लिए जल का प्राकृतिक स्रोत पहले से ही विद्यमान था, परियोजना के अन्तर्गत इस वाटरशैड का चयन उचित नहीं था।

(vi) सर्वेक्षण तथा अन्वेषण हेतु सुविधा प्रदान के लिए उपस्करों के उपार्जन हेतु वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान निधियों का उपयोग किया जाना था। निदेशालय ने मार्च 1993 (1.67 लाख रुपए) तथा मार्च 1994 (5.19 लाख रुपए) के दौरान 6.86 लाख रुपए मूल्य के सर्वेक्षण औजार तथा उपस्कर खरीदे थे और इन्हें मई 1993 तथा अगस्त 1994 के महीने में सहायक भू-संरक्षण अधिकारियों को जारी किया गया, जब दृष्टि-सर्वेक्षण कार्य पहले से ही पूर्ण किया जा चुका था। कृषि उप-निदेशक, कुल्लू तथा बिलासपुर ने बताया (दिसम्बर 1994 तथा मार्च 1995) कि उपलब्ध औजारों तथा उपस्करों से सर्वेक्षण किया गया था। इस प्रकार 6.86 लाख रुपए मूल्य के उपस्कर का क्रय विवेकपूर्ण नहीं था।

(vii) एकल तथा दोहरी फसलों के स्वरुपों पर प्रदर्शनी की 325 रुपए से 525 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से व्यवस्था की जानी थी। इसके प्रति बिलासपुर, चम्बा तथा सोलन जिलों के लिए तैयार की गई 6 परियोजना रिपोर्टों में 1,000 रुपए तथा 1,500 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई जिसके परिणामस्वरुप परियोजना प्राक्कलनों की निर्धारित मानको से 8.53 लाख रुपए की वृद्धि हुई। मानकों का अतिक्रमण करने के कारण विभाग द्वारा नहीं बताए गए।

---

* कूहल-एक लघु सिंचाई नदी

3.2.4 सातवीं योजना के माइक्रो वाटरशैडों का निष्पादन

सातवीं योजना के माइक्रो वाटरशैड़ों के कार्यान्वयन के संदर्भ में नमूना-जांच के दौरान निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए।

व्यय मानकों के अनुसार वाटरशैडों के विकास हेतु 2,500 रुपए प्रति हैक्टेयर (निर्माण लागत: 2,000 रुपए तथा परिचालन स्टाफ की लागत: 500 रुपए) व्यय किए जाने थे।

विभाग ने 41.80 लाख रुपए (2,000 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से क्योंकि कोई अतिरिक्त परिचालन स्टाफ नहीं लगाया गया) की अनुमत सीमा के प्रति 2090.10 हैक्टेयर भूमि (1988-89: 237.05 हैक्टेयर, 1989-90: 1,031 हैक्टेयर तथा 1990-91: 822.05 हैक्टेयर) को 53.02 लाख रुपए की लागत पर लिया। इसके फलस्वरुप निर्धारित मानकों से 11.22 लाख रुपए का अधिक व्यय हुआ। स्कीम पुनर्संरचना से इन वाटरशैडों का उनकी संतृप्यता से पूर्व ही 1990-91 के बाद परित्याग कर दिया गया।

कृषि निदेशक ने बताया (मार्च 1995) कि सातवीं योजना के दौरान चयनित माइक्रों वाटरशैड आठवीं योजना के लिए निर्धारित कसौटी को पूर्ण नहीं करते थे तथा ये उत्तरवर्ती अवधि के दौरान सम्मिलित नहीं किए गए।

3.2.5 वास्तविक प्रगति

3.2.5.1 लक्ष्य तथा उपलब्धियां

वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के लिए परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु विभाग द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए क्योंकि 1990-91 के दौरान कोई वाटरशैड अनुमोदित नहीं किया गया तथा 1991-92 के दौरान केवल 2 वाटरशैड अनुमोदित किए गए। चारे की जुताई, प्रदर्शन तकनीकों तथा कृषि-अयोग्य भूमि पर चरागाहों के विकास हेतु 1994-95 तक किसी भी वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

तथापि, 1992-93 से 1994-95 तक स्कीम के विभिन्न संघटकों के संदर्भ में नियत किए गए प्रत्यक्ष लक्ष्य तथा 1994-95 तक की उपलब्धियां परिशिष्ट-VI में इंगित की जाती हैं:-

निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए:

वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान वर्षवार उपलब्धियों से विभाग ने अवगत नहीं करवाया। कृषि निदेशक द्वारा यह बताया गया (जून 1995) कि वर्षवार उपलब्धियां उपलब्ध

नहीं थीं क्योंकि आंकड़े राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे थे। तथापि विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से परियोजना के प्रारम्भ से लेकर मार्च 1995 तक उपलब्धियों के समेकित आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध किए गए।

उनसे यह देखा जाएगा कि परियोजना की निम्नवत् गतिविधियों के संदर्भ में लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी 31 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

क.	**कृषि-योग्य भूमि**	
(क)	संरक्षण उपाय	77 से 94
(ख)	उत्पादन पद्धति	48 से 63
ख.	**कृषि-अयोग्य भूमि**	
(क)	संरक्षण उपाय	79
(ख)	उत्पादन पद्धति	31 से 91
ग.	**जल निकास नालियों का उपचार**	68 से 100

इसके अतिरिक्त निदेशक ने बताया (जून 1995) कि परियोजना निष्पादन अवस्था पर थी तथा इस समय कमी के कारण देना अपेक्षित नहीं था। निदेशक का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभिन्न जिलों के कृषि उप-निदेशकों द्वारा उपलब्धियों में कमी का कारण वाटरशैडों का विलंब से अनुमोदन, निधियों की विलंब से प्राप्ति तथा स्टाफ की कमी बताया गया (दिसम्बर 1994 से मार्च 1995)।

3.2.5.2 संरक्षण उपाय तथा जलनिकास नालियों का उपचार

कृषि-अयोग्य भूमि को पुनरुत्पादक बनाने हेतु जलनिकास परनालियों का उपचार अनिवार्य था। ऐसे संरक्षण उपायों को परियोजना के प्रथम वर्ष के दौरान अर्थात् 1991-92 में पूर्ण करना अपेक्षित था। तथापि 1992-93 तक 26 वाटरशैडों(भुट्टी, प्लाच तथा बाकन के अतिरिक्त) में से किसी में भी कोई कार्य नहीं किया गया। 1993-94 के दौरान केवल 15 वाटरशैडों में 21,59 लाख रुपए के व्यय से निर्माण कार्य किए गए तथा कुल 8,118 हैक्टेयर भूमि में से 1935 हैक्टेयर (कृषि योग्य: कुल 4,273 हैक्टयेर में से 162 हैक्टेयर तथा कृषि-अयोग्य: कुल 3,845 हैक्टेयर में से 1,773 हैक्टेयर) भूमि भू-प्रबन्ध के अन्तर्गत लाई गई। कृषि उप-निदेशकों द्वारा निर्माण कार्यों को निष्पादित न किए जाने का कारण परियोजना रिपोर्टों का विलंब से अनुमोदन, निधियों की विलंब से प्राप्ति, स्टाफ की कमी तथा सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय का अभाव बताया गया (दिसम्बर 1994 से मार्च 1995)।

निर्माण कार्यों के निष्पादन में निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए:

(i) स्कीम में बहते हुए जल के प्रबन्ध हेतु गड्ढों के निर्माण पर विचार किया गया था। बिलासपुर, कुल्लू तथा सोलन जिलों में 1992-95 के दौरान 6.19 लाख रुपए की लागत पर 9 परियोजना क्षेत्रों में 24 पक्की जल-संचयन टंकियों का निर्माण किया गया। जबकि कृषि उप निदेशक, कुल्लू तथा सोलन ने स्थिति की पुष्टि की परन्तु विचलन के कारण नहीं बताए (दिसम्बर 1994 तथा फरवरी 1995)। कृषि उप-निदेशक, बिलासपुर ने सूचित किया (मार्च 1995) कि प्राकृतिक स्त्रोतों से बहते हुए जल को संचित करने के लिए इन पक्की टंकियों का निर्माण किया गया जिसे कृषकों की मांग पर सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाना था।

(ii) वाटरशैड क्षेत्रों में पक्की कूहलों के निर्माण का प्रावधान नहीं था। बिलासपुर जिले में 1993-95 के दौरान घारन मालटा तथा छकोह वाटरशैड क्षेत्रों में 1,270 मीटर तथा 1200 मीटर की लम्बाई के 2 पक्के कूहलों का क्रमशः 0.89 लाख रुपए तथा 0.84 लाख रुपए की अनुमानित लागत के प्रति 1.35 लाख रुपए तथा 1.61 लाख रुपए की लागत पर निर्माण किया गया। इस प्रकार इन निर्माण कार्यों पर किया 2.96 लाख रुपए का व्यय परियोजना के कार्यक्षेत्र से बाहर था।

(iii) यद्यपि परियोजना में क्रमशः सिमनी तथा बेकन वाटरशैडों (चम्बा जिला) के अन्तर्गत कृषि-योग्य तथा कृषि-अयोग्य दोनों प्रकार की भूमियों से युक्त 485 हैक्टेयर तथा 450 हैक्टेयर के उपचार पर विचार किया गया था, 1992-94 के दौरान इन 2 वाटरशैडों में केवलमात्र 412 तथा 525 हैक्टेयर की कृषि-अयोग्य भूमि का उपचार किया गया। इस प्रकार अनुमोदित परियोजना के बाहर के क्षेत्र का उपचार स्कीम का उल्लंघन करके किया गया।

3.2.5.3 उत्पादन पद्धति प्रदर्शन

58 अनुमोदित वाटरशैडों के प्रदर्शनों के लिए लक्ष्यों का समरुप आधार पर निर्धारण नहीं किया गया। कुछ क्रियाकलापों के लिए इन्हें हैक्टेयरों में और अन्य के लिए संख्या में निर्धारित किया गया। तथापि 1990-91 से 1994-95 के दौरान 11,933 प्रदर्शन आयोजित किए गए।

परियोजना में यह विचार किया गया कि प्रत्येक प्रदर्शन लगभग 0.5 हैक्टेयर का होगा तथा एकल कृषि, परिवर्तित कर्षि, मिश्रित कृषि, कृषि अनुक्रम, कृषि-वानिकी, शुष्क-भूमि बागवानी, आदि का प्रदर्शन किया जाएगा।

नमूना-जांच के दौरान निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए:

(i) प्रत्येक प्रदर्शन के लिए अनुसंधान वैज्ञानिकों को भी सम्मिलित किया जाना था। 1991-94 के दौरान नमूना-जांच किए गए 5 जिलों में 2,748 हैक्टेयर के अपेक्षित क्षेत्र के प्रति कुल 892 हैक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 5,496 प्रदर्शन आयोजित किए गए। एकल कृषि पद्धति के अन्तर्गत कृषि विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम विस्तार अधिकारियों की सहायता से इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा अनुसंधान वैज्ञानिकों को सम्मिलित नहीं किया गया। कृषि उप-निदेशकों द्वारा बताया गया (दिसम्बर 1994 से मार्च 1995) कि अनुसंधान वैज्ञानिकों को रवी तथा खरीफ की फसलें बोने से पूर्व कृषकों को प्रशिक्षण देने हेतु सम्मिलित किया गया था और सलाह मांगने पर उन्होंने पथ-प्रदर्शन भी किया। तथापि प्रत्येक वाटरशैड क्षेत्र में वास्तविक रुप से आयोजि किए गए प्रदर्शनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया।

(ii) 1991-92 तथा 1993-94 के मध्य 5 जिलों के वाटरशैड क्षेत्रों में प्रदर्शनों हेतु खरीदे गए बीजों (लागत: 8.26 लाख रुपए) का इस प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया गया तथा वाटरशैड क्षेत्र के कृषकों को स्वयं खेतों में बोने हेतु इनका निःशुल्क वितरण कर दिया गया। कृषि उप-निदेशकों, बिलासपुर तथा सोलन ने बताया (फरवरी-मार्च 1995) कि कृषि विकास अधिकारियों की सीमित संख्या के कारण प्रत्येक कृषक के खेत में प्रदर्शन का आयोजन करना सम्भव नहीं था तथा विभिन्न कृषि-पद्धतियों पर कुछ प्रदर्शन आयोजित करने के बाद इस बीज का कृषकों में वितरण कर दिया गया। कृषि उप-निदेशकों की यह दलील मान्य नहीं थी, क्योंकि परियोजना के अन्तर्गत बीजों के निःशुल्क वितरण हेतु कोई प्रावधान नहीं था तथा प्रदर्शनों का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया।

(iii) नमूना जांच किए गए 5 जिलों में कृषि उप-निदेशकों द्वारा प्रदर्शनों पर किया गया प्रति हैक्टेयर औसत व्यय 325 रुपए से 525 रुपए के निर्धारित मानकों के प्रति 442 रुपए से 1,461 रुपए के मध्य था, जिसके परिणामस्वरुप 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 5.38 लाख रुपए का अधिक व्यय हुआ। कृषि उप निदेशकों, चम्बा तथा सोलन द्वारा इस आधिक्य का कारण बीजों तथा औजारों की लागत तथा परिवहन प्रभारों में हुई वृद्धि बताया गया (जनवरी तथा फरवरी 1995)। कृषि उप निदेशकों बिलासपुर, कांगड़ा तथा कुल्लू से कारण प्रतीक्षित थे।

(iv) संशोधित परियोजना के अन्तर्गत वाटरशैड क्षेत्रों में फलियों, जीव-उर्वरकों तथा भारी-भरकम मात्रा में जीव-खादों के प्रयोग सहित एकीकृत पौष्टिक प्रबन्ध पद्धति को प्रोत्साहन दिया जाना था। इसके प्रतिकूल 5 कृषि उप-निदेशकों ने 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 2.94 लाख रुपए की लागत के रसायन उर्वरक खरीद कर परियोजना के कृषकों में वितरित किए। कृषि उप-निदेशको ने बताया (दिसम्बर 1994 से मार्च 1995) कि उपयुक्त मार्गदर्शनों के अभाव में तथा निदेशालय से विलंब से अनुदेश प्राप्त होने (सितम्बर 1994) के कारण रसायन उर्वरकों का वितरण सामान्य रुप से किया जा रहा था।

(v) वर्ष 1993-94 के दौरान कांगड़ा जिला में 4 वाटरशैडों में 1000 प्रदर्शनों में से 205 प्रदर्शन विफल रहे, जिसके परिणामस्वरुप 0.21 लाख रुपए का निरर्थक व्यय हुआ तथा 38 हैक्टेयर भूमि में खरीफ की फसल को क्षति भी हुई। कृषि उप-निदेशक, पालमपुर द्वारा क्षति का कारण इन क्षेत्रों में सूखा पड़ना बताया (जनवरी 1995)।

इसके अतिरिक्त कृषि उप निदेशक, पालमपुर ने प्रदर्शनों के विफल होने के कारण (क) निधियों के विलंब से प्राप्त होने के कारण प्रदर्शनों का आयोजन करने से पूर्व भूमि तथा जल आद्रता संरक्षण कार्यों का निष्पादन न करनाः (ख) कृषकों द्वारा पद्धतियों के समग्र पैकेज को न अपनानाः तथा (ग) कृषकों को अधिक उपजाऊ हाइबिड मक्की की आपूर्ति करना, जिसके लिए अधिक जल अपेक्षित था, बताए (जून 1995)।

(vi) कृषि उप-निदेशक, बिलासपुर ने परियोजना क्षेत्रो के कृषकों की 69 हैक्टेयर भूमि पर प्रदर्शन आयोजित किए जहां पर सिंचाई हेतु प्राकृतिक जल पहले से ही उपलब्ध था और जहां पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी वहां पर कोई प्रदर्शन आयोजित नहीं किए गए। इस प्रकार दोषपूर्ण वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए बनाई गई आद्रर्ता संरक्षण तकनीकों का अनुसरण नहीं किया गया।

(vii) राज्य में परियोजना के प्रारम्भ से प्रदर्शनों के परिणामों का किसी भी स्तर पर विश्लेषण नहीं किया गया था। इस प्रकार विभाग प्रदर्शनों के प्रभाव से अवगत नहीं था।

कृषि उप-निदेशकों, बिलासपुर, चम्बा, कांगडा तथा सोलन ने बताया (फरवरी 1995) कि स्टाफ की कमी के कारण तथा राज्य में परियोजना के अभी भी शैशवावस्था में होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका।

3.2.5.4 शुष्क भूमि बागवानी

परियोजना में अंगूर, सेब, आम, आदि जैसी वाणिज्यिक रुप से आकर्षित फसलों के बगीचों को प्रोत्साहित करने पर विचार किया गया था, जिसे राज्य सरकार की सामान्य गतिविधियों के माध्यम से जारी रखा जाना था। इसके प्रतिकूल कृषि उप-निदेशक, बिलासपुर ने 1993-95 के दौरान 467 कृषकों को 1.82 लाख रुपए की लागत के 23,016 आम के पौधे वितरित किए। कृषि उपनिदेशक, बिलासपुर ने बताया (मार्च 1995) कि इन क्षेत्रों में आम के पौधे उपयुक्त थे तथा कृषकों की मांग पर ये निःशुल्क वितरित किए गए।

3.2.5.5 कृषि-वानिकी के अन्तर्गत पौधरोपण

प्रत्येक वाटरशैड की परियोजना रिपोर्टों के अनुसार कृषि वानिकी के अंतर्गत 20 पौधे प्रति हैक्टेयर की दर से पौधरोपण किया जाना था।

इसके विपरीत 1993-94 के दौरान बिलासपुर चम्बा तथा कुल्लू जिलों में 331 हैक्टेयर भूमि को आवृत करते हुए 8 वाटरशैडों (भुट्टी तथा सिमनी सहित) में पौधरोपण का अंतर प्रति हैक्टेयर 15 पौधों से 565 पौधों के मध्य था। अपेक्षित 6,620 पौधों के प्रति 94,875 पौधों का रोपण किया गया। इस प्रकार 88,255 पौधों का निर्धारित मानकों से अधिक रोपण किया गया, जिसके फलस्वरुप 5.88 लाख रुपए का अधिक व्यय हुआ। विभाग द्वारा इस पौधरोपण की नश्वरता से सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया। मानकों से अधिक पौधरोपण करने के कारण नहीं बताए गए।

3.2.6 किसान/विभागीय संयुक्त पौधशालाओं तथा बरानी चेतना केन्द्रों की स्थापना

(i) मार्गदर्शकों में परियोजना क्षेत्र में पौधरोपण हेतु परियोजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1991-92 के दौरान पौधशालाओं की स्थापना हेतु विचार किया गया था ताकि वनस्पति के संरक्षण तथा उत्पादन दोनों के लिए पर्याप्त पौध-सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकती। नमूना जांच किए गये 5 जिलों में से किसी में भी 1992-93 तक कोई पौधशाला स्थापित नहीं की गई। तथापि, 1993-94 में 18 किसान पौधशालाएं स्थापित की गई थी। इस प्रकार स्थानीय लोगों/कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों आदि की इच्छानुसार प्रजाति-विकास का प्रयोजन प्राप्त नहीं किया गया था।

(ii) परियोजना के बारे फसलोत्पादन, बागवानी वृक्षों, पशुधन विकास, कुक्कट, मत्स्य तथा ग्रामोद्योगों, आदि जैसी सम्पूर्ण जानकारी रखने के लिए बरानी चेतना केन्द्र सहित विभागीय संयुक्त पौधशालाएं जिसे प्रतिक्रिया हेतु एक केन्द्र-बिन्दु के रुप में उभरना था, स्थापित की जानी थी तथा इन्हें कृषि पद्धति के एक सम्पूर्ण संग्रहालय के रुप में विकसित किया जाना था। नमूना जांच किए गए 26 वाटरशैडों में से 7 वाटरशैडों में 3.50 लाख रुपए की अनुमानित लागत के प्रति 6.55 लाख रुपए की लागत पर 1993-95 के दौरान चेतना केन्द्र पूर्ण किए गए। सिमनी वाटरशैड सहित 14 केन्द्रों में निर्माण कार्य चालू था तथा भुट्टी वाटरशैड सहित 5 केन्द्रों में मार्च 1995 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। सोलन में तीन चेतना केन्द्रों (लागतः 3.07 लाख रुपए) का निर्माण संविदाकारों से करवाया गया जो स्कीम के उपबन्धों के प्रतिकूल था। नमूना जांच किए गये 26 वाटरशैडों में से 24 में विभागीय संयुक्त पौधशालाएं स्थापित नहीं की गई।

इस प्रकार चेतना केन्द्रों को पूर्ण न किए जाने तथा विभागीय संयुक्त पौधशालाओं की स्थापना न करने के कारण कृषकों को पारस्परिक तालमेल तथा पौधरोपण सामग्री के लाभों से वंचित रखा गया था।

कृषि उप-निदेशकों द्वारा केन्द्रों तथा विभागीय संयुक्त पौधशालाओं को स्थापित न किए जाने का कारण भूमि की अनुपलब्धता तथा स्थानीय लोगों की परियोजना में भाग लेने की अनिच्छा बताया गया (दिसम्बर 1994 से मार्च 1995)।

3.2.7 पशुधन प्रबन्ध

परियोजना ने पशुधन जनसंख्या नियंत्रण तथा चारा-उत्पादन से सम्बन्धित गतिविधियों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना था।

(क) 1993-94 के दौरान कृषि उप-निदेशक, बिलासपुर, पालमपुर तथा सोलन द्वारा चार बधियाकार (मूल्य :0.50 लाख रुपए) तथा 10 क्राइकन्ज (मूल्य :1.16 लाख रुपए) खरीदे गए तथा परियोजना क्षेत्रों में स्थित पशु चिकित्सालयों को जारी किए गए जिसके लिए स्कीम में कोई व्यवस्था नहीं थी।

(ख) लागत मानकों के अनुसार प्रति हैक्टेयर 168 रुपए चारा-उत्पादन के विकास पर व्यय किए जाने थे। नमूना जांच किए गए 5 जिलों में चारा-उत्पादन के लिए 171 हैक्टेयर भूमि का विकास किया गया जिस पर 1992-94 के दौरान 1.92 लाख रुपए का व्यय किया गया। इसके फलस्वरुप 1.63 लाख रुपए का निर्धारित मानक से अधिक व्यय हुआ था। विभाग द्वारा अधिक व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए।

3.2.8 प्रशिक्षण

वैज्ञानिकों तथा कृषकों के बीच एक कड़ी के रुप में कार्य करने हेतु मित्रा किसानों को प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया जाना था। खरीफ तथा रबी की फसले बोने से पूर्व एक वर्ष में दो बार कृषकों तथा कार्यकर्ताआं के लिए तीन दिन के प्रशिक्षण की व्यवथा की जानी थी।

1992-93 के दौरान बिलासपुर, चम्बा तथा सोलन जिलों में 336 मित्रा कृषकों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं किए गए। तथापि, 1992-94 के दौरान 54 एक दिन वाले तथा 23 तीन दिन वाले शिविरों के लक्ष्य के प्रति 60 एक दिन के तथा 21 तीन दिन के शिविरों का आयोजन किया गया तथा कुल 844 मित्रा कृषकों में से 453 मित्रा कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया। विभाग द्वारा कमी के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.2.9 गैर-सरकारी संगठनों का योगदान

स्वैच्छिक अभिकरणों, जहां उपलब्ध हों, को परियोजना में विशेषतया कृषि पद्धतियों के बारे जागरुकता उत्पन्न करने, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं तथा लाभभोगियों के प्रशिक्षण, परियोजना क्रियाकलापों के मूल्यांकन तथा अनुश्रवण तथा लोगों के विचार से उनका प्रभाव जानने तथा निकृष्ट भूमियों को हरा-भरा करने आदि के लिए सक्रिय रुप से योगदान देना था।

विभाग द्वारा मई 1995 तक गैर-सरकारी संगठनों की पहचान नहीं की गई थी। कृषि उपनिदेशकों ने बताया (दिसम्बर 1994 से मार्च 1995) कि मित्रा किसान मण्डलों, महिला

मण्डलों तथा कृषक मंडलों, आदि को परियोजना कार्यान्वयन में सम्मिलित किया गया था, परन्तु इन अभिकरणों के सम्मिलित होने से सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

3.2.10 **अनुश्रवण**

राज्य तथा जिला स्तर पर परियोजना का अनुश्रवण क्रमशः कृषि उत्पादन आयुक्त तथा उपायुक्तों की अध्यक्षता में किया जाना था।

(i) जिला नोडल अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के माध्यम से भारत सरकार को तिमाही के बाद के मास की दिनांक 15 तक त्रैमासिक प्रगति रिपोंट प्रेषित करना अपेक्षित था। यह पाया गया कि चम्बा, कुल्लू, कांगड़ा तथा सोलन जिलों की अक्तूबर 1992 से मार्च 1994 की अवधि की 7 त्रैमासिक रिपोर्टें अगस्त-सितम्बर 1994 के दौरान प्रेषित की गई, जिसके परिणामस्वरुप 15 से 677 दिन का विलंब हुआ। कृषि उप-निदेशकों द्वारा विलंब का कारण दल के नेताओं को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे प्रशिक्षण का न दिया जाना बताया गया (दिसम्बर 1994 से मार्च 1995)।

(ii) परियोजना स्टाफ तथा सम्बद्ध विभागों के मध्य क्रियाकलापों में समन्वय लाने हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में जनवरी 1991 के दौरान जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया। भाग लेने वाले विभागों के मध्य समन्वय का अभाव दृष्टिगत हुआ, क्योंकि विभिन्न संघटकों के अन्तर्गत आवंटित निधियों का वर्षानुवर्ष पूर्ण रुप से उपयोग नहीं किया गया तथा बहुत बचतें रहीं। निर्माणकार्यों के निष्पादनार्थ एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को दी गई निधियों का दीर्घकाल तक समायोजन नहीं किया गया।

नवम्बर 1993 के दौरान भारत सरकार के एक समीक्षा दल द्वारा नोडल तथा भाग लेने वाले विभागों के मध्य समन्वय के अभाव को भी इंगित किया गया।

3.2.11 **मूल्यांकन**

परियोजना में व्यावसायिक निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु विचार किया गया था। कार्यक्रम का प्रभाव ज्ञात नहीं हो सका, क्योंकि विभाग द्वारा "एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए." क्षेत्रों के विभिन्न कार्यक्षेत्रों की उत्पादन प्रवृत्तियों का सविस्तृत अध्ययन नहीं किया गया था।

राज्य सरकार या किसी अन्य निकाय द्वारा परियोजना का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था (मई 1995)। निदेशक ने बताया (दिसम्बर 1994)कि परियोजना के मूल्यांकन का कार्य भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र को 8 सितम्बर 1994 में सौंपा गया था, परन्तु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (अप्रैल 1995)।

सरकार को ये तथ्य जुलाई 1995 में संदर्भित किए गए; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

3.3 उपदान की अधिक अदायगी

अतिरिक्त उपायुक्त, काजा ने 65 रुपए प्रति कि0ग्रा0 की दर से 18.98 लाख रुपए मूल्य के 292 क्विंटल मटर का बीज (आजाद पी-I) खरीदा (दिसम्बर 1993), जो एक संस्तुत किस्म नहीं थी। राज्य सरकार ने लाहौल तथा स्पिति के कृषकों की पुष्ट मांग के प्रति इस किस्म की खरीद का अनुमोदन किया (जनवरी 1994), परन्तु यह स्पष्ट किया कि इस किस्म पर उपलब्ध अधिकतम आर्थिक सहायता संस्तुत किस्म की लागत का 50 प्रतिशत थी जो केवल 15 रुपए प्रति किलोग्राम बनती थी। कृषि निदेशक ने अतिरिक्त उपायुक्त काजा को इस निर्णय की जानकारी केवल मार्च 1994 में दी।

इतने में सहायक परियोजना अधिकारी (कृषि), काजा ने जनवरी तथा अगस्त 1994 के मध्य कृषकों को 141 क्विटंल बीज बेचे तथा 15 रुपए प्रति कि0ग्रा0 की अनुमत आर्थिक सहायता की बजाय 32.66 रुपए प्रति कि0 ग्रा0 की दर से (परिवहन प्रभारों सहित लागत मूल्य का 50 प्रतिशत) आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसके परिणामस्वरुप 2.49 लाख रुपए की अधिक अदायगी हुई। बीज की बकाया मात्रा में से 25 क्विंटल का लघु-किट्टों में कृषकों को निःशुल्क वितरण किया गया तथा 126 क्विंटल बीज (मूल्यःपरिवहन लागत सहित 8.23 लाख रुपए) सितम्बर 1994 तक बिना बिके पड़ा था।

सहायक परियोजना अधिकारी (कृषि), काजा ने बताया (सितम्बर 1994) कि अधिक मूल्य के कारण ही 126 क्विंटल बीज बिना बिके हुए पड़ा रहा। कृषि निदेशक ने सूचित किया (नवम्बर 1994) कि बोने के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु बचे हुए बीजों का अंकुरण हेतु परीक्षण किया जाएगा।

आर्थिक सहायता की राशि पर प्रतिबन्ध लगाने वाले सरकार के निर्णय को विलंब से सूचित करने पर 249 लाख रुपए की अधिक अदायगी हुई।

सरकार को अप्रैल 1995 में मामला संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

वन कृषि तथा संरक्षण विभाग

3.4 यात्रा भत्ते की अधिक अदायगी

13 दिसम्बर 1988 तक विभाग के क्षेत्रीय कानूनगोओं को 50 रुपए प्रति मास की दर पर नियत यात्रा भत्ता अनुमत था। दिसम्बर 1989 तथा सितम्बर 1991 में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 14 दिसम्बर 1988 से नियत यात्रा भत्ता की दर को बाद में बढ़ा कर 75 रुपए प्रति मास कर दिया गया।

समाहर्ताओं (वन बन्दोवस्त) के चार कार्यालयों* की नमूना जांच से उदघाटित हुआ (मई 1992-फरवरी 1995) कि इन अनुदेशों के प्रतिकूल नियत यात्रा भत्ता की मासिक दर की राशि पर प्रतिबन्ध लगाए बिना क्षेत्रीय कानूनगोओं को 1988-89 से 1993-94 के दौरान खुले यात्रा भत्ता की अदायगी की गई। इसके परिणामस्वरुप 2.18 लाख रु० की अधिक अदायगी हुई।

जबकि समाहर्ता (वन बन्दोवस्त) पालमपुर ने बताया (जनवरी 1995) कि अबाधित यात्रा भत्ता परम्परा अनुसार अनुमत किया गया था। समाहर्ता (वन बन्दोवस्त), कुल्लू ने बताया (जून 1993) कि प्रतिबद्ध किस्म के यात्रा भत्ते पर माप सम्बन्धी कार्य जारी रखना कठिन था। वन समाहर्ता, हमीरपुर तथा नाहन द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

सरकार को मामला अप्रैल 1995 में संदर्भित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

ग्रामीण विकास विभाग

3.5 राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम

परिचय

ईंधन के संरक्षण, रसोईघर स्टोव से निकलने वाले धुएं को कम करने, वन के नाश को रोकने, पर्यावरण सुधार तथा महिलाओं व बच्चों के खाना पकाने तथा ईंधन एकत्र करने जैसे नीरस कार्यों को कम करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु "राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम" को अप्रैल 1985 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रुप में आरम्भ किया गया। राज्य में यह कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रुप में भारत सरकार द्वारा पूर्ण धन उपलब्ध करवाये जाने पर कार्यान्वित किया गया जिसके अन्तर्गत दो प्रकार के अर्थात् स्थिर तथा बाह्य चूल्हे ग्रामीण परिवारों में प्रतिष्ठापित किए/बेचे जाने थे।

---

* हमीरपुर, कुल्लू, सिरमौर तथा पालमपुर

राज्य में यह कार्यक्रम तीन एजेंसियो अर्थात् ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एनर्जी डिवेल्पमेंट एजेंसी (हिमऊर्जा) तथा हिमाचल प्रदेश एग्रो-इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन (एग्रोइण्डस्ट्रीज) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा था। निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग की सहायता के लिए जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के परियोजना अधिकारी तथा खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी थे। निदेशक, हिम-ऊर्जा तथा प्रबन्ध निदेशक, एग्रो इण्डस्ट्रीज ने क्षेत्र में अपनी सम्बन्धित इकाइयों के माध्यम से यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया।

इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन एजेंसियों को परामर्श तथा सहयोग देने के उद्देश्य से नवम्बर 1988 में डाक्टर यशवन्त सिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन) में स्थापित एक प्रौद्योगिक प्रोत्साहन आधार/सहयोग इकाई को भी सम्बद्ध किया गया। कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु स्वनियोजित कर्मचारियों की नियुक्ति उचित प्रशिक्षण के पश्चात् क्षेत्र में की जानी थी। 12 में से 5 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों*, 27 (69 में से) खण्ड विकास अधिकारियों**, हिमाऊर्जा के 6 (14 में से) परियोजना अधिकारियों*** तथा पांच जिलों**** में एग्रो-इण्डस्ट्रीज की 5 इकाइयों (14 में से) द्वारा वर्ष 1990-95 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा द्वारा दिसम्बर 1994 - अप्रैल 1995 में की गई समीक्षा से प्रकट महत्वपूर्ण तथ्य अनुवर्ती परिच्छेदों में उल्लिखित हैं।

(क) वित्तीय परिव्यय

कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों हेतु अनुमानित परिव्यय का पचास प्रतिशत प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक अनुमोदन जारी होने के तत्काल पश्चात् तथा शेष 50 प्रतिशत उस वर्ष की तीसरी तिमाही में राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों को दिया जाना था। कार्यक्रम के अन्तर्गत उसके ऊपर

---

* बिलासपुर, हमीरपुर, मण्डी, सोलन तथा ऊना

** अम्ब, बंगाना, भोरंज, बिजरी, बिलासपुर, चौंतरा, धर्मपुर (जिला मण्डी), धर्मपुर (जिला सोलन), गगरेट, घुमारवीं, गोहर, गोपालपुर, हमीरपुर, झण्डुता, जोगिन्द्र नगर, कण्डाघाट, करसोग, कुनिहार, मण्डी, नदौन, नालागढ़, रिवालसर, सेराज, सोलन, सुन्दरनगर, सुजानपुर तथा ऊना

*** बिलासपुर, बड़सर, हमीरपुर, मण्डी, सोलन तथा ऊना

1990-95 के दौरान बजट प्रावधान तथा किया गया व्यय निम्नवत् था:

वर्ष	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	भारत सरकार द्वारा निस्तारित बजट प्रावधान/निधियां	कार्यान्वयन अभिकरणों को निस्तारित की गई निधियां	किया गया व्यय	आधिक्य(+)/ बचत (-)
		(लाख रुपए)			
1990-91		16.50			
	ग्रामीण विकास विभाग		16.50	51.62	(+)35.12
	हिम ऊर्जा		-	-	-
	एग्रो-इण्डस्ट्रीज		-	-	-
1991-92		63.77			
	ग्रामीण विकास विभाग		43.03	22.01	(-)21.02
	हिमऊर्जा		10.03	8.63	(-) 1.40
	एग्रो-इण्डस्ट्रीज		10.71	10.21	(-) 0.50
1992-93		24.20			
	ग्रामीण विकास विभाग		11.32	15.19	(+) 3.87
	हिम ऊर्जा		11.04	9.05	(-) 1.99
	एग्रो-इण्डस्ट्रीज		1.84	0.90	(-) 0.94
1993-94		22.94			
	ग्रामीण विकास विभाग		11.55	11.43	(-) 0.12
	हिम ऊर्जा		9.55	9.96	(+) 0.41
	एग्रो-इण्डस्ट्रीज		1.84	0.13	(-) 1.71
1994-95		25.38			
	ग्रामीण विकास विभाग		14.32	14.32	-
	हिम ऊर्जा		11.06	13.09	(+) 2.03
	एग्रो-इण्डस्ट्रीज		-	-	-
	सकल जोड़	152.79	152.79	166.54	13.75

निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:

(i) मार्च 1994 को 3.15 लाख रुपए अप्रयुक्त पड़े रहने के कारण ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान निधियों की मांग नहीं की गई। ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज के उत्पादन प्रबन्धक ने बताया (अप्रैल 1995) कि लाभग्राही इन चूल्हों को खरीदने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि बड़ा परिवार होने के कारण ये उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते थे।

(ii) भारत सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग को 1990-95 के दौरान 96.72 लाख रु0 निस्तारित किए जिसके प्रति 114.56 लाख रु0 का व्यय किया गया। वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1993-94 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त 71.08 लाख रुपए में से 20.42 लाख रुपए अनुवर्ती वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास विभाग को निस्तरित किए गए। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ने बताया (मार्च 1995) कि कार्यक्रम के अधीन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभाग के अन्य राज्य शीर्षों से निधियां अपवर्तित करनी पड़ी।

(iii) पांच जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में 1990-91 तथा 1994-95 के मध्य बचत बैंक खातों में जमाधन पर अर्जित 1.90 लाख रुपए का ब्याज सरकारी खातों में जमा नहीं करवाया गया। परियोजना अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1944-अप्रैल 1995) कि इस सम्बन्ध में उन्हें कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हुए थे।

(ख) कार्यक्रम का कार्यान्वयन

(क) वास्तविक निष्पादन

राज्य में चूल्हों के प्रतिष्ठापन हेतु लक्ष्य तथा उनके प्रति उपलब्धियां निम्नवत् थी:-

वर्ष	एजेंसी	लक्ष्य	उपलब्धियां	गिरावट की प्रतिशतता
		(चूल्हों की संख्या)		
1990-91	ग्रामिण विकास विभाग	50,000	51,852	--
	हिम ऊर्जा	---	--	--
	ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज	---	--	--
1991-92	ग्रामीण विकास विभाग	20,000	24,731	--
	हिम ऊर्जा	9,800	10,564	--
	ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज	10,000	9,858	1
1992-93	ग्रामीण विकास विभाग	20,200	20,852	--
	हिम ऊर्जा	15,000	14,038	6
	ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज	5,000	1,026	79
1993-94	ग्रामीण विकास विभाग	20,000	24,579	--
	हिम ऊर्जा	15,000	14,931	--
	ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज	5,000	189	96
1994-95	ग्रामीण विकास विभाग	20,000	24,672	--
	हिम ऊर्जा	15,000	17,560	--
	ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज	5,000	---	100
	सकल जोड़	2,10,000	2,14,852	

(i) यद्यपि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्धि निर्धारित लक्ष्यों से अधिक थी, किन्तु वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज की उपलब्धियां 79 से 100 प्रतिशत के मध्य थीं।

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों/परिवारों में लक्ष्यों का क्रमशः 20 तथा 10 प्रतिशत आवृत किए जाने के मानकों के प्रति 9 से 14 प्रतिशत के मध्य अनुसूचित जातियों को आवृत किया गया जबकि अनुसूचित जनजातियों को नगण्य रुप से ही आवृत किया गया। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1994 तथा मार्च 1995) कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभग्राही चूल्हे प्रतिष्ठापित करवाने में रुचि नहीं रखते थे।

(ख) चूल्हों की निष्क्रियता

स्कीम के अन्तर्गत आने वाले वर्ष में पुराने चुल्हों की मरम्मत तथा अनुरक्षण हेतु प्रशिक्षित स्वनियोजित कर्मियों का उपलब्ध होना अपेक्षित था और सुवाह्य तथा स्थिर चुल्हों के लिए क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए के बीच भुगतान किया जाना था।

चयनित जिलों में खण्ड विकास अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि पुराने चुल्हों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर कोई व्यय नहीं किया गया। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए न तो बजट प्रावधान था न ही उच्च प्राधिकारियों से इसकी मांग की गई थी।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पांच जिलों में 1990-95 के दौरान प्रतिष्ठापित 28,676 उन्नत चूल्हों (स्थिर) में से 11,030 चूल्हों (38 प्रतिशत), जिन पर कुल 6.93 लाख रुपए का उपदान दिया गया था, निष्क्रिय हो गए और लाभग्राहियों द्वारा वे तोड़ दिए गए। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1994-अप्रैल 1995) कि ये चुल्हे अधिक प्रयोग से पाइपें टूट जाने के कारण निष्क्रिय हो गए थे जो निधियों के अभाव के कारण बदले नहीं जा सके थे।

(ग) सर्वेक्षण

गम्भीर वन नाश तथा ईंधन की कमी वाले क्षेत्रों, उन पहाड़ी क्षेत्रों को जहां लकड़ी खाना बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, लकड़ी/अन्य बायोमास को ईंधन रुप में प्रयोग करने वाले अर्द्धग्रामीण तथा गन्दी बस्ती के क्षेत्रों में, हस्पतालों, छात्रावासों, सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों, धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं, ढाबों, होटलों, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठापनों के सामुदायिक रसोईघरों को कार्यान्वयन में उचित प्राथमिकता दी जानी थी।

नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि तीन कार्यान्वयन एजेंसियों में से किसी ने भी इन क्षेत्रों की पहचान नहीं की थी और इसलिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की व्याप्ति सत्यापित नहीं की जा सकी थी। निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (मार्च 1995) कि विभिन्न संस्थानों में उन्नत चूल्हों के प्रतिष्ठापन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सके थे क्योंकि प्रौद्योगिक प्रोत्साहन

आधार इकाई द्वारा चुल्हे का कोई मॉडल संस्तुत नहीं किया गया था।

(घ) उपदान का अत्यधिक भुगतान

लाभग्राहियों को चूल्हे उपदान दरों पर दिए जाने थे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी राज्य के रुप में वर्गीकरण किया गया, इसलिए सुवाह्य किस्म के चुल्हों के लिए 1992-93 तक मॉडल के अनुमोदित मूल्य के 75 प्रतिशत तथा 1993-94 से 50 प्रतिशत की दर पर अधिकतम 75 रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी थी।

5 जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 1991-95 के दौरान 64,055 मामलों में से 7,322 मामलों में कुल लागत पर 3.40 लाख रुपए के उपदान का भुगतान किया गया और इसे निर्धारित सीमा(ओं) तक सीमित नहीं किया गया था। परियोजना अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों ने उपदान के अत्यधिक भुगतान को स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर 1994 से अप्रैल 1995) कि मामले की छानबीन की जाएगी तथा वसूली कर ली जाएगी।

(ङ.) लाभग्राहियों से अंशदान की वसूली न करना

(i) भारत सरकार के गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार (दिसम्बर 1994 से अप्रैल 1995 तक) प्रत्येक लाभग्राही से स्थिर चूल्हों के प्रतिष्ठापनार्थ सामग्री-लागत के लिए 5 रुपए प्रति चूल्हे की दर से अदायगी करना अपेक्षित था।

नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 6 खण्डों* में 6664 लाभग्राहियों में से 5704 लाभग्राहियों से 1990-95 के दौरान सामग्री की लागत के लिए कुल 0.29 लाख रुपए का अंशदान वसूल नहीं किया गया था। खण्ड विकास अधिकारियों ने इसे लाभग्राहियों द्वारा अंशदान के भुगतान का विरोध करने से सम्बद्ध किया (दिसम्बर 1994 तथा मार्च 1995)।

(ii) प्रतिष्ठापन के पश्चात् प्रत्येक निर्मित/ प्रतिष्ठापित चूल्हे के सम्बन्ध में प्रतिष्ठापित चूल्हे के मॉडल, प्रतिष्ठापन की तिथि इत्यादि के विवरणों सहित लाभग्राहियों तथा प्रशिक्षित कर्मी के सयुंक्त हस्ताक्षरों के अन्तर्गत संयुक्त घोषणा एवं सत्यापन प्रमाणपत्र के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी से एक संतोषजनक समापन/प्रतिष्ठापन प्रमाण पत्र तथा निष्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित था।

पांच जिलों में नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 1990-95 के दौरान खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठापित 28,676 स्थिर चुल्हों में से केवल 1,955 मामलों में प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए। खण्ड विकास अधिकारियों ने इसका कारण इस सन्दर्भ में अनुदेशों का प्राप्त न होना बताया (दिसम्बर 1994-अप्रैल 1995)। खण्ड विकास अधिकारियों का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यक्रम के निष्पादनार्थ दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित था और तदनुसार 1,955 मामलों में प्राप्त भी किए गए थे।

---

* अम्ब, बंगाणा, घुमारवीं, सेराज, सुन्दरनगर तथा ऊना

(च) प्रशिक्षण

(i) कार्यक्रम के बडे पैमाने पर सफल कार्यान्वयन हेतु अधिकांशतः ऐसी महिलाओं का प्रशिक्षित-कर्मी बल तैयार करना अनिवार्य था जो बाद में प्रशिक्षकों के रुप में भी कार्य कर सके।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने कार्यान्वयन एजेंसियों के अनुपालनार्थ 1से 10 दिनों के कार्यक्रमों की प्रशिक्षण अनुसूची निर्धारित की। यह देखा गया कि 320 स्वनियोजित कर्मियों में से केवल 173 ही वास्तव में प्रशिक्षित थे। 1990-95 के दौरान प्रौद्योगिक प्रोत्साहन आधार इकाई द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लक्ष्यों की उपलब्धि में गिरावट 10 तथा 100 प्रतिशत के मध्य थी। प्रौद्योगिक प्रोत्साहन आधार इकाई द्वारा उपलब्धि में गिरावट का कारण स्टाफ की कमी बताया गया (मार्च 1995)।

(ii) व्यावहारिक प्रशिक्षण को सरल बनाने हेतु कार्यक्रम में प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक स्वनियोजित कर्मी द्वारा वास्तविक कुटुम्बों में तीन प्रदर्शन चूल्हों के निर्माण की परिकल्पना थी। प्रौद्योगिक प्रोत्साहन आधार इकाई ने 2.18 लाख रुपए का व्यय करने के पश्चात् 1990-95 के दौरान राज्य में विभिन्न स्थानों पर 4 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए थे जिनमें 173 स्वनियोजित कर्मियों ने भाग लिया। स्वनियोजित कर्मियों द्वारा निर्माण हेतु अपेक्षित 519 चूल्हों के स्थान पर वास्तव में कोई भी चूल्हा निर्मित नहीं किया गया। प्रौद्योगिक प्रोत्साहन आधार इकाई ने बताया (मार्च 1995) कि ये इस लिए निर्मित नहीं किए जा सके क्योंकि निधियों की उपलब्धता के बावजूद खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा गारा, रेत, गोबर, भूसा इत्यादि नहीं खरीदा गया।

(छ) स्वनियोजित कर्मी

(क) प्रत्येक खण्ड में उपयुक्त प्रशिक्षण के पश्चात् स्वनियोजित कर्मी के रुप में महिलाओं को अधिमान देकर क्षेत्र में नियुक्त किया जाना था। प्रत्येक स्वनियोजित कर्मी को 1990-91 के दौरान 200 चूल्हों, 1991-92 व 1992-93 में प्रत्येक वर्ष के दौरान 300 चूल्हों तथा 1993-94 व 1994-95 के दौरान प्रत्येक वर्ष में 500 चुल्हों का लक्ष्य प्राप्त करना था।

किन्तु प्रत्येक स्वनियोजित कर्मी ने निर्धारित मानकों की तुलना में औसतन 58 से 83 चूल्हे प्रतिष्ठापित किए। खण्ड विकास अधिकारियों ने इसकी गिरावट का कारण स्वनियोजित कर्मियों द्वारा रुचि न लेना बताया (दिसम्बर 1994 से अप्रैल 1995)।

(ख) प्रत्येक स्थिर चूल्हे के प्रतिष्ठापन हेतु प्रशिक्षित कर्मी को 1992-93 तक 20 रुपए तत्पश्चात् 25 रुपए की पर्यवेक्षण फीस दो किश्तों में दी जानी थी। पहली किश्त चूल्हा लगाने के बाद तथा दूसरी किश्त सन्तोषजनक कार्य के कम से कम दो महीने बाद दी जानी थी। यह देखा गया कि सभी मामलों में प्रतिष्ठापन के पश्चात् फीस एकमुश्त दी गई थी। 103 में से 82 मामलों में खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा चुल्हों के प्रतिष्ठापन के बाद कुल 0.65 लाख रुपए का भुगतान 4 से 33

माह के विलम्ब के पश्चात् किया गया। 103 में से 21 मामलों में 0.19 लाख रुपए का भुगतान अभी भी किया जाना था यद्यपि 24 से 36 महीनों का समय पहले ही बीत चुका था। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1994 से अप्रैल 1995) कि स्वनियोजित कर्मियों द्वारा बिलों को देर से प्रस्तुत करने/प्रस्तुत न करने के कारण भुगतान समय पर नहीं किया जा सका।

(ज) मूल संगठनात्मक आधार

मूल संगठनात्मक आधार, जिसमें कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन हेतु राज्य तथा अन्य कार्यान्वय एजेंसियों में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यवेक्षक/समन्वयक इत्यादि के पदों का सृजन नियत था, इनमें से किसी भी एजेन्सी में सृजित नहीं किया गया था। कार्य विद्यमान स्टाफ से संचालित किया जा रहा था। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ने स्वीकार किया (मार्च 1995) कि इसके कारण कार्यक्रम के सुचारु एवं संतोषजनक क्रियान्वयन में असुविधा हुई।

(झ) अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

(क) कार्यान्वयन एजेंसियों से कार्यक्रम का अनुश्रवण मूलस्तर पर किया जाना अपेक्षित था। मण्डल/ग्राम स्तर पर शत-प्रतिशत, जिला स्तर पर 10 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर कम से कम 2 प्रतिशत चूल्हों का सर्वेक्षण किया जाना था और राज्य स्तर पर अनुवर्ती कार्यवाही की जानी थी। गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय को परिशोधन प्रतिवेदन भेजे जाने थे।

कार्यक्रम के अनुश्रवणार्थ वर्ष 1990-95 के दौरान राज्य में स्थित तीनों कार्यान्वयन एजेंसियों के किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भ्रमण नहीं किया गया।

ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ने सूचित किया (अप्रैल 1995) कि विभाग के अन्य कार्यकलापों में व्यस्तता के कारण वे संर्वेक्षण/भ्रमण नहीं कर सके थे।

(ख) नेशनल कॉंसिल ऑफ ऐप्लालाईड इक्नॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली ने वर्ष 1988-89 से 1991-92 तक उन्नत चूल्हों पर किए एक मूल्याकंन सर्वेक्षण में दर्शाया कि हिमाचल प्रदेश में जांच हेतु चुने गए 498 चूल्हों में से केवल 383 चूल्हे (77 प्रतिशत) ही कार्य कर रहे थे, 14 चूल्हे (3 प्रतिशत) कार्य कर रहे थे परन्तु प्रयोग में नहीं थे, 11 चूल्हे (2 प्रतिशत) कार्य नहीं कर रहे थे और 83 चूल्हे (17 प्रतिशत) तोड़ दिए गए थे। 7 चूल्हे (1 प्रतिशत) अप्रतिष्ठापित पाये गये थे।

ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ने बताया (मार्च 1995) कि सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ग) वर्ष 1990-93 के दौरान प्रौद्योगिक प्रोत्साहन आधार इकाई द्वारा किए गए सर्वेक्षण में प्रकट किया गया कि सात जिलों* में इस अवधि के दौरान प्रतिष्ठापित 837 उन्नत चूल्हों में से 665 का सर्वेक्षण किया गया। इनमें से 457 कार्यकर रहे थे, 262 चूल्हों से ईंधन की बचत बताई गई थी, 173 टूट गए थे, 4 काम नहीं कर रहे थे, 14 प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे तथा 17 चूल्हे रसोई घरों के बाहर लगाए गए थे।

कार्यक्रम के प्रभाव को सुनिश्चित करने हेतु कोई और सर्वेक्षण नहीं किया गया था (मार्च 1995)।

सरकार को ये तथ्य जून 1995 में संदर्भित किए गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 1995)।

3.6 ब्याज कोषागार में जमा न करवाना

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि निधियां आवश्यकता होने पर ही आहृत की जानी चाहिए और उतनी ही आहृत की जानी चाहिए जितनी आवश्यकता हो और सरकारी लेखे से बाहर नहीं रखी जानी चाहिए। इनमें यह भी प्रावधान है कि सरकारी प्राप्तियां कोषागार में जमा करवानी चाहिए और इनका व्यय के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

उपायुक्त विभिन्न स्कीमों के निष्पादनार्थ खण्ड विकास अधिकारियों के नियंत्रण में निधियां रखते हैं। लेखापरीक्षा में यह पाया गया (जून 1994 से फरवरी 1995) कि 10 खण्डों** में कार्यों का निष्पादन/समापन लंबित रहने पर भी इस प्रकार से प्राप्त निधियां खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा स्थानीय बैंकों में जमा करवाई गई। बैंक की जमा राशियों पर 1985-94 के मध्य 14.68 लाख रुपए का ब्याज अर्जित किया गया। इसमें से 2.29 लाख रुपए (लेखापरीक्षा के कहने पर 0.59 लाख रुपए सहित) कोषागार में जमा करवाए गए। 1986-94 के दौरान दो खण्डों (निचार:0.80 लाख रुपए तथा ठियोग:0.69 लाख रुपए) में 1.49 लाख रुपए विभागीय व्यय हेतु अनधिकृत रुप से प्रयुक्त किए गए। 10.90 लाख रुपए की शेष राशि अप्रैल 1995 तक कोष में जमा नहीं करवाई गई थी।

इस प्रकार वित्तीय नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरुप 10.90 लाख रुपए की राशि सरकारी लेखाओं में जमा नहीं हुई और 1.49 लाख रुपए का विभागीय व्यय के रुप में अनधिकृत उपयोग हुआ।

सरकार को मामला जून 1995 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

---

* बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, मण्डी, कांगड़ा, सोलन तथा सिरमौर

** आनी, भरवाना, देहरा, गोपालपुर, काल्पा, लम्बा गांव, निचार, निरमण्ड, सुन्दर नगर तथा ठियोग

3.7 जलापूर्ति तथा सिंचाई स्कीमों का हस्तांतरण न करना

राज्य सरकार ने ग्रमीण विकास विभाग द्वारा निर्मित सभी जलापूर्ति तथा लघु सिंचाई स्कीमों को 30 जून 1987 तक सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को अंतरित करने का निर्णय लिया (अप्रैल 1987)। इन स्कीमों के लिए 1987-88 के दौरान उपलब्ध निधियों को सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया और उसके पश्चात् इन स्कीमों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु ग्रामीण विकास विभाग को कोई निधि प्रदान नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (1994-95) कि 21 खण्डों* में वर्ष 1958 से 1993 के दौरान 100.45 लाख रुपए के व्यय से 916 स्कीमें पूर्ण की गई लेकिन सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को मार्च 1995 तक केवल 35 स्कीमें (लागत: 3.49 लाख रुपए) ही सौंपी गई थी। शेष 881 स्कीमों में से 54.26 लाख रुपए की लागत से निर्मित 476 स्कीमें 1968 तथा 1993 के मध्य अनुरक्षण के अभाव में निष्क्रिय हो गई और 405 स्कीमों (लागत: 42.70 लाख रुपए) का ठीक तरह से रख-रखाव नहीं किया जा रहा था क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग को इस उद्देश्य के लिए कोई निधियां प्रदान नहीं की गई थीं। इस प्रकार इन स्कीमों के हस्तांतरण सम्बन्धी अनुदेशों की अनुपालना करने में ग्रामीण विकास विभाग की विफलता के परिणामस्वरुप लाभग्राही 476 निष्क्रिय स्कीमों तथा 405 अननुरक्षित स्कीमों के अभीष्ट लाभ से वंचित रहे।

खण्ड विकास अधिकारियों ने शेष स्कीमों के हस्तांतरण सम्बन्धी मामले को सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के साथ पत्राचाराधीन बताया।

सरकार को मामला मई 1995 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

शिक्षा विभाग

3.8 जनशक्ति का कुप्रबंध

प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, धर्मशाला के कार्यालय की जीप दिसम्बर 1988 में सड़क पर चलने के अयोग्य हो गई और नकारा घोषित करके मार्च 1992 में नीलाम कर दी गई। नीलाम किए वाहन के स्थान पर कोई वाहन प्रदान नहीं किया गया। उसी दौरान वाहन चालक का जून 1989 में स्थानान्तरण कर दिया गया किन्तु उसी माह एवजी तैनात कर दिया गया। चालक अगस्त 1994 तक बेकार रहा। वाहन की अनुपस्थिति में प्रधानाचार्य ने अगस्त 1994 में आदेश दिए

---

* बिलासपुर सदर, झण्डूता, घुमारवीं, नदौन, सुजानपुर, रैत, लम्बागांव, देहरा, परागपुर, नगरोटा बगवां, भवारना, नूरपुर, रिकांग पिओ, पूह, निचार, आनी, निरमण्ड, ठियोग, रिवालसर, सुन्दरनगर और गोपालपुर

कि चालक की सेवाएं महाविद्यालय पुस्ताकालय में उपयांग में लाई जाए यद्यपि वह उस कार्य हेतु प्रशिक्षित नहीं था। लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने (दिसम्बर 1994) पर प्रधानाचार्य ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार दिसम्बर 1988 से नवम्बर 1994 तक चालक के वेतन एवं भत्तों पर किए गए 1.75 लाख रुपए के व्यय से अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

सरकार को मामला मार्च 1995 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

3.9 भवनों की अपूर्णता

"अध्यापक शिक्षा का पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा वर्तमान माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों के स्तर में उन्नति/विकास करके अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय बनाने हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जानी थी।

शिक्षा निदेशक के कार्यालय में स्कीम से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घटित हुआ (जून 1995) कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के 11 भवनों * तथा धर्मशाला स्थित अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के निर्माण कार्य भारत सरकार ने 1988-1995 के दौरान संस्वीकृत किए। इस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा 693.15 लाख रुपए दिए गए। इसमें से 583.50 लाख रुपए राज्य आवास बोर्ड को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के 9 भवनों ** के निर्माण हेतु अग्रिम रुप में दिए गए। 109.65 लाख रुपए की शेष राशि लोक निर्माण विभाग द्वारा धर्मशाला एवं हमीरपुर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के भवनों के निर्माणार्थ रख ली गई।

निम्नांकित तथ्य ध्यान में आए:-

(i) आवास बोर्ड द्वारा वर्ष 1988-89 तथा 1994-95 के मध्य आरम्भ किये गये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के 4 भवनों *** का निर्माण कार्य मार्च 1995 तक 189.90 लाख रुपए खर्च करने के पश्चात् भी निर्माणाधीन था (जून 1995)। आवास बोर्ड द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के 5 भवनों **** का निर्माण जून 1995 तक आरम्भ नहीं किया गया था।

---

* बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन, रिकांग पिओ, शिमला, सोलन तथा ऊना

** बिलासपुर, चम्बा, कुल्लू, मण्डी, नाहन, रिकांग पिओ, शिमला, सोलन तथा ऊना

*** चम्बा, मण्डी, नाहन तथा शिमला

**** बिलासपुर, कुल्लू, रिकांग पिओ, सोलन तथा ऊना

(ii) धर्मशाला स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण लोक निमाण विभाग द्वारा जनवरी 1995 में हाथ में लिया गया किन्तु हमीरपुर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भवन का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा स्थल न सौंपे जाने के कारण जून 1995 तक भी आरम्भ नहीं किया गया था।

शिक्षा निदेशक द्वारा (जून 1995) इन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भवनों के निर्माण/ समापन में विलम्ब का कारण निष्पादन एजेंसियों द्वारा सिविल कार्यों के निविदा ब्यौरे/विस्तृत प्राक्कलन को अंतिम रुप न देना और स्थान का चयन न करना बताया गया।

(iii) 448.60 लाख रुपए की निधियां आवास बोर्ड (393.60 लाख रुपए) तथा लोक निर्माण विभाग (55 लाख रुपए) के पास जून 1995 तक अप्रयुक्त पड़ी थीं जिसके परिणामस्वरुप केन्द्रीय सहायता के रुप में प्राप्त की गई निधियां अवरुद्ध हुई।

(iv) शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, धर्मशाला के स्तर में उन्नति करके अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय कर देने के परिणामस्वरुप अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय भवन के निर्माणार्थ शिक्षा विभाग ने 1992-93 के दौरान 19 लाख रुपए लोक निर्माण विभाग को दिये। लोक निर्माण विभाग ने मार्च 1994 में राशि को सिविल कार्यों के प्रति सामग्री बुक करने के लिये प्रयुक्त राशि के रुप में दर्शाया। इसमें से 14.38 लाख रुपए मूल्य की सामग्री को मई 1994 में कार्य के नक्शों को अंतिम रुप न देने के कारण पुनरांकित कर दिया गया।

शिक्षा (माध्यमिक) निदेशक ने बताया (जून 1995) कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदाओं तथा संविदा अनुबन्धों को अंतिम रुप न दिए जाने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका। परिणामतः जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/ अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले स्कीम में यथापरिकल्पित कार्यक्रम विभाग द्वारा आरम्भ नहीं किए गये थे।

सरकार को मामला जुलाई 1995 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

तकनीकी शिक्षा विभाग

3.10 निधियों का अवरोधन

विश्व बैंक कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत सरकार ने (मई 1988) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मण्डी में इलेक्ट्रानिकी तथा मैकेनिक्स और कम्पयूटर के नवीन व्यवसाय क्रमशः अगस्त 1992 तथा अगस्त 1993 से आरम्भ करने का निर्णय लिया। इन व्यवसायों के लिए जनवरी 1993 में परीक्षकों के पद संस्वीकृत करते समय सरकार ने प्रौद्योगिक शिक्षा निदेशक को निदेश दिया कि वह इन पदों को राज्य में सरकारी/निगमित निकायों के अधिशेष स्टॉफ से भरे।

निदेशक, प्रौद्योगिक शिक्षा ने इन पदों को या तो पदोन्नति अथवा राज्य लोक सेवा आयोग माध्यम से भरने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया (मार्च 1993) क्योंकि निगमित निकायों में वांछित योग्यता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। सरकार का निर्णय जून 1995 तक प्रतीक्षित था।

इसी दौरान 8.58 लाख रुपए की मशीनरी तथा उपस्कर खरीदे गए (1991-93) परन्तु इन व्यवसायों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण व्यवसाय आरम्भ नहीं किए जा सके।

इस प्रकार उपकरणों की खरीद पर 8.58 लाख रुपए का व्यय विभाग द्वारा आयोजना के अभाव के कारण निधियों के अवरोध में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थी नये व्यवसायों की शिक्षा ग्रहण करने के अवसर से निरन्तर वंचित रहे।

सरकार को मामला मार्च 1995 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

राजस्व विभाग

3.11 जिला गजेटियरों के संशोधन में विलम्ब

भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर सभी राज्य सरकारों से अपने राज्यों में जिला-गजेटियर के संशोधन का कार्य आरम्भ करने का अनुरोध किया (नवम्बर 1956) क्योंकि विद्यमान गजेटियर पुराने हो चुके थे। उद्देश्य यह था कि सभी राज्यों में एक समान गजेटियर के नये संस्करण प्रकाशित किये जाये जिनमें उच्च स्तरीय शुद्धता और विषयनिष्ठा व प्रस्तुतीकरण सहित महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य जैसी अद्यतन सूचना निहित हो। समिति ने इस कार्य को पांच वर्षों में पूरा करने की सिफारिश की थी।

हिमाचल प्रदेश में यह कार्य दिसम्बर 1960 में आरम्भ किया गया। 1964 और 1975 के मध्य केवल पांच जिला गजेटियर* मुद्रित किए गए। मार्च 1986 में मुद्रित शिमला जिला का गजेटियर प्राइवेट मुद्रक के साथ मुद्रण-गुणवत्ता पर विवाद होने के कारण विमोचित नहीं किया गया और इस मामले पर आगे कोई प्रगति नहीं की गई थी।

अन्य पांच जिला गजेटियर** के संकलन का कार्य 1976-77 में आरम्भ किया गया और उनके प्रारुप 1986 में तैयार किए गए। इन्हें वरिष्ठ सम्पादक/सम्पादक के स्तर पर सम्पादित किया गया था किन्तु मुख्य-सम्पादक से इनका अनुमोदन नवम्बर 1994 तक प्रतीक्षित था। सोलन जिला का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया था।

----

* बिलासपुर, चम्बा, किन्नौर, लाहौल एवं स्पिति तथा सिरमौर

** हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी एवं ऊना

वर्ष 1975 के पश्चात् कोई भी जिला गजेटियर मुद्रित नहीं किया गया यद्यपि अप्रैल 1976 से मार्च 1995 के दौरान राज्य जिला गज़ेटियरज के कर्मचारी संवर्ग पर कुल 122.60 लाख रुपए का व्यय किया गया। जिस कार्य की पांच वर्षों में पूर्ण करने की परिकल्पना की गई थी, वह 34 वर्षों के बाद भी अधूरा था।

उपलब्धियों में विफलता को स्वीकार करते हुए, गजेटियरज के वरिष्ठ सम्पादक ने बताया (अगस्त 1994) कि संभवतः अनुभव तथा साहित्यिक व्यवसायों में रुचि के अभाव और व्यवसाय के साथ सम्बद्ध किसी सुविधा की कमी के कारण गजेटियर कॉडर के बाहर से तैनात प्रमुख सम्पादक तथा राज्य सम्पादक जैसे अधिकारियों ने इस प्रकार के कार्य में रुचि नहीं ली। अधिकारी बार-बार स्थानान्तरित भी हुए थे और पूर्णकालिक कोई प्रमुख सम्पादक नहीं रहा।

मामला सरकार को मई 1995 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

3.12 अपूर्ण पटवारखाना भवन

ऊना जिला में पांच पटवारखाना भवनों का निर्माण 2.40 लाख रुपए की लागत पर मार्च 1984 तथा सितम्बर 1986 के मध्य प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया। एक वर्ष के भीतर पूर्ण किए जाने वाले ये कार्य तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना ही मई 1984 तथा नवम्बर 1986 में आरम्भ कर दिए गए। लेखापरीक्षा में यह पाया गया (नवम्बर 1994-जनवरी 1995) कि मार्च 1994 तक 2.89 लाख रुपए का व्यय करने के बाद भी अतिरिक्त निधियों के अभाव में सभी भवन अधूरे छोड़ दिए गए। निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इतने में, उप-मण्डलीय मैजिस्ट्रेट, ऊना द्वारा एक भवन (व्यय:0.53 लाख रुपए) असुरक्षित घोषित कर दिया गया (अप्रैल 1993)। इस प्रकार पांच कार्यों पर 2.89 लाख रुपए का व्यय निष्फल रहा।

यह मामला सरकार को मई 1995 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

पर्यटन एवं सिविल विमानन विभाग

3.13 निरर्थक निवेश

राज्य में प्रस्तावित छः* हवाई-पट्टियों के निर्माण से पूर्व पांच वर्षों के मौसम सम्बन्धी आंकडे एकत्रित करना अपेक्षित था। तदनुसार सरकार ने मौसम सम्बन्धी छः वेधशालाओं

---

* डलहौजी, गग्गल, हमीरपुर, मण्डी, रंगरीक तथा सिरमौर

की स्थापना हेतु मौसम सम्बन्धी उपकरणों के 6 सेट तथा छः पोर्टा कैबिन खरीदने हेतु 7 लाख रुपए संस्वीकृत किए (जनवरी 1989) लेकिन पोर्टा कैबिन खरीदते समय बनी खेत, रंगरीक, हमीरपुर तथा रती में हवाई-पट्टियों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। विभाग ने दिसम्बर 1989 में 2.74 लाख रुपए के उपस्करों सहित 2.65 लाख रुपए की लागत से चार पोर्टा कैबिन खरीदे।

इस उदेद्श्यार्थ पांच सहायक प्रेक्षक भी अक्तूबर 1989 में भर्ती किए गए। उनके वेतन एवं भत्तों पर मई 1992 तक 3.06 लाख रुपए व्यय करके उन पदों को लिपिकों के पदों में रुपान्तरित कर दिया गया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया (जून 1994) कि चारों पोर्टा कैबिन अप्रतिष्ठापित पड़े थे (मार्च 1995) क्योंकि निधियों की कमी के कारण प्रस्तावित हवाई-पट्टियों का निर्माणकार्य मई 1990 में स्थगित कर दिया गया था। पर्यटन एवं सिविल विमानन के निदेशक ने बताया (अगस्त 1995) कि एक कैबिन हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को ज्वालामुखी में सड़क के किनारे अतिरिक्त सुविधा के रुप में प्रयोग करने हेतु सौंप दिया गया था, दो कैबिन मण्डलीय पर्यटन विकास अधिकारी, चम्बा को कलाटॉप में सड़क के किनारे अतिरिक्त सुविधा के रुप में उपयोग करने के लिए अंतरित किए जा रहे थे और शेष एक कैबिन को प्रयोग में लाने हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही थी।

इस प्रकार 2.65 लाख रुपए की लागत के पोर्टा कैबिना का उपयोग अभीष्ट उदेद्श्य हेतु न किये जाने के साथ-साथ 2.74 लाख रुपए मूल्य के उपकरण भी अगस्त 1995 तक अप्रयुक्त पड़े थे। 5 प्रेक्षकों के वेतन एवं भत्तों पर 3.06 लाख रुपए के व्यय से अभीष्ट उद्देश्य भी सिद्ध नहीं हुआ था। वह विधि जिसके अनुसार उपकरण प्रयुक्त किए जाने प्रस्तावित थे, विभाग द्वारा नहीं बतायी गई थी (अगस्त 1995)।

यह मामला सरकार को मई 1995 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

3.14 विमान चालक के प्रशिक्षण पर निष्फल व्यय

हिमाचल प्रदेश सिविल विमानन प्रशिक्षण नियमावली, 1988 में पर्यटन तथा सिविल विमानन विभाग द्वारा उड़ान प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को छात्रवृति की अदायगी का प्रावधान है जो निजी विमान चालक लाइसैंस तथा वाणिज्यिक विमान चालक लाइसैंस के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उड़ान क्लबों को अदा किए गए उड़ान प्रभारों का क्रमशः 70 तथा 75 प्रतिशत की सीमा तक था। अभ्यर्थियों को निजी विमान चालक लाइसैंस हेतु 60 उड़ान घण्टें, वाणिज्यिक विमान चालक लाइसैंस हेतु 190 उड़ान घंटे तथा निजी विमान चालक लाइसैंस व वाणिज्यिक विमान चालक लाइसैंस दोनों हेतु 250 उड़ान घंटे पूरा करना अपेक्षित था। प्रशिक्षण की भारी लागत के दृष्टिगत, राज्य सरकार ने जून 1990 में स्कीम को बंद करते समय आदेश दिया कि यदि विभिन्न संस्थानों में अभ्यर्थी पहले से प्रशिक्षण ले रहे हों तो अतीत के दायित्वों की पूर्णतः पूर्ति की जाए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (जून 1994) कि 1985-86 तथा 1991-92 के मध्य 12 अभ्यार्थियों, जो 8.30 तथा 177 के मध्य उड़ान घण्टे पूर्ण कर चुके थे, को प्रशिक्षण हेतु कुल 3.65 लाख रुपए की छात्रवृतियां दी गई, परन्तु मार्च 1995 तक प्रशिक्षण पूरा नहीं किया गया था। इस प्रकार, 3.65 लाख रुपए का व्यय निष्फल रहा।

यह मामला सरकार को मई 1995 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

3.15 जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों हेतु नवीन लोक वितरण प्रणाली

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित 3 जिलों में 7 अभिनिर्धारित सामाजिक-आर्थिक तौर पर पिछड़े खण्डों* में समाज के सबसे कमजोर वर्ग को गेहूं तथा चावल जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाने हेतु राज्य में जून 1992 में नवीन लोक वितरण प्रणाली आरम्भ की गई। योजना को कार्यरुप देने की केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी थी। केन्द्र सरकार ने लोक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का उपार्जन, भण्डारण तथा परिवहन करना था तथा राज्य सरकार इन वस्तुओं को केन्द्रीय भण्डारों/मिलों से उठाने और इन्हें विशेष उपदान समरुप पूर्वनिर्धारित अंतिम मूल्य पर उचित मूल्यों की दुकानों के नेट कार्यक्रम के माध्यम से ग्राहकों को वितरित करने के लिए जिम्मेदार थी। स्कीम के उदेद्श्य थे: (i) साधारण लोगों को सामर्थ्य मूल्यों पर पूरे वर्ष आवश्यक वस्तुओं का निरन्तर प्रवाह बनाए रखना। (ii) समाज के गरीब तथा कमजोर वर्गों को विशेषतया दूर दराज के पहाड़ी, दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना।

प्रणाली का क्रियान्वयन निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति द्वारा किया जा रहा था। उसकी सहायता के लिए जिलों में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक थे।

पहचाने गए 7 खण्डों** में से 4 में 1992-95 के दौरान प्रणाली के क्रियान्वयन की मार्च-जून 1995 में की गई नमूना जांच के समय पाए गए महत्वपूर्ण तथ्य अनुवर्ती परिच्छेदों में उल्लिखित हैं।

----

* भरमौर, पांगी (जिला चम्बा), निचार, काल्पा, पूह (किन्नौर जिला) तथा केलांग, काजा (लाहौल तथा स्पिति)

** भरमौर, काल्पा, निचार तथा पूह

3.15.1 **वित्तपोषण**

भारत सरकार ने स्कीम के विभिन्न संघटकों हेतु ऋण/उपदान के रुप में राज्यों को सहायता उपार्जित की। तदनुसार, भारत सरकार ने नवीन लोक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पहचाने गए क्षेत्रों में विशेषतया उपदान युक्त केन्द्रीय जारी मूल्य पर वितरण हेतु खाद्यान जारी किए जो लोक वितरण प्रणाली हेतु केन्द्रीय जारी मूल्य से 50 रुपए प्रति क्विटंल कम था। 50 रु० के विशेष उपदान में 25 रुपए प्रति क्विटंल इन क्षेत्रों में ग्राहक को दिए जाने थे और शेष 25 रुपए रख-रखाव लागत/कमीशन इत्यादि के लिए थे। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय, यदि कोई होता, की राज्य के स्त्रोतों से पूर्ति की जानी थी। वाहनों के क्रयार्थ, स्कीम का 1992-93 के दौरान उदारीकरण किया गया था जिसके अनुसार उपदान/संघटक में 25 से 50 प्रतिशत की वृद्धि तथा ऋण के संघटक में 75 से 50 प्रतिशत की कटौती की गई थी।

निम्नांकित तालिका 1992-93 से 1994-95 के दौरान वस्तुओं की आपूर्ति में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वहन उपदान निर्दिष्ट करती है।

वर्ष	वस्तुएं	उठाई गई मात्रा (क्विटंल में)	वहन किया गया उपदान		कुल उपदान
			भारत सरकार	राज्य सरकार	
				(लाख रुपए)	
1992-93	गेहूं	88,300	44.15	24.27	
	चावल	27,500	13.75	4.97	
	योग	1,15,800	57.90	29.24	87.14
1993-94	गेहूं	75,250	37.63	29.80	
	चावल	18,600	9.30	21.40	
	योग	93.850	46.93	51.20	98.13
1994-95	गेहूं	62.450	31.23	28.67	
	चावल	13.800	6.90	5.76	
	योग	76.250	38.13	34.43	72.56

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वाहनों के क्रय हेतु 1993-94 (48 लाख रुपए) तथा 1994-95 (40 लाख रुपए) के दौरान 88 लाख रुपए संस्वीकृत किए गए। इसमें से 1993-94 (48 लाख रुपए) तथा 1994-95 (20 लाख रुपए) के दौरान 68 लाख रुपए व्यय किए गए थे।

नमूना जांच के परिणाम के रुप में निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

(i) भारत सरकार ने राज्य सरकार को 1994-95 के दौरान चलती फिरती उचित मूल्य की दुकानों के संचालन हेतु 10 वाहन खरीदने के लिए ऋण (20लाख रुपए) तथा उपदान (20 लाख रुपए) के अभिप्राय से 40 लाख रुपए संस्वीकृत किए (दिसम्बर 1994)। विभाग ने ऋण की

राशि निकाले बिना केवल उपदान भाग के 20 लाख रुपए मार्च 1995 में आहृत किए और इन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दे दिया। यह राशि जून 1995 तक अप्रयुक्त पड़ी थी क्योंकि समकक्ष ऋण भाग निगम द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। परिणामतः 20 लाख रुपए की निधियां अवरुद्ध हुई। निदेशक ने बताया (मई 1995) कि ऋण के 20 लाख रुपए 1994-95 के बजट प्राक्कलन में प्रावधान के अभाव में नहीं निकाले जा सके थे।

(ii) लोक वितरण प्रणाली हेतु आसूचना प्रवर्त्तन एवं जनशक्ति प्रशिक्षणार्थ दिसम्बर 1994 में आहृत 0.75 लाख रुपए का उपदान मई 1995 तक अभिप्रेत उदेदृश्य हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सका। निदेशक ने बताया (मई 1995) कि यह राशि प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रुप दिए जाने के अभाव में जून 1995 तक प्रयुक्त नहीं की जा सकी।

3.15.2 वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(क) खाद्यानों का वितरण

स्कीम में परिकल्पित था कि पहचाने गए क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को विशेष उपदान दर पर गेहूँ तथा चावल उपर्जित करवाया जाना था और राज्य सरकार ने मांग का पता लगाकर इन वस्तुओं के आवंटन हेतु भारत सरकार को मांग प्रस्तुत करनी थी।

भारत सरकार द्वारा नियत माप दण्ड (जून 1992) के अनुसार, पहचाने गए क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को कम से कम 20 किलो खाद्यानों की आपूर्ति की जानी थी। भारत सरकार द्वारा आवंटित गेहूँ तथा चावल की मात्रा और राज्य सरकार द्वारा 1992-93 से 1994-95 के दौरान 7 ग्रामीण लोक वितरण प्रणाली के 7 खण्डों में उठाई गई/ प्रयुक्त मात्रा निम्नानुसार थी:

वर्ष	परिवारों की संख्या/ राशन कार्डों की संख्या	उचित मूल्य मूल्य की दुकानों की संख्या	क्षेत्र में ग्रा0 लो0 वि0 प्र0 की आपूरित वस्तुएं	भारत सरकार द्वारा आंवटित मात्रा	राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मात्रा	प्रयुक्त मात्रा	मात्रा जो कम उठाई गई
				(क्विटंल)			
1992-93	31.503	161	(i) गेहूँ	1,40400	88.300	65.817	52.100
			(ii)चावल	32.850	27.500	27.500	5.350
1993-94	31.026	162	(i) गेहूँ	1,40,400	75,250	62,335	65,150
			(ii) चावल	20.800	18,600	18,600	2,200
1994-95	30,832	168	(i) गेहूँ	1,40,400	62,450	53,801	77.950
			(ii) चावल	22.800	13,800	13,800	9.000
						जोड़	2,11,750

निम्नलिखित तथ्य पाए गए:

(i) उठाई जाने वाली मात्रा में वर्षानुवर्ष कमी के साथ 1992-95 के दौरान ग्रामीण लोक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 2,11,750 क्विटंल की कम सामग्री उठाई गई। निदेशक ने बताया (मई 1995) कि खाद्यानों का अल्पोठान क्षेत्र में उत्पादनों की बेहतर उपलब्धता के कारण क्षेत्र इकाइयों से कम आवश्यकता/मांग के कारण था।

(ii) पहचाने गए क्षेत्रों में राशन के चावल का मासिक मापदण्ड 6 किलो प्रति व्यक्ति नियत किया गया जिसमें से ग्रामीण लोक वितरण प्रणाली की दरों पर केवल 1 किलो चावल तथा लोक वितरण प्रणाली की दरों पर 5 किलो चावल आपूरित किया गया था।

(iii) अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 71.35 लाख रुपए मूल्य का 21,867 क्विटंल गेहूँ 1992-93 तथा 1994-95 के मध्य स्टॉक में लेखाबद्ध नहीं किया गया था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	आदिशेष	प्राप्तियां	बेचे गए	अंतर	अधिगृहीत वास्तविक मात्रा	लेखाबद्ध न की गई मात्रा	दर प्रति क्विटल	मूल्य
			(क्विंटल)		(क्विटंल)		(रुपए)	(लाख रुपए)
1992-93	----	88.300	65,817	22,483	13,963	8,520	280	23,86
1993-94	13,963	75,250	62,335	26,878	18,319	8,559	330	28,24
1994-95	18,319	62,450	53,801	26,968	22,180	4,788	402	19.25
जोड़		2,26,000	1,81,953	76,329		21,867	---	71.35

विभाग से (मई 1995) अलेखांकन हेतु मांगे गए कारण तथा दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई जून 1995 तक प्रतीक्षित थी।

(ख) लाभग्राहियों पर अतिरिक्त परिहार्य भार

भारत सरकार द्वारा जारी (जून 1992) अनुदेशों में अनुबंध है कि राज्य सरकार अभिनिर्धारित क्षेत्रों को आपूरित खाद्यानों हेतु अतिरिक्त उपलब्ध उपदान का पूर्णतया लाभ उठाएगी और इस प्रकार इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की गरीबी कम करेगी।

तथापि, यह पाया गया कि 1992-95 के दौरान 464.71 लाख रुपए के 68,033 क्विटंल चावल तथा 16,966 क्विटंल गेहूँ का आटा (ग्रामीण लोक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत इन वस्तुओं की कुल आपूर्तियों का क्रमशः 114 तथा 9 प्रतिशत) लोक वितरण प्रणाली की दरों पर

लाभग्राहियों को आपूरित किया गया। यह लौक वितरण प्रणाली की सामान्य दरों तथा ग्रामीण लोक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत आपूरित वस्तुओं के मूल्य दरों के 64.07 लाख रुपए के अंतर के रुप में लाभग्राहियों के अतिरिक्त परिहार्य वित्तीय भार में परिणत हुआ। इस प्रकार, लाभग्राहियों को पूर्ण लाभ प्रदान नहीं किए गए जैसा स्कीम के अर्न्तगत परिकल्पित था।

3.15.3 चलती-फिरती उचित मूल्य की दुकानें

भारत सरकार ने राज्य के अभिनिर्धारित क्षेत्रों में चलती-फिरती उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के माध्यम से लोक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु 12 वाहनों के क्रयार्थ ऋण (24 लाख रुपए) एवं उपदान (24 लाख रुपए) के रुप में 48 लाख रुपए जून 1993 में (32 लाख रुपए) तथा अगस्त 1993 में (16 लाख रुपए) संस्वीकृत किए। वह राशि नवम्बर 1993 तक निगम के नियंत्रणाधीन थी। निगम ने जून 1993 तथा नवम्बर 1993 के मध्य 12 वाहन खरीदे और इन्हें चलती-फिरती दुकानों के रुप में प्रयोग करने की बजाय, जैसे कि स्कीम में अपेक्षित था, मूल भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से विभिन्न गोदामों तक खाद्यान ढोने हेतु ट्रकों के रुप में प्रयुक्त किया। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि 12 वाहनों में से 5 वाहन अभिनिर्धारित खण्डों में लगाए गए जबकि शेष 7 वाहन ग्रामीण लोक वितरण प्रणाली के खण्डों से अन्य क्षेत्रों में प्रयोग किए गए। इस प्रकार चलती-फिरती दुकानों हेतु अभिनिर्धारित क्षेत्रों में सभी वाहन नियोजित करने का अभीष्ट उदेद्श्य प्राप्त नहीं हुआ था। निदेशक ने स्वीकार किया (मई 1995) कि वाहन चलती फिरती दुकानों के रुप मे प्रयुक्त नहीं किए जा रहे थे। उन 7 वाहनों के बावजूद जो चलती-फिरती उचित मूल्यों की दुकानों के प्रयोग हेतु प्रयोग नहीं किए जा रहे थे, भारत सरकार (दिसम्बर 1994) ने उसी उदेद्श्य हेतू पुनः 40 लाख रुपए संस्वीकृत कर दिए।

3.15.4 आसूचना प्रवर्त्तन तथा जनशक्ति प्रशिक्षण

ग्रामीण लोक वितरण प्रणाली हेतु विभाग के लिए आसूचना प्रवर्तन तथा जनशक्ति प्रशिक्षण से सम्बन्धित लक्ष्य नियत करना अपेक्षित था।

विभाग द्वारा इस कार्यक्रम हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए और स्कीम के आरम्भ से ही कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जिसके लिए कोई कारण सूचित नहीं किए गए (जून 1995)।

3.15.5 मूल्यांकन

विभाग अथवा अन्य एजेंसी द्वारा उनके आरम्भ से ही सम्बन्धित क्षेत्रों में उनके प्रभाव को जानने हेतु जून 1995 तक ग्रामीण लोक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया गया। निदेशक ने बताया (मई 1995) कि स्कीम का मूल्यांकन वर्ष 1995-96 के दौरान किये जाने का प्रस्ताव था।

यह मामला सरकार को जुलाई 1995 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

सहकारिता विभाग

3.16 हिमाचल प्रदेश सहकारिता क्रेडिट संस्थान ऋण सहायता स्कीम, 1990

भारत सरकार की "कृषीय एवं ग्रामीण ऋण सहायता स्कीम, 1990" में समाविष्ट उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार से सहकारी क्षेत्र से सम्बन्धित बैंकों जहां तक इन बैंकों का सम्बन्ध था की समरुप रीति पर स्कीम बनाना तथा उसे संचालित करना अपेक्षित था। तदनुसार, राज्य सरकार ने उसी तरह की स्कीम "हिमाचल प्रदेश सहकारिता क्रेडिट संस्थान ऋण सहायता स्कीम, 1990" का अनुमोदन किया (जुलाई 1990) तथा ऋणियों (व्यक्तिगत खेतीहर तथा दस्तकार) को 10,000 रुपए तक रुपान्तरित पुनः अनुसूचित मध्यकालिक ऋणों सहित अल्पकालिक ऋणों पर ऋण सहायता उपार्जित करने के लिए सहकारी बैंकों को प्राधिकृत किया। व्यय को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार ने बराबर वहन करना था।

केन्द्र सरकार का अंशदान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से प्राप्त होना था। तथापि, क्योंकि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने (जून 1990) राज्य के अंश की राशि के बराबर ऋण भी 10 प्रतिशत ब्याज पर देना स्वीकार कर लिया, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कुल राशि, केन्द्र तथा राज्य दोनों के हिस्सों सहित, सीधे हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता बैंक शिमला को देय थी। यह कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक, जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा हिमाचल प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के अंशों सहित था।

स्कीम के अनुसार बैंकों ने उपयुक्त ऋण निश्चित करने थे, उनकी अधित्याग की संस्वीकृति देनी थी और तत्पश्चात् सहायता की राशि से सम्बन्धित समेकित दावे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को तथा अंशों से सम्बन्धित समेकित दावे प्रेषणार्थ राज्य सरकार को प्रस्तुत करने थे। सहकारी बैंकों की नकदी बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भारत सरकार से प्राप्त निधियों में से दावे के कुछ भाग को अग्रिम के रुप में वितरित कर सकता था। 1,71,874 लाभग्राहियों के सम्बन्ध में बट्टे खाते डाले जाने वाली ऋणों की राशि (सहकारी बैंकों द्वारा) 3077 लाख रुपए आंकी (फरवरी 1991) गई।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उसके अधीन विभिन्न वृत्तों के अभिलेखों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की नमूना जांच (अक्तूबर-दिसम्बर 1994) से निम्नांकित तथ्य उद्घाटित हुए:

(i) 266 लाख रुपए के राज्यांश तथा केन्द्रांश की पहली किश्त हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (200 लाख रुपए) (जनवरी 1991) तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (66 लाख

रुपए) (दिसम्बर 1990) द्वारा प्राप्त की गई थी। स्कीम के प्रावधानों के विपरीत, विभाग ने राज्य निधियों में से 2810.49 लाख रुपए के अग्रिम का भुगतान किया (मार्च 1991) जो हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (2600.93 लाख रुपए कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक व जोगिन्द्रनगर सहकारी बैंक सहित) तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (209.56 लाख रुपए) के बट्टे खाते डाले जाने वाली शेष राशि के बराबर था।

(ii) 50 प्रतिशत राज्यांश के रुप में 1383.21 लाख रुपए* का ऋण भी हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जुलाई 1991 तथा दिसम्बर 1994 के मध्य प्राप्त किया गया। 1516.21 लाख रुपए के कुल ऋण में से हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा मार्च 1991 तथा अप्रैल 1994 के मध्य 147.91 लाख रुपए ब्याज सहित 920.40 लाख रुपए प्रत्यर्पित कर दिए गए। इसके अतिरिक्त, 595.81 लाख रुपए के शेष ऋण पर उसके पुनर्भुगतान की तिथि (मार्च 1997) तक 51.21 लाख रुपए का ब्याज भी देय होगा। 199.12 लाख रुपए के कुल ब्याज में से, 133 लाख रुपए की प्रथम किश्त (266 लाख रुपए का 50 प्रतिशत) पर 1990-91 तथा 1992-93 के मध्य प्रदत्त 12.49 लाख रुपए की राशि न्याय संगत थी और 186.63 लाख रुपए के शेष ब्याज के भुगतान का परिहार किया जा सकता था क्योंकि मार्च 1991 के पश्चात् लिए गए 1383.21 लाख रुपए के ऋण की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी।

विभाग द्वारा फरवरी 1995 तक लेखाओं का बैंकों से समाधान नहीं किया गया था।

(iii) चूंकि सहकारी बैंकों ने राज्य सरकार से अग्रिम में बट्टे खाते डाले जाने वाली ऋणों की पूरी राशि मार्च 1991 में प्राप्त कर ली थी, इसलिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से बाद में प्राप्त राज्यांश तथा केन्द्रांश को कोषालय में जमा करवाया जाना था। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से जुलाई 1991 तथा दिसम्बर 1994 के मध्य प्राप्त 2584.42 लाख रुपए में से 407.90 लाख रुपए 2 से 22 महीनों के विलम्ब से जमा करवाए गए और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 209.55 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए 6 महीने बाद जमा करवाए। इससे बैंकों द्वारा सरकारी धन के अनावश्यक अवरोधन ही नहीं हुआ अपितु सरकार को 41.84 लाख रुपए के ब्याज की भी हानि हुई।

(iv) स्कीम में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों से अन्य उद्देश्यों हेतु 8,723 ऋणियों को दिए गए 120.74 लाख रुपए के ऋण 3 सहकारी बैंकों द्वारा गलती से बट्टे खाते डाले गए। विभाग द्वारा रकम वसूलने अथवा उसका विनियमन करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई (फरवरी 1995)।

---

* हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक 1292.21 लाख रुपए तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 91 लाख रुपए

यदि विभाग ने दावा-विवरणियों की संवीक्षा के पश्चात् बैंकों को भुगतान की सही पद्धति का अनुपालन करने को कहा होता तो गलती से माफ की गई राशि रोकी तथा बचाई जा सकती थी।

यह मामला सरकार को जुलाई 1995 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

आयुर्वेद विभाग

3.17 निष्फल व्यय

सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिलासपुर में पंच कर्म इकाई को स्थापित करने हेतु सितम्बर 1990 में अनुमोदन प्रदान किया गया। तदनुसार, निदेशक, आयुर्वेद द्वारा इकाई में कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु पद-सृजनार्थ मार्च 1991 में संस्वीकृति प्रदान की गई और अप्रैल 1991 में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी तथा आयुर्वेदिक औषधकार के पद भरे गए। इसके अतिरिक्त, इकाई हेतु आवश्यक उपस्कर जैसे शिरोधारा यन्त्र, सर्वांग-वाष्प-स्वदान यंत्र तथा फर्नीचर इत्यादि (लागत: 0.60 लाख रुपए) मार्च एवं सितम्बर 1992 में खरीदा गया। किन्तु पंच कर्म प्रशिक्षित चिकित्सा-अधिकारी को नियुक्त न करने तथा आवास उपलब्ध न होने के कारण इकाई में कार्य आरम्भ नहीं हो सका। पंच कर्म इकाई कर्मचारी वर्ग की सेवाएं आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सालय हेतु संस्वीकृत कर्मचारी वर्ग के अतिरिक्त प्रयुक्त की गई।

निदेशक आयुर्वेद ने बताया (दिसम्बर 1994) कि विभाग में प्रशिक्षित स्नातक डाक्टर कार्यरत नहीं था और प्रशिक्षित डाक्टर तभी उपलब्ध हो सकता था यदि सरकार स्नातक डाक्टर को पंच कर्म अध्ययन में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रायोजित करती। डाक्टर को प्रशिक्षण हेतु प्रयोजित करने के लिए उठाये गये पगों की सूचना नहीं दी थी।

अप्रैल 1991 से मार्च 1995 तक इकाई के कर्मचारी वर्ग के वेतन एवं भत्तों (5.20 लाख रुपए) तथा उपस्करों के क्रय (0.60 लाख रुपए) पर किये गये 5.80 लाख रुपए के व्यय से अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई और अधिकतया विफल रहा।

यह मामला सरकार को मार्च 1995 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

विविध विभाग

3.18 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आने वाली लेखाओं के अनुरक्षण से सम्बन्धित वित्तीय अनियमितताओं तथा त्रुटियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां जिनका पूर्ण उत्तरों के

अभाव में स्थल पर समायोजन नहीं किया जाता है, वे निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से विभागाध्यक्षों तथा उच्चतर विभागीय अधिकारियों को सूचित की जाती हैं। गम्भीर तथा अधिक महत्वपूर्ण अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार को भी सूचित की जाती हैं। छः मास से अधिक समय से बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा परिच्छेदों के अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन भी सरकार को उन पर कार्यवाही करने हेतु अग्रेषित किए जाते हैं।

जून 1995 के अन्त में लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग) तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य और वन कृषि एवं संरक्षण विभागों सहित विभिन्न सिविल विभागों से सम्बन्धित दिसम्बर 1994 तक जारी किए गए 5,874 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 20,845 परिच्छेदों का समाधान किया जाना था जैसा नीचे निर्दिष्ट है।

क्रमांक	विभाग का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
		(संख्या)	
1.	सिविल विभाग	4,564	15,768
2.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	483	1,887
3.	सिचांई एवं जन स्वास्थ्य	304	1,183
4.	वन कृषि एवं संरक्षण	523	2,007
	जोड़	5,874	20,845

उद्यान, सहकारिता तथा माध्यमिक शिक्षा विभागों से दिसम्बर 1994 तक जारी परन्तु जून 1995 तक समाधान न किए गए प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है:

क्रमांक	अवधि	उद्यान		सहकारिता		माध्यमिक शिक्षा	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
				(संख्या)			
1.	मार्च 1989 तक	33	40	13	20	423	1,046
2.	1989-90	15	25	9	23	66	302
3.	1990-91	15	16	8	20	51	143
4.	1991-92	15	15	6	21	46	136
5.	1992-93	15	34	6	27	138	424
6.	1993-94	18	104	--	--	63	190
7.	1994-95 (दिसम्बर 1994 तक)	13	67	5	32	155	460
	जोड़	124	301	47	143	942	2,701

सम्बन्धित कार्यालय द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित करने अपेक्षित होते हैं। उपरोक्त उल्लिखित तीन विभागों से निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर प्रेषित करने में ही एक से तीन वर्षों का विलम्ब था जिसे दो विभागों के सम्बन्ध में नीचे दर्शाया जाता है।

विभाग का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या जिनका प्रथम उत्तर विलम्ब की अवधि के पश्चात प्राप्त हुआ					
	एक वर्ष		दो वर्ष		तीन वर्ष	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
सहकारिता	2	2	1	5	--	--
माध्यमिक शिक्षा	18	86	4	12	5	6

इन तीन विभागों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन में टीका की गई कुछ प्रासंगिक अनियमितताओं को मोटे तौर पर नीचे वर्गीकृत किया गया है:

क्रमांक	आपत्ति का वर्ग	निरीक्षण प्रतिवेदन (संख्या)	परिच्छेद	राशि (लाख रुपए)
1.	आवश्यकता से अधिक अग्रिम का आहरण/निधियों का अवरोधन	36	42	55.14
2.	संस्वीकृति, निविदाओं इत्यादि को आमन्त्रित न करने के कारण अनियमित व्यय	34	68	31.23
3.	अधिक भुगतान, किराए तथा अग्रिमों/विभिन्न कटौतियों को वसूल न करना	96	233	32.66
4.	भण्डारों का अलेखांकन/कमियां	31	38	9.15
5.	दुर्विनियोजन, हानियां, चोरियां इत्यादि	28	30	45.72
6.	वास्तविक प्रापक रसीदों/अप्रयुक्तता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	13	14	44.12
7.	निष्क्रिय मशीनरी/स्टॉफ	12	12	2.40
8.	लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना	9	9	1.05
9.	बकाया ऋण	13	14	92.32
10.	निधियों का अपवर्तन	2	3	14.33
11.	अविवेकपूर्ण/अनियमित क्रय	20	28	12.64
12.	भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना	5	5	--
13.	भण्डारों की निष्प्रयोज्य वस्तुओं का निपटान न करना	44	48	4.74
14.	यात्रा भत्ते/छुट्टी यात्रा भत्ते तथा अन्य स्थापना अग्रिमों का असमायोजन	23	26	2.28
15.	यात्रा भत्ते/ मकान किराए भत्ते तथा अन्य विविध अदायगियों के अनियमित भुगतान	16	22	8.14

क्रमांक	आपत्ति का वर्ग	निरीक्षण प्रतिवेदन (संख्या)	परिच्छेद	राशि (लाख रुपए)
16.	निष्फल व्यय	9	9	3.49
17.	ऋणों का गलत परित्याग	1	1	257.00
18.	अतिरिक्त भण्डार/स्टॉफ	3	4	1.42
19.	वाहनों के निष्प्रयोज्य हिस्से पूर्जों का निपटान न करना	1	2	1.09
20	निक्षेप कार्य की प्रगति पर निगरानी न रखना	1	1	32.50
21.	रोकड़ बही में नगदी का अलेखांकन	3	4	5.77
22.	वाहनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर अनियमित व्यय	9	11	1.57
23.	कीटनाशकों की समयावधि की समाप्ति के कारण हुई हानि	2	2	1.23

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट कुछ रुचिकर तथ्य संक्षिप्त रुप में नीचे उल्लिखित किए जाते हैं:

(i) उद्यान विभाग

(क) कीटनाशकों की समयावधि की समाप्ति के कारण हानि

नियमों में यह अपेक्षित है कि क्रय लोक सेवा की निश्चित आवश्यकता के प्रति किए जाने चाहिए। अक्तूबर 1994 में जिला उद्यान अधिकारी किन्नौर के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि नवम्बर 1982 तथा मार्च 1985 के अंतराल में उपार्जित 0.92 लाख रुपए मूल्य के कीटनाशकों की समयावधि अक्तूबर 1984 तथा मार्च 1989 के मध्य समाप्त हो चुकी थी। ये कीटनाशक जिला उद्यान अधिकारी, किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के कार्यालय में अप्रयुक्त पड़े थे और सम्बन्धित अधिकारी ने इस चूक हेतु हानि-पूर्ति अथवा उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

(ख) निष्फल व्यय

कृषि निदेशक ने उद्यान उपनिदेशक, किन्नौर से फर्नीचर की आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना अपनी ओर से शिमला की एक फर्म को 0.76 लाख रुपए मूल्य की 200 कुर्सियों तथा 5 मेजों का एक आपूर्ति आदेश अक्तूबर 1993 में दिया। सामग्री की प्राप्ती पर इनका भुगतान मार्च 1994 में विश्व-बैंक की प्रशिक्षण तथा विस्तार परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (सितम्बर 1994) कि सारा फर्नीचर अप्रयोज्य पड़ा था। उद्यान-उपनिदेशक ने बताया (सितम्बर 1994) कि इस फर्नीचर के क्रय हेतु कोई मांग उद्यान/कृषि निदेशक को नहीं भेजी गई थी। इस प्रकार आवश्यकता से रहित फर्नीचर का क्रय 0.76 लाख रुपए की निधियों के अवरोधन में परिणत हुआ।

(ii) **सहकारिता विभाग**

बकाया ऋण

तीन जिलों में 214 सहकारी समितियों को उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु 1962-63 तथा 1992-93 के मध्य प्रदत्त कुल 63.07 लाख रुपए (मूलधनः 33.42 लाख रुपए तथा ब्याजः 29.65 लाख रुपए) की वसूली सहायक पंजीकर सहकारी समितियों (मण्डीः 2.92 लाख रुपए, धर्मशालाः 35.82 लाख रुपए, नूरपुरः 1.17 लाख रुपए, पालमपुरः 5.65 लाख रुपए तथा कुल्लूः 17.51 लाख रुपए) द्वारा प्रतीक्षित थी।

(iii) **माध्यमिक शिक्षा विभाग**

निष्क्रिय उपकरण

शिक्षा विभाग द्वारा मार्च 1989 तथा अक्तूबर 1992 के बीच 0.91 लाख रुपए मूल्य से खरीदे गए विज्ञान उपस्कर तथा 3 स्वचालित गैस संयन्त्र प्रयोगशालाओं की स्थापना के अभाव तथा विद्युत इत्यादि की अनुपलब्धता के कारण क्रय की तिथि से ही 5 पाठशालाओं में अप्रयोज्य पड़े थे। इन उपस्करों की अप्रयुक्ति के कारण 0.91 लाख रुपए की निधियां अवरुद्ध रहीं।

यह मामला जुलाई 1995 में सरकार को संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

3.19 दुर्विनियोजन, व्यपहरण इत्यादि

लेखापरीक्षा को मार्च 1995 के अन्त तक सरकारी धन के अभिकथित दुर्विनियोजन, व्यपहरण इत्यादि के मामलों की प्रतिवेदित स्थिति तथा जिनके विषय में जून 1995 तक अंतिम कार्रवाई स्थगित पड़ी थी, का ब्यौरा निम्नवत् है:

विवरण	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
31 मार्च 1994 तक प्रतिवेदित तथा 30 जून 1994 को बकाया मामले	117	54.09
1994-95 के दौरान प्रतिवेदित मामले	6	3.11
जून 1995 तक निपटाए गए मामले	15	4.83
30 जून 1995 को बकाया मामले	108	52.37

इन में से 20 मामले (अन्तः ग्रस्त राशिः 4.74 लाख रुपए) 20 वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थे। 37.40 लाख रुपए के पचास मामले लोकनिर्माण विभाग (भवन एवं सड़कों) से सम्बन्धित थे। 6.45 लाख रुपए के 37 मामले सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य विभाग तथा 1.35 लाख रुपए के 5 मामले वन कृषि एवं सरंक्षण विभाग से सम्बन्धित थे। इन तीन विभागों में बकाया 92 मामलों में से 70 मामलों (अन्तःग्रस्त राशि 24.36 लाख रुपए) पर विभागीय जांच की पूर्णता प्रतीक्षित थी।

चौथा अध्याय

निर्माण कार्य व्यय

लोक निर्माण विभाग

4.1 राष्ट्रीय राजमार्ग

4.1.1 परिचय

समस्त देश से प्रविष्ट होने वाले मुख्य उच्चमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इनका निर्माण मुख्य बंदरगाहों, बड़े औद्योगिक तथा पर्यटक केन्द्रों इत्यादि को जोड़ने के उद्देश्य से किया जाता है। भूतल परिवहन मंत्रालय को राष्ट्रीय राज मार्गों पर परिव्यय हेतु समस्त आयोजना बनाने और परियोजनाओं को संस्वीकृत करने तथा केन्द्रीय बजट से निधियों के प्रावधान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण का कार्य संविधान की धारा 258 के प्रावधानों के अन्तर्गत एजेंसी आधार पर सम्बन्धित राज्य सरकारों को सौंपा गया है। कार्य प्राक्कलन राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए जाते हैं और तदनुरुप प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय संस्वीकृति हेतु मंत्रालय को प्रेषित किए जाते हैं। इन संस्वीकृतियों पर आधारित, ये कार्य राज्य लोक निर्माण मण्डलों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों के निर्माण तथा अनुरक्षण पर आरम्भ में राज्य निधियों से व्यय किया जाता है और तत्पश्चात् राज्य महालेखाकार से लेखाओं की प्राप्ति पर मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

राज्य में कुल 760.35 किलोमीटर लम्बाई के चार* राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।

4.1.2 संगठनात्मक ढांचा

जून 1993 राज्य लोक निर्माण विभाग को दो अंचलों अर्थात् उत्तरी अंचल तथा दक्षिणी अंचल में विभाजित किया गया था जिनके प्रमुख क्रमशः मुख्य अभियन्ता और प्रमुख अभियन्ता हैं जिन्होंने अपने-अपने अंचलों में राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित कार्यों की देखरेख की। अब यह कार्य जुलाई 1993 से मुख्य अभियन्ता राजमार्ग द्वारा स्वतन्त्र रुप में देखे जाते हैं और उसकी सहायता के लिए अधीक्षण अभियन्ता होते हैं। कार्यों का वास्तविक निष्पादन मण्डलीय स्तर पर आरम्भ होता है। विभाग का समस्त नियंत्रण राज्य सरकार के आयुक्त एवं सचिव (लोक निर्माण) के अधीन होता है।

----

* अम्बाला-कालका-शिमला-वांगटू सड़क-राष्ट्रीय राजमार्ग-22 (324.85 किलोमीटर)। चण्डीगढ़-मण्डी-मनाली सड़क -राष्ट्रीय राजमार्ग 21 (228 किलोमीटर), जालन्धर जम्मू-श्रीनगर-उड़ी सड़क-राष्ट्रीय राज मार्ग-1 ए (11.10 किलामिटर तथा पठानकोट-चकी-मण्डी सड़क-राष्ट्रीय राजमार्ग 20(196.40) किलोमीटर)

4.1.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

12 (18 में से) मण्डलों* में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित 1990-91 से 1994-95 के अभिलेखों की अगस्त 1994 तथा फरवरी 1995 के मध्य में नमूना जांच की गई। इसे मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय राजमार्ग) द्वारा आपूरित सूचना तथा विभिन्न मण्डलों में लेखापरीक्षा के दौरान पहले से ध्यान में आए तथ्यों से अनुपूरित किया गया। नमूना जांच के दौरान ध्यान में आए महत्वपूर्ण तथ्य अनुवर्ती परिच्छेदों में उल्लिखित हैं।

4.1.4 मुख्य बातें

वर्ष 1990-95 में 9443.07 लाख रुपए का व्यय किया गया था लेकिन भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 1095.39 लाख रुपए का व्यय विस्तृत सूचना/दस्तावेजों के अभाव में या तो रोक लिया गया अथवा अस्वीकार कर दिया गया। दूसरी ओर मुआवजे के रुप में या मरम्मत/सुधार हेतु दूरसंचार विभाग तथा नाथपा झाकड़ी परियोजना निगम से प्राप्त 721.28 लाख रुपए केन्द्रीय सरकार के खाते में नहीं डाले थे। इसके बजाय इन राशियों को लोक निर्माण जमा में रखा गया था।

(परिच्छेद 4.1.5)

पठानकोट-चक्की-मण्डी सड़क के सम्भाव्यता अध्ययन करने हेतु, इस तथ्य के बावजूद कि सड़क को पहले से 1989 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया था, सितम्बर 1994 में 18 लाख रुपए के शुल्क पर परामर्शक की नियुक्ति की गई।

[परिच्छेद 4.1.7(iv)(ख)]

तीन मण्डलों में ठेकेदारों द्वारा 24.05 लाख रुपए के उपयोगी पत्थरों के संबंध में अल्पापूर्ति की वसूली नहीं की गई थी।

[परिच्छेद 4.1.7(v)]

चार मण्डलों में ठेकेदारों को 600.04 लाख रुपए में दिए गए आठ कार्य पूर्ण नहीं हुए। इन कार्यों में से केवल 5 में ही शेष बचे कार्यों को पूर्ण करने के लिए 138.78 लाख रुपए अथवा अधिक का अतिरिक्त व्यय अन्तर्निहित था। इस संबंध में वसूली के आदेश नहीं दिए गए थे।

[परिच्छेद 4.1.7(vi)]

---

* बैजनाथ, बिलासपुर-II जोगिन्द्रनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग), कांगड़ा, कुल्लू-II, पालमपुर, रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग), शिमला-I, शिमला-II, सोलन (राष्ट्रीय राजमार्ग), सुन्दरनगर तथा ठियोग

8 मण्डलों में 21 कार्यों के विषय में ठेकेदारों से 70.43 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि उद्ग्रहीत नहीं की गई जिसकी प्रगति धीमी थी।

[परिच्छेद 4.1.7(viii)]

101.86 लाख रुपए की लागत से निर्मित "बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट वर्क" को बिना अंतिम भूतलीकरण/पक्के स्तरीकरण के यातायात के लिए खोल दिया। इस प्रकार यातायात/वर्षा से इसकी क्षति की संभावना थी।

[परिच्छेद 4.1.7(ix)ख]

ठेकेदारों से दो कार्यों पर अनुबंधों में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित खपत से 12.40 लाख रुपए के कम बिटूमन की खपत की वसूली नहीं की गई थी।

[परिच्छेद4.1.7(x)]

छः मण्डलों में टैक कोट करने के लिए 12.09 लाख रुपए लागत की सामग्री निर्धारित प्रतिमानों से अधिक प्रयुक्त की गई।

[परिच्छेद 4.1.8(iii)]

एक मण्डल में 34.25 लाख रुपए की बची हुई रोड़ी एकत्र नहीं की गई यद्यपि इन्हें पत्थर/तारकोल बिछाने के कार्य के उप आधार तथा आकार प्रक्रिया हेतु उपयुक्त पाया गया था।

[परिच्छेद 4.1.9(iii)]

स्टेट फॉरिस्ट कार्पोरेशन को वृक्षों को गिराने के लिए दिए गए 21.27 लाख रुपए के मुआवजे के प्रति निस्तारित ईंधन से 2.39 लाख रुपए ही प्राप्त हो सके।

[परिच्छेद 4.1.10(v)]

पांच मण्डलों में 10 कार्यों के अंतिम बिलों से यह प्रकट हुआ कि ठेकेदार सरकार के 65.98 लाख रुपए के देनदार थे।

[परिच्छेद 4.1.10 (ix)]

नमूना जांच किए गए नौ मण्डलों में गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के अभिलेख तैयार नहीं किए गए थे।

(परिच्छेद 4.1.11)

4.1.5 वित्तीय परिव्यय

बजट आबण्टन तथा उसके प्रति किए गए व्यय के वर्षवार ब्यौरे निम्नवत् थे:

वर्ष	बजट आबण्टन	व्यय
	(लाख रुपए)	
1990-91	1720.88	1744.98
1991-92	1658.77	1676.20
1992-93	1679.55	1677.65
1993-94	2081.70	2088.74
1994-95	2014.78	2255.50
जोड़	9155.68	9443.07

(i) मंत्रालय द्वारा स्थापना तथा औजार एवं संयन्त्रों के व्यय की एजेंसी प्रभारों के रुप में प्रतिपूर्ति की जानी थी। जनवरी तथा मार्च 1990 में जारी मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार निरीक्षण वाहनों, पैट्रोल, तेल एवं स्नेहकों, लेखन सामग्री, टेलीफोन, फर्नीचर, औजार तथा संयंत्रों इत्यादि पर किए गए व्यय की पूर्ति एजेंसी प्रभारों से की जानी थी। यद्यपि विभिन्न मण्डलों द्वारा इस सम्बन्ध में दावे वेतन तथा लेखा कार्यालय के माध्यम से मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए परन्तु अस्वीकार कर दिए गए। 1979-80 तथा 1994-95 के मध्य प्रतिपूर्ति हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत कुल दावों में से 1095.39 लाख रुपए के दावे या तो अस्वीकार कर दिए गए (47.96 लाख रुपए) या रोक लिए गए (1047.43 लाख रुपए)।

महालेखाकार द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध (अक्तूबर 1993 तथा अगस्त 1995) किया गया था कि वह विभाग के सम्बन्धित मण्डलों को रोकी गई राशियों को निर्मुक्त करवाने के लिए वांछित सूचना/दस्तावेज भेजने हेतु अनुदेश दें। इस पर कोई प्रशंसनीय प्रतिक्रिया नहीं हुई है और अवरुद्ध राशि के शेष में वृद्धि हो रही थी। भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा अस्वीकार की गई राशियों को उन विशिष्ट कार्यों (राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों से भिन्न) को डेबिट किया जाना अपेक्षित था जिससे उनका सम्बन्ध था। वांछित समाधान का अनुपालन करने हेतु की गई कार्यवाही अभी तक अज्ञात थी (मई 1990)।

(ii) निम्नांकित मामलों में समायोजन केवल उपलब्ध निधियों की प्रयोज्यता दशनि के लिए ही किया गया था।

(क) नवीकरण कार्यों हेतु बिलासपुर मण्डल-II को 19.65 लाख रुपए (दिसम्बर 1992 तथा मार्च 1993 के बीच) आबंटित किए गए जो न तो अनुमोदित किए गए थे न ही 1992-93 के दौरान प्रयोग में लाए गए थे। निधियों का अनियमित रुप से पंजीसमायोजन करके नवीकरण कार्यों पर प्रयुक्त किया गया दर्शाया गया।

(ख) तीन मण्डलों* में सामग्री की लागत जैसे तारकोल, सीमेंट तथा स्टील जिनका मूल्य 25.91 लाख रुपए था, को मार्च 1992 तथा मार्च 1994 में विभिन्न निमार्ण कार्य के प्रति डेबिट किया गया परन्तु अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में उसे फिर स्टॉक में पुनरांकित किया गया। मण्डलीय अधिकारियों ने त्रुटिपूर्ण समायोजन को स्वीकार किया।

(ग) सुन्दरनगर मण्डल में चंडीगढ़-मण्डी-मनाली सड़क-राष्ट्रीय राजमार्ग-21 को पक्का करने के कार्य हेतु तारकोल के 130 ड्रम दिए गए (फरवरी 1992) परन्तु 850 रुपए प्रति ड्रम की दर से 1,300 ड्रमों का मूल्य इस कार्य के प्रति प्रभारित किया गया। इस प्रकार, इस कार्य पर 9.95 लाख रुपए अधिक प्रभारित किए गए।

(घ) बैजनाथ मण्डल में प्राक्कलन में 38.14 टन (मूल्य 2.42 लाख रुपए) तारकोल के प्रावधान के प्रति 120/500 किलोमीटर से 125/0 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-20 के संवर्धित भाग पर रोड़ी तथा तारकोल बिछाने के कार्य हेतु 17.06 लाख रुपए का 268.56 टन तारकोल बुक किया गया (मार्च-दिसम्बर 1993)। इस प्रकार कार्य पर 14.64 लाख रुपए अधिक प्रभारित किए गए। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1995) कि कुल 4.500 किलोमीटर लम्बाई में से 2.340 किलोमीटर की लम्बाई में रोड़ी तथा तारकोल बिछाने का कार्य 22.31 टन तारकोल के उपभोग से पूरा किया गया और शेष कार्य प्रगति पर था। यह भी बताया गया कि 6.51 लाख रुपए मूल्य का 99.06 टन तारकोल अन्य कार्यों को अंतरित किया और अक्तूबर 1994 से जून 1995 तक मासिक लेखाओं में समायोजन किया गया। शेष बची सामग्री में से अधिकतम सामग्री को अन्य आवश्यक कार्यों पर प्रयुक्त किया बताया गया।

(iii) 4मण्डलों** में अक्तूबर 1989 तथा जनवरी 1995 के बीच ऑपटिक्ल फाईवर केबल बिछाने हेतु खाइयां खोदने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 तथा 22 को हुई क्षति के कारण दूरसंचार विभाग से 139.28 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्राप्त की गई। इस राशि को केन्द्र सरकार को क्रेडिट करने के स्थान पर, इसे लोक निर्माण निक्षेप में रखा गया तथा इसके प्रति दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनःस्थापन पर जनवरी 1995 तक 35.57 लाख रुपए व्यय किया गया।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल रामपुर बुशैहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की मरम्मत/सुधार हेतु नाथपा झाकड़ी परियोजना निगम से प्राप्त 582 लाख रुपए केन्द्रीय प्राप्ति के शीर्ष में क्रैडिट करने की बजाए लोक निर्माण निक्षेप में रखे गए।

स्थापित लेखा पद्धति से विचलन हेतु विश्वासप्रद कारण सूचित नहीं किए गए थे (मार्च 1995)।

---

* बैजनाथ शिमला-II तथा सुन्दरनगर

** बैजनाथ 8.16 लाख रुपए, जोगिन्द्र नगर (राष्ट्रीय राजमार्ग) 30.63 लाख रुपए, रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग) 2.37 लाख रुपए तथा सोलन (राष्ट्रीय राजमार्ग) 98.12 लाख रुपए

4.1.6 लक्ष्य और उपलब्धियां

राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न संघटकों के सम्बन्ध में 1993-94 से 1994-95 तक निर्धारित लक्ष्य तथा उनके प्रति उपलब्धियां नीचे तालिकावद्ध हैं:

	1993-94			1994-95		
	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी
प्रारम्भिक कटान (किलोमीटर)	30.70	36.00	--	24.25	26.50	--
पारगामी निकास कार्य (किलोमीटर)	22.75	29.56	--	24.00	25.40	--
रोड़ी तथा तारकोल बिछाना (किलोमीटर)	14.00	20.38	--	22.75	29.30	--
विद्यमान भूपटल को पक्का करना (किलोमीटर)	18.00	18.75	--	16.00	16.80	--
पुल निर्माण (संख्या)	4	2	2	4	3	1

1993-94 से पूर्व की अवधि की सूचना, यद्यपि अगस्त 1994 में मांगी गई थी किन्तु मई 1995 तक प्राप्त नहीं हुई थी।

4.1.7 कार्यों का निष्पादन

(i) कार्यों के प्रारम्भ करने में विलम्ब

मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के निष्पादन कार्य प्रशासनिक अनुमोदन की प्राप्ति के एक वर्ष के भीतर आरम्भ किए जाने चाहिए जिसके विफल रहने पर नये सिरे से प्रशासनिक अनुमोदन आवश्यक होगा।

(क) 6 मण्डलों* में 10 कार्य (अनुमानित लागत: 500.86 लाख रुपए) एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर आरम्भ नहीं किए गए। इनमें से मार्च 1991 तथा मार्च 1992 के बीच संस्वीकृत 4 कार्य (अनुमानित लागत: 388.41 लाख रुपए) 8 से 25 महीने के विलम्ब से आरम्भ किए गए। 1990-91 तथा 1992-93 के मध्य संस्वीकृत 112.45 लाख रुपए के शेष 6 कार्य 21 से 33 महीनों की समाप्ति के बाद भी आरम्भ नहीं किये गये। इन मामलों में अपेक्षित नवीन प्रशासनिक अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किए गए थे।

----

* बैजनाथ, जोगिन्द्रनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग), कांगड़ा, रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग) सोलन (राष्ट्रीय राजमार्ग) तथा सुन्दर नगर

(ख) सुन्दरनगर मण्डल में, एक पटरी को पक्का करने का कार्य (अनुमानित लागत: 244.17 लाख रुपए) मार्च 1991 में संस्वीकृत किया गया। कार्य प्रारम्भ करने में (i) पूर्व सशर्त युक्त निविदाओं को वापिस करने में मंत्रालय द्वारा एक वर्ष का असामान्य समय लेने तथा (ii) निविदा आमंत्रण सूचना में एक असाधारण शर्त (केवल उन ठेकेदारों को निविदा देने के लिए पात्र बनाना जिन्होंने एक करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक लागत के ऐसे कार्य निष्पादित किए हों) के निवेशन के कारण अन्तःग्रस्त मुकदमेंबाजी जिसे न्यायालय द्वारा अवैध करार दे दिया गया था, के कारण 25 महीनों तक का विलम्ब हो गया।

(ii) **प्राक्कलन के प्रति आधिक्य**

मंत्रालय द्वारा 15 प्रतिशत तक प्रशासनिक अनुमोदन के प्रति आधिक्य अनुमत्य है।

5 मण्डलों* में 14 मामलों में 271.40 लाख रुपए के प्रशासनिक अनुमोदन की राशियों से 137.88 लाख रुपए अधिक व्यय किए गए। यद्यपि अत्यधिक व्यय 21 तथा 232 प्रतिशत के मध्य था, किन्तु मंत्रालय के संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किए गए थे (जनवरी 1995)।

(iii) **कार्यों का विखण्डन**

(क) मंत्रालय ने अगस्त 1984 तथा पुनः जून 1986 में अनुदेश जारी किए थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वस्थ विखण्डन का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए और यदि पूर्णता अपरिहार्य समझी जाए तो ऐसा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से किया जाना चाहिए।

इन अनुदेशों के विपरीत तीन मण्डलों** में तीन कार्य (अनुमानित लागत 481.84 लाख रुपए) 8 भागों में विखण्डित किए गए।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-21 के 82/0 से 105/0 किलोमीटर तक सड़क पटल को पक्का करने के कार्य के लिए जुलाई 1989 में 310.46 लाख रुपए से प्रशासनिक अनुमोदन किया गया था। तलछट छिड़काव निर्माण की मद विभागीय रुप से दिसम्बर 1979 में आरम्भ की और मार्च 1994 में पूरी की गई थी। अक्तूबर 1991 के अंत तक, तलछट छिड़काव निर्माण कुल 9 किलोमीटर तक अलग-अलग भागों में किया गया था। कंकरी रोड़ी/मिश्रण से सतह को पक्का करने का अनुवर्ती कार्य अप्रैल 1992 में एक ठेकेदार को दिया गया। मंत्रालय की विशिष्टताओं के अनुसार सड़क तलछट छिड़काव निर्माण कार्य के बाद उस समय तक उसे यातायात के लिए नहीं खोला जाना चाहिए

---

* जोगिन्द्रनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग) कांगड़ा, कुल्लू-II, शिमला II तथा ठियोग

** बिलासपुर, रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग) तथा ठियोग

जब तक उस पर तारकोलीय कार्य न कर लिए जाए परन्तु ये तलछट छिड़काव निर्माण कार्य अनुवर्ती तारकोलीय कार्यों से लगभग छः महीनों से दो वर्षों के अंतराल के पश्चात् पक्के किए गए क्योंकि कार्य का विखण्डन किया गया था और यह कार्य ठेकेदार को विलम्ब से दिया गया था। सड़क की ऊपरी सतह भारी यातायात तथा वर्षाऋतुओं में उसमें पानी रिसने के कारण 5 किलोमीटर लम्बाई तक क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्षतियों के पुनरुद्धार हेतु जनवरी 1993 में 3.78 लाख रुपए का प्राक्कलन प्रस्तावित किया गया परन्तु मंत्रालय द्वारा इस तर्क पर अनुमोदित नहीं किया गया कि मूल रुप से अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया गया था। यह आकस्मिकता उत्पन्न नहीं हुई होती यदि तलछट छिड़काव निर्माण के पश्चात् तारकोलीय कार्य से पक्का किए बिना सड़क को यातायात के लिए न खोला जाता। पुनरोद्धार कार्य पर किया गया वास्तविक व्यय सूचित नहीं किया गया था (अप्रैल 1995)।

(iv) **परामर्शीय नियुक्ति**

(क) मंत्रालय द्वारा जारी (जनवरी 1989) अनुदेशों के अनुसार पुलों के डिजाइन तथा नक्शे बनाने के लिए सक्षम परामर्शक नियुक्त किए जा सकते थे। ऐसे परामर्शक अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ण तकनीकी प्रस्ताव बनाने हेतु भी जिम्मेदार होगें और डिजाइनों/नक्शों में किसी परिवर्तन को जो स्थल कीं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हों, कार्यरुप देने के लिए निर्माणावधि के दौरान भी उपलब्ध हो सकते थे।

कुल्लू मण्डल II में सितम्बर 1988 तथा दिसम्बर 1988 में दो परामर्शकों को प्रत्येक को एक लाख रुपए की अदायगी की गई जिन्होंने तीन पुलों के प्राथमिक डिजाइनों सहित कुल्लू उपमार्ग हेतु प्राथमिक डिजाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किए। विस्तृत परियोजना को तैयार करने का कार्य इन परामर्शकों में से एक परामर्शक को दिसम्बर 1988 सौपा गया जिसे अप्रैल 1990 के मध्य तक पूर्ण करना था। इस कार्य हेतु उसे नवम्बर 1989 तथा मार्च 1995 के बीच 4.75 लाख रुपए (9 लाख रुपए के कुल शुल्क में से) दिए गए।

परामर्शक ने पूर्व पात्रता दस्तावेज तथा निविदा विवरण (अगस्त 1995) प्रस्तुत नहीं किए थे जिसके परिणामस्वरुप परियोजना को अंतिम रुप नहीं दिया जा सका।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (सितम्बर 1994) कि परामर्शक की नियुक्ति मंत्रालय के निदेशों के अनुसार की गई थी और इस पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

(ख) एक परियोजना का सम्भाव्यता अध्ययन प्राथमिक इंजिनीयरिंग अध्ययन तथा प्रयोजन के संस्थापन, तर्क-संगतता एवं चयनित स्वेच्छा की अर्थक्षमता के माध्यम से सम्भव विकल्पों के परीक्षण के मौलिक उद्देश्य से किया जाता है। मंत्रालय के जून 1990 के अनुदेशों के अनुसार उन मामलों में, जहां परियोजना की आवश्यकता स्पष्ट होती है तथा इसे आरम्भ करने का पहले से निर्णय लिया जा चुका हो, ऐसे में सम्भाव्यता अध्ययन को त्यागा जा सकता था तथा परियोजना तैयार करने

के लिए सीधे कार्रवाई की जा सकती थी।

इन अनुदेशों के बावजूद भी, पठानकोट-चक्की-मण्डी सड़क को दोहरे स्तर की करने हेतु और एक ऐसे प्रस्ताव की अर्थक्षमता के संसथापन हेतु कुछ शर्तों पर 18 लाख रुपए के सहमत शुल्क पर सितम्बर 1994 में सम्भाव्यता अध्ययन के लिए एक परामर्शक की नियुक्ति की गई। 1989 में पठानकोट-चक्की-मण्डी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुरुप सड़क निर्माण करने के लिए सम्बन्धित मण्डलों द्वारा 1989 में सड़क के विभिन्न स्थलों पर कार्य आरम्भ भी किया गया था। सम्भाव्यता अध्ययन करने हेतु बिलम्ब से सितम्बर 1994 में परामर्शक की नियुक्ति मंत्रालय के अनुदेशों के विपरीत तथा तर्क विहीन थी।

(v) **चट्टान कटान कार्य- उपयोगी पत्थरों की कम आपूर्ति/आपूर्ति न करना**

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सोलन द्वारा बड़ोग उपमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-22) पर 90/700 किलोमीटर से 101/400 किलोमीटर तक प्रतिधारक/सीना दीवार तथा प्रतिजल निकासन के निर्माण सहित कटान कार्य दिल्ली के एक ठेकेदार को 424.46 लाख रुपए में दिया गया (जनवरी 1989)।

संविदा में अभिसंविदित था कि उत्खनन के दौरान प्राप्त सभी सामग्री सरकार की सम्पति होगी और ठेकेदार द्वारा निशुल्क उपयुक्त चट्ठे लगाए जाएंगे। अनुबन्ध के साथ संलग्न मात्रा की अनुसूची में दिए गए भू-कार्य के कटान की कुल 6,52,251 घनमीटर मात्रा में विस्फ़ोट कार्य की 2,06,165 घनमीटर की मात्रा सम्मिलित थी। यह अनुमान लगाया गया कि विस्फोटन कार्य से (1/3 की दर से) 68,722 घनमीटर पत्थर उपलब्ध होगा। इस मात्रा के आधार पर, अनुबन्ध में यह अभिसंविदित था कि ठेकेदार से 44 रुपए प्रतिघनमीटर की दर से 68,722 घनमीटर पत्थर के मूल्य की वसूली की जाएगी। फिर भी अनुबंध के प्रावधान से यह अर्थ निकाला जाना चाहिए कि उत्खनन से प्राप्त समस्त सामग्री सरकारी सम्पति होगी।

ठेकेदार द्वारा विस्फोटन कार्य से प्राप्त पत्थरों की वास्तविक प्रमात्रा दशनि वाले अभिलेखों का मण्डल ने अनुरक्षण नहीं किया था तथापि यह पाया गया कि मण्डल के दो उप-मण्डलों (धर्मपुर व कुम्बाघाट) द्वारा क्रमशः नवम्बर 1994 तथा जनवरी 1995 में अदा किए गए 51 वें तथा 37 वें चालू बिलों तक ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए गए 3,14,775 घनमीटर मिट्टी के काम की कुल प्रमात्रा में से 38278.31 घनमीटर पत्थरों (अनुप्रस्थ जलोत्सारण कार्यों से प्राप्त 5113.59 घनमीटर सहित) की प्राप्ति हो चुकी थीं।

इसके अतिरिक्त ठेकेदार ने करारनामे की अनुपालना में विभिन्न कार्य मदों का निष्पादन किया, जिसमें 79,133 घनमीटर पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ऐसे पत्थरों की सारी प्रमात्रा किए गए विस्फोटन से प्राप्त की गई थी। करारनामे के प्रावधानानुसार उत्खनन की गई सभी सामग्री सरकार की सम्पत्ति होगी, 68,722 घनमीटर से अधिक कार्य पर प्रयुक्त किए गए प्रयोज्य

पत्थरों की वसूली भी की जानी थी जैसा कि अधीक्षण अभियंता द्वारा संस्तुत किया गया (जुलाई 1993) तथा मुख्य अभियंता द्वारा मार्च 1994 में इसकी पुष्टि की गई। फरवरी 1995 तक इसे नहीं किया गया था।

करारनामें में उल्लिखित 68,722 घनमीटर के बाद की प्रमात्रा के लिए भी करारनामें में यथा अनुबंधित पत्थरों की 44 रुपए प्रति घनमीटर की उसी दर को लागू करते हुए ठेकेदार से 40,855 घनमीटर पत्थरों (79,133-38,278) की कुल 17.98 लाख रुपए की वसूलो अभी भी की जानी थी।

(ख) करारनामें के मानक प्रपत्र में सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त, कटान कार्यों के संदर्भ में संविदा करारनामों में सामान्यतः अनुबंधित है कि ठेकेदार को कटान/उत्खनन से उपलब्ध प्रयोज्य पत्थरों की एक तिहाई प्रमात्रा का चटठा सड़क के किनारे निःशुल्क लगाना होगा।

ठियोग तथा रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग) मंडलों में राष्ट्रीय राजमार्ग-22 पर 4 कटान कार्यों के संदर्भ में ठेकेदारों द्वारा 6.07 लाख रुपए मूल्य के 17,473 घनमीटर पत्थरों की कम आपूर्ति की गई। एक मामले में अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, मंडल, रामपुर ने बताया (मार्च 1995 कि अंतिम बिल से पत्थरों का मूल्य (2.65 लाख रुपए) वसूल किया जाएगा किन्तु अंतिम बिल 7.31 लाख रुपए की ऋणात्मक राशि का था। ठियोग मंडल में एक अन्य मामले में पत्थरों के मूल्य (0.79 लाख रुपए) के स्थान पर 0.15 लाख रुपए की रॉयल्टी वसूल की गई।

(vi) आयोजना का अभाव

संविदा करारनामे के मानक प्रपत्र के खंड-2 के अन्तर्गत निर्धारित तिथियों के बाद प्रारम्भ न हुए अथवा समाप्त न हुए कार्य के संदर्भ में प्रत्येक दिन के लिए ठेकेदार से निविदा राशि के 1 प्रतिशत के बराबर प्रतिपूर्ति उद्‌ग्रहीत की जा सकती थी, जो अधिकतम 10 प्रतिशत होगी। संविदा भंग होने की स्थिति में प्रभारी अभियंता को करारनामे के खंड-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त थीं जिसमें ठेकेदार की प्रत्याभूति राशि के जब्त करते हुए [उप-खण्ड(क)] संविदा को निरस्त करने तथा मूल ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर विभागीय रुप से/अन्य ठेकेदारों के माध्यम से कार्य निष्पादन का प्रावधान है [उप-खंड (ख) व(ग)]।

खंड-3 के सभी उप-खंडों के अंतर्गत एक साथ कार्रवाई की जा सकती थी। आदेश-पुस्तिका के अनुसार प्रभारी अभियंता से इन खंडों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के कारण उत्पन्न परिणामों पर गंभीरता से विचार करने तथा तब, ऐसे उप-खंड का चयन करना अपेक्षित है जो मामले की परिस्थितयों के अनुसार सब से अनुकूल हो।

*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 4 मण्डलों में 292.79 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का निष्पादन करने के पश्चात् ठेकेदारों को दिए गए 600.04 लाख रुपए के 8 निर्माण कार्य अधूरे छोड़ दिए गए थे (नवंबर 1991 तथा नवंबर 1994 के मध्य)। ठेकेदारों ने कटान कार्य क्रम में न करके इसे नरम स्थलों पर प्राक्कलित मात्रा से भी अधिक निष्पादन किया। विभागीय अधिकारियों ने ठेके के उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु ठोस पग नहीं उठाए और न ही उन्होंने छोड़े गए निर्माण कार्यों को ठेकेदारों के जोखिम तथा लागत पर निष्पादित करवाने के आदेश दिए। इसकी बजाय शेष मदें या तो विभाग ने अपने हाथ में लीं या अन्य ठेकेदारों से/ विभागीय रुप से निष्पादन करवाने हेतु इनका विखण्डन किया गया।

तथापि, छोड़े गए कार्यों के निष्पादन में अंतःग्रस्त अतिरिक्त लागत के दावे विवाचक के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जबकि ये विवाचन के दायरे में नहीं आते थे। महत्वपूर्ण मामलों की नीचे विवेचना की जाती है:

(क) शिमला मण्डल संख्या-I द्वारा शिमला उप-मार्ग (चरण-III) 12/125 कि.मी. से 24/250 कि.मी. तक का निर्माण कार्य 104.68 लाख रुपए में एक ठेकेदार को प्रदान किया गया (जुलाई 1989)। सभी प्रकार की मिट्टी के कटान की 2,37,912.82 घनमीटर की अनुमानित मात्रा के संदर्भ में 12.125 किलोमीटर की कुल लम्बाई के प्रति 8 किलोमीटर लम्बाई के विभिन्न भूखण्डों में 3,60,833.615 घनमीटर (51.67 प्रतिशत अधिक) करवाया गया। ठेकेदार ने कठोर भूखण्ड में कार्य छोड़ते हुए नरम भूखण्ड में कटान-कार्य का निष्पादन किया (जुलाई 1993)। विभाग ठेकेदार को कठोर भूखण्ड में भी कटान-कार्य के निष्पादन हेतु नोटिस जारी करता रहा, किन्तु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अधिशासी अभियंता ने पाया (फरवरी 1992) कि कटान कार्य मार्ग की उपयुक्त चौड़ाई तक सीमित नहीं था और अनुप्रस्थ काट नहीं बनाई गई थी। इसी प्रकार की टिप्पणियां मुख्य अभियंता (दक्षिण) द्वारा की गई (अगस्त 1992)। करारनामे के खण्ड 3(ख) के अनुसरण में ठेकेदार को नोटिस दिए बिना ही अगस्त 1993 में कार्य को विभागीय रुप से अपने हाथ में लिया गया। मार्च 1994 में ठेके को निरस्त करने के पश्चात् कठोर भूखण्ड का कटान कार्य विभागीय तौर पर करवाया गया, जिसपर मात्र 54.113 घनमीटर कटान कार्य पर ही 11.04 लाख रुपए का अनुमानित अतिरिक्त व्यय होना था जैसा कि विभाग द्वारा प्राक्कलित किया गया। फिर भी वास्तविक व्यय की जानकारी कार्य के सम्पन्न होने पर होगी।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, रामपुर में 236/0कि0मी0 से 240/0कि.मी. और 245/0कि.मी. से 250/0कि.मी.(राष्ट्रीय राजमार्ग-22) में प्रतिधारक/ब्रैस्ट दीवारों के निर्माण तथा

----

* बैजनाथ, रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग), शिमला-I तथा ठयोग

अनुप्रस्थ जलोत्सारण कार्यों सहित कटान कार्य एक ठेकेदार को 84.04 लाख रुपए में दिया गया (अगस्त 1989) जिसे सितम्बर 1991 तक सम्पन्न करना अनुबंधित था। मिट्टी हटाने वाली भारी मशीनरी लाने के लिए ठेकेदार को 8.40 लाख रुपए के ब्याज मुक्त चल अग्रिम की अदायगी की गई। नोटिसों के बावजूद ठेकेदार ने कार्य सम्पन्न नहीं किया और 8.40 लाख रुपए का मुआवजा उद्गृहीत किया गया (नवम्बर 1991)। करारनामे के खण्ड 3 (क) के अंतर्गत ठेका रद्द कर दिया गया (जनवरी 1992)। दसवां तथा अंतिम बिल 19.57 लाख रुपए की ऋणात्मक राशी का पारित किया गया। किए गए कार्य का अद्यतन मूल्य 46.55 लाख रुपए (55 प्रतिशत) था। ऋणात्मक राशि कम सौंपे गए पत्थरों के मूल्य (6.75 लाख रुपए), चलित अग्रिम के बकाया (1.71 लाख रुपए), विभागीय मशीनरी के भाड़ा-प्रभारों (0.97 लाख रुपए), उद्गृहीत मुआवजा (8.40 लाख रुपए) तथा अन्य वसूलियों (1.74 लाख रुपए) से युक्त थीं।

यद्यपि धारा-3 (ख) का उल्लंघन नहीं किया गया था, तथापि विभाग ने बचे हुए कार्य को विभागीय रुप से निष्पादित करने पर उत्पन्न अतिरिक्त लागत के संदर्भ में विवाचक के पास 56.66 लाख रुपए का प्रतिदावा प्रस्तुत किया।

(ग) उसी मंडल में 212/0 कि.मी. से 236/0 कि.मी. (राष्ट्रीय राजमार्ग -22) तक प्रतिधारक/ब्रैस्ट दीवारों के निर्माण तथा अनुप्रस्थ जलोत्सारण कार्यों सहित कटान कार्य दिल्ली स्थित एक ठेकेदार को 152.99 लाख रुपए में प्रदान किया गया (जून 1989) और इसे 2 वर्षों में सम्पन्न करना अनुबंधित था। ठेकेदार ने 53 दिन के विलम्ब से कार्य आरम्भ किया और प्रगति भी धीमी रही। भूखण्ड में क्रमानुसार कार्य निष्पादन करने के स्थान पर कटान कार्य हेतु चयनित किए गए भागों में भी चट्टानी भाग को कटे बिना छोड़ते हुए नरम भूखण्डों में कटान किया गया। प्रतिधारक/ब्रैस्ट दीवारों तथा अनुप्रस्थ जलोत्सारण कार्यों की मदों को नहीं लिया गया। मिट्टी हटाने वाली मशीनरी कार्यस्थल पर नहीं लाई गई (अक्तूबर 1990) यद्यपि मशीनरी लगाने का निर्णय लिया गया था (मई 1989)। परिणामतः ठेकेदार पर 15.30 लाख रुपए का मुआवजा लगाया गया (नवम्बर 1990)। खण्ड 3 (क) के अंतर्गत मार्च 1993 में ठेके को अंतिम रुप से रद्द कर दिया गया। किए गए कार्य का अद्यतन मूल्य 64.76 लाख रुपए (निविदा राशि का 42.33 प्रतिशत) बनता था तथा 16 वां और अंतिम बिल 15.31 लाख रुपए की ऋणात्मक राशि का पारित किया गया (अक्तूबर 1994)।

यह पाया गया कि ठेकेदार ने मार्च 1989 की अपनी निविदा में ह्यूम पाइप कलवर्टों के निर्माण हेतु 719.72 रुपए प्रति रनिंग मीटर की बहुत कम दर उद्धृत की थी। उस समय केवल अपेक्षित श्रेणी तथा व्यास की ह्यूम पाइपों की विभागीय जारी दर 900 रुपए प्रति रनिंग मीटर थी। ठेकेदार ने 850.30 रनिंग मीटर की ह्यूम पाइप कलवर्टों की अनुबंधित मात्रा के प्रति 30 मीटर मात्रा का निष्पादन किया। इस मद के शेष कार्य पर 6.40 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय होना था, जो उन दरों पर निकाला गया जिन पर वही कार्य जून 1994 में (1500 रुपए प्रति रनिंग मीटर) अन्य ठेकेदार को दिया गया था। कटान कार्य तथा विभिन्न खण्डों में निष्पादन न किए गए अन्य मदों की मार्च 1995 में पूछी गई मात्रा ठेकेदार द्वारा सूचित नहीं की गई थी तथापि 212/0 कि.मी. से

224/0 कि.मी. (अनुमानित लागत: 26.66 लाख रुपए) तक शेष कार्य जून 1994 में एक अन्य ठेकेदार को प्रदान कर दिया गया, जो 15.93 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत से ग्रस्त था।

(घ) इसी भांति राष्ट्रीय राजमार्ग -22 पर किलोमीटर 200/0 कि.मी. से 205/0 कि.मी. तक प्रतिधारक/ ब्रैस्ट दीवारों के निर्माण अनुप्रस्थ जलोत्सारण कार्यों सहित कटान का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, रामपुर द्वारा जनवरी 1993 में 56.38 लाख रुपए में लुधियाना स्थित ठेकेदार को 18 मास के भीतर कार्य पूर्ण करने की शर्त के साथ दिया गया।

यह देखा गया कि आर.डी. 200/1000 से 201/940 में 22,530 घनमीटर के कटान कार्य की अनुमानित मात्रा के प्रति 41.430 घनमीटर का कटान किया गया था, जिसके कारण 4.44 लाख रुपए की लागत का 18,900 घनमीटर (84 प्रतिशत) कटान अधिक हुआ। दूसरी ओर 202/070 कि.मी. से 202/220 कि.मी., 202/600 कि.मी. से 203/720 कि.मी. तथा 203/920 कि.मी. से 204/040 कि.मी. तक (1.390 मीटर) में कोई कटान नहीं किया गया जहां पर 5 किलोमीटर की समग्र लम्बाई में (200/0 से 205/0) 76.11 घनमीटर की कुल अनुमानित चट्टान कटान प्रमात्रा के प्रति 42.490 घनमीटर का चट्टानी कटान कार्य ग्रस्त था। अधिशासी अभियंता ने बताया (मार्च 1995) कि अधिक कटान पहाड़ी ढलान में परिवर्तन के कारण था, क्योंकि प्राक्कलन 1987-88 में तैयार किया गया था। पहाड़ी ढ़लान में परिवर्तन दर्शाते हुए परिशोधित नक्शे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ड.) ठियोग मंडल में शिमला वांगटू मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग -22) के (ढाई)182/0 कि.मी. से 190/0 कि.मी. में प्रतिधारक/ब्रैस्ट दीवारों के निर्माण सहित कटान कार्य 2-1/2 वर्षों के भीतर सम्पन्न् करने की शर्त सहित 91.12 लाख रुपए में एक ठेकेदार को दिया गया (मार्च 1992)। तथापि, ठेकेदार ने मई 1992 तथा दिसंबर 1993 के मध्य 20 मास में 7.78 लाख रुपए मूल्य का केवल 23.221 घनमीटर कटान कार्य का निष्पादन किया। दिसम्बर 1993 में खण्ड 3(क) के अंतर्गत ठेका रद्द कर दिया गया।

यह देखा गया कि प्राक्कलन के अनुसार 182/0 कि.मी. से 184/0 कि.मी. तक 2 किलोमीटर लम्बाई में 67,162 घनमीटर कार्य की तुलना में 182/829 कि.मी. से 183/257 कि.मी. तथा 183/304 कि.मी. से 183/534 कि.मी. तक विभिन्न आर.डी. पर कुल 556 मीटर (659 मीटर की कुल लम्बाई में से 103 मीटर में मट्टम* घटाकर) में केवल 23,221 घनमीटर कार्य किया गया। कार्य को करारनामे के अनुसार 200 मीटर की लम्बाई में क्रम से नहीं किया गया। ठेकेदार ने प्राक्कलन में दिये भूमि के वर्गीकरण के अनुसार उन आर.डी. को चुना जहां तल नरम था। आर.डी 182/0 कि.मी. से 182/929 कि.मी. में विस्फोटन कार्य मिट्टी के कार्य की कुल मात्रा के 20 तथा 70 प्रतिशत के मध्य का था। किए गए कटान कार्य में भी ठेकेदार द्वारा 2 से 12 मीटर लम्बाई के अधिक मट्टम छोड़ दिए गए। छोड़ा गया कार्य (182/0 कि.मी. से 182/800 कि.मी.,

----

मट्टम: किए गए कटान कार्य की अनुप्रस्थ काट दर्शाते हुए गहराई सूचक

183/500 कि.मी. से 185/500 कि.मी. तथा किलोमीटर 185/500 कि.मी. से 188/0 कि.मी. और 189/425 कि.मी. से 189/445 कि.मी.) सितंबर 1994 में उच्च दरों पर तीन ठेकेदारों को दिया गया। इन उच्च दरों पर आधारित 29.98 लाख रुपए के अतिरिक्त व्यय का दावा, जिसे विभाग द्वारा छोड़े गए कार्य को पूर्ण करने के लिए वहन किया जाना था, जुलाई 1994 में विवाचक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कुल 785 मीटर की लम्बाई में कटान कार्य विभागीय रुप से किया गया (लागत ज्ञात नहीं)। अधिशासी अभियंता ने बताया (दिसंबर 1994) कि छोड़े गए कार्य को ठेकेदार के जोखिम व लागत पर नहीं करवाया गया, क्योंकि उठाई गई हानि का दावा विवाचक के पास प्रस्तुत कर दिया गया था। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि करारनामे के प्रावधानों को लागू करना आवश्यक था, ताकि अतिरिक्त व्यय हेतु कानूनी रुप से दावा बनाए रखा जा सकता। यह विवाचन के कार्यक्षेत्र से भी बाहर था। यह अधिशासी अभियंता द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण का द्योतक है।

(च) उसी मण्डल में शिमला-बांगटू मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-22) के 167/0 कि.मी. से 175/0 कि.मी. तक सुधार कार्य 47.16 लाख रुपए में एक ठेकेदार को दिया गया (मार्च 1992)। कार्य धीमी प्रगति के कारण खण्ड 3 (क) के अंतर्गत रद्द कर दिया गया (दिसम्बर 1993)। 168/0 कि.मी. और 169/500 कि.मी. के मध्य 798 मीटर लम्बाई में कार्य निष्पादित किया गया और वह भी खण्डों में। 10.513 घनमीटर कटान कार्य की प्राक्कलित मात्रा के स्थान पर निष्पादित की गई वास्तविक मात्रा 32.432 घनमीटर बनती थी, जिसके परिणामस्वरुप 0.71 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। 170/0 कि.मी. से 175/0 कि.मी. तक छोड़ा हुआ कार्य मई 1994 में प्राप्त निविदाओं के आधार पर अन्य ठेकेदार को उच्च दरों पर दे दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 25.17 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत आई, जिसका दावा विवाचक के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अधिशासी अभियंता ने बताया (दिसंबर 1994) कि खण्ड 3 (ख) तथा (ग) के अंतर्गत कार्रवाई करने की बजाय विवाचक के समक्ष प्रतिदावा प्रस्तुत करना अधिक उचित समझा गया। 168/0 कि० मी० से 169/500 कि.मी. में वृद्धि का कारण ज्यामितिक परिवर्तन बताया गया। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ठेकेदार को नोटिस देकर खण्ड 3(ख) तथा (ग) को लागू नहीं किया गया था। ज्यामितिक परिवर्तन के संदर्भ में दिए गए उत्तर के समर्थन में तथ्य व आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(vii) **समय सीमाओं की अनुचित वृद्धि**

कार्य समापन में विलम्ब होने पर करारनामे के खण्ड 2 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। कार्य रुकावट की तिथि के तीस दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर समय की अनुबद्ध अवधि के बाद समय-बढ़ोतरी स्वीकार की जा सकती है। विभागीय आदेश पुस्तिका के अनुसार चालू समय सीमा की समाप्ति से पूर्व आवेदन पत्र अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए तथा शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिए। निम्नलिखित मामलों में समय सीमा में वृद्धि उचित कारणों पर आधारित नहीं थी।

(क) शिमला उप-मार्ग के 1/750 कि० मी० से 7/195 कि० मी० तक पक्का करने तथा तारकोल बिछाने का कार्य 36.79 लाख रुपए में एक ठेकेदार को में चार महीने में पूर्ण करने की समय सीमा के साथ दिया गया (अगस्त 1988)। कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समापन की समय सीमा कार्य आबंटन से पन्द्रह दिन बीतने की बजाय कार्य आबंटन की तिथि अर्थात् 10 अगस्त 1988 से ली गई। कार्य दो मास के विलम्ब से आरम्भ किया गया तथा एक वर्ष से अधिक के विलम्ब से पूर्ण हुआ। न तो ठेकेदार को कार्य विलम्ब से आरम्भ/ पूर्ण करने हेतु कोई नोटिस जारी किया गया और न ही करारनामे के खंड 2 के अंतर्गत मुआवजा उद्गृहित किया गया। कार्य-पूर्णता की तिथि (दिसंबर 1989) तक समय सीमा की वृद्धि अधीक्षण अभियंता द्वारा "भारी वर्षा व खराब मौसम" के आधार पर अनुमोदित (जनवरी 1990) करके 3.68 लाख रुपए के मुआवजे का अनुद्ग्रहण नियमित कर दिया गया। अधिशासी अभियंतता ने बताया (दिसंबर 1994) कि समय वृद्धि स्वीकृत करने के लिए अनभिलिखित कारणों पर विचार किया गया। यह उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि समय-वृद्धि स्वीकृत करने के अधिकार का मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता था।

(ख) ठियोग मण्डल में राष्ट्रीय राजमार्ग -22 (162/0 कि.मी. से 167/0 कि.मी.) के तंग तथा खराब भागों का सुधार कार्य 24.19 लाख रुपए में ठेकेदार को दिया गया(सितम्बर 1989)। कार्य उसके द्वारा अनुबंधित तिथि (मार्च 1991) को पूर्ण नहीं किया गया और अगस्त 1991 में अधीक्षण अभियंता से प्राप्त हुए अनुमोदन पर 2.42 लाख रुपए का मुआवजा उद्गृहीत किया गया (सितम्बर 1991)। जून 1993 में अधीक्षण अभियंता ने यह विचार करते हुए कि अधिशासी अभियंता द्वारा उद्गृहीत किया गया मुआवजा अनुमान तथा परिकल्पना पर आधारित था, मुआवजे की राशि घटाकर 0.24 लाख रुपए कर दी। अधीक्षण अभियंता द्वारा लिए गए निर्णय के पक्ष में दिसम्बर 1994 में उससे पूछे गये यथार्थ कारण सूचित नहीं किए गए थे।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, सोलन द्वारा बड़ोग उप-मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग 22) की प्रतिधारक/ब्रैस्ट दीवारों के निर्माण तथा अनुप्रस्थ जलोत्सारण कार्यों सहित कटान कार्य दिल्ली के एक ठेकेदार को 4 वर्षों की समापन अवधि सहित 424.46 लाख रुपए में दिया गया (जनवरी 1989)। अधिशासी अभियंता ने कार्य की धीमी प्रगति के संदर्भ में मई 1989 में ठेकेदार को नोटिस जारी किया जिसका ठेकेदार ने यह कह कर खंडन किया कि कार्यस्थल के अड़चन-मुक्त न होने के कारण अधिक मजदूरों की तैनाती नहीं की जा सकी। अधिशासी अभियंता ने यह बात दृढ़ता से कही (मई 1990) कि कार्य करने हेतु पर्याप्त लम्बाई उपलब्ध थी। विशिष्ट अर्थों में कार्य की धीमी प्रगति इंगित करते हुए फरवरी 1991 में एक पंजीकृत नोटिस जारी किया गया। तथापि ठेकेदार ने बताया (फरवरी 1993) कि मार्च 1989 में विभाग द्वारा सोलन की ओर से कार्यस्थल का केवल एक लघु भाग उपलब्ध करवाया गया तथा कुमारहट्टी की ओर से एक अन्य लघु भाग कार्य देने के लगभग एक वर्ष बाद उपलब्ध करवाया गया। उसके द्वारा यह भी इंगित किया गया कि 7.150 किलोमीटर का कार्यस्थल जनवरी 1993 तक नहीं सौंपा गया था। अगस्त 1992 में अधीक्षण अभियंता ने अधिशासी अभियंता की संस्तुति पर कार्यस्थल, मिट्टी तथा सीमेंट हेतु क्षेपण स्थल/निधियों की अनुपलब्धता के आधार पर 30 जून 1995 तक समय वृद्धि अनुमोदित की किन्तु प्रगति बहुत धीमी रही। जनवरी 1995 तक केवल 316.11 लाख रुपए का भुगतान किया गया था।

यहां तक कि समय वृद्धि संस्वीकृत करने के समय भी ठेकेदार से कोई कार्य सूची प्राप्त नहीं की गई थी। विशिष्ट आर.डी पर कार्य निष्पादित करने के लिए ठेकेदार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा न ही मूल अथवा समय वृद्धि के दौरान धीमी प्रगति हेतु कोई मुआवजा उद्ग्रहीत किया गया। निर्माण की अनुबंधित अवधि के दौरान विभाग द्वारा सम्पूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध न करवाने के कारण ठेकेदारें को समय वृद्धि और 32.77 लाख रुपए की राशिं की लागत वृद्धि दी गई, जो परिहार्य थी।

(viii) मुआवजे का उदग्रहण तथा ठेकों को रद्द करना

विभाग की आदेश पुस्तिका के अनुसार विभागीय अधिकारियों को ठेकेदारों से कार्य करवाते समय पूर्णतः सतर्क रहना अपेक्षित है, ताकि सरकार के हितों की रक्षा की जा सके। यह निर्णीत* है कि निश्चित तिथि तक ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने में विफलता के शीघ्र बाद यदि मुआवजा उद्गृहीत नहीं किया जाता तो अधित्याग द्वारा कार्य पर रोक लगा दी जाएगी।

(क) 4 मण्डलों**, में मुआवजा उद्गृहीत किया गया और ठेकेदारों के अधिकांशतः सभी देयों को चुकाने के पंश्चात् निर्माण कार्यों को रद्द कर दिया गया, जिसके कारण 4 मामलों में अंतिम बिलों के अनुसार ठेकेदारों से वसूल की जाने वाली कुल राशि 35.37 लाख रुपए बनती थी। इनमें से तीन मामले विवाचनाधीन थे।

(ख) 8 मण्डलों*** में 719.93 लाख रुपए के दिए गए 21 कार्यों की प्रगति बहुत धीमी थी तथा 70.43 लाख रुपए का मुआवजा उद्गृहीत नहीं किया गया था।

(ग) कांगड़ा मंडल में एक ठेकेदार को 17.33 लाख रुपए पर् दिया गया (नवम्बर 1990) एक कार्य समापन की अनुबंधित तिथि के दो वर्ष बाद भी उसके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। कोई मुआवजा उद्गृहीत नहीं किया गया तथा ठेके को चिकित्सा के आधार पर बंद कर दिया गया, जिसके लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं था।

---

* राजस्थान सरकार बनाम चन्द्र मोहन चोपड़ा, ए.आई.आर., 1971 राज0 229

** बैजनाथ, कुल्लू-II, रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग) तथा शिमला-I

*** बैजनाथ, बिलासपुर-II, जोगिन्द्रनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग), कांगड़ा, कुल्लू-I, पालमपुर, शिमला-II तथा ठियोग

(ix) डिजाइन/विनिर्देशों से विचलन

(क) केन्द्रीय सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला शिमला ने मण्डी-मनाली मार्ग के (राष्ट्रीय राजमार्ग-21) 82/0 कि0 मी0 से 105/0 कि0 मी0 पर मार्ग की सतह को पक्का करने हेतु 50 किलोमीटर मोटी तारकोलीय मेकेडम सतह संस्तुत की। तारकोलीय मेकेडम बिछाने से पूर्व लगभग 49.65 लाख रुपए की लागत का निर्मित स्प्रे ग्राउट भी बिछाया गया, जिसके लिए प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं था। ऐसा करने के कारणों को नहीं बताया गया था (अगस्त 1995)।

(ख) दिसम्बर 1986 के मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार बिल्ट अप स्प्रे ग्रॉऊट का पक्के किए गए मार्ग की ऊपरी अंतिम परत में प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाएगा, जहां पर यह 10 वर्षीय परिकल्पित यातायात की सम्पूर्ण आवश्यकता के लिए जुटाई गई थी, क्योंकि निर्मित स्प्रे ग्रॉउट हाथ से बिछायी गई परत है जो अन्य बिटूमन सामग्री से निर्मित परत की तुलना में अधिक रिक्त होती हैं, इसे बाद में मार्ग पटरी/ सील कोट तह से आवृत किए बिना किसी भी अवस्था में यातायात के लिए नहीं खोला जाना चाहिए।

4 मंडलो* में 101.86 लाख रुपए की लागत के 275,230 वर्ग मीटर बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट को अंतिम तह/ सील कोट से तुरन्त आवृत्त किए बिना यातायात के लिए खोल दिया गया, जिससे बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट यातायात/वर्षा से क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो गयी।

(ग) 75 मिलीमीटर मोटे बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट से 174/200 कि.मी. से 178/500 कि.मी. तक चंडीगढ़ मण्डी-मनाली मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-21) की पटरी को पक्का करने का कार्य 27.79 लाख रुपए की लागत पर फरवरी 1987 तथा अप्रैल 1988 के मध्य किया गया। अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नवत् अनियमितताएं उद्‌घाटित हुई:

(i) 43,386 वर्गमीटर " बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट" को अंतिम तह से आवृत्त करने में 5 तथा 240 दिनों के मध्य का विलम्ब था। इनमें से 35,063 वर्गमीटर "बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट" वर्षा ऋतु से पहले या उसके दौरान बिछाया गया, किन्तु 5 से 8 मास के पश्चात् अंतिम तह से आवृत किया गया। इतने में "सील कोट" बिछाए बिना मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया था। अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं था जो यह दर्शा सके कि "बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट" तह तथा विद्यमान ब्लैक टाप के मध्य जल- संचयन का परिहार करने हेतु कोई पर्याप्त जलनिकास व्यवस्था थी या नहीं।

(ii) "बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट" में प्रयुक्त एग्रीगेट का श्रेणीकरण मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुरुप नहीं था। बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट की तह की मोटाई की विभागीय अधिकारियों द्वारा नमूना जांच नहीं की गई।

---

* बिलासपुर-II कुल्लू-II, शिमला-11 तथा सुन्दरनगर

फरवरी 1986 के मंत्रालय के अनुदेशों के अंतर्गत पक्का करने का कार्य 10 वर्षों के लिए तैयार किया जाना चाहिए। उपरोक्त भाग में पक्का करने का कार्य पुनः मार्च 1991 में स्वीकृत किया गया जिसकी आवश्यकता केवल 3 वर्षों के पश्चात् ही पड़ी थी तथा 55.69 लाख रुपए की लागत संभावित थी। "बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट" के साथ पक्का किए गये कार्य की उपरोक्त अनियमितताओं की दृष्टि से घटिया होने के कारण क्षतिग्रस्त होने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता था। अधिशासी अभियंता ने बताया (जनवरी 1995) कि मामले पर विचार किया जाएगा।

(x) तारकोल के कम प्रयोग से घटिया काम

दो मंडलों * में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-21 तथा 22 के दो कार्यों पर तारकोल युक्त रोड़ी बिछाने हेतु प्राक्कलन हिमाचल प्रदेश मानक अनुसूची दर के आधार पर तैयार किए गए थे। अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि संस्वीकृत प्राक्कलनों में 75 किलोग्राम प्रति 10 वर्गमीटर तारकोल के प्रावधान की तुलना में शिमला मण्डल संख्या-। के सम्बन्ध में एक मामले में वास्तविक खपत 58.8 किलोग्राम प्रति 10 वर्गमीटर थी। बिलासपुर मण्डल संख्या-।। से सम्बन्धित दूसरे मामले में संस्वीकृत प्राक्कलनों में तारकोल की खपत 50 किलोग्राम प्रति 10 वर्गमीटर के प्रावधान की तुलना में 40 किलोग्राम प्रति 10 वर्गमीटर की दर से की गई। उपरोक्त दो मामलों में 12.40 लाख रुपए की 310 टन तारकोल कम प्रयुक्त की गई। घटिया कार्य के निष्पादन के अतिरिक्त ठेकेदारों के साथ किए गए करारनामों के अंतर्गत अपेक्षित कम प्रयुक्त की गई तारकोल की वसूली ठेकेदारों से नहीं की गई थी।

(xi) टैक कोट का परिहार्य उपयोग

मंत्रालय के विनिर्देशों के अंतर्गत तारकोल मेकेडम में बिना किसी विलम्ब् के अंतिम सतह जुटाई जाएगी या इसे यातायात के लिए खोलने से पूर्व सील कोट के साथ आवृत्त किया जाएगा। एक अन्य ब्लैक टॉप तह के पश्चात नवीन रुप से बिछाई गई ब्लैक टॉप तह पर टैक कोट की आवश्यकता नहीं होती।

वर्ष 1990-94 के दौरान 3 मण्डलों ** में 176.71 लाख रुपए का व्यय करके 2,92,108 वर्गमीटर क्षेत्र में बिछाए गए तारकोलयुक्त मेकेडम पर अंतिम तह अथवा सीलकोट करने से पूर्व ही उसे यातायात के लिए खोल दिया गया। इस विलम्ब से न केवल निर्माण कार्य को यातायात/ वर्षा से क्षति हुई बल्कि इससे 9.07 लाख रुपए की लागत के टैक कोट की भी आवश्यकता पड़ी जो परिहार्य थी।

---

* बिलासपुर-।। कुल्लू-।। तथा शिमला-।

** बिलासपुर -।।, शिमला-। तथा सुन्दरनगर

अधिशासी अभियंता, सुन्दरनगर मण्डल ने बताया (दिसम्बर 1994) कि अधिक यातायात और कस्बे के तंग क्षेत्र के कारण तारकोलयुक्त मैकेडम बिछाने के शीघ्र पश्चात् अंतिम तह नहीं बिछाई जा सकी। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि मंत्रालय के विनिर्देशों के अंतर्गत यह ठेकेदार का उत्तरदायित्व था कि वह आंशिक चौडाई, विशेषकर जब मार्ग की पूर्ण चौड़ाई पहले ही पूर्ण की जा चुकी थी, में यातायात के नियमन की व्यवस्था करता।

अधिशासी अभियंता, बिलासपुर मण्डल संख्या-II ने विचलन को इस आधार पर अनुमोदित कर दिया (यद्यपि ऐसा करने हेतु सक्षम नहीं) कि पहाड़ी क्षेत्र के होने के कारण कार्यों को एक साथ करवाना संभव नहीं था।

(xii) बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट से मार्ग समतल करना

मंत्रालय के दिसम्बर 1986 के मार्गदर्शनों में रुपरेखा सुधारक कार्य (समतलन कार्य) के लिए पूर्व मिश्रित सामग्री का उपयोग परिकल्पित है तथा इस प्रयोजनार्थ बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट के उपयोग की मनाही है। समतलन कार्य के निर्धारण हेतु मंत्रालय के विनिर्देशों की धारा 501.2.3.5 में इंगित रीति से समतलों को लिया जाना था।

(क) सुन्दरनगर मण्डल में 3.991 वर्गमीटर क्षेत्र (174/200 कि.मी. से 178/500 कि.मी.) में रुपरेखा सुधार कार्य बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट के साथ किया गया(1987) जिसके परिणामस्वरुप 1.43 लाख रुपए(358.75 रुपए प्रति 10 वर्गमी0)का अनियमित व्यय हुआ।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, सोलन में दिसम्बर 1986 में जारी मंत्रालय के मार्गदर्शनों के विपरीत 11,808 वर्गमीटर क्षेत्र (लागत ज्ञात नहीं) में बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट से विभागीय रुप से समतलन कार्य किया गया (1989-91) और वह भी 3,730 वर्गमीटर क्षेत्र में टैक कोट कराए बिना। समतलन कार्य के निर्धारण हेतु लैबल नहीं लिया गया।

(xiii) रोड रोलर से कम संघटन

सड़क की सतह के उत्तम निष्पादन हेतु इसका अच्छा संघटन अनिवार्य है, क्योंकि यह निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की मजबूती को सारभूत रुप से बढ़ा देता है।

हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची के अनुसार शिमला उप-मार्ग (चरण I) में I/750 कि० मी० से 7/195 कि० मी० को पक्का करने तथा तारकोलयुक्त रोड़ी बिछाने के कार्य में उचित संघटन हेतु रोड रोलर को 2832 घण्टे तक लगाया जाना अपेक्षित था ताकि समुचित सघनता प्राप्त की जा सके। तथापि, यह केवल 809 घंटों के लिए लगाया गया। इसके कारण ठेकेदार को भाड़ा प्रभारों की कम वसूली से 1.38 लाख रुपए का अनुचित लाभ दिया गया, क्योंकि ठेकदार को रोड़ रोलर से संघटन सहित पक्का करने तथा तारकोल बिछाने के कार्य के लिए पूर्ण दरों पर भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त कार्य का संघटन भी 71.42 प्रतिशत तक कम हुआ। अधिशासी अभियंता ने बताया (नवम्बर 1994) कि मानकों के अनुसार चलना सम्भव नहीं था।

4.1.8 निर्माण कार्यों का अनुरक्षण

(i) आवधिक नवीकरण

मार्ग की सतह का आवधिक रुप से नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि इसे यातायात का भार वहन करना पड़ता है और इसकी टूटफूट होना भी स्वभाविक है। राजमार्ग अभियंताओं की पॉकेट पुस्तिका के अंतर्गत प्रतिवर्ष मार्ग के प्रत्येक खण्ड का कम से कम दो बार एक मौनसून से पूर्व तथा दूसरा उसके बाद, स्थिति सर्वेक्षण करना अपेक्षित है। नवीनीकरण की आवश्यकता अथवा पटरी पक्का करने का निर्णय लेने हेतु कायदे के अनुसार एकत्रित आंकड़ो को किलोमीटरवार अभिलिखित किया जाना अपेक्षित है। विभाग द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलनों के सारों के विवरणों के आधार पर नवीनीकरण कार्यक्रमों को मंत्रालय द्वारा वार्षिक रुप से अनुमोदित किया जाता है।

यह पाया गया कि 7 मंडलों * में स्थिति सर्वेक्षण नहीं करवाया गया था।

3 मण्डलों ** में राष्ट्रीय राजमार्ग -20,21 तथा 22 के 12 किलोमीटर में मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना वर्ष 1991-92 तथा 1994-95 के मध्य नवीनीकरण कार्य निष्पादित किए गए थे। तथापि उन्हीं मण्डलों में मंत्रालय द्वारा 1990-91 तथा 1993-94 के मध्य 17 किलोमीटर में अनुमोदित नवीकरण कार्य नहीं करवाए गए थे। अधिशासी अभियन्ता जोगिन्द्रनगर तथा रामपुर मण्डल ने बताया (मार्च तथा मई 1995) कि नवीनीकरण के लिए अनुमोदित न किए गए किलोमीटरों में नवीनीकरण करवाया गया क्योंकि उनकी स्थिति बहुत खराब थी। अतः अनुमोदित किलोमीटरों, जहां स्थिति तुलनात्मक रुप से ठीक थी, का नवीनीकरण नहीं किया गया।

---

* बैजनाथ, बिलासपुर-II, जोगिन्द्रनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग), रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग) सोलन (राष्ट्रीय राजमार्ग), सुन्दरनगर तथा ठियोग

** बिलासपुर-II, जोगिन्द्रनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग) तथा रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग)

राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, जोगिन्द्रनगर में बार चार्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग -20 की विभिन्न आर.डी. में कुल 8,700 किलोमीटर में वर्ष 1989-90 के दौरान नवीनीकरण कार्य प्रस्तावित किए गए किन्तु मंत्रालय से प्रस्ताव अनुमोदित न होने के कारण कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था, जैसा कि अधिशासी अभियंता ने बताया (फरवरी 1995)। 134/300 कि.मी.-1000 तथा 138/0 कि.मी. में 1990-91 के दौरान नवीनीकरण कार्य करवाया गया, किन्तु इसे पुन: 1991-92 के दौरान मंत्रालय से नवीनीकरण हेतु अनुमोदित करवाया गया।

10 मण्डलों * में प्राक्कलनों को तकनीकी रुप से स्वीकृत करवाए बिना वर्ष 1990-91 तथा 1993-94 के मध्य सड़कों के आवधिक नवीनीकरण पर 452.44 लाख रुपए का व्यय किया गया।

(ii) **नवीनीकरण विनिर्देशों का पालन न करना**

मई 1988 में नियुक्त अध्ययन ग्रुप की संस्तुतियों के आधार पर मंत्रालय ने उन राजमार्गों के मामले में जहां प्रतिदिन 450 वाणिज्यिक वाहनों तक का यातायात हो, मिक्स सील सरफेस अथवा प्री-मिक्स कारपेट (एक समय में बिछाई गई एक तह)के द्वारा नवीनीकरण ढंग अपनाया तथा इसे अप्रैल 1990 से लागू किया।

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, रामपुर के कुछ भागों को छोड़कर विभाग ने मंत्रालय के निर्णय का पालन नहीं किया था। बैजनाथ तथा जोगिन्द्रनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग) मण्डलों में राष्ट्रीय राजमार्ग -20 में प्रतिदिन 450 तक वाणिज्यिक वाहनों का यातयात था। पूर्व मिश्रित कारपेट (पेवर की सुविधा के बिना) के साथ 1990-91 तथा 1994-95 के मध्य 1,34,708 वर्गमीटर के मार्ग की सतह का नवीनीकरण किया गया और कुल 47.13 लाख रुपए की लागत पर सील कोट भी बिछाया गया। यदि नवीनीकरण कार्य "एक समय में बिछाई गई एक तह" के साथ पी-मिक्स कारपेट से किया जाता, तो 31.11 लाख रुपए का व्यय होता। इसके अतिरिक्त मिश्रित सील सरफेसिंग की लागत 24.62 लाख रुपए बनती। यहां तक कि प्री-मिक्स कारपेट का अधिक व्यय वाला विकल्प अपनाकर भी 16.02 लाख रुपए के व्यय का परिहार हो सकता था।

---

* बैजनाथ, बिलासपुर-II, जोगिन्द्रनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग), कांगड़ा, पालमपुर, रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग), शिमला-II, सोलन (राष्ट्रीय राजमार्ग), सुन्दरनगर तथा ठियोग

(ख) प्रतिदिन 450 वाणिज्यिक वाहनों से अधिक के यातायात वाले मार्गों में मंत्रालय के निर्णय की शर्तों के अनुसार अर्द्ध-सघन कारपेट के द्वारा नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित है। निर्णय के विपरीत बिलासपुर II तथा सोलन (राष्ट्रीय राजमार्ग) मण्डलों में राष्ट्रीय राजमार्ग-21 तथा 22 के 2,42,669 वर्गमीटर क्षेत्र में प्री-मिक्स कारपेट तथा सील कोट के द्वारा नवीनीकरण किया गया। परिणामतः 6.23 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

(ग) मंत्रालय के विनिर्देशों के अंतर्गत, प्री-मिक्स कारपेट हेतु 11.2 मिलीमीटर तथा 13.2 मिलीमीटर आकार के एग्रीगेटों का प्रयोम किया जाना था। तथापि 5 मण्डलों* में इस प्रयोजनार्थ सामान्यतः 10 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर आकार के एग्रीगेटों का प्रयोग किया गया।

(iii) **तारकोल तथा ईंधन लकड़ी की अधिक खपत**

मंत्रालय के विनिर्देशों के खण्ड 503.3.2 के अनुसार टैक कोट करवाने के लिए प्रति 10 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए 5 से 5.5 किलोग्राम तारकोल अपेक्षित था।

6 मण्डलों** में 1990-91 तथा 1994-95 के मध्य 2 सेंटीमीटर प्री-मिक्स कारपेट के साथ नवीनीकरण कार्यों के निष्पादन हेतु टैक कोट करवाने पर प्रति 10 वर्गमीटर पर 10 किलोग्राम तारकोल की खपत हुई, जिसके परिणामस्वरुप 10.70 लाख रुपए की लागत के 161.551 टन तारकोल की अधिक खपत हुई। फिर तारकोल की अधिक मात्रा को गर्म करने के लिए 1.39 लाख रुपए मूल्य की 1,092 क्विंटल ईंधन की लकड़ी की भी अधिक खपत हुई। इसके अतिरिक्त, तारकोल के अधिक प्रयोग के परिणामस्वरुप सतह पर बाईंडर का संग्रह होगा, जिससे सतह मोटी/फिसलनदार हो जाएगी, जिसके समाधान हेतु और कार्य करना होगा।

अधिशासी अभियंता, बैजनाथ तथा ठियोग मण्डलों ने अधिक खपत का कारण तथ्यों व आंकड़ों को दिए बिना ही मार्ग स्तह का बुरी तरह से टूटा-फूटा होना बताया।

(iv) **उन्नत विनिर्देश अपनाना**

इण्डियन रोड कांग्रेस विनिर्देश 14/1970 ने प्रति वर्ष 150 सैंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रति 10 वर्गमीटर क्षेत्र में 22 किलोग्राम तारकोल प्रयुक्त करते हुए मिक्स सील सरफेसिंग टाइप "ए" और प्रति वर्ष 150 सैंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए 3 किलोग्राम तारकोल कम प्रयुक्त करते हुए मिक्स सील सरफेसिंग टाइप "बी" के साथ नवीनीकरण संस्तुत किया। इसी भांति, मार्ग व भवन निर्माण कार्यों हेतु मंत्रालय के विदिर्देशों का खण्ड 510 (द्वितीय संशोधन) टाइप "ए"/"बी" मिक्स सील सरफेसिंग की व्यवस्था करता है।

---

* बिलासपुर-II जोगिन्द्रनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग), कांगड़ा रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग) तथा सोलन (राष्ट्रीय राजमार्ग)

** बैजनाथ, जोगिन्द्रनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग) कांगड़ा, कुल्लू-II, रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग) तथा ठियोग

ठियोग मंडल में राष्ट्रीय राजमार्ग-22 के 10064.78 वर्गमीटर क्षेत्र पर प्री-मिक्स कारपेट तथा सील कोट के साथ नवीनीकरण करने के तुरन्त बाद सरफेस ड्रैसिंग बिछाई गई (अक्तूबर 1990 तथा मई 1993), यद्यपि मंत्रालय के विनिर्देशों के अंतर्गत सील कोट के बाद की जाने वाली सरफेस ड्रैसिंग और प्री-मिक्स कारपेट नवीनीकरण प्रक्रियाओं की दो स्वतंत्र श्रेणियां हैं। परिणामतः, सरफेस ड्रैसिंग पर 1.48 लाख रुपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(v) **सील कोट**

मंत्रालय के विनिर्देशों के खण्ड 509.1.3.6 के अंतर्गत यातायात हेतु मार्ग खोलने से पूर्व प्री-मिक्स कारपेट पर सील कोट बिछाना अपेक्षित था, ताकि कारपेट के खुलेपन को बंद किया जा सकता और सतह को जलरुद्ध बनाया जा सकता। मिश्रित सील सरफेसिंग पर सील कोट बिछाना आवश्यक नहीं था।

(क) इन विनिर्देशों के विपरीत, सोलन तथा रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डलों में वर्ष 1991-92 तथा 1994-95 के मध्य 87745.61 वर्गमीटर क्षेत्र में प्री-मिक्स के ऊपर सील कोट नहीं बिछाई गई।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, सोलन में मिक्स सील सरफेसिंग के साथ नवीनीकरण निष्पादित करने के शीघ्र बाद राष्ट्रीय राजमार्ग -22 के 19,688 वर्गमीटर क्षेत्र पर सील कोट बिछाने के कारण 1.29 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

4.1.9 **नियमित अनुरक्षण**

राजमार्ग अनुरक्षण एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, क्योंकि खराब मार्गों से मार्ग-परिवहन की लागत बढ़ती है। मार्गों के अनुरक्षण में विफल रहना अपनियोजन के समान है क्योंकि इससे भूतकाल में मार्गों में किया गया निवेश व्यर्थ हो जाता है।

(i) 4 मण्डलों* में वर्ष 1994-95 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग -20,21 व 22 के अनुरक्षण हेतु 129.83 लाख रुपए की मांग की तुलना में केवल 40.31 लाख रुपए की निधियां प्राप्त हुई।

---

* बिलासपुर-II, जोगिन्द्रनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग), रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग) तथा सोलन (राष्ट्रीय राजमार्ग)

(ii) **विनिर्देशों का पालन न करना**

मंत्रालय के जून 1992 के परिपत्रानुसार आर्दता मौसम में सभी मरम्मत कार्यों तथा मौनसून पूर्व नवीनीकरण कार्यों के लिए तारकोल युक्त पायस का उपयोग किया जाना अपेक्षित था ताकि ईंधन की बचत की जा सके तथा सड़क की सतह को जल प्रतिरोधी और विछेद रोधक बनाया जा सके। अप्रैल 1988 में मंत्रालय ने निर्माण कार्यस्थल पर तारकोल में विच्छेदरोधक यौगिक मिलाने के आदेश दिए।

7 मण्डलों * में तारकोल मिश्रण प्रयुक्त नहीं किया जा रहा था तथा विच्छेद-रोधक कारक तारकोल में नहीं मिलाया जा रहा था।

महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान के पास "रेट कान्ट्रेक्ट" पर उपलब्ध तारकोल मिश्रण का उपार्जन न करने हेतु कारण, मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) से पूछे गए थे (अगस्त 1994), जिनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मार्च 1995)।

(iii) **रोड़ी को एकत्र न करना**

पत्थर/तारकोल बिछाने के कार्य के उप-आधार तथा आधार प्रक्रिया हेतु बड़ोग बाई-पास (राष्ट्रीय राजमार्ग -22) की 14 किलोमीटर लम्बी दोहरी "लेन" के कटान कार्य से उपलब्ध रोडी को उपयुक्त पाया गया (जुलाई 1992)। उपरोक्त भाग में पत्थर/ तारकोल बिछाने हेतु 150 रुपए प्रति घनमीटर की दर से 34.25 लाख रुपए की लगभग 22834 घनमीटर रोडी अपेक्षित थी। रोड़ी को इकट्ठा करके नहीं रखा गया बल्कि यह विभिन्न स्थलों पर गड्ढों में फैंकी गई यद्यपि इन स्थलों का पता लगाने में अत्यधिक कठिनाई बनी रही।

4.1.10 **अन्य रुचिकर प्रसंग**

(i) **दूरभाष केबलों का बिछाना**

राजमार्ग अभियंताओं की पॉकिट पुस्तक के परिच्छेद 14.6 (प्रथम संशोधन) के साथ पठित नवंबर 1976 के मंत्रालय के परिपत्रानुसार दोहरी लेन वाले वाहन मार्ग के किनारे से एक मीटर की दूरी पर सड़क के उभरे हुए भाग के नीचे दूरभाष केबलें बिछाने की अनुमति दी जा सकती है। दूरसंचार विभाग को खाइयां खोदने के कारण हुई सभी क्षतियों की मार्ग प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करनी होती है। अन्य बातों के साथ-साथ इन शर्तों पर राज्य सरकार मंत्रालय को सूचित करते हुए राज्य मुख्य अभियंता को केबलें बिछाने हेतु अनुमति प्रदान करेगी।

---

* बैजनाथ, बिलासपुर-II, जोगिन्दनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग), सोलन (राष्ट्रीय राजमार्ग), सुन्दरनगर तथा ठियोग।

राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, जोगिन्द्रनगर में मार्ग के पहाड़ी किनारे (राष्ट्रीय राजमार्ग-20) शोल्डरों के नीचे 7.785 किलोमीटर की लम्बाई में दूरभाष केबलें बिछाई गई थीं और उस मण्डल के परिक्षेत्र में पड़ने वाले राजमार्ग की शेष 65,915 किलोमीटर लम्बाई में मंत्रालय की अनुमति प्राप्त किए बिना केबलें बिछाने का कार्य प्रगति पर था। इकहरी लेन से दो लेनों हेतु सड़क की चौड़ाई का कार्य चला हुआ था (जनवरी 1995) पहाड़ी किनारे पर बिछाई गई केबलें चौड़ाई कार्य पूर्ण होने पर ढुलाई रास्ते में आ जानी थी। अधिशासी अभियंता ने बताया (मार्च 1995) कि घाटी किनारे की तुलना में पहाड़ी किनारे पर केबलों को बिछाना सुरक्षित था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इससे खुदाई कार्य बारम्बार करना पड़ सकता था तथा अन्य विकल्पों को ढूढ़ लिया होता।

(ii) **गड्ढों को भरने हेतु गलत भुगतान**

मंत्रालय के विनिर्देशों के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा भरी गई दरें अन्य बातों के साथ-साथ गड्ढों को भरने हेतु पूर्ण मुआवजे सहित थीं।

शिमला मण्डल-1 तथा II में दो ठेकेदारों को उनके द्वारा बिछाई गई तारकोल के भुगतान के अतिरिक्त गड्ढों/लीक को भरने हेतु 1.48 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

अधिशासी अभियंता, शिमला मण्डल संख्या-II ने बताया (नवम्बर 1994) कि विभागीय विनिर्देशानुसार गड्ढों को ठेकेदारों द्वारा नहीं भरा जाना था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संविदा करारों में यथा अनुबंधित मंत्रालय के विनिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

(iii) **वृद्धि प्रभारों का अनियमित भुगतान**

ठेके के मानक प्रपत्र के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि होने पर ठेकेदार को बढ़ौतरी का भुगतान किया जाना था यदि मजदूरी की बढ़ी हुई दरें उपयुक्त तथा आवश्यक रूप से उसके द्वारा दी गई होती। पुनः उसके द्वारा काम पर लगाए गए मजदूरों के निर्धारित विवरण को दर्शाने वाली पाक्षिक विवरणियां प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, सोलन में 32.77 लाख रुपए के वृद्धि प्रभार निर्धारित पाक्षिक विवरणियों को प्राप्त किए बिना ही ठेकेदार को भुगतान कर दिए गए। ठेकेदार ने मजदूरों के अतिरिक्त भारी मशीने तैनात करके कटान कार्य (बड़ोग बाईपास का निर्माण) करवाया। ठेकेदार को देय वृद्धि प्रभारों का हिसाब करते समय मशीनों द्वारा किए गए कार्य को नहीं निकाला गया और समस्त कार्य को मजदूरों द्वारा किया गया माना गया। अधिशासी अभियंता ने बताया (सितंबर 1995) कि इस समय मशीनों तथा मजदूरों द्वारा किए गए कार्य के विवरणों को पृथक रूप में निकालना सम्भव नहीं था।

(iv) **ठेकेदार को संचालन अग्रिम की स्वीकृति**

राष्ट्रीय राजमार्ग -22 पर तीन पुलों का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, रामपुर ने दिल्ली के ठेकेदार को 24 मास की अनुबंधित अवधि में पूर्ण करने की शर्त सहित 203.68 लाख रुपए में दिया (मार्च 1994)। दो पुलों के लिए मार्च तथा मई 1994 में कुल 12.54 लाख रुपए का ब्याज मुक्त संचालन अग्रिम दिया गया। फरवरी 1995 तक अन्य भुगतान नहीं किया गया। करार में प्रावधान होने पर भी ठेकेदार से निर्माण कार्यक्रम प्राप्त नहीं किया गया। कार्य आरम्भ करने में विलम्ब हेतु उद्ग्राह्य 15.28 लाख रुपए का मुआवजा भी उद्गृहीत नहीं किया गया था (मई 1995)।

(v) **काटे गये वृक्षों से कम प्रतिफल**

राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, सोलन में दिसम्बर 1992 तथा फरवरी 1994 के मध्य बड़ोग बाई-पास के किनारों पर पड़ने वाले वृक्षों की लागत के कारण 21.27 लाख रुपए मण्डलीय वन अधिकारी, सोलन को दिए गए। हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम, जिसने वृक्षों को गिराया था, जून 1993 में सूचित किया कि निकाली गई इमारती लकड़ी 2.39 लाख रुपए की थी जबकि वन विभाग ने खड़े वृक्षों का निर्धारण 21.27 लाख रुपए का किया था। मण्डल ने फरवरी 1995 तक राशि वसूल नहीं की थी।

(vi) **तारकोल का दुर्विनियोजन**

राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, रामपुर बुशैहर में मथुरा रिफाइनरी से जून तथा जुलाई 1992 के दौरान विमुक्त करवाये गये तारकोल के 700 ड्रमों में से 0.40 लाख रुपए के 60 ड्रम मार्च 1993 तक वितरित किए गए तथा 4.24 लाख रुपए के 640 ड्रम लाने वाले ठेकदार ने परेषिती को नहीं सौंपे थे। मामला पुलिस को सितम्बर 1994 में सूचित किया गया, जिसकी छानबीन जुलाई 1995 तक जारी थी इस प्रकार तारकोल के दुर्विनियोजन को नकारा नहीं जा सकता।

(vii) **कार्यों को मिला देना**

मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार (जनवरी 1989), पुलों के सभी ठेके पूर्व अनुमोदित अभिकल्प पर मद दर आधार पर होते थे सिवाय जहां मंत्रालय ने विशेषरूप से वैकल्पिक (ठेकेदार का) अभिकल्प के आधार पर निविदाओं को अनुमत किया हो।

(क) कांगड़ा मण्डल में बंदला तथा बैंतलू नालों के ऊपर पुलों के निर्माण, जिनका प्रत्येक का स्पैन 15.355 मीटर था, पृथकरुप से अनुमोदित (मार्च 1991) किए गए किन्तु निविदाएं आमंत्रित करते हुए एक साथ मिला दिया और ठेकेदार के अभिकल्प के आधार पर उसे एकमुश्त ठेका (52 लाख रुपए) पर दे दिया (मई 1992), जबकि मंत्रालय द्वारा (मार्च 1991) पुलों का कार्य प्रत्येक के लिए पृथकरुप से अनुमोदित किया गया था।

(ख) इसी भांति, जोगिन्द्रनगर राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल में लाभंदी (20.80 मीटर) तथा खान्नी (25.8 मीटर) नालों के ऊपर पुलों के निर्माण को यद्यपि पृथकरूप से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त था, किन्तु इन्हें एकसाथ मिलाकर ठेकेदार को उसके ही अभिकल्प पर 1990-91 के दौरान दिया गया।

न्यूनतम दर के ठेकेदार (ए) तथा द्वितीय न्यूनतम दर के ठेकेदार (बी) की निविदाएं निम्नांकित थीं:

	खानी नाला (190/190किलोमीटर)	लाभंदी नाला (200/980किलोमीटर)	जोड़
ठेकेदार ए	27.99	39.99	67.98
ठेकेदार बी	24.89	49.89	74.78

यद्यपि "बी" की खानी पुल की निविदा सबसे कम थी, किन्तु इन पुलों के कार्य को मिला देने से कार्य "ए" को देना पड़ा, परिणामतः 3.10 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

कार्यों को मिलाने के कारणों से अवगत नहीं करवाया गया। मंत्रालय के अनुमोदन में अभिकल्पित था कि इन नालों के ऊपर आर.सी.सी.-टी. बीम प्रकार के पुलों का निर्माण करना था जबकि प्रैसट्रैसड् आर.सी.सी. बॉक्स गीरडर स्लैब प्रकार के पुलों का निर्माण किया गया जिस पर मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रशासकीय अनुमोदन से अनुमत राशि के ऊपर स्वीकार्य आधिक्य से अधिक व्यय हुआ। अभिकल्प में विचलन हेतु मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त नही किया गया था।

(viii) **संचालन अग्रिम**

(क) एकमुश्त ठेके के मानक प्रपत्र की धारा -56 के अनुसार ठेकेदारों को भुगतान किए जाने वाले ब्याजयुक्त अग्रिमों को इस शर्त के साथ दिया जाता है कि मूल्यांकन/बन्धकीकरण, कार्यस्थल कार्यालयों की लागत तथा बैंक प्रत्याभूति जैसी निर्धारित शर्तें पूर्ण की गई हों।

3 मण्डलों* में मानक प्रपत्र में विहित शर्तों से संतुष्ट हुए बिना तथा सरकार के हितों की रक्षा किये बिना 3 ठेकेदारों को 1988 तथा 1992 में 7 पुलों के निर्माण हेतु 17.57 लाख रुपए के ब्याजमुक्त संचलान अग्रिम दिए गए।

(ख) मद दर ठेके के मानक प्रपत्र में संचालन अग्रिम भुगतान देने का प्रावधान नहीं था। 3 मंडलों** में मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता द्वारा स्वीकृत ठेकेदारों की मानी गई शर्तों के आधार पर 6 कार्यों के सम्बन्ध में ठेकेदारों को मई 1992 तथा जून 1994 के मध्य 50.87 लाख रुपए के ब्याज मुक्त संचालन अग्रिम दिए गए। यद्यपि ये कार्य मुख्य वित्तीय प्रभार से अंतःग्रस्त थे किन्तु किसी भी मामले में सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

नाला - एक छोटी नदी

* रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग), सुन्दर नगर तथा ठियोग

** बिलासपुर-। तथा कुल्लू -॥

सुन्दरनगर मण्डल में ठेकेदार द्वारा मंत्रालय के (सितम्बर 1992) इन आदेशों के विपरीत कि कार्य पर हर स्थिति में विभागीय संयत्रों का प्रयोग किया जाएगा तथा ठेकेदार की पसन्द नहीं देखी जाएगी, चण्डीगढ़-मण्डी-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग -21 (156/750 कि.मी. से 178/500 कि.मी.) को पक्का करने के काम हेतु एक हॉट मिक्स प्लांट (4.37 लाख रुपए); एक पेवर (2.50 लाख रुपए) तथा दों रोड़ रोलर (3.13 लाख रुपए) काम के लिए लाए जिसके लिए उसे 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त संचालन अग्रिम दिया गया (सितम्बर 1994)। मण्डल के पास "पेवर"को छोड़कर दो "रोड रोलर" तथा दो "हॉट मिक्स प्लांट" थे।

(ix) बिलों को अंतिम रुप देना

(क) 2 मण्डलों* में ठेकेदारों को अक्तूबर 1984 तथा सितम्बर 1989 के मध्य 6 निर्माणों के सम्बन्ध में 147.70 लाख रुपए दिए गए। अंतिम बिलों को फरवरी 1995 तक नहीं बनाया गया था। ठेकेदारों ने या तो निर्माण पूर्णता में विलम्ब किया या कार्य अपूर्ण छोड़ दिए। बिलों को न बनाने के कारण ठेकेदारों से वसूल करने वाली राशि, यदि कोई थी, का पता नहीं चल सका।

(ख) ऋणात्मक बिल

5 मण्डलों** में 1987 तथा 1994 के मध्य ठेकेदारों द्वारा 10 कार्य पूर्ण किए अथवा अपूर्ण छोड़े गए कार्यों के कुल 65.98 लाख रुपए के अंतिम बिल ऋणात्मक थे। बकाया वसलियां मुख्यतः मुआवजा उद्ग्रहण, वाहनों के भाड़ा प्रभार तथा विभागीय भण्डारों आदि से जारी सामग्री की कीमत से सम्बन्धित थीं। वाहनों के भाडा प्रभारों तथा विभागीय भण्डारों से जारी सामग्री की कीमत की पूर्ण वसूलियां, जो चालू लेखा बिलों से की जानी अपेक्षित थी, कारणों को अंकित किए बिना नहीं की गई। बिलों को अंतिम रुप देने के बाद ठेकेदारों से वसूलियां करने के लिए की गई कार्रवाई सूचित नहीं की गई।

4.1.11 गुणवता सुनिश्चित करना

किसी भी कार्य का टिकाऊपन तथा दीर्घावधि निष्पादन गुणवता की सुनिश्चितता पर निर्भर करता है। राज्य सरकार को निर्धारित गुणवता नियंत्रण परीक्षण करने तथा उसके स्थायी अभिलेख अनुरक्षण हेतु मंत्रालय द्वारा निर्माण लागत की राशि के एक प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की गई।

---

* जोगिन्दनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग), कांगड़ा तथा कुल्लू-II

** बैजनाथ, कुल्लू-II, रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग), शिमला-I तथा ठियोग

(i) कांगड़ा तथा रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग) मण्डलों में मोटी/उत्तम रोड़ी और जल से सम्बन्धित परीक्षण मुख्य अभियन्ता द्वारा ठेकेदारों की उन शर्तों को मान लेने तथा उन्हें संविदा करार में शामिल करने के कारण नहीं किए गए जिनके अनुसार बांदला व बैतलू नालों पर पुल तथा नोगली पुल (राष्ट्रीय राजमार्ग-22) के निर्माण के मामले में विभाग द्वारा जांच के लिए आग्रह नहीं किया जाना था। अधिशासी अभियंता, कांगड़ा मण्डल ने बताया (अक्तूबर 1994) कि केवल रोड़ी घनों की जांच की गई, जिससे प्रयुक्त की गई सामग्री विनिर्देशनानुसार सही पाई गई। मार्गों के पक्का करने/तारकोल बिछाने के सम्बन्ध में गुणवता नियंत्रण जांच नहीं की गई।

(ii) नमूना जांच किए गए मण्डलों में (बैजनाथ, कुल्ल-॥ तथा शिमला-। को छोड़कर) गुणवत्ता नियंत्रण जांच दशनि वाले अभिलेख, यदि कोई थे, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। अधिशासी अभियंता, बैजनाथ मण्डल ने बताया कि केवल रोड़ी की जांच ही की गई थी।

यह बातें सरकार को जून 1995 में बताई गई ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 1995)।

4.2 ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता

वजीर बावली झाकड़ी बाई-पास मार्ग 10/0 से 12/0 किलोमीटर का कटान निर्माण कार्य एक ठेकेदार को आऊटर सिराज मण्डल ब्रो (अब आऊटर सिराज मण्डल, निरमण्ड) द्वारा 67.10 लाख रुपए में दिया गया (मार्च 1989)। करार के अनुसार ठेकेदार द्वारा 8 महिनों की अवधि में सभी प्रकार की मिट्टी में 1,82,829 घनमीटर भू-कटान कार्य निष्पादित किया जाना था। करार में प्रावधान था कि 35,312 घनमीटर पत्थरों का, जिसकी विस्फोट/ तराशने के कार्य की कुल प्रमात्रा 33 प्रतिशत बनती थी, ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर चट्ठा लगाया जाएगा। करार में यह अनुबंधित था कि कम प्रमात्रा के चट्ठे हेतु 44 रुपए प्रति घनमीटर की दर से वसूली की जाएगी।

ठेकेदार न सड़क की 723 मीटर लम्बाई में कुल 2,36,316 घनमीटर प्रमात्रा का कटान कार्य निष्पादित किया तथा उसे 86.73 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया (सितम्बर 1992)। निष्पादन किए गए कार्य की प्रमात्रा के आधार पर 45,643 घनमीटर प्रयोगयोग्य पत्थरों का चट्ठा कार्यस्थल पर लगाया जाना था, जिसकी पुष्टि (जुलाई 1994) मण्डल द्वारा की गई। ठेकेदार ने केवल 4850 घनमीटर पत्थर ही एकत्रित किया।

अक्तूबर-नवंबर 1993 में मण्डल के अभिलेखों की संविक्षा तथा जुलाई 1994 और मई 1995 में प्राप्त अनुवर्ती सूचना से उद्घटित हुआ कि ठेकेदार से 17.95 लाख रुपए की वसूली, जो करार की शर्तानुसार की जानी चाहिए थी, के प्रति प्रयोगयोग्य पत्थरों का चट्ठा न लगाने के लिए केवल 3 लाख रुपए की वसूली की गई।

अधिशासी अभियंता ने सूचित किया (जुलाई 1994) कि सड़क के पूर्ण भूखण्ड में अनुबन्धित पत्थरों की प्रमात्रा को रखना तथा चट्ठे लगाना व्यावहारिक नहीं था। यह भी सूचित किया गया कि स्थानाभाव के कारण तथा अप्रैल 1992 में मुख्य अभियंता द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर ठेकेदार को प्रति किलोमीटर 9,900 घनमीटर पत्थर एकत्रित करने को कहा गया था। अधिशासी अभियंता का तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि निविदाएं आमंत्रित करने तथा ठेकेदार को कार्य दिये जाने से पूर्व कार्यस्थल की स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक था।

अतः मुख्य अभियंता के निर्णय से करार में परिवर्तन आ गया तथा ठेकेदार को 14.95 लाख रुपए का अनुचित लाभ दिया गया। इसके अतिरिक्त, प्राक्कलित प्रमात्राओं तथा कार्यस्थल पर वास्तव में किए गए कार्य के मध्य भारी भिन्नता दोषपूर्ण प्राक्कलन को दर्शाती थी। यदि नोटिस आंमत्रण निविदाओं में प्रयोगयोग्य पत्थरों की वसली की शर्त निगमित न की होती तो ठेकेदारों द्वारा भरी गई दरें कम होती।

मामला सरकार को जुलाई 1995 में भेजा ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 1995)।

4.3 उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी न्यायालय परिसर, रोहड़ू

उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी न्यायालय परिसर रोहड़ू के मुख्य भवन का निर्माण कार्य ठेकेदार "ए" को 11.35 लाख रुपए की प्राक्कलित लागत के प्रति 16.96 लाख रुपए में दिया गया (दिसम्बर 1988)। एक वर्ष के भीतर पूर्ण किए जाने वाले कार्य को ठेकेदार ने दिसम्बर 1988 में आरम्भ किया तथा 6.90 लाख रुपए के कार्य का निष्पादन करके मई 1990 में अपूर्णावस्था में छोड़ दिया।

दिसम्बर 1994 के दौरान रोहड़ू मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच की गई, जिससे निम्नलिखित तथ्यों का पता चलाः

(i) ठेकेदार से करार के खण्ड-2 के अंतर्गत 1.70 लाख रुपए का मुआवजा उद्गृहित किया गया (नवम्बर 1990) क्योंकि उसने निश्चित अवधि में कार्य को पूर्ण नहीं किया। ठेकेदार को मई 1990 तथा नवम्बर 1991 के मध्य कार्य पुनः शुरु करने तथा पूर्ण करने हेतु समय-समय पर बिना प्रत्युत्तर के निर्देश भी दिए गए। दिसम्बर 1994 तक मुआवजा वसूल नही किया गया था।

(ii) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग पर लागू पंजाब लोक निर्माण विभाग के आदेशों की पुस्तक में प्रावधान है कि प्रभारी अभियंता को परिणामों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। यदि कार्रवाई खण्ड 3 (क),(ख) तथा (ग) के अंतर्गत की जाती है तो मामले की स्थिति देखते हुए अधिक उपयुक्त उप खण्ड का चयन करना चाहिए। समय-समय पर जारी किए गए नोटिसों में ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने को कहा गया। ऐसा न करने पर उसके विरुद्ध खण्ड-3 के विभिन्न

उप-खण्डों के अंतर्गत कार्रवाई करने को कहा गया था। खण्ड-3 (क) के अंतर्गत दिसम्बर 1991 में ठेका करार रद्द करके 0.42 लाख रुपए की उपलब्ध जमा प्रत्याभूति जब्त कर ली गई।

21.04 लाख रुपए की लागत का शेष कार्य ठेकेदार "बी" तथा "सी" को सितम्बर 1992 तथा अक्तूबर 1994 में सौंपा गया। ठेकेदार "बी" को दिया गया कार्य पूर्ण हो चुका था किन्तु अंतिम बिल नहीं बनाया गया था (दिसम्बर 1994)। ठेकेदार "सी" को दिया गया कार्य दिसम्बर 1994 तक प्रगति पर था। अतः शेष कार्य को पूर्ण करवाने के कारण सरकार को लगभग 10.98 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा जो मुआवजा उद्ग्रहण तथा जमा प्रत्याभूति जब्त करने के समायोजन के बाद लगभग 8.86 लाख रुपए रह जाएगा।

केवल करार के खण्ड-3 के उप-खण्ड (क) के प्रावधानों का सहारा ले कर कार्य रद्द करने की प्रभारी अभियंता की कार्रवाई न्यायोचित नहीं थी क्योंकि कार्य रद्द करने के आदेश जारी करते समय विभाग को यह जानकारी थी कि ठेकेदार ने पर्याप्त प्रमात्रा में कार्य को अपूर्ण छोड़ रखा था और यदि इसे अन्य एजेन्सियों से पूर्ण करवाया जाता तो सरकार को भारी अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता था।

(iii) जुलाई 1987 में प्रमुख अभियंता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणानुसार ठेके के लिए प्रस्तुत राशि पर पूर्ण प्रत्याभूति जमा के समकक्ष निकाली गई राशि जब्त की जानी अपेक्षित थी न कि करार के खण्ड-3 (क) के प्रावधानों को तोड़ते समय ठेकेदार के खाते में पड़ी-प्रत्याभूति जमा राशि। इन प्रावधानों के विपरीत, रद्द की जाने वाली एक लाख रुपए की राशि की तुलना में कारणों का कोई उल्लेख किए बिना 0.42 लाख रुपए की प्रत्याभूति जब्त की गई। परिणामतः सरकार को 0.58 लाख रुपए की हानि हुई।

(iv) ठेकेदार "ए" का सितम्बर 1991 में की गई प्रविष्टियों के आधार पर बनाया गया अंतिम बिल दिसम्बर 1994 तक समायोजित नहीं किया गया था। बिल की संविक्षा से उद्घाटित हुआ कि ठेकेदार से उसके 1.01 लाख रुपए के किए गए कार्य के प्रति मुआवजा (1.70 लाख रुपए), विभागीय भण्डारों से जारी सामग्रियों (0.71 लाख रुपए) तथा अन्य मदों (0.13 लाख रुपए) के सम्बन्ध में कुल 2.54 लाख रुपए की वसूली की जानी थी। तीन वर्ष बीत जाने पर भी ठेकेदार का अंतिम बिल समायोजित न करने तथा सरकारी राशि की वसूली न करने की कार्रवाई सूचित नही की गई।

इन तथ्यों को सरकार के ध्यान में जून 1995 में लाया गया ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 1995)।

4.4 अतिरिक्त मुआवजे का अस्वीकार्य भुगतान

1984 में संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1894 पूर्वतिथि 30 अप्रैल 1982 से लागू किया गया था। संशोधित अधिनियम की धारा 23 (1-क) के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य की 12 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त राशि का भुगतान भू-स्वामियों को अधिनियम की धारा 4(i) के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से समाहर्त्ता द्वारा अधिनिर्णय की तिथि तक अथवा भूमि का कब्जा लेने की तिथि, जो भी पहले हो, से किया जाना था।

भू-अर्जन समाहर्त्ता (शिमला-II) के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित बातें उद्घाटित (नवम्बर -दिसम्बर 1994) हुई:

(i) दो मामलों में भू-अर्जन समाहर्त्ता, शिमला-II ने फरवरी 1992 में भू-स्वामित्व लेने की तिथि के बाद जुलाई 1993 में अधिनिर्णयों की घोषणा की। अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान फरवरी 1991 में प्रकाशन की अंतिम तिथि से स्वामित्व लेने (फरवरी 1992) की पूर्ववर्ती तिथि तक की बजाय जून 1993 में अधिनिर्णय की तिथि तक किया गया। परिणामतः 0.55 लाख रुपए का अस्वीकार्य भुगतान हुआ। अस्वीकार्य भुगतान की अनुमति देने हेतु कारण सूचित नहीं किए गए थे (अप्रैल 1995)।

(ii) उद्यान विभाग द्वारा बनाए गए मानकों के अनुसार सेब के वृक्षों का मुआवजा प्रति बिस्वा भूमि पर एक वृक्ष की दर से दिया जाना अपेक्षित था। बाहली-खून्नी-पनोली मार्ग(शिमला जिला) के निर्माण हेतु 136 बिस्वे के क्षेत्र में 171 सेब के खड़े वृक्षों के लिए जनवरी 1993 में मुआवजे की 2 लाख रुपए की राशि दी गई, परिणामतः 35 सेब के वृक्षों के लिए 0.40 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

मामला सरकार को मई 1995 में सूचित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 1995)।

4.5 ठेकेदार से बकाया वसूलियां

घरोड़ा-दा-नाला के ऊपर एच.एस.टी.एम.मार्ग (कांगड़ा जिला) के 37.400 कि0 मी0 पर 32.36 मीटर स्पैन आर.सी.सी. स्लैब पुन का निर्माण कार्य पालमपुर मण्डल द्वारा 12.18 लाख रुपए में ठेकेदार को दिया गया (जनवरी 1987) जो जून 1990 में पूर्ण किया गया। माप पुस्तक में की गई प्रवृष्टियों के अनुसार किया गया सकल कार्य 9.63 लाख रुपए था जिसमें से 7.98 लाख रुपए का भुगतान दिसम्बर 1989 तक पहले ही कर दिया गया था।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित (जनवरी 1994) हुआ कि 4490 बोरी सीमेंट तथा 143 क्विंटल इस्पात की अपेक्षित मात्रा की तुलना में कोई कारण अंकित किए बिना ठेकेदार को 5,266 सीमेंट की बोरियां तथा 172 क्विंटल इस्पात दिया गया। ठेकेदार से वसूल की जाने वाली सामग्री की लागत 4.83 लाख रुपए बनती थी जिसकी तुलना में केवल 2.50 लाख रुपए वसूल किए गए (दिसंबर 1989) थे। इसके अतिरिक्त जमानत (0.08 लाख रुपए), आयकर (0.05 लाख रुपए) तथा अन्य मदों (0.20 लाख रुपए) के सम्बन्ध में 0.33 लाख रुपए की राशि भी ठेकेदार के पास बकाया पड़ी थी। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के लिए कुल 1.65 लाख रुपए के देय भुगतान के प्रति 2.66 लाख रुपए की राशि उसके पास बकाया थी। अधिशासी अभियंता ने बताया (जुलाई 1995) कि बिल को अंतिम रुप दिया जा रहा था।

इस प्रकार बिल को अंतिम रुप देने में असामान्य बिलम्ब के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

मामला सरकार को मई 1995 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 1995)।

4.6 सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय

नेसांग गांव (किन्नौर जिला) के निवासियों को परिवहन सुविधा जुटाने हेतु जिमथिंग घाटी सड़क (8.45 किलोमीटर लम्बी सड़क अंशतः कटान तथा अंशतः जीपयोग्य) को वाहनयोग्य स्तर तक लाने के लिए जून 1988 में 30 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। यह सड़क पहले भी (1985) 48.78 लाख रुपए की लागत से सतलुज नदी के ऊपर 310 फुट स्पैन ससपैंस पुल तथा नदी के दाएं किनारे पर 730 मीटर लम्बे गमन मार्ग का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-22 से मिलायी गयी थी। इसके अतिरिक्त, 1988-89 के दौरान गमन मार्ग के लिए दोनों किनारे नालियां बनवाने, पक्का करने और तारकोल बिछाने के कार्य हेतु 1.21 लाख रुपए व्यय किए।

2 वर्षों में पूर्ण किया जाने वाला यह कार्य कड़छम मंडल द्वारा राज्य भू-विज्ञानी से भूखण्ड की स्थिरता के सम्बन्ध में परामर्श किए बिना 1988-89 के दौरान आरम्भ कर दिया गया। वर्ष 1992-93 तक 0/0 तथा 4/260 किलोमीटर के मध्य सड़क की कुल 4.190 किलोमीटर की लम्बाई का निर्माण खण्डों में 13.97 लाख रुपए की लागत से किया गया।

कड़छम मण्डल की लेखापरीक्षा से उद्घाटित (जुलाई 1994) हुआ कि नरम तथा रेतीले भूखण्ड में से गुजरने के कारण मार्ग भारी हिमपात और वर्षा से विभिन्न स्थानों पर प्रतिवर्ष बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। इसकी वाहय रुपरेखा खड़ी तथा ढलानदार थी। जुलाई 1993 में विशेष मरम्मत करवाने हेतु 8.13 लाख रुपए का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया यद्यपि विशेष मरम्मत पहले ही अप्रैल 1993 में आरम्भ की जा चुकी थी फिर भी फरवरी 1994 तक 6.01 लाख रुपए का व्यय

किया गया। जिन स्थानों पर पहले क्षतियों की मरम्मत की जा चुकी थी उन्हीं स्थानों पर भू-स्खलन बार-बार हो रहा था इसलिए व्यर्थ व्यय का परिहार करने हेतु भू-खण्ड की स्थिरता तथा पुनर्निर्माण की संभावना पर राज्य भू-विज्ञानी की राय ली गई (मई 1994)। राज्य भू-विज्ञानी की राय की प्रतीक्षा थी (जनवरी 1995)।

अधिशासी अभियंता ने बताया (जनवरी 1995) कि पुल तथा सड़क के निर्मित भाग लोगों द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे थे। राज्य भू-विज्ञानी की राय प्राप्त होने पर निर्माण कार्य पुनः आरम्भ किया जाएगा। यह कथन मान्य नहीं है, क्योंकि नेसांग गांव वासियों को परिवहन सुविधा जुटाने का मुख्य लक्ष्य निष्फल रहा।

इस प्रकार राज्य भू-विज्ञानी के साथ परामर्श से रुपरेखा को अंतिमरुप दिये बिना सड़क निर्माण का कार्य आरम्भ करने के कारण गमन सड़क, एक पुल तथा जिमथिंग घाटी सड़क का दर्जा बढ़ाने और सड़क की विशेष मरम्मत पर किया गया 69.97 लाख रुपए का व्यय निष्फल रहा।

मामला सरकार को अप्रैल 1995 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 1995)।

4.7 परिहार्य व्यय

झालटा से कुदू (शिमला जिला) ग्रेविटी टाइप हवाई केबल मार्ग के निर्माण हेतु 2.35 लाख रुपए के प्राक्कलन का सितम्बर 1987 में प्रशासकीय रुप से अनुमोदन किया गया ताकि इन गांवों के निवासी बागवानी उत्पादों का निकट के मुख्य मार्ग को परिवहन कर सके। केबल मार्ग के अभिकल्प में 12 मिलीमीटर व्यास की मुख्य केबल तथा 8मिलीमीटर व्यास के कर्षण/संयोजक रस्सों का प्रावधान किया गया था। लेकिन प्रमुख अभियंता ने विनिर्देशनों को संशोधित (जुलाई 1987) कर दिया और 10 मिलीमीटर व्यास की मुख्य केबल तथा 6 मिलीमीटर व्यास के संयोजक रस्सों का प्रावधान किया गया। जुब्बल मण्डल ने जुलाई 1989 में कार्य निष्पादन आरम्भ किया तथा 2.91 लाख रुपए की लागत से सितम्बर 1989 में पूर्ण कर लिया।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित (दिसम्बर 1994) हुआ कि केबल मार्ग तार के रस्सों के टूट जाने के कारण अक्तूबर 1989 में बंद हो गया। तार रस्सों के टूटने के कारणों की छानबीन दिसम्बर 1994 तक नहीं करवाई गई थी। केबल मार्ग को क्रियाशील बनाने के लिए 1.61 लाख रुपए का विशेष मरम्मत प्राक्कलन अगस्त 1990 में अनुमोदित किया गया और मरम्मत कार्य उसी महीने के दौरान 10 मिलीमीटर तथा 8 मिलीमीटर व्यास के तार रस्से जुटाकर 2.07 लाख रुपए में पूर्ण किया गया।

अधिशासी अभियंता ने बताया (दिसम्बर 1994) कि तार रस्से घिसने के कारण टूट गए। यह तक मान्य नहीं था क्योंकि तार रस्से केवल एक मास की अल्पावधि में घिसने से नहीं टूट सकते थे। तार रस्सों के टूटने के कारणों को जानने हेतु विस्तृत छानबीन भी नहीं की गई थी।

मामला सरकार को अप्रैल 1995 में संदर्भित किया गया था जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 1995)।

4.8 निविदाएं स्वीकार न करने के कारण परिहार्य दायित्व

टिक्कर-मनोह सड़क (हमीरपुर जिला) के 5/585 किलोमीटर पर सुनेहल खड्ड के ऊपर पुल के निर्माण हेतु बड़सर मण्डल में मई 1992 को निविदाएं प्राप्त हुई। अधीक्षण अभियंता ने वार्ता के उपरांत ठेकेदार "ए" द्वारा किए गए 23.48 लाख रुपए के न्यूनतम प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु सिफारिश की (जुलाई 1992)। किन्तु मुख्य अभियंता ने निविदा का अनुमोदन नहीं किया और उसे किसी कारण बताए बिना सितम्बर 1992 में वापस कर दिया और निर्देश दिया कि कार्य को विभागीय तौर पर आरम्भ किया जाए। किन्तु कार्य का आरम्भ नहीं किया गया जिसका कारण मजदूर, मशीनरी तथा उपस्कर की अनुपलब्धता बताया गया। लेकिन यह तथ्य उच्च प्राधिकारियों के ध्यान में दिसम्बर 1995 तक नहीं लाया गया था।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिसम्बर 1993 में निविदाएं फिर से आमंत्रित की गई तथा यह कार्य न्यूनतम निविदाकार को अगस्त 1994 में 25.21 लाख रुपए में आबण्टित किया गया जो पहले प्राप्त न्यूनतम निविदा से 1.73 लाख रुपए अधिक थी। ठेकेदार द्वारा कार्य नवम्बर 1994 में आरम्भ किया गया तथा यह प्रगतिरत था।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1994) कि अल्प बजट आबण्टन, कुशल श्रमिकों की कमी तथा मण्डल के पास अन्य अवसंरचना सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण यह विभागीय तौर पर आरम्भ नहीं किया जा सका। लेकिन यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि कार्य के लिए वर्ष 1991-94 के दौरान 13 लाख रुपए की राशि उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त श्रमिक तथ उपस्कर की अनुपलब्धता से सम्बन्धित तथ्य उच्च प्राधिकारियों के ध्यान में 15 महीने बीत जाने के उपरान्त लाया गया जैसा कि प्रमुख अभियंता ने जनवरी 1994 में इंगित किया था।

पहले आमन्त्रण पर प्राप्त निविदाओं को तर्कपूर्ण कारणों के बिना अस्वीकार करने के फलस्वरुप 1.73 लाख रुपए का परिहार्य दायित्व पड़ा।

मामला सरकार को मई 1995 में संदर्भित किया गया जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

4.9 तकनीकी विनिर्देशों की अनुपालना न करने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय

गगल (कांगड़ा जिला) स्थित हवाई अड्डे की हवाई पट्टी, टैक्सी मार्ग तथा प्रांगण को पक्का करने तथा तारकोल बिछाने का कार्य कांगड़ा मण्डल द्वारा एक ठेकेदार को दिया गया (फरवरी 1989)। नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के विनिर्देशों के अनुसार घने अस्फ़ाटिक युक्त कंकरीट बिछाने के लिए तारकोल मिश्रित रोड़ी के ऊपर टैक कोट की उस स्थिति में आवश्यकता नहीं थी जब ये दोनों साथ-साथ बिछाए जाने थे। इन विनिर्देशों के आधार पर संविदा करार में इन दो प्रक्रियों के मध्य टैक कोट का कोई प्रावधान नियत नहीं किया गया था। लेकिन फरवरी 1989 तथा अप्रैल 1990 के मध्य कार्य निष्पादन करते समय दो परतों के मध्य टैक कोट भी लगाया गया जिसके फलस्वरुप 1.84 लाख रुपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

अधीक्षण अभियन्ता, पालमपुर ने बताया (जनवरी 1995) कि टैक कोट का प्रावधान स्थल की आवश्यकतानुसार किया गया था। यह भी बताया गया कि संविदा करार में तारकोल युक्त रोड़ी अथवा अर्द्ध सघन अस्फाटिक कंकरीट की नई परत पर टैक कोट लगाने का कोई उल्लेख नहीं था। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विनिर्देशों में टैक कोट का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी और करार का पठन सम्बन्धित विनिर्देशों के साथ किया जाता था।

मामला सरकार को मई 1995 में संदर्भित किया गया था। जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

4.10 ठेकेदारों को अधिक/अस्वीकार्य भुगतान

तीन मण्डलों* में 4.03 लाख रुपए के अधिक तथा अस्वीकार्य भुगतान तीन ठेकेदारों को किए गए जैसा कि नीचे चर्चित है:-

(क) त्रिसांग (जिला किन्नौर) में पैदल चलने योग्य पुल की उन्नत संरचना का कार्य कल्पा मण्डल द्वारा एक ठेकेदार को 10.99 लाख रुपए में आबण्टित किया गया (मई 1989)। तीन महीनों में पूर्ण किया जाने वाला यह कार्य मई 1989 में आरम्भ किया गया तथा 5.05 लाख रुपए की सकल राशि के प्रथम चालू लेखा बिल का भुगतान जून 1989 में किया गया जो निर्मित किए गए भाग में 2.250 रुपए प्रति क्विंटल की अनुमानित आंशिक दर पर 224.52 क्विंटल इस्पात कार्य से सम्बन्धित था। ठेकेदार ने जून 1989 के उपरान्त आगे कार्य नहीं किया। इसलिए 1.10 लाख रुपए का मुआवजा उद्गृहीत किया गया और 0.33 लाख रुपए की जमानत राशि जब्त करके संविदा को रद्द कर दिया (जनवरी 1992)।

* बिलासपुर-I, कल्पा तथा सरकाघाट

मण्डल की लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ (जुलाई 1994) कि किए गए इस्पात कार्य की वास्तविक मात्रा 200.64 क्विंटल थी तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित विश्लेषणानुसार वास्तविक अनुमत्य दर 1.628 रुपए प्रति क्विंटल संगणित हुई। इस प्रकार, गलत माप तथा उच्चतर दरों पर भुगतान के कारण ठेकेदार को जून 1989 में 1.78 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ। ठेकेदार का अन्तिम बिल जुलाई 1994 में समायोजित किया गया जिसके अनुसार उससे 2.88 लाख रुपए वसूल किए जाने थे। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अक्तूबर 1994) कि वसूली का मामला विवाचन में लम्बित था। उत्तर अधूरा था क्योंकि मुआवजे की वसूली का प्रश्न विवाचन के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

(ख) अली खड्ड (बिलासपुर जिला) के ऊपर 420 मीटन स्पैन पुल के निर्माण हेतु संविदा में मजदूरी तथा सामग्री की कीमतों में सांविधिक वृद्धि के संबंध में बढ़े हुए प्रभारों के भुगतान का प्रावधान रखा गया। इस उद्देश्य हेतु जून 1989 को आधार मास के रुप में लिया जाना था जब बोली खोली गई थी। श्रम वृद्धि एक सूत्र (फार्मूला) के अनुसार देय थी जिसमें समीक्षाधीन महीने के लिए बढ़े हुए जीवन लागत सूचकांक को हर के रुप में लिया जाना था।

बिलासपुर मण्डल संख्या-I के अभिलेखों की जांच से उद्घाटित (सितम्बर 1994) हुआ कि जुलाई 1990 से जुलाई 1992 की अवधि हेतु फर्म को श्रम वृद्धि के लिए उक्त सूत्र में गलती से आधार महीने के मूल्य सूचकांक को हर के रुप मानकर 5.33 लाख रुपए की तुलना में वास्तव में 6.74 लाख रुपए की बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया गया। परिणामतः ठेकेदार को 1.41 लाख रुपए का अधिक भुगतान किया गया।

अधिक अदायगी को स्वीकारते समय अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जनवरी 1995) कि राशि का समायोजन ठेकेदार के अनुवर्ती अवधि के वृद्धि दावे से कर लिया जाएगा। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी (मई 1995)।

(ग) मुख्य अभियन्ता (उत्तर), धर्मशाला ने अप्रैल 1991 में स्पष्ट किया कि लोहे से बांधे पुल के निवल भार में केवल "रिवेट" के "स्नेप हैड का भार" जोड़ा जाना था न कि पूर्ण भार, क्योंकि "रिवेट" की शाफ्ट खाली जगह पर लगने वाली सामग्री की प्रतिपूर्ति कर देती थी।

इसके बावजूद, सरकाघाट मण्डल ने ठेकेदार को अक्तूबर 1990 तथा दिसम्बर 1993 में भुगतान करते समय दो लोहे के बंधे पुलों के निर्मित भागों में "स्नेप हैड" के 1,669 किलोग्राम भार के प्रति "रिवेटों" का 6,572 किलोग्राम पूर्ण भार जोड़ा गया। विचलन के कारण ठेकेदार को 0.84 लाख रुपए का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

इन मामलों में से एक में 0.65 लाख रुपए अधिक अदायगी स्वीकारते हुए अधिशासी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1994) कि राशि का समायोजन अंतिम बिल में किया जाएगा। विचलन विवरणी तथा समय वृद्धि के अनुमोदन के अभाव में बिल को अंतिम रुप नहीं दिया गया था।

ये तथ्य सरकार को जून 1995 में सूचित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 1995)।

4.11 निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना वन भूमि का गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए प्रयोग करने की मनाही है।

चार मण्डलों* में 7 सड़क निर्माण कार्य (अनुमानित लागत 166.03 लाख रुपए), जैसे कि परिशिष्ट-VII में विवरणित है, उनके आरम्भ करने की तिथि से 2 से 5 वर्ष की अवधि में पूरे किए जाने विनिर्दिष्ट थे, ये कार्य इन सड़कों के साथ लगती वन भूमि के प्रयोग हेतु भारत सरकार से अनुमोदन को प्राप्त किए बिना 1984 और 1991 के मध्य निर्माण हेतु हाथ में लिए गए थे। ये कार्य जिन पर 10.46 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका था भारत सरकार से वन भूमि का गैर-वानिकी उद्देश्य हेतु प्रयोग करने के अनुमोदन के अभाव में अपूर्ण पड़े थे।

4 मण्डलों** में 4 सड़क निर्माण कार्य (अनुमानित लागतः 54.63 लाख रुपए) उन्हें आरम्भ करने की तिथियों से 3 से 5 वर्षों की नियत अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना था जैसा परिशिष्ट-VIII में विवरणित है, ये निष्पादनार्थ फरवरी 1974 और नवम्बर 1986 के मध्य आरम्भ किए गए और 17.64 लाख रुपए का व्यय करने के पश्चात् भी अधूरे पड़े थे। इनके विषय में तकनीकी संस्वीकृतियां भी प्राप्त नहीं की गई (जून 1995)। ये कार्य संरेखण को अन्तिम रुप न दिए जाने, संरेखण में कठोर चट्टानी परतें आ जाने, निजी भूमि के अधिग्रहण न करने और निधियों की कमी के कारण रुके पड़े थे।

इस प्रकार इन कार्यों पर व्यय किए गए 28.10 लाख रुपए निष्फल गए और लाभग्राही अभीष्ट लाभ से वंचित रहे।

---

* डलहौजी, हरीपुरधार, कांगड़ा और शिलाई

** हरीपुरधार, कल्पा, सरकाघाट तथा शिमला-I

(ख) 4 मण्डलों* में 56.37 लाख रुपए से 5 पुलों के निर्माण हेतु 6 से 24 महीनों की नियत अवधि में पूर्ण करने का प्रशासनिक रुप से दिसम्बर 1988 और मार्च 1991 में अनुमोदन किया गया। परिशिष्ट-IX में दिए गए विवरणानुसार तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना पुलों का निष्पादन 1988-89 और मार्च 1991 में आरम्भ किया गया। इन पांच पुलों का निर्माण 19.72 लाख रुपए व्यय करने के पश्चात भी अभी तक अपूर्ण है।

नमूना जांच (जून-अक्तूबर 1994) से उद्घाटित हुआ कि दो मण्डलों** में ठेकेदारों द्वारा तीन पुलों का कार्य अप्रैल 1992 और जून 1993 के मध्य स्थगित कर दिया गया। केवल एक मामले में उद्गृहीत (जुलाई 1993) 1.09 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति भी वसूल नहीं की गई थी (नाहन)। सोलन मण्डल के अधीन पदगमन पुल निर्माणार्थ आधार भूमि के अधिग्रहण न करने के कारण कार्य रुका पड़ा था तथा ठेकेदार द्वारा कल्पा मण्डल के अधीन पदगमन पुल की संरचना पर कार्य आरम्भ नहीं किया था।

इस प्रकार इस पुलों पर किया गया 19.72 लाख रुपए का व्यय निष्फल रहा और लाभग्राही अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।

(ग) पाचं मण्डलों*** में 6 भवन (अनुमानित लागत: 37.63 लाख रुपए) उनके आरम्भ करने की तिथि से छः महीने से तीन वर्षों की नियत अवधि के भीतर पूरे किए जाने थे और दिसम्बर 1980 फरवरी 1992 के मध्य आरम्भ किए गए थे, कार्य 15.93 लाख रुपए का व्यय करने के पश्चात् भी अधूरे पड़े थे जिनका ब्यौरा परिशिष्ट-X में दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता ने विलम्ब के कारण मुख्यतः निधियों की कमी को आरोपित किया। इस प्रकार इन भवनों पर किया गया 15.93 लाख रुपए का व्यय निष्फल रहा।

सरकार को ये तथ्य जून 1995 में सन्दर्भित किए गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

---

* कल्पा, नाहन, राजगढ़ और सोलन

** नाहन और राजगढ़

*** बिलासपुर, मण्डी, रामपुर, रोहड़ू व ऊना

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

4.12 जल आपूर्ति स्कीम,नाहन का सम्वर्धन

जलापूर्ति स्कीम, नाहन टाऊन के संवर्धन हेतु आर.डी. 7.515 से 12.582 तक 300 मिलीमीटर व्यास की मृदु इस्पात विद्युत प्रतिरोधक सन्धानित पाइपों के मुख्य आरोहण को अपार्जित करने, बिछाने तथा जोड़ने हेतु नाहन मण्डल में निविदाएं प्राप्त हुई (मार्च 1993)। यह कार्य चण्डीगढ़ की एक फर्म को एक वर्ष में पूरा करने के विनिर्देश सहित दिसम्बर 1993 में 91.25 लाख रुपए में दिया गया। कार्य प्रगति पर था तथा मई 1995 में प्रदत्त ग्याहरवें रनिंग बिल तक कुल अदायगी 94.70 लाख रुपए की हो चुकी थी।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी-फरवरी 1995) और जून तथा जुलाई 1995 में आगामी एकत्रित सूचना से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

(i) निविदाएं आमंत्रण सूचना की शर्तों के अनुसार, राज्य में कार्य हेतु संविदाएं, खोलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि तक स्वीकृति हेतु खुली रहती है। मण्डल में उपरोक्त कार्य हेतु 19 मार्च 1993 तक प्राप्त संविदाएं 18 जून 1993 तक वैध थीं। प्रमुख अभियन्ता द्वारा फर्म के प्रतिनिधियों से 17 दिसम्बर 1993 को समझौते एवं फर्म द्वारा वैध अवधि में 31 दिसम्बर 1993 तक वृद्धि मानने के उपरान्त, 22 दिसम्बर 1993 को संविदा पत्र पर निर्णय लिया गया।

फर्म ने अपने 19 मार्च 1993 के प्रस्ताव में बेंड, फ्लेंज, पाइप लाईन के बिछाने, जोड़ने तथा जांच करने की, जीरो वैलोसिटी वाल्वों की लागत तथा समग्र करों सहित 1,550 रुपए प्रति रनिंग मीटर की दर से 5,067 रनिंग मीटर (300 मिलीमीटर अर्द्धव्यास) लम्बी जलारोहण प्रणाली के निष्पादन का वचन दिया था। हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर नियम 1970, 31 जुलाई 1993 की सरकारी अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे तथा अगस्त 1993 से लागू किए गए थे। संशोधित नियमानुसार निर्माण कार्य-संविदाओं से सम्बद्ध भुगतानों में से 2 प्रतिशत बिक्री कर घटाया जाना था। फर्म ने अपने 3 सितम्बर 1993 के पत्र द्वारा वास्तविक आधार पर उपर्युक्त कर की प्रतिपूर्ति की मांग की। फर्म की यह शर्त दिसम्बर 1993 में हुई बातचीत के दौरान स्वीकार कर ली गई थी तथा तदनुसार मई 1995 में दिए गए 11वें चालू खाता बिल तक फर्म को 1.86 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका था।

फर्म द्वारा अपने मार्च 1993 के मूल प्रस्ताव में प्रस्तावित दरें 18 जून 1993 तक मान्य थीं तथा वे समग्र करों तथा शुल्कों सहित थीं। दिसम्बर 1993 में हुई बातचीत के दौरान यह सहमति हुई थी कि 18 जून 1993 के पश्चात फर्म को केन्द्रीय/राज्य करों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जाएगी। 5.6 मिलीमीटर अथवा उससे अधिक मोटी एम0एस0ई0आर0डब्ल्यू0 पाइपों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.5 से 15 प्रतिशत संशोधित कर दी गई थीं तथा मार्च 1994 से 4.9 मिलीमीटर मोटी पाइपों पर 15 प्रतिशत नया शुल्क उद्गृहीत किया गया था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों तथा वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात नए शुल्क के

उद्ग्रहण के अन्तर के कारण मई 1995 में दिए 11वें चालू बिल तक फर्म को 3.30 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका था।

90 दिनों की निश्चित अवधि के भीतर निविदा स्वीकार करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरुप फर्म को बिक्री कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के कारण 5.16 लाख रुपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(ii) फर्म ने निविदा विलेखों में वर्णित पाइपों की विशिष्टताओं की दरें इस तर्क पर उद्धृत नहीं की थी कि इन पाइपों के एक मात्र विनिर्माता भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पास अपेक्षित विशिष्टताओं की पाइपें उपलब्ध नहीं थी। इसकी बजाय 5,067 रनिंग मीटर की पूर्ण लम्बाई वाली जलारोहरण प्रणाली के लिए बेंड, फ्लेंज, पाइप लाइन के बिछाने, जोड़ने तथा जांच करने, जीरो वैलोसिटी वाल्वों की लागत तथा समग्र करों सहित 1550 रुपए प्रति रनिंग मीटर की समान दर उद्धृत की गई थी। मात्रा-अनुसूची के अनुसार भिन्न घनत्व वाली दो भिन्न विशिष्टताओं के अनुरुप पाइपें आपूरित की जानी तथा बिछाई जानी अपेक्षित थीं। फर्म ने पाइपों की मोटाई को विनिर्दिष्ट किए बिना उपर्युक्त दर उद्धृत की थी। फर्म के प्रस्ताव की यह शर्त थी कि वह अपना डिजाइन विभाग को अनुमोदन तथा स्वीकृति हेतु देगी।

दिसम्बर 1993 में फर्म निविदा विलेख में वर्णित पाइपों के विनिर्देशनों तथा मोटाई हेतु मार्च 1993 के अपने मूल प्रस्ताव में उद्धृत दरों पर इस शर्त के साथ कार्य निष्पादन करने के लिए सहमत हो गई कि पाइपों की आपूर्ति भारतीय इस्पात प्राधिकरण आदेश तिथि से एक मास के भीतर करेगा। फर्म ने भी पाइपों का अपना वैकल्पिक डिजाइन प्रेषित किया। जनवरी 1994 में फर्म ने जालन्धर स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण की शाखा बिक्री कार्यालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिसमें यह लिखा था कि अपेक्षित मोटाई तथा विनिर्देशनों वाली पाइपों की आपूर्ति 30-40 दिनों के भीतर करना संभव नहीं होगा। विभाग द्वारा इस प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता की जांच करने हेतु किए गए प्रयास अभिलेख में नहीं थे।

फर्म ने मई 1994 में अपने वैकल्पिक डिजाइन पर कार्य करना आरम्भ कर दिया जिसके अनुसार मात्रा-अनुसूची में दी गई 5.6 मिलीमीटर तथा 7.9 मिलीमीटर के बीच की मोटाई की तुलना में पाइपों की मोटाई 4.9 मिलीमीटर तथा 7.1 मिलीमीटर के बीच थी। 5.6 मिलीमीटर तथा 7.9 मिलीमीटर के बीच की मोटाई वाली पाइपों के 5067 रनिंग मीटरों का भार 2,32,462 कि0 ग्रा0 संगणित किया गया जबकि फर्म के वैकल्पिक डिजाइन के अनुसार उतनी ही लम्बाई वाली पाइप लाइन का भार 2,06,443 कि0 ग्रा0 संगणित किया गया। मण्डल द्वारा संगणित प्रति किलोग्राम दर (31.53 रुपए) के आधार पर परिकलित तथा जीरो वैलोसिटी वाल्वों के मूल्य का समायोजन करने के पश्चात्, जिनके लिए फर्म द्वारा लागत मुक्त प्रदान किए जाने की सहमति दी गई थी, फर्म को निविदा आमंत्रण सूचना में दिए गए तथा फर्म द्वारा अपने वैकल्पिक डिजाइन के अनुसार वस्तुतः आपूरित किए गए पाइपों के भार में 26,019 किलोग्राम के अंतर के कारण 3.20 लाख रुपए का निवल लाभ दिया गया था।

(iii) निविदा विलेखों के साथ संलग्न तथा तदुपरान्त फर्म के साथ हुए अनुबन्ध में सम्मिलित मात्रा अनुसूची में 5,067 रनिंग मीटर लम्बी जलारोहण प्रणाली के 4,635 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 13 मिलीमीटर आच्छादन ग्लास फाइबर रैप के साथ लगभग 3/32 मिलीमीटर मोटे तारकोल की बाढ़ परत के प्रयोग का प्रावधान था। यह उपाय जलारोहण प्रणाली के उस भाग पर किया जाना था जिसे जंग लगने से बचाने के लिए भूमि के नीचे दबाया जाना था। अनुमोदित कार्यचालन आकलन में इस मद की लागत 120 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 5.56 लाख रुपए संगणित की गई। फर्म ने मार्च 1993 के अपने प्रस्ताव में इस कार्य मद के लिए 58 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर उद्धृत की थी।

मई 1995 में दिए गए 11वें चालू बिल तक 5,067 रनिंग मीटर की निश्चित मात्रा के प्रति 4,855 रनिंग मीटर जलारोहण पाइप बिछाई जा चुकी थी। 4,855 रनिंग मीटर की पूर्ण लम्बाई में खाइयां भी पुनः भरी जा चुकी थीं। लेखापरीक्षा में यह पाया गया (जुलाई 1995) कि पाइप लाइन के 127.59 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 7400 रुपए मूल्य के ग्लास फाइबर रैप का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार अनुबन्ध के अनुसार उपाय नहीं किया गया था तथा किया गया समस्त कार्य प्रदत्त विनिर्देशनों से न्यून था। जलारोहण प्रणाली 30 वर्षों की अवधि के लिए डिजाईन की गई थी। विशेष उपाय की अनुपस्थिति में जलारोहण प्रणाली की अभिकल्पित अवधि पहले ही स्वीकार नहीं की जा सकती थी।

(iv) फर्म द्वारा पाइपें प्रदान करने, बिछाने, जोड़ने के लिए उनकी मोटाई को ध्यान में न रखते हुए 1550 रुपए प्रति रनिंग मीटर की एकरूप दर उद्धृत की गई थी। परन्तु फर्म के वैकल्पिक डिजाइन के अनुसार जलारोहण प्रणाली 4.9 मिलीमीटर तथा 7.1 मिलीमीटर के बीच विभिन्न मोटाइयों के 300 मिलीमीटर व्यास के पाइप प्रदान करके पूर्ण की जानी थी। फर्म ने विभाग को सूचित किया (जनवरी 1994) कि पाइपों की समस्त मात्रा का उपार्जन 1993-94 के अन्त तक कर लिया जाएगा। फिर भी फर्म ने कार्य निरीक्षण के दौरान नवम्बर 1994 में प्रमुख अभियन्ता को सूचित किया कि 5.6 मिलीमीटर मोटी पाइपें उपलब्ध नहीं थीं तथा अधिक मोटी पाइपों के प्रावधान हेतु अनुमति मांगी थी। इसके लिए उसने सम्बद्ध अतिरिक्त भार के लिए अतिरिक्त् भुगतान की मांग की। फर्म का यह तर्क प्रमुख अभियन्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया (नवम्बर 1994) तथा 5.6 मिलीमीटर मोटी पाइपों के स्थान पर 6.4 मिलीमीटर मोटी 795 रनिंग मीटर पाइपें प्रतिस्थापित की गईं थी जिनमें 4,889 किलोग्राम का अतिरिक्त भार अन्तःग्रस्त था जिसके लिए फर्म को 1.54 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका था। विभाग की कार्रवाई अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं थी फलतः फर्म को अनुचित वित्तीय सहायता मिली।

(v) फर्म ने अपने 17 दिसम्बर 1993 के पत्र में यह बताया कि अन्य कार्यों के लिए किसी भी भुगतान को रोकने की कार्रवाई में उसके द्वारा विभाग में किए जा रहे किसी अन्य कार्य के साथ इस कार्य को सम्बद्ध नहीं किया जाए। विभाग द्वारा 17 दिसम्बर 1993 को हुई बातचीत के दौरान यह शर्त मान ली गई। सोलन मण्डल नं0 । ने फरवरी 1992 के दौरान राज्य के सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य तथा लोकनिर्माण विभागों के विभिन्न मण्डलों तथा वृत्तों में फर्म के विरुद्ध 8.58 लाख रुपए की वसूली सूचना परिचालित थी और प्रमुख अभियन्ता को इसकी प्रतिलिपि भेजी थी। इस

प्रकार विभाग की कार्रवाई सरकार के लिए अहितकर थी।

सरकार को यह मामला जुलाई 1995 में संदर्भित किया गया जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

4.13 परिहार्य हानि

घन्डवाल तथा मलोला गांवों (ऊना जिला) में भूमि, भवनों एवं अन्य सम्पत्ति के संरक्षणार्थ, धुस्सरा खड्ड के लिए बाढ़ संरक्षण कार्यों की व्यवस्था हेतु 4.94 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर नवम्बर 1993 में प्रशासनिक अनुमोदन किया गया था। कार्य प्राक्कलन में खड्ड के बाएं किनारे पर 4.40 मीटर की लम्बाई में पत्थर लगाने तथा एप्रन सहित मिट्टी के तटबंध का निर्माण परिकल्पित था। कार्य विभागीय रुप से जनवरी 1994 में आरम्भ किया गया जो 6 मास में पूर्ण किया जाना नियत था और 435 मीटर लम्बा मिट्टी का तटबंध 1.13 लाख रुपए के व्यय से मई 1994 में पूर्ण किया गया था।

ऊना मण्डल नं0 I के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ (फरवरी 1995) कि विभाग द्वारा निर्मित मिट्टी के तटबंध के 220 मीटर (0/0 आर डी से 220) भाग में पत्थर लगाने तथा तार के क्रेटों की व्यवस्था करने का कार्य एक ठेकेदार को मार्च 1994 में 3 महीने में पूर्ण करने की शर्त पर सौंप दिया गया। ठेकेदार को कार्य स्थल तक जस्तीकृत लौहतार लाने के लिए 0.70 लाख रुपए का सुरक्षित अग्रिम भी दिया गया। परन्तु विभाग द्वारा अप्रैल से जून 1994 के मध्य अनेक नोटिस जारी करने के बावजूद भी ठेकेदार ने कार्य का वास्तविक निष्पादन आरम्भ नहीं किया। जून 1994 के अन्तिम दिन भारी वर्षा के कारण 360 मीटर तटबंध बह गया था। तटबंध का शेष भाग भी जुलाई 1994 के दूसरे पखवाड़े में बह गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा से यह भी पता चला कि आर डी 220 से 440 तक के तटबंध के शेष भाग के संरक्षणार्थ मई 1994 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं परन्तु निविदाकारों में से किसी को भी कार्य नहीं सौंपा गया। पुनरामत्रिंत तथा जून 1994 में प्राप्त हुई निविदाओं को फरवरी 1995 तक अन्तिम रुप नहीं दिया गया था।

इस प्रकार कार्य की यथासमय पूर्णता को सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरुप 1.13 लाख रुपए की परिहार्य हानि हुई। इसके अतिरिक्त ग्रामवासियों की भूमि तथा सम्पत्ति के संरक्षण का अभीष्ट लाभ भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार को मामला अप्रैल 1995 में सन्दर्भित किया गया जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

4.14 लिफ्ट सिंचाई स्कीम पर व्यर्थ व्यय

मुरंग गांव (स्पीति घाटी) की 53 हैक्टेयर बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तनार्थ सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु लिफ्ट सिंचाई स्कीम, मुरंग के निर्माण का 2.18 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मार्च 1973 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदन किया गया था जिसे तदनन्तर 1986 में संशोधित करके 7.61 लाख रुपए कर दिया गया।

प्राक्कलन में गोंदी नाला जिसका बारहमासी बहाव 15 क्यूजैक्स था, से 2.5 क्यूजैक्स जल उठाने का प्रावधान था। स्कीम का निर्माण जुलाई 1997 के तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना आरम्भ किया गया था तथा वर्ष 1992-93* तक पम्पहाउस व अटेंडैंट क्वार्टर, पम्प हाउस तक पहुंचमार्ग, पोषक चैनल, वितरण लाइन, वितरण टैंक तथा सामग्री-उपार्जन पर 9.70 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका था।

अगला कार्य वर्ष 1986-87 के पश्चात् नहीं किया गया था तथा स्कीम व्यक्तावस्था में पड़ी थी।

अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया (मई 1990) की स्पीतिघाटी के नाले के जल में तलछट मिट्टी का भार इतना अधिक था कि उसे हटाना तथा उठाना सम्भव नहीं था। यह भी बताया गया था कि किसी भी पम्प ने एक वर्ष पर्यन्त उचित रुप से कार्य नहीं किया तथा लिफ्ट सिंचाई स्कीमों का बहाव सिंचाई स्कीमों में परिवर्तित करने हेतु जनसाधारण द्वारा लगातार मांग की जा रही थी।

मरुस्थल विकास परियोजना, काजा के परियोजना निदेशक द्वारा बहाव सिंचाई स्कीम का निर्माण 48.03 लाख रुपए की लागत पर प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया था (दिसम्बर 1991)। स्कीम मई 1992 में निष्पादनार्थ आरम्भ की गई तथा ,1800 मीटर लम्बे पट्टरे के कटान पर 4.26 लाख रुपए व्यय किए गए। बहाव सिंचाई स्कीम 1997-98 के अन्त तक पूर्ण की जानी सम्भावित थी।

इन परिस्थितियों में जबकि पोषक चैनल पर 0.70 लाख रुपए का व्यय व्यर्थ हो गया था, 3.45 लाख रुपए के व्यय से निर्मित पम्प हाउस तथा पहुंच मार्ग का प्रयोग लाभपूर्ण ढंग से नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वितरण टैंक, निकास मार्गों तथा वितरण प्रणाली के निर्माण पर किया गया 5.10 लाख रुपए का व्यय बहाव सिंचाई स्कीम के चालू होने तक निष्फल रहेगा। अधिशासी अभियन्ता द्वारा जून 1995 में यह बताया गया था कि लिफ्ट सिंचाई के लिए निर्मित वितरण टैंक, निकास मार्ग तथा वितरण प्रणाली का प्रयोग बहाव सिंचाई स्कीम में किया जाएगा तथा पम्प हाउस का प्रयोग भण्डार एवं चौकीदार के क्वार्टर के रुप में किया जा रहा था।

---

* इसमें पुराने दायित्वों के शोधन तथा सामग्री को वापस लेने हेतु 1987-93 के दौरान खर्च किए 13,545 रुपए सम्मिलित है।

सरकार को मामला अप्रैल 1995 में सन्दर्भित किया गया जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

4.15 लोक लेखा समिति को गलत सूचना देना

वर्ष 1982-83 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के परिच्छेद 4.1.1 2(ii) में सिंचाई स्कीमों के निष्पादन में विलम्ब का वर्णन किया गया था। पूर्वोक्त परिच्छेद में टिप्पणीकृत स्कीमों में बहाव सिंचाई स्कीम रोपा पाथा (मण्डी जिला) भी शामिल थी जो मार्च 1983 तक पूर्ण नहीं की गई थी। यद्यपि विधान सभा को 23 दिसम्बर 1988 को प्रस्तुत लोक लेखा समिति के 158वें प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) में विभागीय प्रतिनिधि की मौखिक परीक्षा के आधार पर यह वर्णन किया गया था कि परिच्छेद 4.1.1.2(ii) में वर्णित स्कीमें पूर्ण की जा चुकी थीं।

मण्डी मण्डल द्वारा 1981 में आरम्भिक रुप से निष्पादनार्थ शुरु की गई यह स्कीम बग्गी मण्डल को उसके सृजन पर 1984-85 के दौरान हस्तांतरित की गई थी। बग्गी मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 1991) तथा उसके पश्चात् एकत्रित की गई और सूचना से यह प्रकट हुआ कि यह स्कीम 19.90 लाख रुपए का व्यय किए जाने के पश्चात् भी जून 1995 तक वस्तुतः पूर्ण नहीं की गई थी।

लोक लेखा समिति को गलत सूचना दी गई थी। जून 1995 तक स्कीम पर किया गया 19.90 लाख रुपए का व्यय निष्फल रहा तथा लाभग्राही अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।

सरकार को मामला मई 1995 में संदर्भित किया गया था जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

4.16 अपर्याप्त जांच के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय

75 हैक्टेयर भूमि (बाद में मार्च 1981 में घटाकर 60 हैक्टेयर कर दी गई) के कृष्य कमांद क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए लिफ्ट सिंचाई स्कीम, टकारला नन्दपुर (ऊना जिला) के निर्माण का 2.28 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मार्च 1980 में प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था। 7.07 लाख रुपए का व्यय किए जाने के पश्चात् स्कीम अप्रैल 1985 में चालू की गई। स्कीम के अनुरक्षण पर 1985-86 से 1994-95 तक (नवम्बर 1994) 4.90 लाख रुपए का व्यय किया गया था।

ऊना मण्डल-II के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 1993) तथा मण्डल द्वारा दी गई सूचना (दिसम्बर 1994) से प्रकट हुआ कि 1993-94 तक स्कीम से अधिकतम 18 हैक्टेयर कृष्य कमांद क्षेत्र सिंचित किया जा सका। 36.64 हैक्टेयर कृष्य कमांद क्षेत्र को

'चक विकास" प्रदान करने हेतु नवम्बर 1990 में प्रस्तावित 3.20 लाख रुपए के प्राक्कलन के लिए अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित था। शेष कृष्य कमांद क्षेत्र, जो राजस्व अभिलेखों के अनुसार जलसंतृप्त पाया गया था, को सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं था और इसलिए चक विकास कार्यों के लिए तैयार किए गए प्राकक्कलन में सम्मिलित नहीं किया गया था।

इससे यह स्पष्ट है कि स्कीम वास्तविक रुप से सिंचाई की अपेक्षा वाले क्षेत्र का निर्धारण किए बिना आवश्यकता से अधिक बड़े पैमाने पर आरम्भ की गई थी। यदि पहले ही स्कीम की पूर्ण जांच कर ली जाती तो 38.36 हैक्टेयर के अतिरिक्त कृष्य कमांद क्षेत्र के लिए स्कीम के निर्माण तथा अनुरक्षण पर किया गया 5.99 लाख रुपए का अनुपातिक व्यय टाला जा सकता था।

अधिशासी अभियंता ने बताया (दिसम्बर 1994) कि स्कीम 75 हैक्टेयर भूमि के लिए जल के एक क्यूजक के प्रचलित मानक पर अभिकल्पित की गई थी। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्कीम कमांद क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण तथा जांच करने के पश्चात् सिंचाई की वास्तविक आवश्यकता के कृष्य कमांद क्षेत्र के लिए प्रारम्भिक रुप से ही अभिकल्पित की जानी चाहिए थी जो स्पष्टत: नहीं की गई थी।

सरकार को मामला मई 1995 में संदर्भित किया गया था जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

4.17 सिंचाई स्कीम पर निष्फल व्यय

121 हैक्टेयर कृष्य कमांद क्षेत्र की सिंचाई हेतु बहाव सिंचाई स्कीम निचार (किन्नौर जिला) को 8.82 लाख रुपए का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था (फरवरी 1982)। तकनीकी संस्वीकृति अप्रैल 1995 तक प्राप्त नहीं की गई थी। फिर भी रिकांग पिओ मण्डल द्वारा 1979-80 के दौरान कार्य आरम्भ कर दिया गया था। 6,750 किलोमीटर की कुल लम्बाई में से 4,460 किलोमीटर की लम्बाई में अप्रैल 1992 तक 19.26 लाख रुपए का व्यय करने के पश्चात् भिन्न मिल खण्डों में "पटरा*" कटान किया गया था। निचार उपमण्डल से फरवरी 1991 में प्राप्त 30.57 लाख रुपए का संशोधित अनुमान अभी प्रकियान्तर्गत था। उसके पश्चात् अगला कार्य नहीं किया गया था।

चक विकास: कमांद क्षेत्र विकास

* पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई मार्ग हेतु पटरा पट्टी कटान

मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला (मई 1994) कि स्कीम का कार्य वन विभाग की भूमि पर "कूहल" निर्माण की अनूमति के अभाव में अवरुद्ध पड़ा था। सहायक अभियंता निचार उपमण्डल ने अधिशसी अभियंता से कार्य के निष्पादनार्थ वनभूमि के प्रयोग हेतु वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध किया (मई 1984)। तथापि वन भूमि के अधिग्रहणार्थ मामला मण्डल द्वारा वन विभाग को जनवरी 1987 में विलम्ब से भेजा गया था तथा अभी भी (अप्रैल 1995) पत्राचाराधीन था।

प्रमुख अभियंता (सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य) ने बताया (अप्रैल 1995) कि कूहल का शेष कार्य वन विभाग की संस्वीकृति प्राप्त होने पर तुरंत प्रारम्भ किया जाएगा। भावी प्रगतियां प्रतीक्षित थी (मई 1995)।

वन विभाग द्वारा मामला भेजने में असाधारण विलम्ब तथा उसके द्वारा कार्रवाई न करने के परिणामस्वरुप 19.26 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त क्षेत्रवासी सिंचाई सुविधा से वंचित रहे।

सरकार को मामला जून 1995 में संदर्भित किया गया था जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

4.18 निष्फल व्यय

ढकेरी में (सोलन जिला) तत्कालीन नलकूप मण्डल, नालागढ़ द्वारा 2.78 लाख रुपए की लागत से जून 1987 में नलकूप वेधन किया गया था तथा सोलन मण्डल नं0 1 (वर्तमान में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल, नालागढ़) को हस्तान्तरित किया गया था (फरवरी 1987)। इसे प्रारम्भ करने तथा 54 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान करेन हेतु नलकूप के निमित्त सिविल कार्यों के निर्माण को 12.30 लाख रुपए का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था (अक्तूबर 1987)। सिविल कार्य जून 1987 में आरम्भ किए गए तथा स्कीम 12.57 लाख रुपए का व्यय किए जाने के पश्चात् जून 1988 में चालू की गई।

जुलाई 1991 में कुछ बालू की समस्या सामने आई तथा केन्द्रीय भू जल बोर्ड के विशेषज्ञ का परामर्श प्राप्त किए बिना पम्पिग मशीनरी को भूतल में 26.13 मीटर से 29.15 मीटर तक नीचे ले जाकर इस पर नियंत्रण पाया गया। परन्तु पम्पिग मशीनरी जुलाई 1992 में खराब हो गई तथा पम्प स्क्रीन में रेत के साथ कुछ कंकर पाए गए थे। उपायात्मक पग उठाने तथा नलकूप को प्रयोग में लाने हेतु केन्द्रीय भू जल बोर्ड से अगस्त 1992 में परमर्श मांगा गया था परन्तु नलकूप का पुनरुद्धार नहीं किया जा सका। अप्रैल 1994 में बोर्ड के वैज्ञानिक द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया था जिसके दौरान स्लौटिड हाउसिंग पाइप के निचले भाग के जोड़ में एक दरार पायी गयी जिसमें रेत

"कूहल": लघु सिचांई मार्ग

व कंकर प्रविष्ट होते थे। अंततः विद्यमान नलकूप से लगभग 30 मीटर की दूरी पर एक अन्य नलकूप के निर्माणार्थ सुझाव सहित नलकूप के छोड़ने की सिफारिश की गई थी (जून 1994)। नवस्थल पर कार्य आरम्भ नहीं किया गया था। अधिशासी अभियंता ने बताया (जून 1994) कि बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई यथा समय की जाएगी। स्लौटिड पाइप में दरार होने के कारणों का उत्तरदायित्व निश्चित करने तथा भविष्य में निवारणात्मक पग उठाने हेतु छानबीन नहीं की गई थी।

इस प्रकार नलकूप के चालू होने के 4 वर्षों के भीतर विफल होने के कारण इसके वेधन पर किया गया 2.78 लाख रुपए का व्यय निष्फल हो गया। इसके अतिरिक्त सिविल निर्माण कार्यों पर 12.57 लाख रुपए का व्यय भी अप्रैल 1992 से स्कीम के कार्य न करने के कारण अधिकतर निष्फल ही रहा।

सरकार को मामला जून 1995 में संदर्भित किया गया था जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

4.19 अतिरिक्त परिहार्य व्यय

सुन्दरनगर कस्बे (चरण-II) के लिए मुख्य मल निर्गम लाइन, वितरण लाइनें स्तम्भ मल व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्था करने तथा बिछाने के कार्यों के लिए निविदाएं सुन्दरनगर मण्डल में प्राप्त की गई थी (जनवरी 1994)। प्राप्त की गई तीन निविदाओं में से ठेकेदार "बी", जिसकी दूसरी न्यूनतम पेशकश थी, ने पाइपों की लागत दर 5 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव रखा था यदि पाइपें विभाग द्वारा दी जाती हैं परन्तु, मुख्य अभियन्ता, धर्मशाला को अधीक्षण अभियन्ता, सुन्दरनगर वृत्त द्वारा विभिन्न कारणों से उसकी पेशकश की सिफारिश नहीं की गई थी (फरवरी 1994)। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिए गए कारणों (फरवरी 1994) में से एक यह भी था कि पाइपें न तो स्टॉक में उपलब्ध थी न ही इन्हें तुरन्त उपार्जित किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में यह पता चला (जुलाई 1994 तथा मई 1995) कि पाइपों की अनुपलब्धता का तर्क तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि 4.89 लाख रुपए मूल्य की 200 मी० मी० (896.5 मीटर) तथा 150 मी०मी० (40.5 मीटर) व्यास की 937 रनिंग मीटर ढलवां लोहे की पाइपें मण्डल के पास पहले से उपलब्ध थीं तथा 23.73 लाख रुपए की लागत वाली 150 मी० मी० व्यास की 7,634 रनिंग मीटर पाइपें जनवरी-फरवरी 1994 में दिए गए दो आपूर्ति आदेशों के प्रति मार्च 1994 में प्राप्त की गई थीं। ये पाइपें स्कीम के चरण-II के लिए खरीदी गईं बताईं थीं जिस पर चरण-I की पूर्णता के पश्चात् कार्य आरम्भ किया जाना था। इस प्रकार यह तर्क मान्य नहीं था कि पाइपें तुरन्त उपार्जित नहीं की जा सकीं थीं तथा खरीदी गई मात्राएं चरण-II में प्रयुक्त करने के लिए थीं क्योंकि पर्याप्त समय और निधियां उपलब्ध थीं तथा दोनों ही चरण स्कीम के समग्र भाग थे।

वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान उपलब्ध बजट आबण्टनों को प्रयुक्त करने हेतु 57.37 लाख रुपए की सामग्री मार्च 1993 तथा मार्च 1994 के बीच स्कीम के चरण-I में

बुक की गई थी। इसमें विभिन्न व्यास की 9,535 रनिंग मीटर जस्तीकृत लौह-पाइपों की 14.73 लाख रुपए की लागत भी शामिल थी जो मलव्यवस्था प्रणाली पर प्रयोगार्थ आवश्यक नहीं थीं। इसमें से जस्तीकृत लौह पाइपों सहित 51.37 लाख रुपए मूल्य की सामग्रियां मई 1995 से अप्रयुक्त पड़ी थीं। बुक की गई सामग्रियों के विषय में यह बताया गया कि वे दूसरे चरण में प्रयुक्त की जाएगी जिसका कार्य आरम्भ नहीं किया गया था। इस प्रकार 51.37 लाख रुपए की निधियां 14 तथा 26 महीनों के बीच की अवधियों तक अवरुद्ध रहीं।

विभिन्न व्यास वाली 9,342 रनिंग मीटर ढलवां लौह पाइपें उपलब्ध करवाने तथा उन्हें बिछाने हेतु 80.29 लाख रुपए की राशि सहित 123.67 लाख रुपए का कार्य ठेकेदार "ए" को सौंपा गया था (मार्च 1994) जो प्रगति पर था (मई 1995)। यदि विभाग ने निविदाओं का मूल्यांकन पाइपों की विभागीय आपूर्ति के प्रभाव को ध्यान में रख कर किया होता और अनुबन्ध में पाइपें जारी करने हेतु उपबंध शामिल किया होता तो 9,342 रनिंग मीटर ढलवें लौह पाइपों को बिछाने में 13.48 लाख रुपए की बचत होती।

अधिशासी अभियन्ता ने परिहार्य व्यय को स्वीकार करते हुए बताया (मई 1995) कि अनुबन्ध करने से पूर्व दैनिक भत्ते, यात्रा भत्ते तथा बड़े निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु ठेकेदारों की विशेषज्ञता की अन्तःग्रस्तता जैसी अनेक बातों पर विचार किया गया था। यह भी बताया गया था कि पाइपों के इलावा अनेक अन्य मदें भी थी जो ठेकेदार को उचित दरों की अपेक्षा कम दरों पर दी गई थीं। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि ठेकेदार को मलव्यवस्था प्रणाली का प्रबन्ध करने और बिछाने का पूर्व अनुभव नहीं था तथा ऊपर बताई गई बातें केवल प्रासंगिक थी। पुनश्च 123.67 लाख रुपए के पूर्ण ठेके में से 80.29 लाख रुपए केवल पाइपों के प्रबन्ध करने तथा बिछाने के थे जो इस तथ्य के द्योतक थे कि यह कार्य का सबसे बड़ा घटक था जो लागत का 65 प्रतिशत बनता था।

ठेकेदार "बी" को पाइपों की विभागीय आपूर्ति सुनिश्चित करके निविदा का मूल्यांकन करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरुप 13.48 लाख रुपए का अतिरिक्त परिहार्य दायित्व होगा। इसके अतिरिक्त केवल उपलब्ध बजट आबण्टन की प्रयुक्ति दर्शाने के लिए सामग्री की बुकिंग के कारण 51.37 लाख रुपए की निधियां अवरुद्ध रहीं।

सरकार को मामला जुलाई 1995 में सन्दर्भित किया गया जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

पाँचवां अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक

लोकनिर्माण विभाग

5.1 सामग्री का दुर्विनियोजन

पांच भवन एवं सड़क मण्डलों* फरवरी 1990 तथा जनवरी 1993 के मध्य मथुरा से राज्य के विभिन्न गन्तव्य स्थलों तक बिटूमन की ढुलाई का कार्य तीन ठेकेदारों को सौंपा। ये कार्य ठेकेदारों द्वारा आबण्टन तिथि से एक मास से तीन मास के मध्य पूर्ण किए जाने थे।

विभाग में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार शोधक कारखाने के सुपुर्दगी आदेशों के प्रति ढुलान ठेकेदार को प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। प्राधिकार के आधार पर बिटूमन को शोधक कारखाने से ठेकेदार द्वारा प्राप्त किया जाता है और उसे उद्दिष्ट स्टेशनों में ले जाया जाता है। इस प्रकार गन्तव्य स्थल पर प्रेषिती को सुपुर्द किए जाने तक सामग्री ढुलान ठेकेदार के अभिरक्षण में रहती है। सामग्री की लागत का भुगतान राज्य सरकार की ओर से आपूर्ति मंत्रालय के भुगतान व लेखा कार्यालय द्वारा किया जाता है और लेखाओं में समायोजन हेतु इसे महालेखाकार के माध्यम से राज्य सरकार के नामे डाल दिया जाता है।

इन मण्डलों के अभिलेखों की अगस्त 1993 तथा सितम्बर 1994 के मध्य नमूना जांच से पता चला कि ठेकेदारों द्वारा प्रेषितियों को सामग्री न सौंपे जाने की स्थिति में अनुबन्धों में सरकारी हित की सुरक्षा हेतु कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं रखा गया था। ठेकेदारों ने सम्बद्ध मण्डलों के प्राधिकार के आधार पर मार्च 1990 तथा फरवरी 1993 के मध्य शोधक कारखाने से 542.41 टन (3,476 ड्रम) बिटूमन उठाया और इसी अवधि में विभिन्न मण्डलों को 351.99 टन (2,256 ड्रम) बिटूमन सौंपा। 10.65 लाख रुपए मूल्य की शेष 190.42 टन (1,220 ड्रम) की मात्रा इस तथ्य के बावजूद भी जुलाई 1995 तक नहीं सौंपी गई थी कि 542.41 टन की सम्पूर्ण मात्रा के लिए आपूर्ति मंत्रालय द्वारा शोधक कारखाने को भुगतान किया जा चुका था। स्पष्टतया ढुलान ठेकेदारों द्वारा सामग्री का गबन किया गया था।

बिलासपुर मण्डल संख्या-I के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (सितम्बर 1994) कि यह मामला जून 1993 में पुलिस को सूचित गया था और जून 1995 तक इसकी छानबीन की जा रही थी। शेष चार मण्डलों ने तो मामला भी पुलिस में दर्ज नहीं करवाया और वे सामग्री की शेष मात्रा की सुपुर्दगी के लिए ठेकेदारों को ही मनाते रहे लेकिन यह सब निरर्थक रहा। इन ठेकेदारों को 3.68 लाख रुपए के ढुलाई प्रभार भी भुगतानयोग्य थे। तथापि ठेकेदारों से वसूल किया गया अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि का पता नहीं था (सितम्बर 1995)।

---

* बिलासपुर-I, कल्पा, कड़छम, काजा व निरमण्ड

सामग्री की सुपुर्दगी न किए जाने की स्थिति में अनुबन्धों में सरकारी हितों की सुरक्षा हेतु विशिष्ट शास्तिक् उपबन्ध करने में विफलता से 10.65 लाख रुपए मूल्य की सामग्री का गबन सम्भव हुआ।

यह मामला अप्रैल 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

5.2 सामग्री की अधिक खपत

अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की विनिर्दिष्टताओं व आकलनों के अनुसार सड़क के वार्षिक सतहीकरण हेतु तारकोल व रोड़ी बिछाने के लिए पहले से ही रोड़ी व तारकोल बिछाए गए 10 वर्ग मी0 क्षेत्र के लिए 5 कि0 ग्रा0 बिटूमन अपेक्षित था।

इस आधार पर बनाए गए इन उपबन्धों व आकलनों के बावजूद भी घुमारवीं तथा ऊना मण्डलों में मई 1991 तथा दिसम्बर 1994 के मध्य 21 सड़क निर्माण कार्यों पर 157.238 वर्ग मी0 क्षेत्र में वास्तव में 10 कि0 ग्रा0 प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बिटूमन की खपत की गई थी। विहित विनिर्दिष्टता व संस्वीकृत आकलन से विचलन के फलस्वरुप 5.08 लाख रुपए की 78,619 कि0 ग्रा0 बिटूमन की अधिक खपत हुई। इसके अतिरिक्त बिटूमन की अधिक खपत वाली मात्रा को गर्म करने के लिए 0.50 लाख रुपए की लागत की 550 क्विंटल ईंधनकाष्ठ की भी अधिक खपत हुई।

इसी प्रकार धर्मशाला मण्डल में अपेक्षित आकलनों की तैयारी व अनुमोदन के बिना 92,527 वर्ग मी0 सड़क की सतह के लिए 10 सड़क निर्माण कार्यों के वार्षिक सतहीकरण पर वर्ष 1991-92 तथा 1994-95 के मध्य 10 कि0ग्रा0 प्रति 10 वर्ग मी0 की दर से "टैक कोट" उपबन्ध करवाया गया। निर्धारित विनिर्दिष्टता के अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरुप 2.17 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। लेखापरीक्षा में यह सूचित किए जाने (मार्च 1994 तथा जनवरी-फरवरी 1995) पर अधिशासी अभियन्ता ने बिटूमन की अधिक खपत को सड़क की सतह की खराब हालत तथा दुबारा सतहीकरण में विलम्ब से सम्बद्ध किया (अक्तूबर 1994 तथा जनवरी-फरवरी 1995)। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि निर्धारित विनिर्दिष्टताओं में इस आधार पर अधिक खपत की अनुमति नहीं थी।

यह मामला मई 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

5.3 सामग्री उपार्जन व वितरण में अनियमितताएं

विभागीय वित्तीय नियमावली में व्यवस्था है कि निर्माणकार्यों को सामग्री केवल तत्काल खपत के लिए ही दी जानी चाहिए। केवल बजट प्रावधान की प्रयुक्ति दर्शाने के लिए तत्काल प्रयोग हेतु अवांछित सामग्री की लागत को किसी निर्माणकार्य के नामे डालने की मनाही है।

दस मण्डलों* की नमूना जांच से पता चला (अगस्त 1994-जनवरी 1995) कि जनवरी 1992 तथा मार्च 1994 के मध्य 118 निर्माण कार्यों को दी गई 99.04 लाख रुपए की सामग्री अप्रैल 1993 तथा नवम्बर 1994 के मध्य मण्डलीय भण्डारों में लौटा दी गई। इसमें 11 भवन निर्माण कार्यों तथा एक मत्स्य फार्म के लिए चम्बा (1.14 लाख रुपए) तथा नाहन (3.18 लाख रुपए) मण्डलों द्वारा बुक किया गया 4.32 लाख रुपए का बिटूमन भी शामिल था जबकि इसकी खपत की जरुरत नहीं थी।

रोहड़ू मण्डल में कोषागार से 32 लाख रुपए आहृत किए गए (मार्च 1994) और इनके भारतीय इस्पात प्राधिकरण के नाम चार बैंक ड्राफ्ट बनाए गए (अप्रैल 1994)। यह राशि सामग्री प्राप्ति की रसीद मिलने तक "विविध निर्माणकार्य अग्रिम" नामक उचन्त शीर्ष में रखने की बजाय प्रत्यक्षतः 7 निर्माणकार्यों को प्रभारित की गई। ये बैंक ड्राफ्ट फर्म को प्रेषित करने की बजाय नकद पेटिका में रख लिए गए और तदनन्तर सम्बद्ध निर्माण कार्यों में इन्हें जमा करके व तत्पश्चात् रद्द करके मई-जुलाई 1994 में भुना लिया गया। इस राशि का उपयोग ठेकेदारों व मजदूरों को भुगतान के लिए किया गया। बजट आबण्टन की प्रयुक्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यय की प्रत्यक्षतः निर्माणकार्यों में बुकिंग को स्वीकार करते हुए मण्डलीय अधिकारी ने बताया (नवम्बर 1994) कि इस्पात की प्रत्याशित आवश्यकता के प्रति ये निधियां निदर्शी बिलों पर आहृत की गई और जब भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने सामग्री की आपूर्ति में असमर्थता प्रकट की तो बैंक ड्राफ्ट रद्द कर दिए गए। मण्डलीय अधिकारी का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि बैंक ड्राफ्ट न तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण को प्रेषित किए गए और न ही सामग्री की आपूर्ति में असमर्थता व्यक्त करने वाला पत्र ही अभिलेखों में मौजूद था।

इसके अतिरिक्त 12.99 लाख रुपए की एक अन्य राशि इस्पात की आपूर्ति हेतु मार्च 1994 में राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम को दी गई थी और इसके प्रति जून 1994 व नवम्बर 1994 के मध्य 11.77 लाख रुपए की सामग्री भी प्राप्त कर ली गई थी लेकिन 1.22 लाख रुपए की शेष सामग्री की आपूर्ति दिसम्बर 1994 तक नहीं हुई थी। 12.99 लाख रुपए के अग्रिम भुगतान को "विविध निर्माणकार्य अग्रिम" की बजाय उपलब्ध निधियों की प्रयुक्ति दर्शाने हेतु "रोहड़ू स्थित पॉलीटेक्नीक छात्रावास भवन के निर्माण" के नामे डाला गया था। तदनन्तर यह सामग्री स्टॉक या

---

* चम्बा, डलहौजी, हमीरपुर, जुब्बल, कांगड़ा, कुल्लू-II नाहन, पालमपुर, शिमला-I व सोलन

अन्य निर्माणकार्यों में हस्तान्तरित कर दी गई थी लेकिन सामग्री के स्टॉक में पुनरांकन के विनियमन हेतु आवश्यक अन्तरण प्रविष्टियां तैयार नहीं की गई थी (नवम्बर 1994) और निर्माणकार्य को अतिप्रभारित किया जाना जारी रहा।पुन: 'इस्पात व सीमेण्ट की आपूर्ति हेतु मार्च 1993 में क्रमश: भारतीय इस्पात प्राधिकरण (6.44 लाख रुपए) तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (4.47 लाख रुपए) को 10.91 लाख रुपए की अग्रिम राशि दी गई थी और इसे भी "विविध निर्माणकार्य अग्रिम" की बजाय इसी निर्माणकार्य के नामे डाला गया। इसमें से 10.40 लाख रुपए की सामग्री अप्रैल 1993 तथा अगस्त 1993 के मध्य प्राप्त कर ली गई थी लेकिन शेष 0.51 लाख रुपए की सामग्री दिसम्बर 1994 तक प्राप्त नहीं हुई थी।

यह मामला जुलाई 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

5.4 भण्डार की न्यूनता/भण्डार न सौंपना

देहरा मण्डल (कांगड़ा जिला) के एक कनिष्ठ अभियन्ता ने अपने उत्तरवर्ती अधिकारी को सितम्बर 1991 में अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक भण्डारों का कार्यभार नहीं सौंपा। मण्डल तथा सम्बद्ध कर्मचारी के मध्य हुए पत्राचार से भी बात नहीं बनी और परिणामत: अधिशासी अभियन्ता द्वारा गठित (सितम्बर 1992) समिति ने कार्य भार सौंपने/ग्रहण करने (0.46 लाख रुपए) तथा सामग्री पुस्तांकित शेषों व वास्तविक शेषों (3.87 लाख रुपए) के आधार पर 4.33 लाख रुपए की न्यूनताएं संगणित की (अगस्त 1993)।

मण्डलीय अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला (जनवरी 1995) कि यह कर्मचारी दिसम्बर 1989 से ही दूसरे कर्मचारी को कार्यभार सौंपने में आनाकानी कर रहा था। यह भी पाया गया कि दोषी कनिष्ठ अभियन्ता की सेवानिवृत्ति से लगभग तीन मास पूर्व उसके पेंशन दस्तावेज तैयार करते समय कोई स्पष्ट वसूली नहीं पाई गई/स्थापित की गई और इसीलिए तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा बेबाकी प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया था। तदनुसार 0.37 लाख रुपए की मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्यूटी को छोड़कर सभी (सेवा निवृत्ति लाभ उसे दे दिए गए) अधिशासी अभियन्ता की बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करने की कार्रवाई उचित नहीं थी, क्योंकि उसे मालूम था कि कर्मचारी ने भण्डारों का कार्यभार नहीं सौंपा था।

दोषी कनिष्ठ अभियन्ता को उसकी सेवानिवृत्ति के तीन वर्ष से भी अधिक समय बाद सरकार द्वारा आरोपपत्र दिया गया (दिसम्बर 1994) तथा जांच अभी चल ही रही थी। तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता तथा चार अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशासनिक चूक का उत्तरदायी ठहराए जाने के बाद उन्हें भी आरोपपत्र दिए गए। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 1995)। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी तथा सेवारत अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में तीन वर्ष से भी अधिक समय का असामान्य विलम्ब था।

यदि समय पर भण्डारों का कार्यभार सौंपने तथा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व भण्डार न्यूनताएं स्थापित करने में प्रभावी पग उठाए गए होते तो सेवानिवृत्त कर्मचारी की आंशिक वसूली हो सकती थी और राजकोष की हानि कम की जा सकती थी।

यह मामला जून 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

5.5 परिवहन प्रभारों पर परिहार्य व्यय

प्रमुख अभियन्ता ने जून 1992 में विभाग के विभिन्न मण्डलों को विभिन्न व्यास के जस्तीकृत लौह पाइपों की आपूर्ति हेतु आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक की दर संविदा के अंतर्गत सूचीबद्ध विभिन्न फर्मों को आदेश दिए। इसमें कुल्लू मण्डल द्वारा वर्ष 1992-93 के लिए मई 1992 में प्रेषित 8,99,476 रनिंग मीटर पाइपों की मांग भी शामिल थी।

तदनन्तर कुल्लू मण्डल के अधिशासी अभियन्ता, ने अधीक्षण अभियन्ता कुल्लू को सूचित किया (जुलाई 1992) कि पाइपों की मांग गलती से संस्वीकृत बजट के आधार पर नहीं अपितु विभिन्न जलापूर्ति स्कीमों के प्राक्कलनों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। इस प्रकार जुलाई 1992 में जस्तीकृत लौह पाइपों की 1,03,570 रनिंग मीटर की संशोधित मांग धर्मशाला स्थित मुख्य अभियन्ता कार्यालय को भेजी गई थी लेकिन प्रमुख अभियन्ता ने जून 1992 के आपूर्ति आदेश में संशोधन नहीं किया जिसके फलस्वरुप जून 1992 के आपूर्ति आदेश के आधार पर वर्ष 1992-93 में 1,69,579 रनिंग मीटर की जस्तीकृत लौह पाइपें प्राप्त की गईं। उपर्युक्त मांग प्रेषित करते समय दिसम्बर 1991 तथा जनवरी 1992 के आदेशों को ध्यान में नहीं रखा गया और इन आपूर्ति आदेशों के आधार पर वर्ष 1992-93 में 1,00,171 रनिंग मीटर पाइपें प्राप्त की गईं। इस प्रकार पाइपों की मांग के प्रति वास्तव में 2,69,750 रनिंग मीटर पाइपें प्राप्त हुई जिनमें से 1,74,768 रनिंग मीटर पाइपें 1.34 लाख रुपए के परिवहन प्रभारों के व्यय के पश्चात् 7 मण्डलों* को हस्तान्तरित कर दी गईं।

वास्तविक मांग तैयार करने तथा आपूर्ति आदेश में समय पर संशोधन करने में मण्डलीय विफलता के परिणामस्वरुप कुल्लू से विभिन्न गन्तव्य स्थलों तक पाइपों के परिवहन पर 1.34 लाख रुपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

यह मामला मई 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

---

* बग्गी, जुब्बल, मण्डी, पद्धर, पालमपुर, सरकाघाट व सुन्दरनगर

5.6 परिहार्य व्यय

मार्च 1991 में अनुमोदित मण्डी जिले के 4 गांवों* को ग्रेविटी जलापूर्ति स्कीम के प्राक्कलन में मुख्य कूहल तथा इसकी वितरण लाइनों में विभिन्न व्यास के हल्के जस्तीकृत लौह पाइपों के प्रयोग की व्यवस्था थी। इस अनुमोदन के आधार पर सुन्दरनगर मण्डल द्वारा इस स्कीम में प्रयोगार्थ हल्की श्रेणी की पाइपें खरीदी गईं थी। पुनः छानबीन करने (नवम्बर-दिसम्बर 1992) पर पाया गया था स्कीम के चरण I एवं II की 11,615 रनिंग मीटर की लम्बाई वाली मुख्य कूहल के लिए 40 मि0 मी0 (610 मी0), 50 मि0 मी0 (2,390 मी0), 65 मि0मी0 (1,985 मी0), 80 मि0मी0 (5,475 मी0) तथा 100 मि0 मी0 (1,155 मी0) व्यास की मध्यम श्रेणी की पाइपें उपयुक्त थीं।

मध्यम श्रेणी की पाइपें उपार्जित करने की बजाय फ्लैंजे उपलब्ध करवाकर हल्की श्रेणी की पाइपें प्रयुक्त करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार वर्ष 1992-93 के दौरान 3.95 लाख रुपए का व्यय करके 4 ठेकेदारों के माध्यम से 10.90 लाख रुपए की लागत की विभिन्न व्यासों वाली 8,192 मी0 हल्की श्रेणी की पाइपों को 8,122 मी0 पाइपों में फ्लैंज करवाया गया। 8,122 मी0 हल्की श्रेणी के पाइपों की लागत वर्ष 1992-93 की प्रचलित दरों के आधार पर 12.66 लाख रुपए थी।

यह अभिकल्पित स्कीम में आरम्भ से ही पर्याप्त व समुचित छानबीन की गई होती और स्कीम की आवश्यकतानुसार मध्यम श्रेणी की पाइपें उपार्जित की गई होती तो पाइपों को फ्लैंज करने पर किए गए 2.19 लाख रुपए के अतिरिक्त व्यय को टाला जा सकता था।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1994) कि स्कीम को मार्च 1993 में पूर्ण करने का लक्ष्य था और मण्डल में हल्की श्रेणी की पाइपें भी उपलब्ध थीं। इसीलिए मध्यम श्रेणी की पाइपें उपार्जित करने की बजाय फ्लैंजिंग के पश्चात् हल्की श्रेणी की पाइपों को प्रयुक्त करने का निर्णय लिया गया। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि यह स्कीम तो जुलाई 1994 तक भी पूरी नहीं की गई थी।

यह मामला जून 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

---

* बखरोट, कलासौण, करसोग व सोर्टा

समाज एवं महिला कल्याण विभाग

5.7 भण्डार प्रबन्धन में त्रुटियां

समाज एवं महिला कल्याण विभाग की भण्डार सामग्री में खाद्यान्न, सिलाई मशीनें, बर्तन आदि शामिल हैं। यद्यपि भण्डार सामग्री (खाद्यान्न) का क्रय निदेशालय स्तर पर एक क्रय समिति द्वारा प्रक्रियान्वित किया जाता है लेकिन अन्य भण्डार सामग्री राज्य वित्तीय नियमावली के अन्तर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरुप निदेशालय स्तर पर या क्षेत्र इकाइयों द्वारा खरीदी जाती है।

फरवरी तथा मई 1995 के दौरान भण्डार-प्रबन्ध की नमूना जांच में निम्नांकित तथ्य ध्यान में आए:-

(i) वित्तीय क्रियाविधि में अपेक्षित है कि अग्रिमरुपेण आहृत धन तत्काल समायोजित किया जाए और पिछली अग्रिम राशि के समयोजित होने तक किसी अन्य अग्रिम राशि की अनुमति न दी जाए। वर्ष 1990-91 तथा 1994-95 के मध्य भण्डार-सामग्री के क्रय व परिवहन प्रभारों के भुगतान हेतु शिशु विकास परियोजना अधिकारियों को कुल 171.13 लाख रुपए की अग्रिम राशियां दी गई थीं लेकिन इनके समायोजन हेतु न तो लेखे प्राप्त हुए और न ही क्षेत्र अधिकारियों से इन्हें मांगा गया। निदेशक ने बताया (मई 1995) कि निदेशालय स्तर पर लेखे अनुरक्षित करने के लिए एक प्रपत्र तैयार करके क्षेत्र इकाइयों को परिचालित किया जाएगा।

(ii) शिशु विकास परियोजना अधिकारी, घुमारवीं द्वारा विभिन्न भण्डार सामग्री के क्रयार्थ जून 1993 (0.72 लाख रुपए) तथा मार्च 1994 (1.75 लाख रुपए) में प्राप्त 2.47 लाख रुपए में से केवल 0.97 लाख रुपए ही प्रयुक्त किए गए थे और 1.50 लाख रुपए फरवरी 1995 तक बैंकों में अप्रयुक्त पड़े थे। शिशु विकास परियोजना अधिकारी, घुमारवीं ने बताया (फरवरी 1995) कि यह राशि निदेशक ने निस्तारित की थी जबकि उसने इसकी मांग नहीं की।

(iii) निदेशक तथा 15 शिशु विकास परियोजना अधिकारियों ने मार्च 1991 व फरवरी 1995 के मध्य 4.84 लाख रुपए की सामग्री दर संविदा के अंतर्गत सूचीबद्ध न की गई फर्मों से खरीदी जिसके फलस्वरुप दर संविदा के अंतर्गत सूचीबद्ध न की गई फर्मों की दरों की तुलना में 1.07 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। दर संविदा के अंतर्गत सूचीबद्ध न की गई फर्मों से खरीददारियां करने के कारण नहीं बताए गए।

(iv) मार्च 1989 तथा सितम्बर 1994 के मध्य तीन शिशु विकास परियोजना कार्यालयों व एक जिला कल्याण कार्यालय* में 1.22 लाख रुपए की भण्डार सामग्री कम पाई गई/दुर्विनियोजित की गई।

---

* घमारवीं: 0.73 लाख रुपए: पांवटा: 0.13 लाख रुपए: रामपुर: 0.20 लाख रुपए तथा जिला कल्याण कार्यालय, शिमला: 0.16 लाख रुपए

(v) अप्रैल 1981 तथा मई 1993 के मध्य खरीदी गई 1.72 लाख रुपए की सिलाई मशीनें, बर्तन, चादरें आदि कार्यक्रम की समाप्ति/अकार्यान्वयन के कारण जनवरी 1985 से अक्तूबर 1993 तक अप्रयुक्त पड़ी थीं।

(vi) राज्य सरकार की वित्तीय नियमावली के उपबन्धों के विपरीत प्रतियोगी दरों का लाभ प्राप्त करने हेतु 10,000 रुपए से अधिक की खरीददारियों के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थी और जिला कल्याण अधिकारी, शिमला (0.92 लाख रुपए) तथा घुमारवीं (1.61 लाख रुपए), नालागढ़ (0.87 लाख रुपए), कुमारसेन (0.14 लाख रुपए), रामपुर (0.72 लाख रुपए) तथा सोजन (0.13 लाख रुपए) के शिशु विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा मई 1991 तथा मई 1994 के मध्य 4.39 लाख रुपए की खरीददारियां स्थान पर ही प्राप्त 3 से 4 निविदा मूल्यों के आधार पर की गई थीं। जबकि प्रत्येक मामले में मांगे 10,000 रुपए से अधिक की थी। विभाग ने इसके कोई भी कारण नहीं बताए।

यह मामला जुलाई 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

विविध विभाग

5.8 अपरिहार्य दायित्वों का स्थगन

सरकार के वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि सभी अपरिहार्य भुगतान सुनिश्चित करके यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र कर दिए जाने चाहिए और इन्हें दूसरे वर्ष के अनुदानों से भुगतान हेतु बकाया पड़े रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

106 मण्डलों में से 88 मण्डलों (भवन एवं सड़क: 51 तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य: 37) से एकत्रित (मई-जून 1995) सूचना से पता चला कि जनवरी 1992 से मार्च 1995 के दौरान वाहनों/मशीनरी के 411.39 लाख रुपए (भवन व सड़क मण्डल: 330.85 लाख रुपए तथा सिंचाई व जनस्वास्थ्य मण्डल: 80.54 लाख रुपए) के कार्य को 31 मार्च 1995 तक समायोजित नहीं किया गया था जबकि इन्हें वाहनों/मशीनरी के प्रयोग के तत्काल बाद उन निर्माणकार्यों के नामे डाला जाना अपेक्षित था। इसके फलस्वरुप एक तरफ तो निर्माणकार्य लेखाओं की गलत तस्वीर चित्रित हुई और दूरी तरफ अपरिहार्य दायित्वों का स्थगन भी हुआ।

कार्यों को सम्बद्ध वित्तीय वर्षों में समयोजित न करने के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जून 1995)।

यह मामला जुलाई 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

5.9 प्रशिक्षित ऑपरेटरों के अभाव में निष्कार्य पड़े उपस्कर

मार्च 1990 तथा मार्च 1994 के मध्य तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा गृह विभागों द्वारा 8.62 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए विभिन्न उपस्कर, प्रशिक्षित संचालन कर्मियों को तैनात न किए जाने के कारण लाभप्रद रुप से प्रयुक्त नहीं किए गए जैसा कि नीचे इंगित है:-

क्रमांक	विभाग/कार्यालय का नाम	उपस्कर का ब्यौरा	क्रय/प्राप्ति की तिथि	लागत (लाख रुपए)	कब से निष्कार्य
	तकनीकी शिक्षा				
1.	प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नाहन	इलैक्ट्रॉनिक्स, आंकड़ें संसाधन तथा सेक्रेटेरियल सेवा ट्रेडों में प्रशिक्षण देने हेतु अपेक्षित विभिन्न उपस्कर	1993-94	5.13	1993-94
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन	एक्स-रे संयन्त्र	मार्च 1983	1.36	अप्रैल 1993
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी	व्यक्तिगत कम्प्यूटर	फरवरी 1992	0.57	फरवरी 1992
	गृह				
4.	निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भराड़ी	कम्प्यूटर	मार्च 1990	1.56	मार्च 1990
			जोड़	8.62	

उपस्करों की अप्रयुक्ति के परिणामस्वरुप न केवल सरकारी निधियां अवरुद्ध रहीं अपितु इससे समुदाय अधिकांशतः उन सेवाओं से भी वंचित रहा जिनके लिए उनका उपार्जन किया गया था।

यह मामला जून 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों एवं अन्यों को वित्तीय सहायता

6.1 सामान्य

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार समेकित निधि से अनुदानों और ऋणों द्वारा पर्याप्त रुप से वित्तयोषित निकायों तथा प्राधिकरणों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 15 में विहित है कि समेकित निधि से जहां भी कोई अनुदान अथवा ऋण किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए दिया जाता है, वहां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उन प्रक्रियाओं की संवीक्षा करेगा जिनके द्वारा संस्वीकृति प्राधिकारी उन शर्तों की पूर्ति के सम्बन्ध में स्वयं को सतुंष्ट करता है जिनके अंतर्गत ऐसे अनुदान तथा ऋण दिए गए थे।

1994-95 के दौरान सरकार ने निम्नवत् प्रयोजनों के लिए पंचायतों, नगर पालिकाओं, सहकारी समितियों, शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि को अनुदानों के रुप में 6188.20 लाख रुपए संवितरित किए:

क	सामान्य सेवाएं	राशि (लाख रुपए)
(क)	न्याय प्रशासन	7.00
ख	सामाजिक सेवाएं	
(क)	सामान्य शिक्षा	1072.00
(ख)	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	299.14
(ग)	शहरी विकास	125.57
(घ)	तकनीकी शिक्षा	50.00
(ड.)	कला एवं संस्कृति	48.09
(च)	क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं	24.93
(छ)	अन्य सामाजिक सामुदायिक सेवाएं	0.37

ग आर्थिक सेवाएं

(क)	परिवहन	1633.00
(ख)	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	688.25
(ग)	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	447.72
(घ)	मुआवजा एवं समनुदेशन	366.35
(ड.)	आवास	316.31
(च)	ग्रामीण विकास	293.99
(छ)	उद्योग	292.61
(ज)	डेरी विकास	253.69
(झ)	पशुपालन	91.27
(ळ)	सड़के तथा पुल	44.87
(ट)	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	44.00
(ठ)	सहकारिता	35.97
(ड)	पर्यटन	30.78
(ढ)	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	14.75
(ण)	अन्य कृषि कार्यक्रम	6.50
(त)	मत्स्य पालन	1.04
	जोड़	6188.20

वित्तीय नियमों के अंतर्गत, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, उन समस्त मामलों में जिनमें अनुदान सशर्त दिए जाते हैं, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानों के संवितरण के एक वर्ष के भीतर लेखापरीक्षा कार्यालय को इस आशय के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं कि अनुदानों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए ये दिए गए थे। लोक लेखा समिति ने उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण की धीमी प्रगति पर बारम्बार असंतोष व्यक्त किया था और क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा असाधारण बिलम्ब के मामलों की विधिवत रुप से जांच की सिफारिश की थी।

वर्ष 1978-79 से 1993-94 तक प्रदत्त 11374.79 लाख रुपए के कुल अनुदानों के संदर्भ में 2926 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रति 30 सितम्बर 1995 तक 3838.52 लाख रुपए की राशि के केवल 989 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे तथा 7536.27 लाख रुपए की कुल

राशि के 1,937 प्रमाण पत्र बकाया थे। बकाया पड़े प्रमाण-पत्रों का विभागवार विवरण निम्नवत् है:

क्रम संख्या	विभाग	प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
1.	परिवहन	4	2050.00
2.	शिक्षा	739	1866.12
3.	स्थानीय स्वशासन	845	1309.43
4.	ग्रामीण विकास	141	927.37
5.	कृषि	4	492.89
6.	उद्योग	131	353.17
7.	पशुपालन	8	206.98
8.	वन कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण	4	159.37
9.	क्रीडा एवं युवा सेवाएं	21	87.77
10.	सहकारिता	17	40.60
11.	पर्यटन	7	27.50
12.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4	11.65
13.	न्याय प्रशासन	2	2.00
14.	सामान्य प्रशासन (सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं)	4	0.82
15.	सचिवालय सामान्य सेवाएं	5	0.55
16.	मत्स्य पालन	1	0.05
	जोड़	1,937	7536.27

निम्न तालिका में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण की विलम्ब सीमा का विश्लेषण दिया गया है:

विलम्ब सीमा	प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
तीन वर्ष तक	1,321	6992.59
तीन वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष तक	250	267.47
पांच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से कम	316	246.24
दस वर्ष से अधिक	50	29.97
जोड़	1,937	7536.27

इन प्रमाण पत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं था कि प्राप्तकर्ताओं ने अनुदानों का उपयोग उसी/उन्ही प्रयोजन (नों) के लिए किया था जिनके लिए यह/ये अभिप्रेत थे।

6.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य,शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

6.2.1 सामान्य

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उन सभी निकायों तथा प्राधिकरणों, जो पूर्ववर्ती वर्ष/वर्षों के अनुदानों तथा ऋणों के अप्रयुक्त बकायों, यदि कोई हो, सहित सरकार से एक वर्ष में 25 लाख रुपए (1983-84 से पूर्व 5 लाख रुपए) की वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 मास के भीतर लेखापरीक्षा कार्यालय को अपने लेखे प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं। जिन मामलों में धारा 14(1) के अंतर्गत एक विशेष वर्ष में किसी निकाय/प्राधिकरण की लेखापरीक्षा करना अपेक्षित हैं, तो अगले दो वर्षों में भी उस निकाय/प्राधिकरण की लेखापरीक्षा, अनुवर्ती दो वर्षों में से किसी में निर्धारित शर्तें पूरी न होने के बावजूद पूर्वोक्त् अधिनियम की धारा 14(3) के अंतर्गत की जाती है।

तथापि लेखाओं की प्राप्ति में 4 से 30 मास तक के सारभूत विलम्ब थे जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

प्राप्त किए गए लेखाओं की संख्या

लेखा वर्ष	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या	अक्तूबर 1991 तथा सितम्बर 1992 के मध्य	अक्तूबर 1992 तथा सितम्बर 1993 के मध्य	अक्तूबर 1993 तथा सितम्बर 1994 के मध्य	अक्तूबर 1994 तथा मार्च 1995 के मध्य	योग	31 मार्च 1995 को प्रतीक्षित लेखाओं की संख्या
1991-92	34	2	6	14	8	30	4
1992-93	33	-	-	13	15	28	5
1993-94	33	-	-	-	8	8	25

33 निकायों/प्राधिकरणों में से 8 के वर्ष 1993-94 के लेखे प्राप्त हुए तथा इनमें से 5 अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों को आकर्षित करते थे और तद्नुसार 1994-95 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु इनका चयन किया गया। शेष 25 निकायों/प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, में से 16 का भी अधिनियम की धारा 14(3) की शर्तों के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। शेष 9 निकायों/प्राधिकरणों के मामले में उनके लेखे प्राप्त न होने के कारण अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों को लागू करने के संदर्भ में निर्णय नहीं किया जा सका।

विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग

6.2.2 हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

6.2.2.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड) का गठन संसद द्वारा पारित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (जल अधिनियम) के अनुसरण में दिसम्बर 1974 में किया गया। तदुपरान्त वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने की दृष्टि से संसद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (वायु अधिनियम) भी पारित किया गया तथा मई 1981 में हिमाचल प्रदेश द्वारा अपनाया गया। इन दोनों अधिनियमों का क्रियान्वयन बोर्ड को सौंपा गया था। बोर्ड के मुख्य कार्य है:

- ऐसे व्यक्ति को अनुमति देना जो राज्य में कूपों तथा नदी-नालों की स्वच्छता को प्रोत्साहन देने और वायुगुण के उन्नयन और जल/वायु के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा इसे कम करने के अतिरिक्त मल अथवा उद्योग की गंदगी को निकासनार्थ किसी नए अथवा परिवर्तित निकासमार्ग को प्रयोग में लाएः

- किसी उद्योग, जो सम्भवतः जल/वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला हो, की संस्थापना हेतु परिसरों की अनुकूलता अथवा स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देना तथा प्रदूषण नियंत्रण पर राज्यव्यापी कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा उनका निष्पादन करनाः

- जल एवं वायु प्रदूषण के स्त्रोतों की पहचान करना तथा द्योतक रसायनों व व्यर्थ पदार्थों के संचयन तथा उनके निपटानार्थ स्थानों का पता लगानाः

- मल तथा उद्योगों की गन्दगी की व्यवस्था करने तथा औद्योगिक संयत्रों, मोटर वाहनों एवं अन्य प्रदूषण करने वाले स्त्रोतों के संदर्भ में गैस स्वच्छ करने की प्रणालियों हेतु मानक निर्धारित करना तथा मल एवं उद्योगों की गन्दगी की व्यवस्था हेतु मितव्ययी और विश्वसनीय उपायों का मूल्यांकन करनाः तथा

- जल तथा वायु प्रदूषण के संदर्भ में एकत्रित सूचना का प्रसार करना तथा ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हों।

इसके अतिरिक्त बोर्ड को उपकर अधिनियम, 1977 के अंतर्गत विशेष उद्योगों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किए गए जल उपभोग पर उपकर उद्ग्रहण तथा एकत्रित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया था।

6.2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

बोर्ड एक पदेन अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पांच व्यक्तियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच व्यक्तियों, राज्य सरकार की कम्पनियों अथवा निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो अधिकारियों तथा कृषि, मत्स्य पालन और उद्योगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन गैर-सरकारी सदस्यों से युक्त होता है।

बोर्ड के शिमला, परवाणू, ऊना तथा जस्सूर में चार क्षेत्रीय कार्यालय, परवाणू में एक प्रयोगशाला तथा आठ वायु अनुश्रवण नियंत्रण केन्द्र थे जिनमें से शिमला परवाणू, पांवटा साहब तथा डमटाल प्रत्येक में दो केन्द्र थे। वर्ष 1994-95 के दौरान पांवटा साहब, बद्दी, बिलासपुर तथा कुल्लू में चार नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए।

6.2.2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

1989-90 से 1994-95 तक की अवधि के बोर्ड के क्रिया-कलापों की समीक्षा उसके शिमला में स्थित मुख्य कार्यालय में फरवरी से मार्च 1995 के दौरान की गई जिसे चार क्षेत्रीय कार्यालयों में से शिमला, परवाणू तथा जस्सूर में स्थित इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से अनुपूरित किया गया था।

ध्यान में आए महत्वपूर्ण तथ्यों की अनुवर्ती परिच्छेदों में विवेचना की जाती है:

6.2.2.4 मुख्य बातें

- भारत सरकार से 1992-94 के दौरान प्राप्त 12.62 लाख रुपए के जल उपकर अनुदान का दो तिहाई भाग जिसे प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए खर्च किया जाना अपेक्षित था किन्तु मार्च 1995 तक इसके लिए प्रयुक्त नहीं किया गया था।

  [परिच्छेद 6.2.2.5 (iv)]

बोर्ड ने राज्य में प्रदूषण करने वाले ऐसे उद्योगों की कुल संख्या की पहचान नहीं की थी, जिन्हें मार्च 1995 तक "एफल्यूएंट ट्रीटमैंट प्लांट" के प्रतिष्ठापन की आवश्यकता थी। बोर्ड द्वारा विभिन्न कस्बों में गंदगी के विकास तथा निपटान प्रणाली के संदर्भ में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। ज्ञान- विज्ञान समिति, शिमला द्वारा किए गए एक सर्वेक्षणानुसार केवल शिमला कस्बे में प्रतिदित 46 टन गन्दगी उत्पन्न होती थी जिसमें से नगर निगम केवल 20 टन का निपटान कर रहा था इस प्रकार प्रतिदिन 26 टन या प्रतिवर्ष 9,490 टन गन्दगी नालों तथा पहाड़ी ढलानों में संचित होती रहती थी।

[परिच्छेद 6.2.2.6 (क) तथा (ख)]

-50 नगरपालिकाओं/अधिसूचित क्षेत्र समितियों में से, केवल नगर निगम शिमला ने ही मल-सुरंग प्रणाली की व्यवस्था आंशिक रुप से की थी यद्यपि बोर्ड ने व्यवस्था संयंत्र की संस्थापनार्थ नगर निगम शिमला को सितम्बर 1980 में संस्वीकृति प्रदान कर दी थी, परन्तु मार्च 1995 तक उसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। लाल पानी के समीप 11 वर्षों से अधिक समय तक अनुमत सीमाओं से अधिक गन्दगी के निकासनार्थ नगर निगम के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थीं। किसी अनुवर्ती कार्रवाई के बिना केवल जुलाई 1983 में एक कानूनी नोटिस दिया गया था।

[परिच्छेद 6.2.2.6 (ग)]

-12 जिला अस्पतालों में से किसी के पांस भी ठोस कूड़े के निपटान हेतु इन्सिनेरेटर नहीं थे। बोर्ड ने इन अस्पतालों को नोटिस भी नहीं दिए थे। इसी भांति के केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली को भी प्रदूषण नियंत्रण यंत्र अभी तक नहीं दिए गए थे।

[परिच्छेद 6.2.2.6 (छ)]

-राज्य में वायुप्रदूषण रोधी उपकरणों के प्रतिष्ठापन की अपेक्षा रखने वाले समस्त उद्योगों की मार्च 1995 तक पहचान नहीं की गई थी। मार्च 1994 तक पहचाने गए 738 उद्योगों में से 230 उद्योगों को फरवरी 1995 तक ऐसे उपकरण प्रदान नहीं किंए गए थे।

[परिच्छेद 6.2.2.7 (क)]

-राज्य में विभिन्न स्थानों पर जून 1988 तथा फरवरी 1995 के बीच किए गए मोटर वाहनों के धुएं के अनुश्रवण से उदघाटित हुआ कि 12,107 जांच किए गए वाहनों में से 6130 (50 प्रतिशत) निर्धारित स्तर से अधिक प्रदूषण उत्पन्न कर रहे थे जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई मार्च 1995 तक प्रतीक्षित थी। शिमला सोलन तथा परवाणू में जनवरी 1995 में ध्वनि प्रदूषण पर किए गए प्रथम सर्वेक्षण से उद्घाटित हुआ कि विश्लेषित 635 वाहनों में से 593 (93 प्रतिशत) अनुमत सीमाओं से अधिक प्रदूषण पैदा कर रहे थे, जिन पर भी अनुवर्ती कार्रवाई प्रतीक्षित थी।

[परिच्छेद 6.2.2.7 (ग)]

- 1989-94 के दौरान उद्योगों के अपेक्षित 1990 निरीक्षणों के प्रति बोर्ड ने केवल 735 निरीक्षण किए थे।

[परिच्छेद 6.2.2.7 (घ)]

- बोर्ड ने जल उप कर अधिनियम के अन्तर्गत जल उपकर के उद्ग्रहणार्थ दायी उद्योगों का सर्वेक्षण नहीं किया था। 200 में से 190 उद्योगों में मीटर नहीं लगाये गए थे तथा उनके लिए जल उपकर वास्तविक खपत के बजाय जल की खपत की कुछ मानक दरों से निर्धारित किए जा रहे थे। मार्च 1995 तक 59 मामलों के सम्बंन्ध में 7.76 लाख रु0 के जल उपकर की वसूली तथा सितम्बर 1985 और फरवरी 1995 के बीच की अवधि के लिए उतनी ही राशि तक की शास्ति बकाया पड़ी थी।

(परिच्छेद 6.2.2.9)

6.2.2.5 वित्तीय प्रबन्ध

बोर्ड की आय के मुख्य स्रोत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित राज्य/ केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रुप में दिए गए अंशदान, संस्वीकृति प्रदान करने तथा नमूना-परख आदि के लिए प्राप्त किए गए शुल्क थे। मार्च 1995 तक बोर्ड के वार्षिक लेखे केवल मार्च 1992 तक ही तैयार किए गए थे। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा राज्य सरकार द्वारा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अंतर्गत नियुक्त अहर्ता प्राप्त लेखापरीक्षक ने की थी। वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में लेखाओं के सम्बन्ध में सदस्य सचिव ने बताया (मार्च 1995) कि उन्हें अंतिम रुप दिया जा रहा था।

वर्ष 1989-90 से 1994-95 तक बोर्ड की प्राप्तियों तथा व्यय का सारांश नीचे सारणीकृत है:

वर्ष	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93*	1993-94*	1994-95*
		(लाख रुपए)				
आदि शेष	41.98	34.70	37.94	56.00	89.17	114.20
प्राप्त अनुदान						
केन्द्रीय सरकार	18.51	1.50	9.00	1.70	8.75	17.60
राज्य सरकार	10.00	17.20	22.20	32.20	35.20	69.00
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	2.63	3.48	8.70	7.76	7.17	7.76
प्राप्तियां						
अन्य स्त्रोत	14.24	13.30	15.46	26.54	20.98	74.34
उपकर	1.20	3.32	2.50	9.66	2.96	3.81
योग	**88.56**	**73.50**	**95.80**	**133.86**	**164.23**	**286.71**
व्यय						
स्टाफ का वेतन तथा भत्ते	20.46	23.41	24.78	29.76	34.67	36.47
अन्य व्यय	33.40	12.15	15.02	14.93	15.36	31.58
कुल व्यय	53.86	35.56	39.80	44.69	50.03	68.05
अंत शेष	34.70	37.94	56.00	89.17	114.20	218.66

* अनन्तिम आंकड़े

लेंखापरीक्षा में निम्नांकित तथ्य ध्यान में आए:-

(i)(क) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य के अशंदान में वृद्धि राज्य सरकार के माध्यम से निगम विकास हेतु नोर्वेजियन एजेंसी से "पर्यावरण प्रबन्ध" पर परियोजना के लिए सहायता के कारण थी।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुदान में वृद्धि नदी अध्ययन, वायु गुणवत्ता अध्ययन तथा अन्य पर्यावरण परियोजनाओं जैसे प्रायोजित क्रिया-कलापों में वृद्धि के कारण थी।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान अन्य स्त्रोतों में वृद्धि का कारण विशेष अभियान के माध्यम से वार्षिक लाइसेंस शुल्क के बकाया का संग्रहण करना था।

(घ) वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक व्यय में कमी "उपस्कर" आदि पर अल्प व्यय के कारण थी तथा 1994-95 के दौरान वृद्धि बोर्ड के क्रिया-कलाप बढ़ाने और अनुतोषिक स्कीम आरम्भ करने के लिए 4.75 लाख रुपए के प्रावधान के कारण थी।

(ii) बचतों के कारण अंत शेष वर्ष 1989-90 में 34.70 लाख रुपए से बढ़कर 1994-95 में 218.66 लाख रुपए हो गया। बोर्ड के सदस्य सचिव ने बताया (मार्च 1995) कि बचतें बोर्ड के राजस्व से थीं।

(iii) वेतन तथा भत्तों पर व्यय कुल व्यय का 59 प्रतिशत था।

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 12.62 लाख रुपए के जल उपकर अनुदान की अदायगी की गई। इसमें से दो तिहाई राशि निरुपित करने वाली 8.41 लाख रुपए की राशि प्रदूषण नियंत्रण उपायों तथा औद्योगिक इकाइयों पर सहायतार्थ प्रयुक्त की जानी अपेक्षित थी। परन्तु बोर्ड ने मार्च 1995 तक इस राशि को इन क्रिया-कलापों के लिए चिन्हित/प्रयुक्त करने का निर्णय नहीं लिया था।

6.2.2.6 जल प्रदूषण

(क) एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण

जल अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना कोई ऐसा उद्योग स्थापित नहीं करेगा जिससे गन्दगी अथवा व्यवसायिक बहिस्राव की संभावना हो। प्रदूषण के नियंत्रण तथा निवारणार्थ ऐसे उद्योगों को, अन्य बातों के साथ-साथ, "एफल्यूएंट ट्रीटमैंट प्लांट" स्थापित करना अपेक्षित है। बोर्ड ने मार्च 1995 तक राज्य में ऐसे प्रदूषण उद्योगों की कुल संख्या की

पहचान नहीं की थी, जिन्हें "एफल्यूएंट ट्रीटमैंट प्लांट" की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि सात फल-डिब्बाबंदी इकाइयों (तीन सरकारी इकाइयों सहित) तथा सरकार के तीन दुग्ध संयन्त्रों ने 1974 तथा 1986 के बीच उनके प्रारम्भ होने से ही "एफल्यूएंट ट्रीटमैंट प्लांट" स्थापित नहीं किए थे। पर्यावरण अभियंता द्वारा "एफल्यूएंट ट्रीटमैंट प्लांट" स्थापित न करने के कारण तीन मामलों में डिजाइन तैयार न करना, एक मामले में भूमि की अनुपलब्धता तथा पांच मामलों में निधियों का अभाव बताया गया (मार्च 1995)। शेष एक मामले में नोटिस जारी किया गया था।

(ख) गंदगी की उत्पत्ति तथा उसके प्रति उसकी निपटान प्रणाली के निर्धारणार्थ गंदगी बहाव स्थिति पर राज्य के विभिन्न कस्बों में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तथापि ज्ञान-विज्ञान समिति, शिमला द्वारा किए गए अध्ययनानुसार केवल शिमला कस्बा ही औसतन 46 टन गंदगी प्रतिदिन उत्पन्न कर रहा था तथा नगर निगम शिमला केवल 20 टन का निपटान करने में समर्थ था परिणामतः निकासी व्यवस्था में असन्तुलन था। इस प्रकार 26 टन गंदगी प्रतिदिन अथवा 9,490 टन प्रतिवर्ष विभिन्न नालों तथा पहाड़ी ढलानों में संचित होती रही जिससे जल तथा वायु का प्रदूषण हुआ।

(ग) कस्बों में गंदगी व्यवस्था की सुविधाओं का अभाव

50 नगर पालिकाओं/अधिसूचित क्षेत्र समितियों में से केवल नगर निगम शिमला ने ही मल सुरंग प्रणाली की आंशिक व्यवस्था की थी। बोर्ड ने इस नगर निगम व्यवस्था संयन्त्र की स्थापनार्थ सितम्बर 1980 में इस शर्त पर अनुमति प्रदान की थी कि:

(i) निगम तीन मास के भीतर "ट्रीटमैंट प्लांट" का डिजाइन प्रस्तुत करेगा;

(ii) अनुमति प्रदान करने की तिथि के बारह मास के भीतर प्रस्तावित "ट्रीटमैंट प्लांट" की सुविधाएं प्रदान करेगा तथा उसका निष्पादन करेगा।

लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों के अवलोकन से उद्घाटित हुआ कि नगर निगम ने मार्च 1995 तक "ट्रीटमैंट प्लांट" का डिजाइन भी प्रस्तुत नहीं किया था। लालपानी के निकट अनुमत सीमाओं से अधिक गंदगी प्रवाह के संदर्भ में निरंतर चूक करने पर नगर निगम को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया (जुलाई 1983) परन्तु इसके पश्चात् (मार्च 1995) कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई। सदस्य सचिव ने बताया (मार्च 1995) कि नगर निगम द्वारा 10 "सैटालाईट सीवेरज ट्रीटमैंट प्लांट" के प्रतिष्ठापनार्थ एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जा रही थी। इस प्रकार नगर निगम द्वारा अनुमत सीमाओं से अधिक गंदगी-प्रवाह के संदर्भ में चूक किए जाने पर 11 वर्षों से भी अधिक तक बोर्ड द्वारा प्रभावशाली कार्रवाई नहीं की गई थी।

सदस्य सचिव ने यह भी बताया (मार्च 1995) कि अन्य 49 स्थानीय निकायों, के संदर्भ में भी स्थिति अच्छी नहीं थी। इनमें से 3 कस्बों* के सम्बन्ध में मार्च 1995 को अध्ययन पूर्ण किया जा चुका था तथा 1995-96 के दौरान तीन और कस्बे 1995-96 में आवृत्त किए जाएंगे।

(घ) औद्योगिक कस्बों में प्रदूषण

(i) कालका जल आपूर्ति योजना का जल लिए गए नमूनों के परीक्षण करने पर दूषित पाया गया (जुलाई 1991)। उद्योगों तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति परवाणू से सुखना नाले में गंदगी के प्रवाह के कारण प्रदूषण स्तर मानकों से अधिक थे।

(ii) मनाली कस्बे में 200 से अधिक होटलों के लिए मल व्यवस्था की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। बोर्ड द्वारा मनाने पर होटल मालिक ट्रीटमैंट प्लांट की आनुपातिक लागत देने को सहमत हो गए। इस सुविधा के प्रदानार्थ राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान्त्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा 7.95 लाख रुपए का परियोजना प्रस्ताव अगस्त 1992 में भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया, जिसकी मार्च 1995 तक संस्वीकृति प्रतीक्षित थी।

(ङ.) बड़ी नदियों के तटों पर स्थित कस्बों में प्रदूषण

भारत सरकार पर्यावरण एवं वानिकी मंत्रालय ने महानदियों के प्रदूषण फैलाने वाले भागों की पहचान करने के पश्चात् राष्ट्रीय नदी कार्य योजना बनाने की सुविधा हेतु अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा था(मार्च 1993)। इस प्रयोजन क लिए व्यास नदी के तट पर स्थित मण्डी, कुल्लू तथा मनाली को, उनमें प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से अत्यधिक प्रदूषित कस्बा के रुप में चयनित किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अक्तूबर 1993 तक सम्भाव्यता प्रतिवेदनों को तैयार करने के अनुदेशों सहित 3.75 लाख रुपए (1.25 लाख रुपए प्रति कस्बा) का निस्तारण किया (मार्च 1993)। तथापि, अध्ययन जून 1994 में विलंब से प्रारम्भ किए गए तथा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्रतीक्षित थे(मार्च 1995)।

इन 3 कस्बों के जल गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदनों से उद्घाटित हुआ (दिसम्बर 1994) कि मुख्य निकासों के अत्यधिक जटिल परिमाण अर्थात् "टोटल कोली फॉर्म", "फेलियल कोलीफॉर्म" तथा "बायो-कैमीकल ऑक्सीजन" बहुत ऊंचे थे। इस प्रकार मैले जल को इसके ब्यास नदी में सीधे प्रवाह से पूर्व इसकी उचित व्यवस्था की आवश्यकता थी। रावी नदी के तट पर स्थित चम्बा, सतलुज नदी के तट पर स्थित रामपुर और यमुना नदी के तट पर स्थित पांवटा सहिब कस्बों के लिए वैसा ही अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को मार्च 1993 में प्रेषित किया गया था परन्तु उसका अनुमोदन प्रतीक्षित था (मार्च 1995)।

---

* कुल्लू, मनाली तथा मण्डी

(च) परवाणू में झुग्गी झोपड़ियां

परवाणू कस्बे में सभी स्थानों पर झुग्गी झोपड़ियाँ विकसित हो रही थी और श्रमिक कॉलोनियों के अभाव में ये प्रदूषण स्रोत बनते जा रहे थे जैसे कि क्षेत्रीय कार्यालय परवाणू के सहायक पर्यावरण अभियन्ता द्वारा बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया था (जून 1993)। बोर्ड ने झुग्गी झोपड़ियां हटाने के लिए नोटिफाइड एरिया कमेटी को नोटिस तामील किया था (अप्रैल 1994) लेकिन मार्च 1995 तक कोई प्रगति नहीं हुई।

(छ) इंसीनरेटर का अप्रतिष्ठापन

(i) अस्पतालों में ठोस कूड़े का मुख्य स्रोत काम न आने वाली पट्टी बांधने की सामग्रियों जैसे पट्टी बाँधने का कपड़ा तथा रुई, रबड़ के दस्ताने तथा नष्ट करने योग्य सिरिंज सैटों आदि के अतिरिक्त पैथालॉजी व माइक्रो-बॉयोलॉजी प्रयोगशालाएँ व शल्य क्रिया कक्ष थे। इस ठोस कूड़े को एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा था। इस ठोस कूड़े को नष्ट करने के लिए अस्पताल परिसर में इन्सीनरेटर का प्रतिष्ठापन अपेक्षित था लेकिन मार्च 1995 तक 12 जिला अस्पतालों में से किसी में भी इंसीनरेटर प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे। वर्ष 1995 के दौरान सदस्य सचिव ने बताया कि इंसीनरेटर के प्रतिष्ठापन हेतु इन अस्पतालों को अभी नोटिस तामील किए जाने थे।

(ii) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली ने कोई प्रदूषण नियंत्रण उपाय उपलब्ध नहीं करवाया था जबकि यह पिछले बीस वर्ष से अधिक समय से प्रदूषण फैला रहा था। यह बोर्ड इस इकाई को बेकार पानी के समुपचार, ठोस कूड़े को जलाने तथा उत्सर्जन नियंत्रण हेतू पर्याप्त व्यवस्था (अंतिम नोटिस जनवरी 1995 में जारी किया गया) उपलब्ध करवाने का निदेश दे-रहा था। संस्थान ने सूचित किया (फरवरी 1995) कि इंसीनरेटर/एफल्यूऐंट ट्रीटमैंट प्लांट के प्रतिष्ठापन हेतु प्रारम्भिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी थी और जून 1995 से यह उपकरण काम करना शुरू कर देगा।

6.2.2.7 वायु प्रदूषण

(क) वायु प्रदूषण विरोधी उपाय

वायु अधिनियम, 1981 में अपेक्षित है कि सहमति प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति अपने परिसर में वायु प्रदूषण विरोधी यंत्र प्रतिष्ठापित करेगा। राज्य में वायु प्रदूषण विरोधी यंत्रों के प्रतिष्ठापन की अपेक्षा वाले सभी उद्योगों की मार्च 1995 तक पहचान नहीं की गयी थी लेकिन मार्च 1994 तक पहचान किए 738 उद्योगों में से 230 उद्योगों ने फरवरी 1995 तक ऐसे यंत्र नहीं लगाए थे।

(ख) वायु गुणवत्ता अनुश्रवण

वायु गुणवत्ता के सुधार तथा प्रदूषण को रोकने, नियन्त्रित करने या कम करने के लिए वायु गुणवत्ता की स्थिति का ज्ञान होना एक पहली शर्त थी। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय समावेष्टित वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम अक्तूबर 1987 में शुरु किया गया था और उसने अनुश्रवणार्थ तीन मानकों अर्थात् सस्पेण्डिड पार्टीसीपेट मैटर सल्फर डाईआक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की पहिचान की। बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय समावेष्टित वायु गुणवत्ता अनुश्रवण अक्तूबर 1987 तथा अप्रैल 1993 के मध्य 7.24 लाख रुपए की लागत से स्थापित आठ स्टेशनों में किया जा रहा था। बोर्ड अपने प्रस्तावित समावेष्टित वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार मासिक आँकड़े एकत्र कर रहा था और राष्ट्रीय समावेष्टित वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम की अपेक्षानुसार मूल्याँकन हेतु इन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रेषित कर रहा था। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निम्नांकित तथ्य ध्यान में आए।

(i) रसायनों की अनुपलब्धता के कारण डमटाल के दो स्टेशनों में अप्रैल 1993 में उनकी शुरुआत से ही सल्फर डाईऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का अनुश्रवण नहीं किया गया। सदस्य सचिव ने तथ्य स्वीकार करते समय बताया (मार्च 1995) कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(ii) अनुदेशानुसार राष्ट्रीय समावेष्टित वायु गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशनों को मार्च 1992 से पूर्व एक सप्ताह में तीन दिन तथा तत्पश्चात् सप्ताह में दो दिन परिचालित किया जाना था। सस्पेण्डेड पार्टीसीपेट मैटर हेतु 24 घण्टों की अवधि के कार्यचालन दिवस में प्रतिदर्शों की आवृति 8 घण्टे तथा सल्फर डाईऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए 4 घण्टे थी। अभिलेखों की नमूना जॉच से पता चला कि:-

- परवाणू में स्टेशन सं० II जनवरी 1990 से जनवरी 1995 तक 24 घण्टों की अपेक्षित अवधि के प्रति 16 घण्टे तक ही परिचालित किया जा रहा था सदस्य सचिव ने घटाई गई अवधि के कारणों को स्टेशनों के निजी परिसरों में स्थित होने से सम्बद्ध किया (मार्च 1995) जहां रात्रि में प्रवेश वर्जित था।

- राष्ट्रीय समावेष्टित वायु गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशनों में प्रतिदर्श की आवृत्ति निर्धारित मानक से कम थी और यह गिरावट वर्ष 1989-90 से 1993-94 के दौरान सस्पेण्डेड पार्टीसीपेट मैटर के लिए 4 से 81 प्रतिशत तथा सल्फर डाईऑक्साइड/नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए 5 से 85 प्रतिशत थी। सदस्य सचिव ने गिरावट स्वीकारते समय बताया (मार्च 1995) कि यह बिजली फेल होने, उपस्कर में व्यवधान होने तथा मौसम की परिस्थितियों के कारण थी।

- बोर्ड ने अपने प्रतिवेदनों में राष्ट्रीय समावेष्टित वायु गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशन द्वारा आँकड़ों पर आधारित अध्ययन को उजागर किया था लेकिन असंतोषजनक प्रतिवेदनों के लिए मार्च 1995 तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

(ग) **वाहन उत्संर्जनों का अनुश्रवण**

वायु अधिनियम, 1981 की धारा 20 में अपेक्षित है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऑटोमोबाइलज से वायु प्रदूषण के उत्सर्जन हेतु निर्धारित मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार इस बोर्ड के परामर्श से मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अंतर्गत मोटर वाहनों के पंजीकरण प्राधिकारी को यथावश्यक अनुदेश देगी और वह प्राधिकारी ऐसे अनुदेशों की अनुपालना के लिए वाध्य होगा। अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि:-

(i) बोर्ड द्वारा राज्य के शिमला तथा अन्य स्थानों पर जून 1988 तथा फरवरी 1995 के बीच वाहनों के धुएं के अनुश्रवण का कार्य शुरु किया गया था। जांच किए गए 12107 वाहनों में से 6130 वाहन (50प्रतिशत) विहित स्तर से अधिक प्रदूषण फैलाते पाए गए। बोर्ड ने ऐसे मामलों में मार्च 1995 तक अनुवर्ती कार्रवाई सूचित नहीं की। इसी प्रकार ऑटोमोबाइल्स द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी परिवहन विभाग ने अगस्त 1990 तथा जनवरी 1995 के मध्य 22741 वाहनों की जाँच की और पाया कि 6173 वाहन विहित स्त्तर से अधिक प्रदूषण फैला रहे थे लेकिन 135 वाहनों को छोड़कर अन्य दोषी मामलों में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत विभाग द्वारा की गई कार्रवाई सूचित नहीं की गई।

(ii) बोर्ड ने शोर के लिए अप्रैल 1990 में समावेष्टित वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए। जनवरी 1995 में शिमला, सोलन तथा परवाणू में ध्वनि प्रदूशण पर प्रथम सर्वेक्षण किया गया। अनुश्रवण किए गए 635 वाहनों में से 593 वाहनों (93 प्रतिशत) का शोर अनुमत्य सीमा से अधिक पाया गया। इस सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई प्रतीक्षित थी(अप्रैल 1995)।

(घ) **उद्योगों का निरीक्षण**

प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में विभिन्न कानूनों के उपबन्धों के कार्यान्वयन हेतु निरीक्षण के प्रयोजनार्थ उद्योगों को उनके प्रदूषण स्त्तर के अनुसार लाल*, नारंगी* तथा हरे* में श्रेणीकृत किया गया था। बोर्ड ने निरीक्षण की अवधी सितम्बर 1988 में निर्धारित की जो मास में एक बार से दो वर्ष में एक बार तक थी। अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि अपेक्षित 1990 निरीक्षणों के प्रति वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक 200 मामलों में केवल 735 निरीक्षण किए गए।

---

* लाल-उच्च प्रदूषण सम्भाव्यता: संतरी रंग- मध्यम प्रदूषण संभाव्यता: तथा हरा-कम/नगण्य प्रदूषण संभाव्यता

सदस्य सचिव ने बताया (मार्च 1995) कि उपर्युक्त निरीक्षणों के अतिरिक्त मल निस्त्राव के प्रतिदर्श भी लिए गए। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इस प्रतिदर्श को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 10 में यथापरिभाषित पूर्ण सर्वेक्षण नहीं माना जा सकता।

इसके अतिरिक्त वायु अधिनियम के अंतर्गत सहमति प्रदत्त 28 खनन उद्योगों कासिरमौर जिले के पाँवटा साहब व काला अम्ब क्षेत्रों में मई 1991 से निरीक्षण नहीं किया गया था। परवाणू के सहायक पर्यावरण अभियन्ता ने बताया (जून 1994) कि तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण यह निरीक्षण नहीं किया जा सका।

(ड.) **स्टोन क्रशरों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण**

दिसम्बर 1991 में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयानुसार वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों जैसे पत्थर की खानों सहित स्टोन क्रशरों/खनत्त को 500 मी0 की क्षैतिज दूरी के अंदर राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर नही लगाया जाना था। इसके विपरीत डमटाल के विभिन्न इलाकें में 30 स्टोन क्रशर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 1-ए के 50 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर वायु प्रदूषण फैला रहे थे। सहायक पर्यावरण अभियन्ता द्वारा विद्यमान स्टोन क्रशरों के स्थानान्तरण की संस्तुति वाला एक प्रतिवेदन सदस्य सचिव को प्रस्तुत किया गया था(दिसम्बर 1992)। लेकिन मार्च 1995 तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। सदस्य सचिव ने बताया (मार्च 1995) कि उद्योगों को दूसरे स्थानों में स्थानान्तरित करना स्वयं में कोई समाधान नहीं था क्योंकि यह तो सिर्फ प्रदूषण स्थान में ही परिवर्तन लाएगा। क्रशर मालिकों से ये क्रशर शालिकाओं से आवृत्त करने व हजारे उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया था (जनवरी 1995) जिससे 20 प्रतिशत प्रदूषण कम होगा। इस सम्बन्ध में आगामी कार्रवाई मार्च 1995 तक प्रतीक्षित थी।

6.2.2.8 **हानिकारक रसायनों की व्यवस्था**

(क) **हानिकारक कूड़े के संचालन, भण्डारण तथा निपटान हेतु प्राधिकार न देना**

हानिकारक कूड़ा (प्रबन्ध व संचालन) नियमावली, 1989 में नियत है कि हानिकारक कूड़ा उत्पन्न करने वाला व इसके संग्रहण, प्राप्ति, समुपचार, भण्डारण तथा निपटान का संचालन करने वाला प्रत्येक अधिभोक्ता नियमों के कार्यान्वयन से छः मास की अवधि के भीतर प्राधिकार देने के लिए बोर्ड के पास आवेदन करेगा। बोर्ड ने वर्ष 1993(24), 1994(23) तथा 1995 (4) के दौरान हानिकारक कूड़े को उत्पन्न करने वाले 51 उद्योगों का पता लगाया जिनमें से केवल 3 उद्योगों को उक्त नियमावली के अंतर्गत प्राधिकार दिया गया था। शेष 48 इकाइयों ने प्राधिकार देने के लिए तथा ऐसे कूड़े के भण्डारण व निपटान हेतु सुविधाएं जुटाने के लिए अभी आवेदन करना था।

(ख) आपातकालीन योजना

हानिकारक रसायन विनिर्माण व भण्डार नियमावली, 1989 में उपबन्धित था कि औद्योगिक क्रिया कलाप के नियंत्रण वाला प्रत्येक अधिभोक्ता बड़ी दुर्घटनाओं से बचाव के प्रयोजन हेतु एक "कार्यस्थल आपात्कालीन योजना" बनाएगा और उसे हर समय तैयार रखेगा। बोर्ड ने मार्च 1992 तक हानिकारक रसायनों में लगे उद्योगों की पहिचान नहीं की थी। इसके परिणामस्वरुप 43 मामलों में कार्यस्थल आपात्कालीन योजना उपलब्ध करवाने में तीन वर्ष का विलम्ब हुआ।

नियमों में पुनः यह निर्धारित है कि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला समाहर्त्ता या जिला आपात्कालीन प्राधिकारी सम्भावित बड़ी दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक "कार्यस्थलेतर आपात्कालीन योजना" तैयार करेगा व उसे अद्यतन करेगा। कथित योजना इन नियमों के प्रभाव में आने के छः मास के अन्दर अर्थात् मई 1990 में तैयार की जानी अपेक्षित थी लेकिन सम्बन्ध प्राधिकारी से इन्हें तैयार नहीं करवाया गया और नियमों के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया। बोर्ड ने नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई भी शुरु नहीं की थी।

6.2.2.9 जल उपकर का निर्धारण व संग्रहण

जलोपकर अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड को किसी विनिर्दिष्ठ उद्योग में लगे प्रत्येक उपभोक्ता तथा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी से पानी की खपत के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दरों से जलोपकर के निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण की शक्ति प्राप्त है, बोर्ड द्वारा ऐसे संगृहीत उपकर की लब्धियाँ भुगतान व लेखा कार्यालय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को जमा करवाई जाती हैं। भारत सरकार को जमा की गई राशि में से संग्रहण सम्बन्धी राशि का मार्च 1992 के अन्त तक बोर्ड को वापस भुगतान किया जाना था। तत्पश्चात् कुल संग्रहण की 75 प्रतिशत राशि सम्बद्ध राज्य बोर्ड को भुगतान की जाती है।

खपत किए गए जल की मात्रा को नापने तथा अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक उद्योग/ स्थानीय प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वे अधिनियम के उपबन्धों के अनुरुप विहित मानकों वाले मीटर लगाएं। पुनः भुगतान योग्य जलोपकर की राशि निर्धारित करने में बोर्ड को सक्षम बनाने के लिए उपभोक्ताओं से प्रत्येक मास की 5 तारीख तक बोर्ड को विवरणी प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी। ऐसा निर्धारित जलोपकर उस तिथि को विनिर्दिष्ट करते हुए वैयक्तिक या स्थानीय प्राधीकारी को सूचित किया जाता है जिसके अंदर राशि का भुगतान किया जाना है।

(i) बोर्ड ने शुरु से ही यह सुनिश्चित करने के लिए पानी का प्रयोग करने वाले उद्योगों के स्वतन्त्र सर्वेक्षण का प्रयास नहीं किया था कि विनिर्दिष्ठ उद्योगों की सभी इकाइयां जलोपकर लगाने के लिए विस्तृत रुप से आवृत्त कर ली गयी थी। 200 उद्योगों (जल की वास्तविक खपत पर निर्धारित 50 स्थानीय निकायों को छोड़कर) में से 190 उद्योगों ने मीटर नहीं लगाए थे। भुगतानयोग्य

उपकर की 50 प्रतिशत शास्ति लगाने की शास्तिक कार्रवाई वर्ष 1993-94 में केवल 20 मामलों मे की गई थी लेकिन मार्च 1995 तक 17 मामलों में 0.38 लाख रुपए की शास्ति बकाया पड़ी थी। शेष 170 मामलों में इस आधार पर अधिनियम के उपबन्धों का आश्रय नहीं लिया गया कि इनका निर्धारण मानक जल खपत के अनुसार किया गया था जैसे पर्यावरण अभियन्ता ने बताया (मार्च 1995)। यह मान्य नहीं था क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत कोई भी अपवाद नही था।

(ii) उपभोक्ताओं द्वारा जलोपकर विवरणियां नियमित रुप से उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थी। अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि विवरणियाँ देने या जलोपकर निर्धारण में 2 मास से 8 वर्ष का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त 67 इकाइयों से जुलाई 1986 से फरवरी 1995 तक कोई उपकर विवरणी प्राप्त नहीं की गई थी।

(iii) सितम्बर 1985 से फरवरी 1995 तक उपकर की 7.76 लाख रुपए की राशि 59 मामलों में मार्च 1995 तक बकाया पड़ी थी। नियत अवधि के अंदर उपकर का भुगतान न करने के लिए उपकर राशि के बराबर शास्ति उद्ग्राह्य थी लेकिन ऐसी शास्ति उद्गृहीत नहीं की गई।

(iv) 40 मामलों में उपकर के विलम्बित भुगतान हेतु अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य 1 लाख रुपए के ब्याज को उद्गृहीत नहीं किया गया था। पर्यावरण अभियन्ता ने बताया (मार्च 1995) कि प्रक्रिया लम्बी होने के कारण ब्याज वसूली के उपबन्धों का सहारा केवल बड़ी राशि के लिए लिया जाता है। बोर्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ब्याज तो उपकर अधिनियम के अनुसार उद्गृहीत व वसूल किया जाना था।

(v) अप्रैल 1993 से जल विद्युत परियोजनाएँ जलोपकर अधिनियम के अन्तर्गत आवृत्त की गयी थी। तदनुसार 9 जल विद्युत परियोजनाओं का अप्रैल 1993 से सितम्बर/अक्तूबर 1993 तक का जलोपकर 157.15 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। इनमें से 5 परियोजनाओं ने 154.23 करोड़ रुपए के उपकर के विरुद्ध अपील समिति के समक्ष अपील दायर कर दी (नवम्बर 1993)। मार्च 1995 तक निर्णय प्रतीक्षित था। 1.80 करोड़ की देय राशि का किश्तों में भुगतान शरु करने वाली और जनवरी 1994 में 0.03 करोड़ रुपए जमा करने वाली तीन परियोजनाओं ने भी भुगतान करना बन्द कर दिया। बोर्ड ने फरवरी 1995 में इन परियोजनाओं को नोटिस तामील कर दिए। आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी। 1.15 करोड़ रुपए के जलोपकर वाले शेष एक मामले में उपकर का भुगतान न करने के लिए दिसम्बर 1994 में शास्तिक कार्यवाहियाँ शुरु की गयी और 0.43 करोड़ रुपए का ब्याज भी उद्गृहीत किया गया था। आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी(मार्च 1995)।

6.2.2.10 सहमति शुल्क का उद्ग्रहण व वसूली

हिमाचल प्रदेश जल (प्रदूषण एवं नियंत्रण) सहमति नियमावली, 1979 के अनुसार उद्योगों/स्थानीय निकायों ने सहमति के लिए आवेदन करते समय प्रारम्भिक चरण में निर्धारण दरों से सहमति शुल्क का भुगतान करना था। तत्पश्चात् सहमति के वार्षिक नवीकरण के समय

निर्धारित दरों पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क भी भुगतानयोग्य था।

जल/वायु अधिनियम के अंतर्गत व्यापार/घरेलू मल निस्त्राव की भूमि/जल पर निकासी हेतु उद्योगों/ स्थानीय निकायों द्वारा बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त की जानी थी। शर्तों की पूर्ति न करने पर बोर्ड ऐसी सहमति की मनाही कर सकता है/ऐसी सहमति वापिस ले सकता है। राज्य सरकार ने अप्रैल 1980 की अधिसूचना द्वारा उद्योगों तथा स्थानीय निकायों पर उद्ग्राह्य सहमति शुल्क की दरें "स्लैब" दरों से निर्धारित कर दी थी जो उद्योगों के पूंजी निवेश तथा स्थानीय निकायों के जनसंख्या स्तर पर निर्भर करते हुए 300 से 10,000 रुपए के बीच थीं।

(i) अभिज्ञात 1494 उद्योगों में से 547 मामलों में वर्ष 1989-90 तथा 1994-95 के मध्य सहमति शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया था और परिणामस्वरुप 300 रुपए प्रति इकाई की संगणित न्यूनतम स्लैब दर से 1.64 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई। पर्यावरण अभियन्ता ने बताया (मार्च 1995) कि उक्त शुल्क नहीं लगाया जा सका क्योंकि ये मामले अनिर्णीत थे।

(ii) 50 नगरपालिकाओं/ नोटिफाइड एरिया कमेटियों में से 27 कमेटियों में 1989-95 वर्षों में वार्षिक लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया गया जिससे 0.87 लाख रुपए की हानि हुई।

(iii) उद्योगों/स्थानीय निकायों के 222 मामलों में वर्ष 1974-75 से 1993-94 तक कुल 2.75 लाख रुपए की वार्षिक लाइसेंस फीस लगाई गई लेकिन यह राशि मार्च 1995 तक वसूल नहीं की गई थी।

6.2.2.11 अभियोजनों की शुरुआत

जल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बोर्ड दोषी उद्योगों/ स्थानीय निकायों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करता है। वर्ष 1994-95 के अंत में 16 मामले अधीनस्थ न्यायालयों में तथा 11 मामले उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े थे। बोर्ड निम्नांकित कारणों से वर्ष 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य 40 मामले हारा:-

(i) लिए गए निर्गम के नमूने नियमों के अनुरुप नहीं थे;

(ii) शिकायतें आधारहीन थीं क्योंकि ये मामले अधिनियम की परिधि में नहीं आते थे;

(iii) न्यायालय के समक्ष मामले दर्ज करवाने हेतु प्राधिकार सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके;

(iv) उपयुक्त साक्षी उपलब्ध नहीं थे तथा

(v) प्रतिदर्श विश्लेषण प्रतिवेदनों को गलत पतों पर प्रेषित किया गया था।

6.2.2.12 **अनुश्रवण एवं मूल्यॉंकन**

जल अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बोर्ड की तीन मास में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए थी लेकिन वर्ष में न्यूनतम चार बैठकों के आयोजन की आवश्यकता के प्रति 1989-90 से 1991-92 तक के वर्षों में प्रत्येक वर्ष तीन बैठकें तथा वर्ष 1992-93 व 1994-95 में प्रत्येक वर्ष दो बैठकें आयोजित की गयीं। वर्ष 1993-94 में बोर्ड की कोई भी बैठक नहीं हुई। बोर्ड ने आरम्भ से ही अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का प्रभाव जानने के लिए अपनी कार्यशैली का मूल्यॉंकन नहीं किया था।

6.2.2.13 **अन्य रुचिकर प्रसंग**

(क) **प्रदूषण नियंत्रण विधि का अनुपबन्ध**

ऑटोमोबाइल्स/रेलवे इंजनों के विनिर्माण में लगे बड़े पैमाने के इंजीनियरिंग उद्योग की इकाई को रासायनिक मात्रा हेतु ऑटोमैटिक सैन्सरों द्वारा एफल्यूएंट ट्रीटमैंट प्लांट को परिशोधित करने हेतु अक्तूबर 1991 में अनुदेश जारी किए गए थे। इस इकाई ने तदनुसार 16 लाख रुपए की लागत से एफल्यूएंट ट्रीटमैंट प्लांट का परिशोधन प्रस्तावित किया (जून 1993) लेकिन उसने इसका कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया। पुनः बैक्यूम-इवैपोरेटर लगाने के लिए सितम्बर 1993 में बोर्ड को एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसे अनुमोदित नहीं किया गया था।

पुनः बोर्ड ने इकाई के साथ परामर्श करके क्षय रासायनिक व्यवस्था के पुनर्चक्रीय की स्वच्छ पद्धति अनुमोदित कर दी (नवम्बर 1994)। इस प्रयोजनार्थ फर्म किसी विदेशी फर्म द्वारा अभिकल्पित व विनिर्मित "इवैपोरेटॉरी रिकवरी सिस्टम" नामक उपकरण को प्रतिष्ठापित करने की ठान रही थी। बोर्ड ने उपकरण के आयात हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए मार्च 1995 में भारत सरकार से सम्पर्क किया। यह अनुमति प्रतीक्षित थी (जुलाई 1995)। इस प्रकार विगत चार वर्षों से सुधार नहीं हो सका है।

(ख) **निधि-अपवर्तन**

मॉनीटरिंग वैन में परिष्कृत उपकरण के द्वारा विश्वसनीय परिणाम देने हेतु प्रभावी व उपयुक्त प्रतिदर्शी विधि उपलब्ध करवाने की दृष्ठि से जुलाई 1992 में एक परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रेषित किया गया था। इस परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 1993 तथा मार्च 1993 के मध्य 4.23 लाख रुपए दिए गए थे ताकि प्रतिदर्शी/ चलती-फिरती "वैन" तथा अपेक्षित उपस्करों की खरीद (1.06 लाख रुपए) की जा सके लेकिन बोर्ड ने चलती-फिरती "वैन" की बजाय 3.90 लाख रुपए की एक कार (टाटा सियर्रा) तथा अपेक्षित उपकरण की बजाय मार्च 1994 में एक वीडियों कैमरा (लागतः 0.84 लाख रुपए) खरीदा (दिसम्बर 1993)। अपेक्षित उपस्कर के अभाव में यह वाहन जो कि आवश्यकतानुरुप नहीं था

अभीष्ट प्रयोजनों पर लाभकारी ढंग से प्रयुक्त नहीं किया जा सका। 20.70 लाख रुपए की लागत के उपस्कर की खरीद हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया (सितम्बर 1994) जिसकी संस्वीकृति प्रतीक्षित थी (मार्च 1995)।

ये तथ्य मई 1995 में सरकार को प्रेषित किए गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

कृषि विभाग

(हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड)

6.2.3 ढली में विनियमित मण्डी का निर्माण

ढुलाई प्रभार घटाने तथा कृषकों व व्यापारियों को बेहतर विपणन सुविधाएँ देने के लिए शिमला की वर्तमान सब्जी व अनाज मण्डी को स्थानान्तरित करने हेतु राज्य विपणन बोर्ड ने नीचे सारणीकृत ब्यौरों के अनुसार 5.16 लाख रुपए की प्राक्कलित लागत से ढ़ली में एक विनियमित मण्डी परिसर के निर्माण का निर्णय लिया (जनवरी 1986)।

ब्लाक	इकाई	प्राक्कलित लागत (लाख रुपए)
ए	16 दुकानें एवं कार्यालय आँगन सीढ़ियाँ दीवारें आदि	35.60
बी	नीलामी प्लेटफार्म बाजार समिति कार्यालय कैण्टीन, शौचालय, डाकघर, बैंक आदि	74.20
सी	72 दुकानें गोदाम कार्यालय डाकघर, बैंक आदि	396.09
	सभी ब्लौकों में सड़कें आदि	10.00
		515.89

यह कार्य पूर्णता अवधि बताए बिना निक्षेप निर्माणकार्य के रुप में वर्ष 1985-86 में हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड को सौंपा गया था। आवास बोर्ड को जनवरी 1986 तथा नवम्बर 1992 के बीच 71.50 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। ब्लाक "ए" में 16 दुकानों एवं कार्यालयों के निर्माण का कार्य 28.33 लाख रुपए की प्राक्कलित लागत के प्रति 37.34 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया था और विपणन बोर्ड को जनवरी 1990 में सौंपा गया था। बाजार समिति (विपणन बोर्ड की घटक) के मतानुसार निर्माण की अधिक लागत व घटिया गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विपणन बोर्ड ने आवास बोर्ड को काम बन्द करने के लिए कह दिया (जनवरी 1991)। तदनुसार यह कार्य जनवरी 1991 से स्थगित पड़ा था और विपणन बोर्ड विभागीय रुप से कार्य पूर्ण करने की सोच रहा था। इतने में विपणन बोर्ड के सचिव द्वारा यह बताया गया (मार्च 1995) कि आवास बोर्ड द्वारा

ब्लॉक "बी" तथा "सी" के कुछ ढाँचों * के निर्माण पर 30 लाख रुपए का व्यय जनवरी 1991 से पूर्व कर दिया गया था। आवास बोर्ड ने मार्च 1995 तक न तो व्ययित राशि के लेखे प्रस्तुत किए और न ही 4.16 लाख रुपए की शेष राशि लौटाई।

इसके अतिरिक्त आवास बोर्ड से 4.16 लाख रुपए की राशि अनावृत रहते हुए अपूर्ण ब्लॉक "बी" व "सी" के निर्माण पर 30 लाख रुपए के व्यय से अभिप्रेत लाभ नहीं मिले और यह निष्फल रहा।

यह मामला मई 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

6.2.4 तोलन पुल की खरीद पर निधियों का अवरोधन

परवाणू के उभरते हुए सीमान्त बाजार में तोलन सुविधाएँ देने हेतु हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के सचित द्वारा चण्डीगढ़ स्थित एक फर्म से एक तोलन पुल खरीदा गया (नवम्बर 1992)। 4.95 लाख रुपए के आपूर्ति आदेश के प्रति आपूर्तिकर्ता को सितम्बर 1992 (1.49 लाख रुपए) में आपूर्ति आदेश देते समय तथा नवम्बर 1992 (3.12 लाख रुपए) में सुपुर्दगी पर 4.61 लाख रुपए का भुगतान किया गया। आपूर्तिकर्ता द्वारा नवम्बर 1992 तक प्रतिष्ठापन हेतु अपेक्षित यह तोलन पुल 0.15 लाख रुपए की लागत से सिविल कार्य अपूर्ण रहने पर फरवरी 1995 तक प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था जो फर्म को कार्यस्थल न सौंपने के कारण रोक दिया गया। बोर्ड ने प्रतिष्ठापन प्रभारों के 0.34 लाख रुपए अवरुद्ध कर दिए थे। इस पुल के प्रतिष्ठापित किए जाने के स्थान अर्थात् सीमान्त बाजार ने भी कार्य शुरू नहीं किया था क्योंकि फरवरी 1995 तक सभी विपणन सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवाई गई थीं। इतने में उपस्कर की समाश्वासन अवधि का एक वर्ष नवम्बर 1993 में समाप्त हो गया। बोर्ड ने बताया (मार्च 1995) कि बाजार में ही इसे प्रतिष्ठापित किए जाने की बजाय राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश स्थल पर ही इसके प्रतिष्ठापन सम्बन्धी बोर्ड के निर्णय में परिवर्तन (1993) तथा बोर्ड को कार्यस्थल सौंपने में विलम्ब के कारण तोलन पुल के प्रतिष्ठापन में विलम्ब हुआ।

इस प्रकार सिविल निर्माणकार्यों की पूर्णता से पूर्व तोलन पुल की खरीद का औचित्य नहीं था। इसके फलस्वरुप दो वर्षों से अधिक समय तक कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध किए बिना 4.61 लाख रुपए की निधियों का अवरोधन हुआ।

यह मामला अप्रैल 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

---

* ब्लॉक "बी" नीलामी प्लेटफॉर्म, ब्लॉक "सी" मुख्य ब्लॉक

6.2.5 बाजार/उपबाजार अहातों की स्थापना में दोषपूर्ण आयोजना

व्यापारियों तथा कृषकों को विपणन सुविधाएँ प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड ने वर्ष 1978-79 तथा 1988-89 के मध्य 5 जिलों* में 11 बाजार/उपबाजार यार्डों का निर्माण आरम्भ किया। 159.42 लाख रुपए का व्यय करने पर भी ये यार्ड पूर्ण नहीं हुए। निर्माणकार्यों की पूर्णता में विलम्ब को सरकार ने निधियों के अभाव तथा चक्की पुल बाजार के मामले में इसे पंजाब सरकार के साथ सीमा विवाद से सम्बद्ध किया (फरवरी 1995)। यार्डों में समुचित सुविधाओं जैसे विश्रामालयों, शौचालयों, कैण्टीनों, डाकघरों व बैंकों आदि के अभाव के कारण व्यापारियों व कृषकों द्वारा अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए अंशतः पूर्ण बाजारों का उपयोग नहीं किया जा सका।

पर्याप्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना एक ही समय में कई निर्माणकार्य आरम्भ करने की दोषपूर्ण आयोजना के फलस्वरुप इनकी पूर्णता बाधित रही।

इन निर्माणकार्यों पर हुए 159.42 लाख रुपए के व्यय से अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं हुए और व्यय निष्फल रहा।

यह मामला अप्रैल 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है(सितम्बर 1995)।

शिक्षा विभाग

(हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय)

6.2.6 बस दुर्घटना के कारण हानि

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय छात्रों, अध्यापकों व कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों को परिवहन सुविधा हेतु बसों का बेड़ा रखता है। विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए सरकारी नियमों के अनुसार नियन्त्रण अधिकारी आपवादिक मामलों में मुख्यालय (शिमला शहर) में कर्त्तव्येतर प्रयोजनार्थ वाहन के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया (जनवरी 1995) कि अप्रैल 1982 में किसी कर्मचारी के भाई की बारात के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मुख्यालय से बाहर की यात्रा के लिए एक बस किराए पर दी गई। यह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 18 आदमी मर गए तथा कई जख्मी हो गए। विश्वविद्यालय ने उच्च न्यायालय तथा दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति राशि (18.84 लाख रुपए) तथा मामले को लड़ने के लिए वकील को दी गई फीस (0.16 लाख रुपए) के कारण सितम्बर 1992 तथा अक्तूबर 1994 के मध्य प्रभावित व्यक्तियों को 19 लाख रुपए का भुगतान किया।

----

* कांगड़ा (चक्कीपुल व घलियारा), कुल्लू (कुल्लू), शिमला (शिलारु) सिरमौर (अन्धेरी, ददाहू, खेरी व सतौन) तथा सोलन (कण्डाघाट, कुनिहार व परवाणू)

विश्वविद्यालय के बीमा दावे को बीमा कम्पनी ने इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि दुर्घटना के समय बस के ड्राइवर के पास बैध लाइसेंस नहीं था और वाहन का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए उसका बीमा था।

लक्ष्येतर प्रयोजन हेतु बस किराए पर देने के परिणामस्वरुप बस को क्षति पहुंचने, जिसकी सीमा की सूचना नहीं दी गई, के अतिरिक्त विश्वविद्यालय को 19 लाख रुपए की हानि हुई।

यह मामला मई 1995 में संरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है(सितम्बर 1995)।

ग्रामीण विकास विभाग

6.2.7 उपदान का अनियमित भुगतान

"मिलियन वैल स्कीम" के अन्तर्गत लाभ केवल उन्हीं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त करवाए गए बंधुआ मंजदूरों के लिए स्वीकार्य थे जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे और जिनके नाम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज थे।

परियोजना अधिकारी सोलन के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला (जुलाई1992 व अगस्त 1994) कि निम्नांकित विवरणानुसार 3.06 लाख रुपए का उपदान इस स्कीम के अन्तर्गत अपर्याप्त सर्वेक्षण तथा विभाग द्वारा तथ्यों के तोड़-मरोड़ के कारण अपात्र व्यक्तियों को दिया गया:-

क्रमांक	राशि (लाख रुपए)	कब दी गई	अभ्युक्तियां
1.	0.68	वर्ष 1989-90 तथा 1991-92 के मध्य	चार गैर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों व गैर-बंधुआ मजदूरों को प्रदत्त उपदान।
2.	0.34	वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के मध्य	उपदान अनियमित रुप से एक परिवार को दो बार दिया।
3.	2.04	वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के मध्य	उन 12 परिवारों को प्रदत्त उपदान जिनके नाम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सर्वेक्षण सूची में नहीं पाए गए।
जोड़	3.06		

विभाग ने उन व्यक्तियों से राशि की वसूली हेतु कार्रवाई शुरु नहीं की जिन्हें गलत भुगतान किया गया था और न ही इस चूक के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया (अप्रैल1995)।

यह मामला मई 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

6.2.8 बेकार उपस्कर

1.29 लाख रुपए की लागत से मरुस्थल विकास परियोजना,काज़ा के निदेशक द्वारा अगस्त 1983 तथा मई 1990 के दौरान उपार्जित उपस्कर शुरु से ही प्रयुक्त नहीं किया गया था जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रमांक	उपस्कर के ब्यौरे	क्रय की तिथि	लागत (लाख रुपए)	निष्कार्यता के कारण
1.	छः इंजन	मई 1990	0.71	उन स्कीमों को अंतिम रुप नहीं दिया गया जिन पर इन इंजनों का प्रयोग किया जाना था। अतएव इंजनों की जरूरत नहीं थी।
2.	एक सोलर फोटो वोल्टेयिक वाटर पम्पिंग सिस्टम	अगस्त 1983	0.25	प्राप्त उपस्कर दोषयुक्त था।
3.	तीन पम्प सैट	उपलब्ध नहीं	0.33	प्राप्त उपस्कर दोषयुक्त था।

उपस्करों की अप्रयुक्ति के परिणामस्वरुप निधियों का अवरोधन हुआ तथा इसके अतिरिक्त जन समुदाय सेवाओं से वंचित रहा, जिसके लिए ये उपार्जित किए गए थे।

यह मामला अप्रैल 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

6.3 नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा

जनजातीय विकास विभाग

6.3.1 अनुदान

उद्योग एवं कृषि विभागों ने जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत 4 संस्थाओं को वर्ष 1990-91 तथा 1994-95 के मध्य कुल 277.25 लाख रुपए के अनुदान संस्वीकृत किए, जैसा नीचे इंगित है:-

क्रमांक	अनुदानग्राही संस्था का नाम	राशि (लाख रुपए)
1.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पालमपुर	68.00
2.	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला	133.00
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम शिमला	70.50
4.	हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम शिमला	5.75

संस्वीकृति प्राधिकारियों के अभिलेखों की मई 1995 में की गई नमूना जाँच से निम्नाँकित तथ्य प्रकट हुए:-

(i) वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा पुनः अनुदान संस्वीकृत करने से पूर्व अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था से गत वर्षों के लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणियाँ प्राप्त कर ली जानी चाहिए। यह पाया गया कि उद्योग विभाग ने गत वर्षों की लेखापरीक्षा विवरणियों को प्राप्त किए बिना वर्ष 1994-95 में 31 लाख रुपए का अनुदान दिया। ये विवरणियाँ मई 1995 तक प्राप्त नहीं हुई थी।

(ii) दोनों विभागों में से किसी भी विभाग ने आवधिक निरीक्षण या प्रतिवेदन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है कि अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा अनुदान उन्हीं प्रयोजनों पर प्रयुक्त किए गए जिनके लिए उन्हें संस्वीकृत किया गया था।

(iii) नियमों में व्यवस्था है कि संस्वीकृति प्राधिकारी को सहायता अनुदान बिल तैयार नहीं करने चाहिए और अनुदानग्राही संस्थाओं की ओर से अनुदान आहृत नहीं करना चाहिए। इन अनुदेशों के विपरीत उद्योग विभाग ने वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक 209.25 लाख रुपए की समस्त अनुदान राशि अनुदानग्राही संस्थाओं की ओर से आहृत कर ली। उद्योग निदेशक ने बताया (मई 1995) कि निगम/ लोक उपक्रम ऐसे अनुदानों को प्रत्यक्षतः कोषागार से आहृत नहीं कर सकते। यह उत्तर सही नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए तथा संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बिल अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्षतः कोषागार से आहृत किए जा सकते हैं।

(iv) दोनों ही विभागों में से किसी भी विभाग ने अनुदानग्राही संस्थाओं को प्रदत्त अनुदानों में से उनके द्वारा पूर्णतः या अंशतः सृजित परिसम्पत्तियों के अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए थे।

(v) दोहरे भुगतान से बचने तथा विभिन्न संहिता औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर निगाह रखने के लिए अनुरक्षित करने हेतु अपेक्षित अनुदान रजिस्टर विहित प्रपत्र में तैयार नहीं किए गए और इनमें अनुदान की संस्वीकृति, प्रयुक्ति प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण, अव्ययित शेष आदि के प्रत्यर्पण के बारे में पूर्ण सूचनाएं नहीं थीं।

यह मामला जून 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

ग्रामीण विकास विभाग

6.3.2 अनुदान

ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 1990-91 से 1994-95 के बीच ग्रामीण विकास अभिकरणों (6345.01 लाख रुपए), पंचायती राज संस्थाओं (464.33 लाख रुपए) तथा खण्ड विकास अधिकारियों (997.64 लाख रुपए) को 7806.98 लाख रुपए के अनुदान संस्वीकृत किए।

संस्वीकृति प्राधिकारी के अभिलेखों की मई 1995 में नमूना जांच से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:-

(i) संस्वीकृति प्राधिकारी ने अनुदानग्राही संस्थाओं को प्रदत्त अनुदानों में से उनके द्वारा पूर्णतः या अंशतः सृजित परिसम्पत्तियों के अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए थे।

(ii) वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा पुनः अनुदान संस्वीकृत करने से पूर्व अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों/ संस्थाओं से गत वर्षों के लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणियों प्राप्त कर लीं जानी चाहिए लेकिन यह पाया गया कि विभाग ने गत वर्षों की लेखापरीक्षित विवरणियों को प्राप्त किए बिना 5319.51 लाख रुपए के अनुदान दिए। ये विवरणियां जून 1995 तक भी प्रतीक्षित थी।

(iii) संस्वीकृति प्राधिकारी ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के बकाया पड़े प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों पर निगाह रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई थी। विभाग ने 1,974 मामलों में वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक 5319.51 लाख रुपए के प्रयुक्ति प्रमाणपत्र मई 1995 तक प्राप्त नहीं किए थे। विभाग ने बताया (जून 1995) कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों तथा खण्ड विकास अधिकारियों के प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा सीधे ही भारत सरकार को प्रेषित किया गया था लेकिन संस्वीकृतियों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और संस्वीकृति प्राधिकारी के पास इन प्रमाणपत्रों को भारत सरकार को प्रस्तुत करने का ब्यौरा भी नहीं था। पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 464.33 लाख रुपए के अनुदानों में से 71 मामलों में 43.11 लाख रुपए के प्रयुक्ति प्रमाणपत्र प्रतीक्षित थे(अगस्त 1995)।

(iv) दोहरे भुगतान से बचने तथा विभिन्न संहितागत औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर निगाह रखने के लिए विहित अनुदान रजिस्टर विहित प्रपत्र में तैयार नहीं किया गया और इसमें अनुदान की संस्वीकृति के बारे में पूर्ण सूचनाएं नहीं थी।

(v) वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि मार्च के महीने में व्यय की अधिकता या तीव्रता नहीं होनी चाहिए लेकिन यह देखा गया कि 1990-95 वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को 300.63 लाख रुपए के अनुदान (कुल अनुदान के 65 प्रतिशत) मार्च के महीने में ही संस्वीकृत किए गए।

(vi) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण एकीकृत विकास विभाग सहायता अनुदान नियमावली, 1978 के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी सहायता अनुदान के पात्र नहीं थे लेकिन यह पाया गया कि विभाग ने नियमों का उल्लंघन करके खण्ड विकास अधिकारियों को वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक 997.64 लाख रुपए के सहायता अनुदान संस्वीकृत किए थे।

(vii) वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि अनुदान संस्वीकृत किए जाने वाले आदेश में अनुदान को खर्च किए जाने की समय सीमा भी होनी चाहिए लेकिन वर्ष 1990-91 से 1994-95 के मध्य 326.97 लाख रुपए की संस्वीकृतियां अनुदान उपयोगिता की अवधि बताए बिना जारी की गई।

(viii) नियमों में अपेक्षित है कि संस्वीकृति प्राधिकारी किसी भी स्थिति में अनुदानग्राही संस्थाओं की तरफ से बिल तैयार नहीं करेगा लेकिन विभाग बिल तैयार करने में संस्था का मार्गदर्शन कर सकता है। इन नियमों के विपरीत सभी निस्तारित अनुदानों के बिल स्वयं संस्वीकृति प्राधिकारी ने तैयार किए थे।

यह मामला जून 1995 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1995)।

(अनुपम कुलश्रेष्ठ)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला:
दिनांक: 29 FEB 1996

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

(सि0जि0 सोमैया)
भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली:
दिनांक: 14 MAR 1996

परिशिष्ट

परिशिष्ट- I

(पृष्ठ 31 पर परिच्छेद 2.2.1 में संदर्भित)

एक लाख रु0 से अधिक के अनावश्यक पूरक अनुदानों/विनियोगों के मामले

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग	अनुदान/विनियोग की राशि			
		मूल	पूरक	वास्तविक व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
			(लाख रुपए)		
	राजस्व दत्तमत				
1.	7- पुलिस तथा सहायक संगठन	7347.08	236.85	7287.11	(-)296.82
2.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषाहार सहित)	3682.22	109.32	3504.47	(-)287.07
3.	21-सहकारिता	878.85	157.18	855.76	(-)180.27
4.	25-सड़कें, जल परिवहन तथा नागरिक विमानन	1775.66	12.28	1774.18	(-) 13.76

परिशिष्ट-II

(पृष्ठ 35 पर परिच्छेद 2.2.3 में संदर्भित)

निधियों का अभ्यर्पण

उन मुख्य भिन्नताओं का विवरण जहां बचतें एक करोड़ रुपये से भी अधिक थीं परन्तु अभ्यर्पित नहीं की गई थीं

क्रम संख्या	अनुदान	कुल बचतें	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि
			(क रो ड़	रु प ए)
	राजस्व वत्तमत			
1.	5-भू-राजस्व	8.19	5.00	3.19
2.	8-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	59.60	49.48	10.12
3.	11-कृषि	8.86	7.17	1.69
4.	20-ग्रामीण विकास	2.82	1.57	1.25
5.	29-वित्त	9.30	6.97	2.33
	पूंजीगत वत्तमत			
6.	31-जनजातीय विकास	2.36	--	2.36
	राजस्व प्रभारित			
7.	29-वित्त	25.03	--	25.03

परिशिष्ट-III

(पृष्ठ 39 पर परिच्छेद 2.2.7 में संदर्भित)

वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं

वसूलियों तथा व्यय में कमी के रुप में समायोजित वास्तविक राशियों में मुख्य भिन्नताओं का विवरण

क्रमांक	अनुदान	बजट अनुमान	वास्तविक वसूलियां	अन्तर	
				राशि	प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए)			
प्राक्कलनों के प्रति अत्यधिक वसूलियां					
	राजस्व				
1.	10-लोकनिर्माण कार्य	40.86	68.51	27.70	68
2.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	16.27	21.60	5.33	33
3.	31-जनजातीय विकास	5.66	9.71	4.05	71
	पूंजीगत				
4.	23-जल तथा विद्युत विकास		234.00	234.00	100

परिशिष्ट-IV

(पृष्ठ 39 पर परिच्छेद 2.2.8 में संदर्भित)

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले

I. मुख्य पुनर्विनियोजन के वे मामले जो अप्रयुक्ति के कारण अविवेकपूर्ण सिद्ध हुए।

क्रमांक	अनुदान	लेखे के मुख्य/लघु /उप-शीर्ष आदि	उप शीर्ष को पुन-र्विनियोजन राशि	पुनर्विनियोजन के पश्चात् उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत राशि
			(लाख	रुपए)
1.	8-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2202-01-104-02	2.52	50.00
2.	10-लोकनिर्माण कार्य	2059-80-001-02	9.93	11.66
		2059-80-001-05	1.61	40.20
3.	14-पशुपालन	2403-101-01	16.75	18.81
4.	18-आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज	2851-102-14	101.07	101.07
5.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषाहार सहित)	2225-01-277	2.50	2.50
		2225-03-001-01	4.18	4.66
		2235-60-200-10	1.30	1.66
		4235-02-190-01	3.00	3.00
6.	20-ग्रामीण विकास	2216-03-102-01	8.37	8.38
7.	21-सहकारिता	2425-108-01	11.09	13.98
		4408-01-190	8.58	9.10
8.	30-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	7610-800-01	1.69	9.52
9.	31-जनजातीय विकास	2029-796-06	3.50	10.50
		2059-01-796-03	4.51	11.79
		2059-80-796-02	5.42	8.81
		2210-06-796-09	4.69	4.82
		4215-01-796-01	1.86	14.04
		6801-796-04	55.00	55.00
		6801-796-05	25.00	25.00
		6801-796-07	15.00	15.00

II. अन्य शीर्षों को किए गए मुख्य पुनर्विनियोजन के वे मामले जो निम्नलिखित उप-शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य में परिणत हुए:-

क्रमांक	अनुदान	लेखे के मुख्य/लघु /उप-शीर्ष आदि	उप शीर्ष को पुनर्विनियोजन की राशि	पुनर्विनियोजन के पश्चात आधिक्य की राशि
			(ला ख	रु प ए)
1.	3-न्याय प्रशासन	2014-114-01	5.23	14.71
2.	8-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2202-200-02	3.23	7.41
		4202-04-104-01	1.50	28.40
3.	9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-101-11	3.00	4.96
		2210-101-21	15.50	80.11
		2210-103-09	8.00	138.94
4.	14-पशुपालन एवं डेरी विकास	2403-102-02	2.61	13.12
		2403-102-09	3.75	4.08
		2403-103-04	1.00	2.16
		2403-104-04	1.23	6.44
5.	17-सड़कें तथा पुल	5054-80-001-03	2.00	199.37
		5054-80-001-05	4.00	22.56
6.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	2851-103-13	3.34	5.33
7.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	4215-01-102-01	14.72	101.47
		4215-01-102-01	4.14	7.04
		6216-800-02	2.15	11.86
8.	30 सरकारी कर्मचारियों को ऋण	7610-201-01	22.83	22.83
		7610-201-03	1.00	1.00
		7610-202-04	1.00	1.00
9.	31-जनजातीय विकास	3054-05-796-04	18.87	38.74
		4401-796-02	3.50	4.72
		6801-796-06	80.00	80.00

परिशिष्ट-V

(पृष्ठ 40 पर परिच्छेद 2.4 में संदर्भित)

आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

क्रम संख्या	विभाग/ कार्यालय	आहृत राशि (लाख रु0)	आहरण/ प्राप्ति का मास	उद्देश्य	अप्रयुक्त राशि (लाख रु0) (जून 1995 तक)	अभ्युक्तियां
	राजस्व					
1.	उपायुक्त, किन्नौर	26.38	दिसम्बर 1993	भवनों का निर्माण	17.82	भावानगर में विभाग के लिए भवनों के निर्माण हेतु आहरित 17.82 लाख रुपए स्थल उपलब्ध न होने के कारण प्रयोग नहीं किए जा सके।
2.	उपायुक्त, लाहौल एवं स्पिति, स्थित केलांग	5.36	मार्च 1994	रोजगार सृजन कार्य	5.36	स्कीम के कार्यान्वयन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई और यह राशि मार्च 1995 तक बैंक में अप्रयुक्त पड़ी थी।
	गृह					
3.	महानिदेशक, गृह रक्षा	21.03	मार्च 1994	वर्दी तथा अन्य सामग्री का क्रय	4.84	16.19 लाख रुपए आपूर्तिकर्त्ताओं को दिए गए और बाकी 4.84 लाख रु0 बैंक ड्राफ्टों के रुप में पड़े थे।
4.	निदेशक, अपराध विज्ञान प्रयोगशाला	6.50 4.00	मार्च 1993 मार्च 1994	भराड़ी में अपराध विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण	10.50	यह राशि सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की संस्वीकृति के अभाव में अप्रयुक्त पड़ी थी।
	उद्योग					
5.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द, केलांग	9.07	अक्तूबर 1993	स्टॉफ क्वॉटरों का निर्माण	9.07	महाप्रबन्धक ने बताया (सितम्बर 1994) कि यह राशि लोकनिर्माण विभाग को विमोचित नहीं की गई क्योंकि पहले विमोचित 12.07 लाख रु0 की राशि का प्रयुक्तता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित था (अगस्त 1995)।
6.	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, मण्डी	2.26	अप्रैल 1992	राष्ट्रीय राजमार्ग में कलवर्ट का निर्माण	2.26	एक स्थानीय निवासी के साथ विवाद के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।
	जोड	74.60			49.85	

परिशिष्ट-VI

(पृष्ठ 68 पर परिच्छेद 3.2 में सन्दर्भित)

वर्ष 1994-95 तक प्रत्यक्ष लक्ष्य एवं उपलब्धियां दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	क्रियाकलाप ब्यौरे	लक्ष्य				उपलब्धियां मार्च 1995 तक	गिरावट	गिरावट प्रतिशतता
		1992-93	1993-94	1994-95	जोड़			
	क- कृष्य भूमि सरंक्षण उपाय							
1.	समोच्च नालियां/खाइयां तथा बढ़ती बाड़ें (हैक्टेयर में)	936	3,301	5,383	9,620	1,210	8,410	87
2.	बांधों/बाड़ों की मरम्मत के बिन्दु (संख्या)	530	1,571	2,137	4,238	858	3,380	80
3.	समोच्च कृषि (हैक्टेयर)	1,090	1,980	2,245	5,315	394	4,921	93
4.	समोच्च बंद नालियां खोलना (हेक्टेयर)	318	2,298	2,096	4,712	304	4,408	94
5.	खड्ड नियंत्रण (संख्या)	241	1,040	1,992	3,273	753	2,520	77
	उत्पादन व्यवस्था (संख्या)							
6.	जीवांश कृषि/एकीकृत पोषक प्रबन्ध पद्धति	124	2,010	4,059	6,193	3,202	2,991	48
7.	मिश्रित फसल/सम्बद्ध फसल अन्त फसल प्रदर्शन	44	84	1,685	1,813	11,933	--	--
8.	घर की भूमि के पेड़	480	2,436	3,719	6,635	31,527	--	--

9.	कृषि भूमि के पेड़	11,255	49,460	79,860	1,40,575	52,393	88,182	63
10.	वाटिकाएं (अन्य स्रोत)	--	--	--	--	17,731	--	--
11.	कृषि वानिकी	10,264	34,550	50,600	95,414	1,42,337	--	--
12.	चारा कृषि प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	--	--	--	--	370	--	--
	ख. अकृष्य भूमि							
	संरक्षण उपाय							
13.	समोच्च प्ररोही झाड़ियां/समोच्च नालियां (हेक्टेयर)	1,186	3,298	5, 617	10,101	2,087	8,014	79
14.	खड्ड नियंत्रण साधन (संख्या)	280	505	357	1,142	1,526	--	
	उत्पादन व्यवस्था							
15.	घासों व फलियों के अधीन बीज बोना (हेक्टेयर)	976	7,441	9,969	18,386	1,60,410	1,67,819	91
16.	झाड़ियां लगाना (संख्या)	83,000	2,31,150	3,23,100	6,37,250	99,106	5,38,144	84
17.	वृक्षारोपण (संख्या)	23,000	79,200	1,23,900	2,26,400	1,57,329	69,071	31
	जलोत्सारण लाइनों का प्रबन्ध							
18.	जलोत्सारण घनता की निकासी (कि० मी०)	3,450	3,450	--	6,900	2,75	6897.25	100
19.	नालों के किनारों का स्थायित्व (रनिंग मीटर)	17,500	38,900	43,032	99,432	32,063	67,369	68
20.	प्ररोही मैकडमों का निर्माण (संख्या)	627	2,311	3,943	6,881	1,46,338	--	-

	पशुधन व्यवस्था							
21.	खस्सी सांडों का अण्डोच्छेदन (संख्या)	1,406	2,915	5,155	9,476	8,243	1,233	13
22.	चारा-बीजों तथा चारे का उत्पादन (संख्या)	462	956	1,616	3,034	3,190	--	--
23.	अकृष्य भूमि पर चरागाहों का विकास (हेक्टेयर)	--	--	--	--	--	--	--
	कृषि आधारित सम्बद्ध क्रियाकलाप							
24.	कृषि आधारित सम्बद्ध क्रियाकलाप (संख्या)	336	1,958	2,355	4,649	189	4,460	96

परिशिष्ट-VII

[पृष्ठ 141 पर परिच्छेद 4.11 में सन्दर्भित]

वन भूमि पड़ने के कारण ठप्प पड़े सड़क निर्माणकार्यों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	मण्डल का नाम	सड़क का नाम	प्र0/अ0 तथा व्य/संस्वी0 के ब्यौरे मास व वर्ष	राशि (लाख रुपए)	तकनीकी संस्वीकृति के ब्यौरे	पूर्णता हेतु नियतावधि	आरम्भ करने की तिथि	निर्माणकार्य ठप्प पड़ने की तिथि	अद्यतन व्यय (लाख रुपए)	अभ्युक्तियां
	डलहौजी	लाहरु-सरना-सलोह रायपुर सड़क (10 कि0मी0)	जुलाई 1983	20.05	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	1984	मार्च 1990	2.04	एक मीटर पगडण्डी (5.230 कि0 मी0) तथा मोटर योग्य सड़क 0.250 कि0 मी0 निर्मित कर ली गई है।
		होबर से ककीरा-बकलोह घटासणी खराड़ (12 कि0मी0) तक सम्पर्क सड़क	1989	32.30	प्राप्त नहीं हुए	निधि उपलब्धता की शर्त पर	1989	मार्च 1990	0.93	एक मीटर पगडण्डी (1.895 कि0 मी0) तथा मोटर योग्य सड़क (0.105 कि0 मी0) निर्मित कर ली गई है।
		मधुरियाड़ा गघर बलोह व चली होकर 5/7 मी0 चौड़ी चौवाड़ी रायपुर सड़क	मार्च 1987	21.59	प्राप्त नहीं हुए	निधि उपलब्धता की शर्त पर	1987	मार्च 1990	0.18	जीप योग्य सड़क (0.200 कि0 मी0) तथा मोटर योग्य (0.210 कि0 मी0) सड़क निर्मित कर ली गई है।
		जोलना व माठू वाया 5/7 मी0 चौड़ी मोटर योग्य स्तर की भेद खड्ड से साल्द्रा सड़क	मार्च 1987	42.30	प्राप्त नहीं हुए	निधि उपलब्धता की शर्त पर	1987	मार्च 1989	0.76	एक मीटर पगडण्डी (1.450 कि0मी0) निर्मित कर ली गई है।
2.	हरिपुरधार	चोकर गांव (5 कि0मी0) के लिए 5/7 मी0 चौड़ी सम्पर्क सड़क	मार्च 1986	12.58	प्राप्त नहीं हुए	उपलब्ध नहीं	1988-89	जनवरी 1990	2.27	एक मीटर पगडण्डी (5 कि0 मी0) तथा 5/7 मी0 चौडी संरचना कटान (0.881 कि0मी0)।

3.	कांगड़ा	बोहार कवाल से सिरमाणी तल्ला पलारा-ढाका-बान्दला सड़क (7 कि0मी0)	मार्च 1991	24.25	प्राप्त नहीं हुए	5 वर्ष	फरवरी 1991	जून 1991	2.09	पृथक्-पृथक् भू-खण्डों में संरचना कटान (4.500 कि0मी0) कर लिया गया है।
4.	शिलाई	बड़गियां-डाण्डा-पगर अम्बया सड़क (5 कि0मी0)	दिसम्बर 1988	12.96	सितम्बर 1991	2 वर्ष	अप्रैल 1989	मार्च 1992	2.19	पृथक्-पृथक् भू-खण्डों में 5/7 मी0 चौड़ा संरचना कटान 4.150 कि0 मी0 कर लिया गया है।
			जोड़	166.03					10.46	

परिशिष्ट-VIII

[पृष्ठ 141 पर परिच्छेद 4.11 में संदर्भित]

निजी भूमि पड़ने व अन्य कारणों से ठप्प पड़े सड़क निर्माणकार्यों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	सड़क का नाम	प्र0/अ0 तथा व्य0/संस्वी0 के विवरण: मास व वर्ष	राशि (लाख रुपए)	पूर्णता की नियत अवधि	प्रारम्भ करने की तिथि	निर्माण कार्य ठप्प पड़ने की तिथि	विलम्ब (मासों में)	अद्यतन व्यय (लाख रुपए)	कार्य की वर्तमान स्थिति	अभ्युक्तियां
1.	हरिपुरधार	मंगवा स्लायूं सड़क (10 कि0 मी0)	मार्च 1986	13.10	3 वर्ष	मार्च 1986	सितम्बर 1990	72	2.65	एक मीटर पगडण्डी (2.30 कि0 मी0) तथा 5/7 मीटर चौड़ा संरचना कटान (1.300 कि0 मी0)	जुलाई 1994 तक सड़क संरेखण को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।
2.	शिमला-I	भुड़ से होकर शाला-गांव से कियारी तक मोटर योग्य सड़क (11.86 कि0 मी0)	मार्च 1986	13.30	3 वर्ष	नवम्बर 1986	सितम्बर 1990	64	0.95	पृथक्-पृथक् भू-खण्डों में एक मीटर पगडण्डी (6.350 कि0 मी0) पूर्ण की गई।	निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु मामला अभी शुरु नहीं किया गया है।

3.	कल्पा	वर्तमान पगडण्डी को पिओ से कड़छम तक 15/22 चौड़ी मोटरयोग्य सड़क बनाना (10.07 कि० मी०)	मार्च 1973	23.86	3 वर्ष	फरवरी 1974	जून 1989	217	10.00	मोटरयोग्य सड़क (2.915 कि०मी०)	कठोर चट्टान तथा निधि अभाव।
4.	सरकाघाट	तिहरा-गद्दीघर-कमोलाह किला सड़क (17 कि०मी०)	नवम्बर 1981	4.37	5 वर्ष	फरवरी 1984	मार्च 1990	73	4.04	एक मीटर पगडण्डी (0/0 कि० मी० से 12/0 कि० मी०) संरचना कटान (0.660 कि० मी०)	कठोर चट्टान तथा निधि अभाव।

परिशिष्ट - IX

[पृष्ठ 142 पर परिच्छेद 4.11 में सन्दर्भित]

अपूर्ण पुलों के ब्यौरे दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	पुल का नाम	प्र0/अ0 तथा व्यय/स्वी0का संदर्भ तिथि	राशि (लाख रुपए)	पूर्णता की नियत अवधि	प्रारम्भ करने की तिथि	अद्यतन व्यय (लाख रुपए)	कार्य की वर्तमान स्थिति	अभ्युक्तियां
1.	कल्पा	नमलक में सतलुज नदी पर 40 मी0 पाट वाला पाद पुल	दिसम्बर 1988	5.56	एक वर्ष	1988-89	1.47	अभिगम तथा उपसरंचना पूर्ण हो गई है।	एक ठेकेदार को मई 1989 में अधिरंचना हेतु सौंपे गए कार्य को उसने आरम्भ नहीं किया और मार्च 1993 में ठेका खत्म कर दिया गया। कार्य पूर्ण न करवाने के कारण अभिलेखों में मौजूद नहीं थे।
2.	नाहन	(i)सैंवाला बर्मा पपरी-काथियांवाला भुड़ सड़क पर आर0डी0 10/795 पर डकरा का खाला के ऊपर 48.41 मी0 आर0 सी0 सी0 स्लैब पुल का निर्माण	मार्च 1991	24.03	18 मास	अक्तूबर 1990	6.62	सिनवाला की तरफ अन्त्याधार कार्य प्रगति पर है।	ठेकेदार ने जून 1993 में कार्य छोड़ दिया लेकिन कोई भी शास्ति नहीं लगाई गई और ठेका निरस्त नहीं किया गया।

	(ii) जमेरिया रामा-धौन सड़क आर० डी० 8/43 पर करोजन का खाला के ऊपर पुल	मार्च 1989	12.77	18 मास	दिसम्बर 1990	8.07	अन्त्याधार कार्य जनवरी 1992 में पूर्ण कर लिया गया है।	ठेकेदार ने मार्च 1993 में कार्य छोड़ दिया और जुलाई 1993 में 1.09 लाख रु० की क्षतिपूर्ति लगाई गई लेकिन इसे वसूल नहीं किया गया (अगस्त 1994)।
3. राजगढ़	सराहां-चण्डीगढ़ सड़क पर आर० डी० 15/060 पर भरमौरा के खाल्ला के ऊपर 19.75 मी० पाट के आर० सी० सी० टी० बीम पुल का निर्माण	मई 1989	3.97	6 मास	मई 1989	2.57	स्लैब स्तर तक कार्य पूर्ण है	ठेकेदार ने अप्रैल 1992 में कार्य छोड़ दिया। लेकिन कोई भी शास्ति नहीं लगाई गई (मई 1990)।
4. सोलन	जी०पी० हिन्नर में करगानू कटाल में गिरी नदी पर 65 मी० पाट वाले फुटवे पुल का निर्माण	जनवरी 1990	10.04	24 मास	मार्च 1991	0.99	एक तरफ के अन्त्याधार का राजगीरी कार्य सतह स्तर तक उठा लिया गया।	दूसरी तरफ के अन्त्याधार के निर्माणार्थ भूमि अनधिग्रहण के कारण कार्य मार्च 1993 से ठप्प पड़ा था।
		जोड़	56.37			19.72		

परिशिष्ट- X

(पृष्ठ 142 परिच्छेद 4.11 में संदर्भित)

अपूर्ण पड़े भवन निर्माणकार्य दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	भवन का नाम	प्र0/अ0 तथा व्यय/स्वी0का संदर्भ तिथि	राशि (लाख रुपए)	तक0 संस्वी0 के ब्यौरे तिथि	राशि (लाख रुपए)	पूर्णता की नियत अवधि	प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति	अद्यतन व्यय (लाख रुपए)	अभ्युक्तियां
1.	बिलासपुर-I	बिलासपुर में कृषि विभाग हेतु अतिरिक्त कार्यालय आवास	नवम्बर 1982	5.64	--	3.67	तीन वर्ष	मार्च 1984	स्लैब स्तर तक राजगीरी कार्य पूर्ण है तथा चार पैनलों में स्लैब बिछाया गया है।	3.37	शेष कार्य पूर्ण करने हेतु जुलाई 1994 में मण्डल द्वारा बिलासपुर के उपायुक्त से मांगी गई 8 लाख रु0 की निधि प्राप्त न होने से कार्य मार्च 1992 से ठप्प पड़ा है (सितम्बर 1994)।
2.	मण्डी-I	कटौला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन	मार्च 1987	13.71	प्राप्त नहीं हुए		एक वर्ष	1987-88	छत तक राजगीरी कार्य पूर्ण है।	6.33	कार्य जनवरी 1993 से ठप्प पड़ा है क्योंकि दिसम्बर 1993 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से मांगे गए 8.00 लाख रु0 की निधि उपलब्ध नहीं हुई है।
3.	रामपुर	(i) जगोड़ी में माध्यमिक स्कूल भवन	1980-81 से पूर्व	2.16	प्राप्त नहीं हुए		एक वर्ष	दिसम्बर 1981	कार्य स्थल विकास सम्पन्न हो चुका है।	0.50	निधि अभाव
		(ii) क्यों में माध्यमिक स्कूल भवन	प्राप्त नहीं हुए		प्राप्त नहीं हुए		एक वर्ष	जून 1988	प्लिंथ स्तर तक राजगीरी कार्य सम्पन्न हो चुका है	0.76	पर्याप्त निधि अभाव में यह कार्य वर्ष 1989-90 से परित्यक्त पड़ा था।

4. रोहड़ू	डोडरा में माध्यमिक स्कूल भवन	मार्च 1980	1.76	प्राप्त नहीं हुए	छः मास	दिसम्बर 1980	दरवाजों/खिड़कियों के पी0/एफ0 शटर को छोड़कर सभी कार्य पूर्ण है	2.56	निधि अभाव तथा कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध सतर्कता जांच के कारण यह कार्य दिसम्बर 1988 से अपूर्ण पड़ा था।
5. ऊना	जिला शिक्षा अधिकारी भवन ऊना	दिसम्बर 1988	14.36	प्राप्त नहीं हुए	एक वर्ष	फरवरी 1992	प्लिंथ स्तर तक कार्य पूर्ण है।	2.41	पर्याप्त निधि के अभाव में यह कार्य अक्तूबर 1992 से परित्यक्त पड़ा था।
		जोड़	37.63					15.93	

H.P.G.P.Shimla-5-47 ब/A.G/96-6.2.96--750 copies.